वार्षिक रिपोर्ट
2020-2021

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत

प्रस्तावना

न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा
माननीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि की अपनी अट्ठाईसवीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आयोग की स्थापना मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए अंगीकृत किए गए पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप अधिक जवाबदेही लाने और मानव अधिकारों को सुदृढ़ करने के अधिदेश के साथ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना में विविधता, समावेशिता और बहुलता को बनाए रखने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में समय–समय पर अर्थात् 2006 और 2019 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन द्वारा कई बार आयोग को 'ए' स्तर का दर्जा दिया गया है।

2. लगभग तीन दशकों की अपनी लंबी यात्रा के दौरान, आयोग लगातार और अनवरत रूप से भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय मानव अधिकारों, अर्थात् व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहा है।

3. मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विविध दृष्टिकोणों की अपेक्षा होती है। सरकार, नागरिक समाजों और अन्य हितधारकों के बीच राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग का विशिष्ट स्थान है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यह भूमिका विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के चुनौतीपूर्ण और कठिन समय के दौरान विशेष रूप से और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हाल के दिनों में, लॉकडाउन के दौरान अपनी स्वयं की बाध्यताओं और महामारी प्रोटोकॉल के कारण कर्मचारियों की कम संख्या होने के बावजूद, आयोग ने डिजिटल प्रणाली के माध्यम से अपने सभी क्रियाकलाप वर्चुअल रूप से जारी रखे। आयोग ने, विशेष रूप से महामारी के अनिश्चित समय के दौरान सभी व्यक्तियों के बुनियादी मानव अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकारों के लिए विभिन्न मुद्दों पर अनेक परामर्शियां जारी की।

4. महामारी के इस युग में जब सामाजिक दूरी एक बाध्यता बन गई, तब ई–ऑफिस/कार्य करने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग नया मानदंड बन गया है। आयोग पहले से ही पर्याप्त आईटी बुनियादी ढांचे से

सुसज्जित है और इसने उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया में अपनी छाप छोड़ी है। विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, वाद–विवादों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन जो अभी तक भौतिक रुप में किया जा रहा था, अब वर्चुअल रूप में भी आयोजित किए जाने लगा।

5. इस वार्षिक रिपोर्ट में आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों और पहलों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा, इस वार्षिक रिपोर्ट में, लोगों के जीवन और आजीविका में निहित मानव अधिकारों पर कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयोग द्वारा की गई पहलों से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ा गया है। रिपोर्ट में महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय, हिरासत में हिंसा, भोजन और पोषण, सेप्टिक टैंक की सफाई के खतरे से भरे कार्यों में लगे कामगारों की सुरक्षा आदि मुद्दों से संबंधित विभिन्न अध्यायों और इस अवधि के दौरान शामिल किए गए प्रमुख मामलों का सारांश भी शामिल किया गया है।

6. मैं, इस अवसर पर विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों/मानव अधिकार संरक्षकों/नागरिक समाजों/भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए सहयोग, राज्य सरकारों/संघ– राज्य क्षेत्रों, मेरे सहयोगियों, अधिकारियों, हमारे कोर समूहों के विशेषज्ञ सदस्यों और आयोग के कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। महामारी के दौरान भी सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना संभव हो पाया है। मुझे प्रबल आशा है कि यह वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों के बारे में पाठकों को न केवल सूचना प्रदान करेगी, बल्कि सरकार और नागरिक समाज दोनों की सार्थक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी।

(अरुण मिश्रा)

महासचिव के डेस्क से

श्री बिम्बाधर प्रधान
आईएएस

मुझे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2020–2021 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट सभी लोगों के मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए आयोग द्वारा किए गए क्रियाकलापों और पहलों के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और संरक्षा के लिए की गई थी। आयोग अन्य बातों के अलावा गैर–न्यायिक हत्याओं, जेल सुधारों, विशेष रूप से कमजोर तबकों और शोषित वर्गों के संरक्षण के लिए अथक रूप से कार्य कर रहा है। इसके अलावा, आयोग का प्रयास हमेशा से उन समसामयिक मुद्दों को उठाने का रहा है जिन पर समय पर ध्यान देने और सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

3. वार्षिक रिपोर्ट में 21 अध्याय हैं, जिनमें वैश्विक महामारी के दौरान मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आयोग की पहल के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में गत वर्ष की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह व्यक्तिगत शिकायतों, अनुसंधान अध्ययनों और समकालीन प्रासंगिकता की घटनाओं पर विचार–विमर्श के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रिपोर्ट में वैश्विक महामारी के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सहयोग को भी शामिल किया गया है।

4. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वार्षिक रिपोर्ट आयोग के सभी प्रभागों के समन्वित प्रयासों का प्रतिफल है। इसके अलावा, मैं एनएचआरसी की संपादकीय टीम में शामिल श्री आर. के. खंडेलवाल, अपर सचिव, श्रीमती अनिता सिन्हा, संयुक्त सचिव, श्री हरीश चन्द्र चौधरी, संयुक्त सचिव, श्रीमती मंजिल सैनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, श्री सुदेश कुमार, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री लक्ष्मी कुमारी, सुश्री तानिया चटर्जी, सुश्री आकांक्षा शर्मा और सुश्री सानिया श्रीवास्तव को वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 को तैयार करने में उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत की तहे दिल से सराहना करता हूं।

5. आयोग को पूरी उम्मीद है कि वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 उन लोगों के लिए उपयोगी दिशानिर्देशी स्त्रोत पुस्तिका होगी जो हमारे देश की मानव अधिकारों की स्थिति और वर्ष के दौरान आयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की व्यापक समझ हासिल करना चाहते हैं।

Bimbadhar Pradhan

(बिम्बाधर प्रधान)

विषय-सूची

अध्याय	विषय		पृष्ठ संख्या
	तालिकाओं की सूची		XV
	दृष्टांतों की सूची		XVI
अध्याय 1	परिचय		1-2
अध्याय 2	मुख्य बिन्दु		3-28
	क.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	4-5
	ख.	राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन	5-6
	ग.	नीतिगत योजना और वार्षिक कार्य योजना	7
	घ.	कोविड–19 के संदर्भ में मानव अधिकार परामर्शियां	7-8
	ङ.	कुछ अन्य प्रमुख गतिविधियां	8
	च.	समीक्षा अवधि के दौरान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां	9-10
	छ.	सूचना का प्रसार और आउटरीच तंत्र	10-11
	ज.	एनएचआरसी के लघु फिल्म पुरस्कार	12-13
	झ.	प्रलेखन केंद्र (ई–लाइब्रेरी)	13
	ञ.	शिकायतों की संख्या और प्रकृति	13-17
	ट.	मानव अधिकार उल्लंघन के मामले	17-24
	ठ.	मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए आयोग की बैठक	25-26
	ड.	अन्वेषण प्रभाग द्वारा निपटाए गए मामलों के आंकड़े	26-28
अध्याय 3	संगठन तथा कार्य		29-35
	क.	आयोग का गठन	29-31
	ख.	विशेषज्ञ प्रभाग तथा स्टॉफ	31-35
अध्याय 4	अभिशासन पारिस्थितिकी तंत्रः प्रशासन और संभारकीय सहयोग		36-44
	क.	कर्मचारी	36
	ख.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	36-37

	ग.	प्रलेखन केंद्र (ई–लाइब्रेरी)	38
	घ.	राजभाषा का संवर्द्धन	38
	ङ.	सूचना का प्रसार और आउटरीच तंत्र (बाहरी और आंतरिक)	39-41
	च.	प्रकाशन	42-43
	छ.	प्रशासनिक और जनशक्ति संबंधी समस्याएं	43-44
अध्याय 5	कार्यों का विस्तार		45-49
	क.	राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ आयोग की बैठक	45
	ख.	सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक	46
	ग.	मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना	47
	घ.	आयोग के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर्स	47-48
	ङ.	कोर समूह	49
अध्याय 6	कोविड–19 महामारी के दौरान मानव अधिकारों का संरक्षण		50-69
	क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कोविड–19 के प्रसार को रोकना	51
	ख.	वित्तीय पहल	52
	ग.	कोविड–19 महामारी के संदर्भ में मानव अधिकार परामर्शियां	52-63
	घ.	एनएचआरसी की परामर्शियां पर अनुवर्ती कार्रवाई	63-64
	ङ.	कोविड–19 के दौरान बंधुआ मजदूरों के बचाव, रिहाई और पुनर्वास पर दिशानिर्देश	64
	च.	वर्ष 2020–21 में दृष्टांत मामले	65-69
अध्याय 7	नागरिक और राजनीतिक अधिकार और आपराधिक न्याय प्रणाली की सुरक्षा		70-169
	क.	आतंकवाद एवं उग्रवाद	71-74
	ख.	फोरेंसिक विज्ञान पर वेबिनार	75
	ग.	पुलिस कर्मियों के साथ कार्यक्रम	75-76
	घ.	'मीडिया ट्रायल व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन करता है' विषय पर राष्ट्रीय वाद–विवाद प्रतियोगिता	76
	ङ.	विधिक सहायता योजना	76-77
	च.	अनुसंधान परियोजनाएं	77-80

	छ.	आयोग के विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स द्वारा जेलों का दौरा		80-81
	ज.	वर्ष 2020–21 में दृष्टांत मामले		81
		क)	हिरासत में होने वाली मौतें	81-88
		ख)	मुठभेड़ में मौत	88-90
		ग)	गैरकानूनी गिरफ्तारी, अवैध हिरासत और यातना	90-93
		घ)	पुलिस की मनमानी	93-102
		ङ)	बिजली से मृत्यु के मामले	103-105
		च)	अन्य मामले	106-109
अध्याय 8	स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार			110-121
	क.	कोविड–19 महामारी के संदर्भ में, स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी		111
	ख.	कोविड–19 महामारी के संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी		111
	ग.	''मरीजों के अधिकार और निजी अस्पतालों की सामाजिक जवाबदेही'' पर खुली परिचर्चा		111-113
	घ.	वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले		114-121
अध्याय 9	भोजन और पोषण का अधिकार			122-126
	क.	भोजन और पोषण के अधिकार पर कोर समूह की बैठक		124-125
	ख.	कोविड–19 के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी		125
	ग.	आयोग के विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स द्वारा क्षेत्रों का दौरा		125-126
	घ.	अनुसंधान परियोजनाएं		126
अध्याय 10	शिक्षा का अधिकार			127-130
	क.	नव स्वीकृत अनुसंधान परियोजना		128
	ख.	वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले		128-130
अध्याय 11	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रम और अन्य श्रम संबंधी मुद्दों के अधिकार			131-150
	क.	बंधुआ मजदूरी पर कोर समूह की बैठक		132-134

	ख.	कोविड–19 के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के मानव अधिकारों पर परामर्शी		135
	ग.	बंधुआ मजदूरी पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट		135
	घ.	अनुसंधान परियोजनाएं		136-141
	ङ.	प्रकाशन कार्य		141
	च.	आयोग के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर्स द्वारा क्षेत्रों का दौरा		141-142
	छ.	प्रवासी मजदूरों की पीड़ा और दुर्दशा से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप		142
	ज.	वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले		143-150
		अ) बंधुआ मजदूर		143-147
		आ) जोखिमपूर्ण रोजगार		147-150
अध्याय 12	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला ढोने के मुद्दे			151-165
	क.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार		151
	ख.	हाथ से मैला ढोने के मुद्दे		152
	ग.	हाथ से मैला ढोने और मानव अधिकारों के मुद्दों और चुनौतियों पर क्षेत्रीय कार्यशाला		153-156
	घ.	अनुसंधान परियोजनाएं		156-157
	ङ.	वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले		157-165
अध्याय 13	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई के अधिकार			166-203
	1.	महिलाओं के अधिकार		167-176
		क.	महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय पर उप–समिति का गठन (सीईडीएडब्ल्यू)	167
		ख.	कोविड–19 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी	168
		ग.	महिलाओं पर कोर समूह की बैठक	168-170
		घ.	वन–स्टॉप सेंटरों पर बैठक	170-171

		ङ.	महिलाओं पर यौन हमले के मामले में वैज्ञानिक/फोरेंसिक साक्ष्यों के संग्रहण और प्रसंस्करण पर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)	171-172
		च.	अनुसंधान परियोजनाएं	172-176
		छ.	प्रकाशन कार्य	176
	2.	बच्चों के अधिकार		176-186
		ज.	गुमशुदा बच्चों के मुद्दे पर आंतरिक बैठक	176-178
		झ.	'ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री' पर वर्चुअल सम्मेलन	178-179
		ञ.	कोविड–19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मानव अधिकार परामर्शी	180
		ट.	बच्चों पर कोर ग्रुप की बैठक	180-183
		ठ.	किए गए प्रकाशनः यूएनसीआरसी और भारतीय विधान, अभिनिर्णय और योजनाएं – एनएचआरसी द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन	183-184
		ड.	प्रस्तुतियाँ	184
		ढ.	अनुसंधान परियोजनाएं	185
	3.	एलजीबीटीक्यूआई के अधिकार		186-190
		ण.	एलजीबीटीक्यूआई मुद्दों पर कोर ग्रुप की बैठक	186-188
		त.	कोविड–19 के संदर्भ में एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी	188
		थ.	अनुसंधान परियोजनाएं	189
		द.	प्रकाशन कार्य	190
		ध.	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक	190
	4.	मानव तस्करी		190-196
		न.	मणिपुर में मानव तस्करी रैकेट पर श्री अजीत सिंह, विशेष मॉनीटर की जांच रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक	190-192
		प.	कोविड–19 महामारी के संदर्भ में मानव तस्करी का मुकाबला करने पर परामर्शी	192
		फ.	अनुसंधान परियोजनाएं	192-196
		ब.	प्रकाशन कार्य	196

	5.	विविध	196-198
		भ. अनुसंधान परियोजनाएं	196-198
	6.	वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले	199-203
अध्याय 14	बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार		204-208
	क.	कोविड–19 महामारी के संदर्भ में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों पर एनएचआरसी की परामर्शी	205
	ख.	निःशक्तता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की बैठक	205-206
	ग.	वर्ष 2020–21 में दृष्टांत मामले	207-208
अध्याय 15	दिव्यांगजनों के अधिकार		209-214
	क.	''दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोविड –19 का प्रभाव'' पर वर्चुअल सम्मेलन	210
	ख.	निःशक्तता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की बैठक	210-212
	ग.	नव स्वीकृत अनुसंधान परियोजना	212-213
	घ.	वर्ष 2020–21 में दृष्टांत मामले	213-214
अध्याय 16	व्यापार, पर्यावरण और मानवाधिकार		215-223
	क.	व्यवसाय और मानव अधिकारों पर कोर सलाहकार समूह का पुनर्गठन	215
	ख.	''कोविड –19 महामारी का प्रभावः व्यापार और मानव अधिकार और भविष्य की प्रतिक्रिया'' पर परामर्शी	215-216
	ग.	अनुसंधान परियोजनाएं	216-217
	घ.	वर्ष 2020–21 में दृष्टांत मामले	218-223
अध्याय 17	मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता		224-227
	क.	एनएचआरसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	224
	ख.	इंटर्नशिप कार्यक्रम	224-226
	ग.	जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम	226
	घ.	मानवाधिकारों पर संवेदीकरण कार्यक्रम	226
	ङ.	अन्य गतिविधियां	226-227

अध्याय 18	मानव अधिकार संरक्षक		228-236
	क.	वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले	229-236
अध्याय 19	अंतरराष्ट्रीय सहयोग		237-242
	क.	यूपीआर–III सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मध्यावधि रिपोर्ट	237-238
	ख.	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच के साथ सहयोग	238
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) के साथ सहयोग	238
	घ.	अंतरराष्ट्रीय बैठकों और संगोष्ठियों में एनएचआरसी की भागीदारी	238-242
	ङ.	आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत	242
अध्याय 20	राज्य सरकारों द्वारा एनएचआरसी की सिफारिशों को अस्वीकार करना		243-244
अध्याय 21	प्रमुख सिफारिशों और टिप्पणियों का सारांश		245-257
	क.	21 जुलाई, 2020 को आयोजित 'ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री' पर वर्चुअल सम्मेलन	245
	ख.	14 अगस्त, 2020 को आयोजित बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप की बैठक	246-247
	ग.	8 अक्टूबर, 2020 को आयोजित ''मरीजों के अधिकार और निजी अस्पतालों की सामाजिक जवाबदेही'' पर ओपन हाउस चर्चा	247-249
	घ.	11 नवंबर, 2020 को आयोजित एलजीबीटीक्यूआई पर कोर ग्रुप की बैठक	249-250
	ङ.	18 दिसंबर, 2020 को ''हाथ से मैला ढोने और मानव अधिकारों के मुद्दे और चुनौतियां'' पर दक्षिण भारत में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला	250-252
	च.	12 जनवरी, 2021 को निःशक्तता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन	252-254
	छ.	17 जनवरी, 2021 को महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन	254-255
	ज.	21 जनवरी, 2021 को बच्चों पर कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन	255-257
	झ.	19 मार्च, 2021 को एनएचआरसी–एसएचआरसी की बैठक का आयोजन	257

अनुलग्नक			258
	1	दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक पंजीकृत मामलों की राज्य–वार संख्या दर्शाने वाली तालिका	259
	2	वर्ष 2020–2021 के दौरान राज्य–वार निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाली तालिका	260
	3	31.03.2021 तक लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाली तालिका	261
	4	वर्ष 2020–21 के दौरान वित्तीय राहत के लिए एनएचआरसी द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या	262
	5	वर्ष 2020–21 के दौरान वित्तीय राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या	263-282
	6	वर्ष 2020–2021 के दौरान एनएचआरसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की सिफारिश के मामलों की कुल संख्या	283
	7	वर्ष 2019–2020 के दौरान एनएचआरसी द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	284-286
	8	वर्ष 2013–2014 से 2018–2019 के दौरान एनएचआरसी द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	287
	9	अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक अन्वेषण प्रभाग द्वारा की गई घटनास्थल जांच का विवरण	288-293
संकेताक्षरों की सूची			294-302

तालिका सूची

तालिका संख्या	तालिका विवरण
तालिका 2.1	शिकायतों की प्रकृति और संख्या
तालिका 2.2	उचित निवारण के बाद बंद की गई शिकायतों की संख्या
तालिका 2.3	कुछ महत्वपूर्ण मानकों पर पिछले 5 वर्षों का दृष्टिकोण
तालिका 2.4	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक अन्वेषण प्रभाग द्वारा निपटाए गए मामलों के आंकड़े
तालिका 2.5	2020–21 के दौरान अन्वेषण प्रभाग द्वारा संसाधित मामलों का माह–वार विवरण
तालिका 5.1	आयोग के क्षेत्रीय विशेष प्रतिवेदक
तालिका 5.2	आयोग के विशेष मॉनीटर
तालिका 13.1	पीड़ित मुआवजा योजना (वीसीएस) और संबंधित कार्यान्वयन की प्रभावशीलता, दक्षता और स्थिरता के लिए अंतराल, सिफारिशें
तालिका 16.1	मामला संख्या 1023/1/21/2020 में भुगतान की गई अनुग्रह राशि का विवरण
तालिका 20.1	वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई

दृष्टांतो की सूची

तालिका संख्या		विवरण
1	दृष्टांत 2.1	2020–21 के दौरान एनएचआरसी में पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या
2	दृष्टांत 2.2	2018–19 से 2020–2021 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत कुल मामलों का तुलनात्मक विश्लेषण
3	दृष्टांत 2.3	2020–2021 में "प्रथम दृष्टया" खारिज किए गए मामलों का राज्य–वार विवरण
4	दृष्टांत 2.4	2020–2021 में निर्देशों के साथ निपटाए गए मामलों का राज्य–वार विवरण
5	दृष्टांत 2.5	राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांरित मामले
6	दृष्टांत 2.6	वर्ष 2020–2021 में निपटान के विभिन्न माध्यमों से मामलों का निपटान और उनका विवरण
7	दृष्टांत 2.7	वर्ष 2020–2021 के दौरान हिरासत में हुई मौतों/बलात्कार के पंजीकृत और निपटाए गए मामलों की संख्या
8	दृष्टांत 2.8	अन्वेषण प्रभाग द्वारा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कार्रवाई कृत कुल मामले

अध्याय 1

परिचय

1.1 यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि की है। यह आयोग की अट्ठाईसवीं वार्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा की गई पहलों/क्रियाकलापों का व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है।

1.2 आयोग की सत्ताईसवीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि शामिल थी, को की गई कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन तैयार करने तथा ''मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993'' की धारा 20 और सितंबर, 2006 तथा जुलाई, 2019 में किए गए इसके उत्तरवर्ती संशोधनों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू आयोग के अध्यक्ष थे और 02.12.2020 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत, डॉ. डी. एम. मुले, पूर्व सचिव, भारतीय विदेश सेवा और श्रीमती ज्योतिका कालरा, अभिलेख अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, भारत आयोग के सदस्य बने रहे।

1.4 महासचिव के पद पर कार्यरत श्री जयदीप गोविंद दिनांक 30.09.2020 को सेवानिवृत्त हुए। श्री बिम्बाधर प्रधान, आईएएस (बिहार : 1987) ने 12.10.2020 को एनएचआरसी के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया और आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना जारी रखा। श्री प्रभात सिंह, आईपीएस (एजीएमयूटीः 1985), महानिदेशक (अन्वेषण) ने सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 30.04.2020 तक सेवा जारी रखी। श्री आर. के. खंडेलवाल, आईएएस (बिहारः 1989), संयुक्त सचिव (प्रशासन और अनुसंधान) को बाद में दिनांक 26.03.2021 से अपर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्होंने आयोग में अपर सचिव के रूप में काम करना जारी रखा। श्रीमती अनिता सिन्हा, आईआरएस (1990) आयोग में संयुक्त सचिव (कार्यक्रम और प्रशिक्षण) के रूप में कार्य करना जारी रखा।

1.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) की धारा 3 (3) में किए गए प्रावधान के अनुसरण में, श्रीमती रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, श्री प्रियांक कानूनगो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, श्रीमती शकुंतला डी. गैमलिन, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव भी), श्री विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, श्री हर्ष चौहान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, और श्री अतीफ राशिद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए एनएचआरसी के मानद सदस्य बने रहे।

1.6 वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत निर्धारित विभिन्न कार्यों के अनुसरण में विस्तृत क्रियाकलापों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों

पर स्वतः संज्ञान लेने के साथ–साथ व्यापक मुद्दों को कवर करने वाली शिकायतों जैसे कथित मानव अधिकार के उल्लंघनों की रोकथाम के लिए लोक सेवकों की लापरवाही, हिरासत में कथित मौतों, यातनाओं, फर्जी मुठभेड़ों, पुलिस की मनमानियों, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए उल्लंघनों, जेलों की स्थितियों, महिलाओं और बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचारों, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ और बाल श्रम, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करने, लोक प्राधिकारियों द्वारा लापरवाही और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार आदि के आधार पर कार्रवाई की। इन सभी में, संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने और घटनास्थल पर जांच करने के लिए अन्वेषण प्रभाग से अपनी टीम भेजने के अलावा आयोग ने उन पीड़ितों, जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था या उनके निकट संबंधियों को मौद्रिक राहत के भुगतान की संस्तुतियों के साथ–साथ राज्य सरकारों को भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

1.7 वर्ष 2020–2021 की वार्षिक रिपोर्ट पुलिस/न्यायिक हिरासत में हुई मौतों, अवैध रूप से हिरासत में रखने, पुलिस की मनमानियों, पुलिस मुठभेड़ों में मौत आदि सहित नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दों से संबंधित है। यह रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों सहित कमजोर समूहों के अधिकार, बंधुआ एवं बाल श्रमिकों के संरक्षण, रिहाई और उनके पुनर्वास जैसे आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

1.8 भारत में कोविड–19 के प्रकोप ने अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा कर दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों, स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के परामर्श से सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों और संघ– राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को लोगों के अधिकारों, विशेष रूप से वंचित/कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों को पूर्णरूप से प्राप्त कराने के लिए विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर 12 मानव अधिकार परामर्शियां जारी की।

1.9 आयोग ने मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के बीच सहयोग और समन्वय के क्षेत्रों का भी पता लगाया। इसके अलावा, आयोग ने अपने व्यापक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप कार्यक्रमों, प्रकाशनों, वेबिनार, परामर्शियां और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, सरकारी अधिकारियों, मीडियाकर्मियों, गैर–सरकारी और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों जैसे प्रमुख हितधारकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार जारी रखा। महामारी को देखते हुए, सिस्को वेबेक्स एप्लिकेशन के माध्यम सभी क्रियाकलाप वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए। एनएचआरसी – एसएचआरसी की बैठक 19 मार्च, 2021 को संपन्न हुई।

1.10 वर्ष 2020–2021 की इस वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में इन सभी मुद्दों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

अध्याय 2

मुख्य बिन्दु

2.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत का प्रहरी है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा किए गए क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

2.2 मानव अधिकार दिवस का आयोजनः संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में आयोग द्वारा हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस समारोह मनाया जाता है। मितव्ययिता संबंधी उपायों को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 10 दिसंबर, 2020 को वर्चुअल माध्यम से 'मानव अधिकार दिवस' समारोह मनाया। श्री नित्यानंद राय, माननीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

चित्र 2.1ः आयोग में मानव अधिकार दिवस, 2020 का आयोजन

2.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापना दिवस समारोहः देश भर में फैली कोविड–19 महामारी और यात्रा प्रतिबंधों के कारण आयोग 12 अक्टूबर, 2020 को स्थापना दिवस समारोह आयोजित नहीं कर सका था। हालांकि, स्थापना दिवस, 2020 पर अध्यक्ष महोदय का संदेश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

2.4 स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह : मानव अधिकार भवन में 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए गए थे।

क. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

2.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई), जो पेरिस सिद्धांतों का पालन करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, संधि निगरानी निकायों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार तंत्रों के माध्यम से, प्रत्येक राज्य को पेरिस सिद्धांतों का पालन करने के लिए एक प्रभावी और स्वतंत्र एनएचआरआई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और साथ ही जहां यह पहले से मौजूद है वहां इसे अधिक प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। एनएचआरआई कई तरह के संस्थानों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र और विशेष रूप से, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) के अलावा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) का कार्यालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एशियाई प्रशांत मंच (एपीएफ) महत्वपूर्ण हैं।

2.6 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गनहरी का सदस्य और एपीएफ का संस्थापक सदस्य होने के नाते, विभिन्न वेबिनार बैठकों/सेमिनारों और आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में भाग लिया।

2.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (गनहरी) राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है, जो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के सृजन और उनका सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह इन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच संयुक्त गतिविधियों और सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करके, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क और, जहां अनुरोध किया जाता है, एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के लिए सरकारों की सहायता करके इस भूमिका को निभाता है। अपनी सभी गतिविधियों में और अपनी अध्यक्षता, समितियों, कार्य समूहों आदि में, गनहरी लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत 'ए' स्थिति मान्यता के साथ गनहरी का एक सदस्य है जिसे पहले 1999 में यह मान्यता मिली थी तथा 2006 और 2011 में फिर से यह मान्यता मिली।

2.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) की प्रत्यायन पर उप–समिति (एससीए) ने आयोग द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण और देश के भीतर मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए 2017 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को 'ए' स्तर की मान्यता प्रदान की।

2.9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत 2003 में और 2007 से 2011 तक गनहरी ब्यूरो का सदस्य था। आम सभा ने भारत को एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) से गनहरी के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना। वर्ष 2016 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू के निर्वाचन के साथ पुनः गनहरी ब्यूरो का सदस्य बना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2020 में गनहरी की वार्षिक बैठक में भाग लिया, जो दिनांक 30.11.2020 से 04.12.2020 तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें 03 और 04 दिसंबर, 2020 को दो लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। ये सत्र निम्नलिखित विषयों पर आयोजित किए गए थे: (i) 03 दिसंबर, 2020 को सुअभ्यासों के ज्ञान का आदान–प्रदानः एनएचआरआई अधिदेश और कोविड–19 के

संदर्भ में कार्यों का कार्यान्वयन और (ii) 04 दिसंबर, 2020 को वार्षिक सम्मेलनः जलवायु परिवर्तनः राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका। न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, माननीय सदस्य, श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव और श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि) ने इस वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

ख. राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन

2.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 21 जुलाई 2020 को गूगल मीट के माध्यम से 'ऑनलाइन– बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)' पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्या, एनएचआरसी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के अलावा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, अभिभावक संघों, राज्य पुलिस विभागों, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और निजी साइबर विशेषज्ञों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

चित्र 2.2: 'ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री' पर वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेते आयोग के अधिकारी

2.11 आयोग ने 1 सितंबर, 2020 को डॉ. डी. एम. मुले, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 'दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोविड –19 के प्रभाव' पर एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों, कोर ग्रुप के सदस्यों, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर (दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय न्यास, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद और नागरिक समाज संगठनों के विशेष आमंत्रितों ने भाग लिया और उन्होंने अपने विचार और अनुभव

साझा किए। सम्मेलन में वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान 'केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों पर मसौदा परामर्शियां' पर चर्चा करने हेतु दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की गई।

2.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत की अध्यक्षता में 18 दिसंबर, 2020 को वर्चुअल माध्यम से हाथ से मैला ढोने वालों के मानव अधिकारों के मुद्दों और चुनौतियों पर एक दक्षिणी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

चित्र 2.3: 'हाथ से मैला ढोने और मानव अधिकारों के मुद्दे और चुनौतियों' विषय पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला

2.13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 22 मार्च 2021 को 'संगठित अपराधों में वृद्धिः मानव अधिकारों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा' विषय पर हितधारकों की चर्चा का आयोजन किया। आयोग द्वारा सभी प्रकार के संगठित अपराध और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और इसके बारे में जानने के लिए यह आयोजन किया गया था। न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, माननीय सदस्य, एनएचआरसी ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में एनएचआरसी के महासचिव, रजिस्ट्रार (विधि), संयुक्त सचिव (ए एंड आर), एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। वक्ताओं में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), केरल और महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

चित्र 2.4: आयोग और अन्य सरकारी संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी 'संगठित अपराधों में वृद्धिः मानव अधिकारों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा' पर हितधारकों की बैठक में भाग लेते हुए

ग. नीतिगत योजना और वार्षिक कार्य योजना

2.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने अपने कार्य को अधिक कारगर बनाने के लिए वार्षिक कार्य योजना (2021–22) और 2021–2024 के लिए तीन वर्षीय नीतिगत योजना का एक व्यापक संस्थागत तंत्र विकसित किया है। इन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य गैर–सरकारी संगठनों, मानव अधिकार संरक्षकों और सिविल सोसाइटी संस्थानों के साथ आयोग के जुड़ाव को और मजबूत करना और मौजूदा तंत्र को अपने अधिदेश के भीतर और अधिक मजबूत बनाना है। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बंधुआ और बाल श्रम के मुद्दे, सभी के लिए मानवीय गरिमा, समाज के वंचित वर्गों के लोगों के अधिकारों की रक्षा, जेल सुधार, महिला और बाल अधिकार, दिव्यांगों, बुजुर्गों के अधिकार, एलजीबीटीक्यूआई के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार शिक्षा, सुशासन, व्यवसाय एवं मानव अधिकार, मानव अधिकार संरक्षकों, गैर–सरकारी संगठनों/नागरिक समाज संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। यह मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कानूनों और योजनाओं में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु सभी हितधारकों के साथ काम करने को भी प्रोत्साहित करता है। इन योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है।

घ. कोविड–19 के संदर्भ में मानव अधिकार परामर्शियां

2.15 दुनिया ने कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण एक अभूतपूर्व संकट का सामना किया और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। कोविड–19 वैश्विक महामारी ने व्यक्तियों, समुदायों और समाज में भय, घृणा, असमानता,

गरीबी और अन्याय की भावना पैदा की। कोविड–19 की गंभीर स्थिति और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित 12 मानव अधिकार परामर्शियां जारी कीः

i. कोविड–19 के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और पोषण के अधिकार संबधी मानव अधिकार परामर्शी

ii. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में स्वास्थ्य के अधिकार संबधी मानव अधिकार परामर्शी

iii. कोविड–19 के संदर्भ में दिव्यांगजनों के अधिकारों संबधी मानव अधिकार परामर्शी

iv. कोविड–19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मानव अधिकार परामर्शी

v. कोविड–19 के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के मानव अधिकारों संबधी परामर्शी

vi. कोविड–19 महामारी के प्रभाव पर परामर्शीः व्यापार और मानव अधिकार और भविष्य की प्रतिक्रिया

vii. कोविड–19 के दौरान कैदियों और पुलिस कर्मियों के मानव अधिकारों संबधी परामर्शी

viii. कोविड–19 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों संबधी मानव अधिकार परामर्शी

ix. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार संबधी मानव अधिकार परामर्शी

x. कोविड–19 के संदर्भ में एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के अधिकारों संबधी मानव अधिकार परामर्शी

xi. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों संबधी एनएचआरसी की परामर्शी

xii. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में मानव तस्करी का मुकाबला करने संबधी परामर्शी

ङ. कुछ अन्य प्रमुख गतिविधियां

2.16 आयोग ने 19 मार्च, 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से सभी एसएचआरसी के अध्यक्षों, सदस्यों और सचिवों के लिए एनएचआरसी–एसएचआरसी की बैठक आयोजित की थी। बैठक का उद्घाटन न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, माननीय सदस्य, एनएचआरसी ने किया और एनएचआरसी के सदस्यों, महासचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ अधिकांश एसएचआरसी के अध्यक्षों, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने वेब मोड के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य अनुभवों को साझा करना और पारस्परिक हितों के मानव अधिकारों के मुद्दों का पता लगाना था। विचार–मंथन सत्रों के दौरान आयोग द्वारा जारी की गई परामर्शियों के कार्यान्वयन और प्रवासी व्यक्तियों के मुद्दों, राज्य मानव अधिकार आयोगों की क्षमता का मूल्यांकन – मुद्दे और चुनौतियां, एनएचआरसी–एसएचआरसी के बीच समन्वय, एचआरसी–नेट पोर्टल का कार्यान्वयन, राज्यों में जन सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन– प्रभाव, दृष्टिकोण और भविष्य की नीतियाँ, मानव अधिकारों के उल्लंघन और शिकायतों का प्रबंधन, पुलिस अत्याचारों पर विशेष जोर देने सहित कोविड–19 प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

चित्र 2.5: 19 मार्च, 2021 को एनएचआरसी–एसएचआरसी की बैठक में भाग लेते हुए आयोग के वरिष्ठ अधिकारी

च. समीक्षा अवधि के दौरान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां

2.17 **एचआरसीनेट पोर्टल (https://hrcnet-nic-in)**: एनएचआरसी ने शिकायत पंजीकृत करने से लेकर उसके निपटान तक शिकायतों/मामलों के प्रबंधन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करके सॉफ्टवेयर में आमूल–चूल बदलाव किए हैं, जिससे मामलों की आसानी से निगरानी की जा सकती है।

2.18 **ई–ऑफिस**: आयोग ने अपने सभी प्रभागों/अनुभागों की सभी सक्रिय फाइलों के लिए ई–ऑफिस (**https://nhrc-eoffice-gov-in**) को भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को घर/कहीं से भी ई–ऑफिस का उपयोग करने के लिए वेब वीपीएन की सुविधा प्रदान की गई। जिससे गंभीर महामारी काल के दौरान घर से कार्यालय के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में मदद मिली।

2.19 **वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार**: कंप्यूटर सेल ने इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न मुद्दों से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षणों, बैठकों, वेबिनारों, साक्षात्कारों, प्रतियोगिताओं आदि के लिए विभिन्न वेब प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 250 से अधिक वेबिनारों का आयोजन किया। इसने 2020 के मानव अधिकार दिवस समारोह को वर्चुअल माध्यम से मनाने के लिए वेबकास्ट की व्यवस्था की। इंटर्नशिप आवेदन प्राप्त किए गए और एनएचआरसी पोर्टल का उपयोग करके पारदर्शी तरीके से संसाधित किए गए और वेब प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इंटर्नशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

2.20 **वेबसाइट का अद्यतीकरण**: संबंधित प्रभाग/अनुभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री को आयोग की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतीकरण किया गया। सामग्री में रिक्तियों की अधिसूचनाएं, समाचार पत्र,

समाचार कतरनें, बैठक के कार्यवृत्त, संपर्क जानकारी, अधिकारियों की निर्देशिका, वीडियो, मासिक आंकड़े, प्रकाशन, प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज, फोटो गैलरी, प्रेस विज्ञप्ति आदि शामिल हैं।

2.21 **अनुवादकों के लिए सॉफ्टवेयरः** स्थानीय भाषाओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रेषित पत्राचार के अभिलेखों को संरक्षित रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण, विकास और इसका कार्यान्वयन किया गया। अनुवादकों को पत्राचार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण और उनके द्वारा अनुवादित सामग्री को सॉफ्टवेयर में अपलोड करने का प्रावधान है। इस साफ्टवेयर से अनुवाद करने में लगने वाले समय, श्रमशक्ति की आवश्यकता और बिल प्रसंस्करण के संदर्भ में संबंधितों की दक्षता में वृद्धि हुई।

2.22 **ई—एचआरएमएसः** आयोग में ई—एचआरएमएस सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। सेवा पुस्तिकाओं और व्यक्तिगत फाइल से डेटा एंट्री का कार्य जारी है।

2.23 **स्पैरोः** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यरत आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के लिए स्पैरो पहले से ही उपयोग में लाया जा रहा है। शेष कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्पैरो को सफलतापूर्वक लागू किया गया और स्थापना अनुभाग ने मूल्यांकन वर्ष के लिए स्पैरो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की।

2.24 **नेटवर्क और सुरक्षा संचालनः** लीज लाइन की गति (पीजीसीआईएल और रेलटेल दोनों) को 34 एमबीपीएस से बढ़ाकर 100 एमबीपीएस कर दिया गया है, जिससे आयोग में सॉफ्टवेयर के निष्पादन में दक्षता आई है।

2.25 **पुस्तकालय में बारकोडः** सभी पुस्तकों और अन्य सामग्रियों पर एक विशिष्ट 12—अंकीय बारकोड अंकित किया गया है जिससे पुस्तकों के व्यवस्थित प्रबंधन में मदद मिलती है। बारकोड की यह प्रक्रिया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुस्तकालय में लागू की जा रही है।

2.26 **एनएचआरसी डैशबोर्डः** महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए एक नया डैशबोर्ड डिजाइन, विकसित और आरंभ किया गया है।

2.27 **रीयल टाइम एमआईएसः** मामले के पंजीकरण और निपटान की बेहतर निगरानी के लिए आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कई एमआईएस रिपोर्ट तैयार, विकसित और कार्यान्वित की गईं।

छ. सूचना का प्रसार और आउटरीच तंत्र

2.28 **आउटरीच तंत्र — प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस वार्ताएं, साक्षात्कार, समाचार पत्रः** 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान, मीडिया और संचार विंग द्वारा आयोग के विभिन्न हस्तक्षेपों और क्रियाकलापों के बारे में 84 प्रेस विज्ञप्तियां तैयार और जारी की गई। वर्ष के दौरान आयोग के मासिक समाचार पत्र में नई विशेषताओं को शामिल किया गया। मीडिया और संचार विंग द्वारा अंग्रेजी के समाचार पत्रों का संपादन, डिजाइन, मुद्रण और परिचालन किया गया और राजभाषा अनुभाग द्वारा उनका हिंदी में अनुवाद, मुद्रण और परिचालन किया गया। एनएचआरसी न्यूजलेटर के 5000 सॉफ्ट कॉपी प्राप्तकर्ता और 2,000 से अधिक हार्ड कॉपी प्राप्तकर्ता थे। हार्ड कॉपी प्राप्तकर्ताओं की सूची को युक्तिसंगत बनाते हुए अन्य लोगों के साथ—साथ शिक्षा संस्थानों, पुलिस और प्रशासनिक संस्थानों, पुस्तकालयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और दूतावासों को शामिल करने के लिए इसे और अधिक समावेशी बनाया गया है।

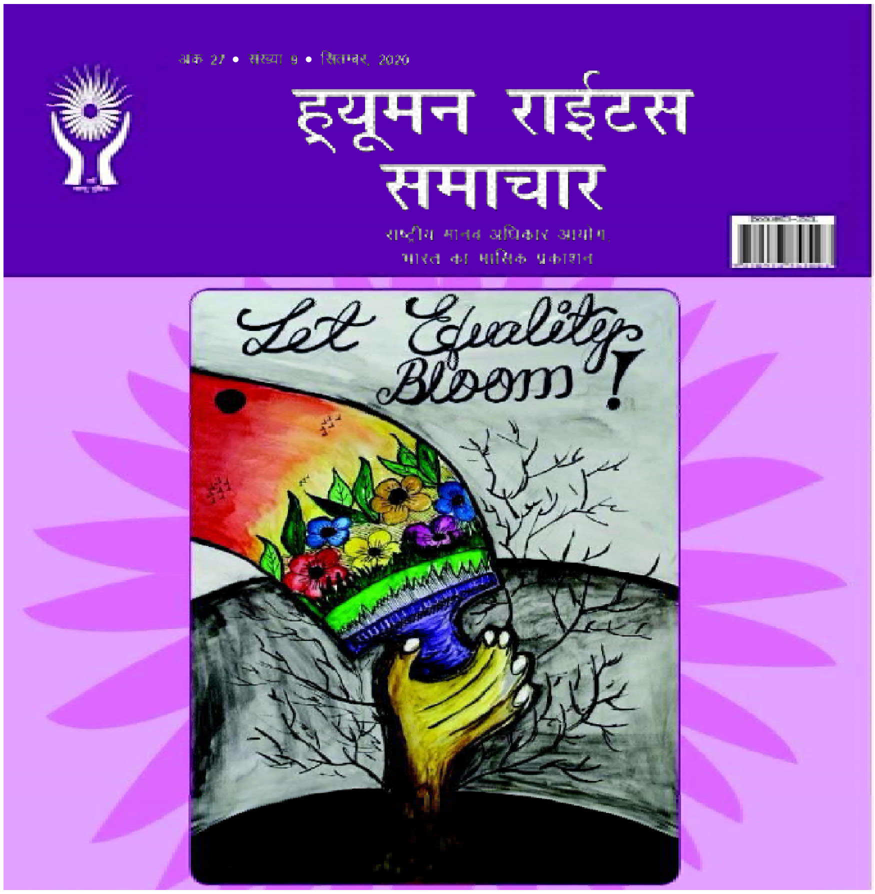

चित्र 2.6: समीक्षाधीन अवधि के दौरान एनएचआरसी का एक न्यूजलेटर

2.29 आंतरिक फीडबैक तंत्रः माननीय अध्यक्ष को दैनिक आधार पर मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर समाचार कतरनें उपलब्ध कराने के साथ–साथ, मीडिया में रिपोर्ट किए गए मामलों पर आयोग की प्रतिक्रिया के लिए 'वीकली न्यूज डाइजेस्ट ऑन ह्यूमन राइट्स' भी तैयार किया जाता है, जिसकी एक प्रति पुस्तकालय को भी भेजी जाती है। मानव अधिकारों के मुद्दों और ऐसी घटनाओं और गतिविधियों पर मीडिया रिपोर्टों का एक मासिक संग्रह, जिसका मानव अधिकारों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है, भी संदर्भ के लिए तैयार किया गया था।

2.30 वैकल्पिक संचार प्लेटफार्मों का समन्वेषणः आयोग ने अपने मीडिया और संचार विंग के माध्यम से, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), इंडियन रेड क्रॉस के साथ अपने युवा स्वयंसेवकों और अधिकारियों के व्यापक कार्य नेटवर्क के माध्यम से मानव अधिकार कार्यशालाओं को आयोजित करने हेतु प्रेरित करने के लिए अपनी बातचीत जारी रखी। इसके अतिररिक्त , दूरदर्शन, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी द्वारा उनके अखिल भारतीय नेटवर्क के माध्यम से मानव अधिकारों पर एनएचआरसी पुरस्कार विजेता लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए संपर्क किया गया था।

2.31 ट्विटरः एनएचआरसी, भारत के ट्विटर हैंडल को अप्रैल, 2021 में इसकी सत्यापित स्थिति का संकेत देने वाला ब्लू टिक मिला। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 633 ट्वीट किए गए और कुल फोलोअर्स की संख्या लगभग 19,000 तक पहुंच गई।

चित्र 2.7: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का ट्विटर पेज (चित्र 16.6.2021 को लिया गया था)

ज. एनएचआरसी के लघु फिल्म पुरस्कार

चित्र 2.8: वर्ष 2021 के लघु फिल्म पुरस्कारों की तैयारी

2.32 आयोग ने छठी लघु फिल्म पुरस्कार योजना का आयोजन किया। इस वर्ष, आयोग ने अपनी पुरस्कार राशि में प्रमाण पत्र के साथ क्रमशः दो लाख रुपये, एक लाख पचास हजार रुपये और एक लाख रुपये के तीन पुरस्कार, के साथ चार प्रतिभागियों के लिए 'स्पेशल मेंशन' प्रमाण पत्रों में वृद्धि की। आयोग को देश के विभिन्न हिस्सों से 93 प्रविष्टियों के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। पुरस्कारों के लिए फिल्मों का चयन एनएचआरसी

सदस्य, डॉ. डी. एम. मुले की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति द्वारा किया गया था जिसमें आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव, श्रीमती अनिता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता श्री अरुण चड्ढा शामिल थे। श्री जैमिनी कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (मीडिया एवं संचार) कार्यक्रम के संयोजक थे। कोविड–19 दिशानिर्देशों के मद्देनजर, एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, श्रीमती ज्योतिका कालरा और डॉ. डी. एम. मुले ने 8 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, श्री बिम्बाधर प्रधान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक ऑनलाइन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। निम्नलिखित फिल्मों को पुरस्कार दिए गएः

i. प्रथम पुरस्कारः रवींद्र माणिक जाधव की लघु फिल्म 'थलसर बंगसर'

ii. द्वितीय पुरस्कारः नितिन वसंतराव गणोरकर की लघु फिल्म 'वोम्ब ऑफ मेलघाट' और थॉमस जैकब की लघु फिल्म 'अन्नम' को संयुक्त रूप से दिया गया।

iii. तृतीय पुरस्कारः जया रोज की लघु फिल्म 'एंड दस द मैन गैट्स क्रष्ड अगेन एंड अगेन' और विनोद गरुड़ की लघु फिल्म 'सप्पर' को संयुक्त रूप से दिया गया।

iv. तीन फिल्मों को 'स्पेशल मेंशन' प्रमाण–पत्र मिला

- रशीद उस्मान निंबालकर की लघु फिल्म 'डमरू'
- रेवर गौरवसिंह की लघु फिल्म 'सरस्वती'
- गौतमी पुरुषोत्तम बर्दे की लघु फिल्म 'द वीमेन ऑन दैट स्ट्रीट'

झ. प्रलेखन केंद्र (ई–लाइब्रेरी)

2.33 आयोग के पुस्तकालय की स्थापना 1994 में अनुसंधान और संदर्भ उद्देश्यों के लिए की गई थी। इसे एनएचआरसी दस्तावेजीकरण केंद्र (ई–लाइब्रेरी) में अपग्रेड किया गया है जो कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाओं से सुसज्जित है। पाठकों के व्यापक उपयोग के लिए इंटरनेट पर पुस्तकों/दस्तावेजों और लेखों का डेटाबेस उपलब्ध है। पुस्तकालय में उपलब्ध किसी भी पुस्तक/दस्तावेज की उपलब्धता और स्थान का शीघ्रता से पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग (ओपीएसी) को विशेष रूप से विकसित किया गया है। एनएचआरसी पुस्तकालय विकासशील पुस्तकालय नेटवर्किंग (डेलनेट), नई दिल्ली का एक संस्थागत सदस्य है, जो पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझा करने को बढ़ावा देता है। पुस्तकालय पुस्तकों की बारकोड प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुस्तकालय उन्नयन प्रणाली पहल के एक भाग के रूप में इसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

ञ. शिकायतों की संख्या और प्रकृति

2.34 आयोग, 1993 में अपनी स्थापना के बाद से, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ–साथ मानव अधिकारों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने में सफल रहा है। यह सफलता शिकायतों की संख्या में वृद्धि से परिलक्षित होती है। आयोग को वर्ष 1994–1995 में 6987 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि वर्ष 2015–2016 में 1,17,808 मामले पंजीकृ त किए गए। इस बड़ी उपलब्धि के लिए आयोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का आभारी है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आयोग में बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतें भी लोगों द्वारा आयोग में दिखाए गए विश्वास का एक संकेतक है। मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण निस्संदेह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

समाज की परिस्थितियों और मौजूदा परिस्थितियों में बदलाव के साथ इसके आयाम हमेशा बदलते रहे हैं। कोविड महामारी के प्रकोप के साथ वर्ष 2020–2021 पूरी दुनिया के लिए एक नई चुनौती लेकर आया है। महामारी के कारण मानवता को लॉकडाउन, मजदूरों के पलायन आदि की अलग–अलग चुनौतियों का एक साथ सामना करना पड़ा है। एक ओर जहां इन परिस्थितियों की वजह से मानव अधिकारों का अतिशय उल्लंघन हुआ, वहीं दूसरी ओर, आयोग के साथ–साथ सह–साझेदारों जैसे – मीडिया और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। लॉकडाउन के कारण काफी समय तक आयोग का कार्यालय बंद रहा। आयोग के कुछ अधिकारी या उनके परिवार के सदस्य कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित थे। उनमें से कुछ जीवन के संघर्ष में हार गए। इन कठिन परिस्थितियों में भी आयोग ने मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अपने प्रयास जारी रखे। लोगों को डाक द्वारा शिकायतें भेजने या आयोग के काउंटर पर शिकायतें प्रस्तुत करने में मुश्किल हो रही थी, हालांकि, आयोग ने अपनी वेबसाइट पर शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा पहले ही प्रदान कर दी थी, इसलिए काफी शिकायतें ऑनलाइन पंजीकृत की गई या आयोग को ई–मेल के माध्यम से भेजी गई। चूंकि आयोग द्वारा निपटाई जाने वाली शिकायतों को भी पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है, इसलिए आयोग के अधिकारी/कर्मचारी अपना काम घर से ही कर सकते थे। बेशक, आयोग अपनी शिविर बैठकों, जन सुनवाई का आयोजन नहीं कर सका, और इन बातों का प्रभाव आयोग के प्रदर्शन पर पड़ा, इसके बावजूद आयोग और उसके अधिकारियों ने लगातार और अधिक ऊर्जावान तरीके से निडर भावना के साथ उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया जिनके मानव अधिकारों का उल्लंघन महामारी की बदली हुई परिस्थितियों में हुआ था।

2.35 वर्ष 2020–2021 के दौरान आयोग ने 74,968 शिकायतें पंजीकृत की और 79,307 मामलों का निपटारा किया। कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति, लॉकडाउन और आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद आयोग के सुचारू कामकाज में बाधा पैदा नहीं हुई। आयोग ने एचआरसी नेट पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को ऑनलाइन शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु कदम उठाए, शिकायत प्रबंधन और सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) भी उसका एक हिस्सा है और राज्य मानव अधिकार आयोगों को एचआरसी नेट पोर्टल का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जिससे शिकायतकर्ता कई राज्य मानव अधिकार आयोगों को ऑनलाइन शिकायतें जमा कर सके।

2.36 वर्ष 2020–2021 में देश भर में कोविड–19 महामारी का असर देखा गया। जिसके कारण लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने, लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए लॉकडाउन लगाने, कार्यालयों और व्यवसाय को बंद रखने आदि सहित विभिन्न उपायों की आवश्यकता थी। चिकित्सा देखभाल से इनकार, चिकित्सा का अत्यधिक बिल, और कोविड–19 के परीक्षण, देखभाल और उपचार की तैयारी आदि के संबंध में मीडिया रिपोर्टें आई। अपने स्तर पर, आयोग ने लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए प्रयास किए। एचआरसी नेट पोर्टल के उपयोग से शिकायतकर्ताओं को देश में कहीं से भी ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा मिली और साथ ही शिकायतों को तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए और डाक में देरी या पारगमन में खोने से बचाव के लिए जन सेवा केंद्रों की सेवाओं का उपयोग किया गया। शिकायतों के ऑनलाइन प्रसंस्करण ने उनके निवारण के लिए शिकायतों की त्वरित जांच, आयोग द्वारा पारित निर्देशों के ऑनलाइन संचार और अधिकारियों से रिपोर्ट की ऑनलाइन प्राप्ति की सुविधा प्रदान की।

2.37 एचआरसी नेट पोर्टल के प्रयोग से एसएमएस या ई–मेल संदेश के माध्यम से प्राप्ति की पावती, शिकायत पर आयोग द्वारा पारित निर्देशों पर अलर्ट और शिकायत की स्थिति/कार्रवाई से संबंधित जानकारी तक पहुंच के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को भी लाभ हुआ।

2.38 महामारी के दौरान, आयोग ने मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की विभिन्न घटनाओं, विशेष रूप से निम्नलिखित पर स्वतः संज्ञान लियाः—

- लॉक डाउन के दौरान अपने मूल स्थानों को जाने को मजबूर प्रवासी मजदूरों की पीड़ा। आयोग ने ऐसे प्रत्येक मामले में उचित निर्देश जारी किए।
- उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में राज्य संचालित एक बाल आश्रय गृह में रहने वाली 57 लड़कियां कोविड—19 पॉजिटिव पाई गई थी। इनमें से पांच लड़कियां गर्भवती और एक लड़की एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से लड़कियों के स्वास्थ्य की स्थिति, चिकित्सा उपचार और उन्हें प्रदान की गई परामर्श सेवा सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
- गाजियाबाद के उखलसरी गांव में एक श्मशान घाट में एक शेल्टर की छत गिरने से 23 लोगों की मौत और 30 अन्य घायल हो गए। अधिकांश पीड़ितों ने बारिश के कारण छत के नीचे शरण ली थी। एक आपराधिक मामला पंजीकृत किया गया और मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया। आयोग ने आपराधिक मामले की जांच की वर्तमान स्थिति के अलावा घायलों के राहत और पुनर्वास पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
- उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में झंगीराबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग दलित बलात्कार पीड़िता की आरोपी के परिजनों द्वारा हत्या कर दी गयी। जलने के कारण दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 17.11.2020 को लड़की की मौत हो गई। आयोग ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों को प्रदान की गई सुरक्षा, पंजीकृत आपराधिक मामले में प्रगति और परिवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) विनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई राहत पर एक रिपोर्ट मांगी।

2.39 पुलिस द्वारा अत्याचार, पुलिस की निष्क्रियता या पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों के अलावा, आयोग को समाज के कमजोर वर्गों और समाज से संबंधित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की कई शिकायतें प्राप्त हुई जिनका विवरण निम्नलिखित हैः

तालिका 2.1: शिकायतों की प्रकृति और संख्या

शिकायतों की प्रकृति/उल्लंघन के पीड़ित	प्राप्त शिकायतों की संख्या
बच्चे	538
महिलाएं	4219
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	942
दिव्यांगजन	834
परियोजना प्रभावित व्यक्ति	77
सांप्रदायिक हिंसा	124
स्वास्थ्य	793
व्यापार और मानव अधिकार	110
शैक्षणिक संस्थानों में उल्लंघन	1192
प्रदूषण के मुद्दे	358
श्रमिकों के अधिकार	1010

खुले समुद्रों का उल्लंघन	24
पंचायती राज संस्थान	263
सेवानिवृत्ति लाभों से इनकार	812
दिव्यांगों पर पुलिस द्वारा अत्याचार	29
महामारी के दौरान इलाज से इनकार	67
करंट लगने से मौत	550

2.40 एक ओर जहां आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीड़ित या मृतक के निकटतम परिजनों को मौद्रिक राहत देने की संस्तुति की, वहीं आयोग की पहल और सक्रिय कार्रवाई के परिणामस्वरूप पीड़ितों और उनके निकटतम परिजनों को निम्नलिखित रूप में राहत मिली:

- संबंधित राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की अनुसूची और 1995 के विनियमों के अनुसार अत्याचार पीड़ितों को राहत।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के संबंध में निर्धारित दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन।
- हाथ से मैला ढोने के दौरान मृत्यु को प्राप्त मजदूरों के परिवारों को दस लाख रुपये का भुगतान – सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन।
- सेवानिवृत्त लोक सेवकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान।
- बीपीएल श्रेणी, भूमिहीन गरीब और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को मनरेगा जॉब कार्ड, इंदिरा आवास योजना घर और अन्य लाभों का प्रावधान।
- पीड़ित मुआवजा योजना के तहत भुगतान।
- एसिड हमले के पीड़ितों को भुगतान।
- मेगा परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास।

2.41 वर्ष के दौरान शिकायतों का उचित निवारण होने के बाद कई मामलों का निपटान कर दिया गया, जिनमें निम्नलिखित ध्यान देने योग्य है:

तालिका 2.2: उचित निवारण के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या

शिकायतों की प्रकृति	शिकायतों की संख्या
बच्चों के अधिकार	1495
स्वास्थ्य का अधिकार	1853
बंधुआ मजदूर	1132
प्रदूषण	460
लोक सेवकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान	1409
महिलाओं के अधिकार	5926
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकार	1434
पुलिस की निष्क्रियता/अत्याचार	16214

2.42 आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के साथ एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। संबंधित नोडल अधिकारियों के बीच समन्वय की सुविधा के अलावा, राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपसी बातचीत, विचारों के आदान–प्रदान, समझ को बढ़ावा मिला और राज्य के अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लंबित मामलों की निगरानी की सुविधा मिली। राज्य सरकार के अधिकारियों को ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए HRC.NET पोर्टल का उपयोग करने के साथ–साथ राज्य के विभिन्न जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत सुविधा के व्यापक उपयोग के लिए स्थानीय जनता को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूक किया गया। मानव अधिकार संरक्षकों के मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए एनएचआरसी के फोकल प्वाइंट (मोबाइल नंबर 9999393570) का राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क रहा।

ट. मानव अधिकार उल्लंघन के मामले

2.43 2020–2021 के दौरान आयोग द्वारा पंजीकृत किए गए 74,968 मामलों में से, (**अनुलग्नक–1**) 30,164 मामले उत्तर प्रदेश राज्य से, 6,067 मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से, 4,504 मामले तमिलनाडु से, 3,880 मामले बिहार से और 3,277 मामले पूरे भारत से या एक से अधिक राज्यों से संबंधित हैं। पंजीकृत मामलों की संख्या का राज्यवार विवरण नीचे चार्ट में दिया गया हैः

दृष्टांत 2.1: 2020–21 के दौरान एनएचआरसी में पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

(नीचे दिए गए चार्ट में पंजीकृत शिकायतों की संख्या के आरोही क्रम में राज्यों को देखा जा सकता है)

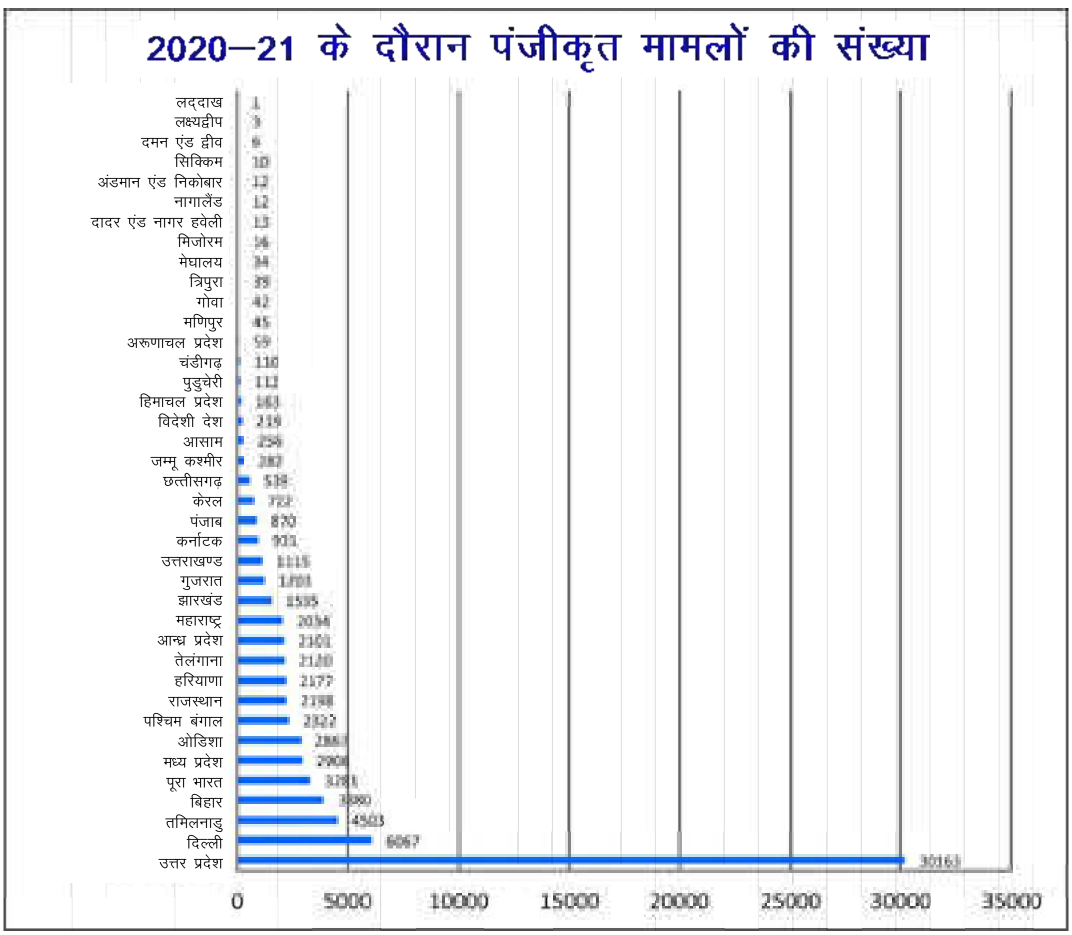

2.44 नीचे दिया गया ग्राफ 2018–2019 से 2020–2021 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत कुल मामलों का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है।

दृष्टांत 2.2: 2018–2019 से 2020–2021 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत कुल मामलों का तुलनात्मक विश्लेषण

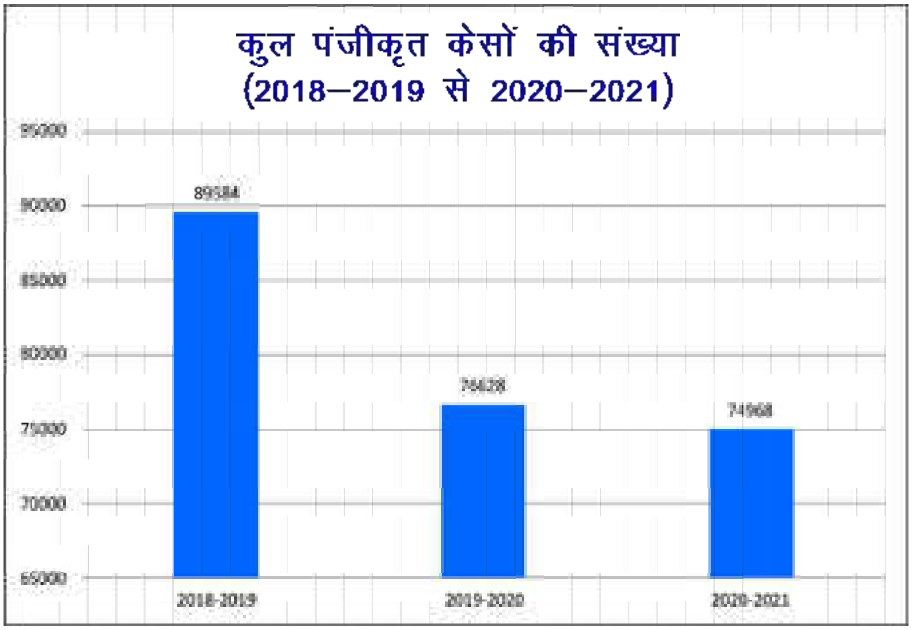

2.45 आयोग ने 81,328 मामलों का निपटारा किया जिसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से **36,180** को 'प्रथम दृष्टया' खारिज कर दिया गया। इन मामलों का राज्यवार विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है:

दृष्टांत 2.3: 2020–21 में 'प्रथम दृष्टया' खारिज किए गए मामलों का राज्य–वार विवरण

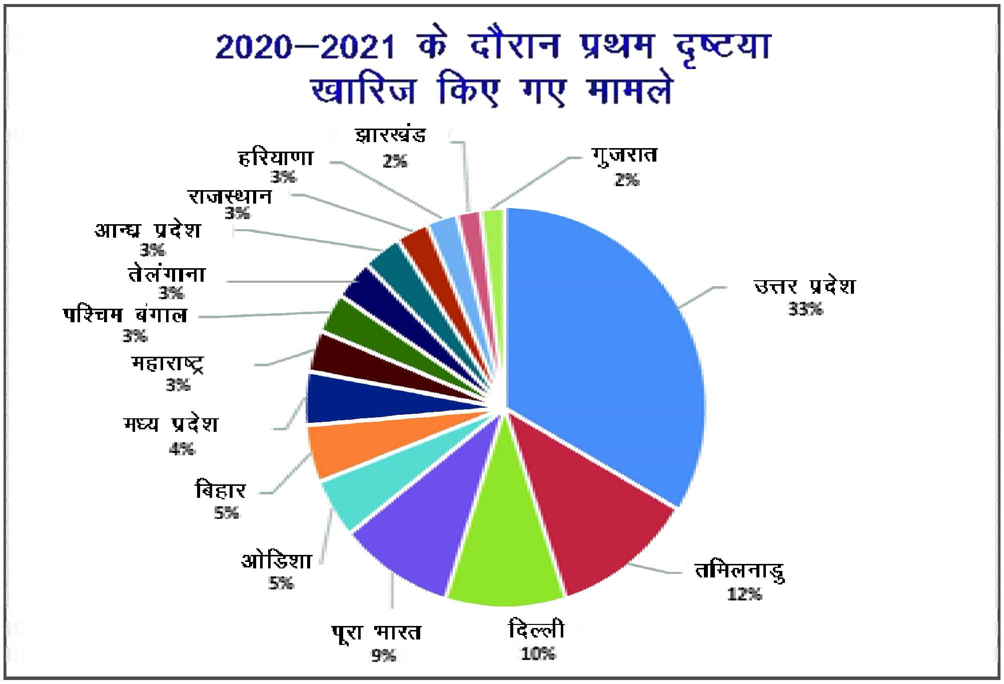

2.46 आयोग ने 2020–2021 के दौरान उपचारात्मक उपायों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को निर्देश के साथ **21,431** मामलों का निपटारा किया। इन मामलों का राज्य–वार विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है:

दृष्टांत 2.4: 2020–21 में निर्देशों के साथ निपटाए गए मामलों का राज्य–वार विवरण

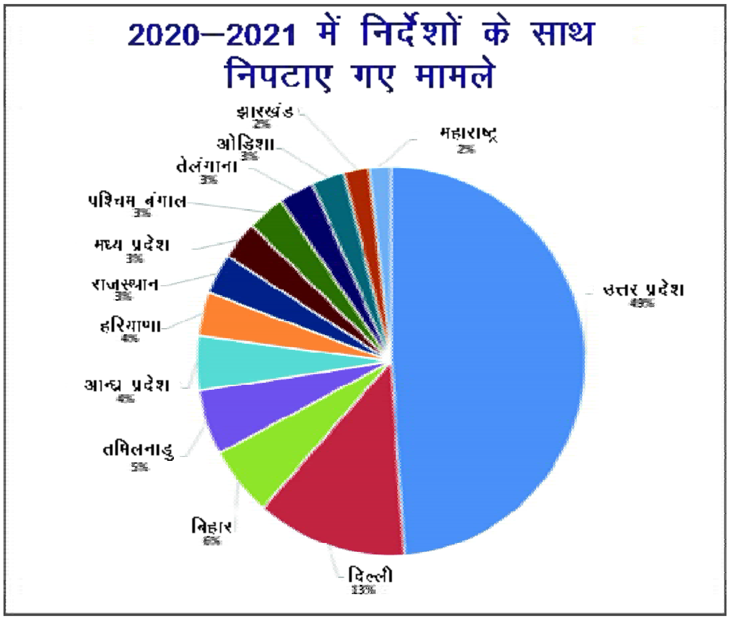

2.47 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटान के लिए **12,351** मामले राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित किए गए थे। वर्ष 2020–2021 के दौरान एनएचआरसी द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार मामलों के विवरण के लिए, कृपया **अनुलग्नक–2** देखें। यह नीचे दिए गए चार्ट में भी परिलक्षित होता है:

दृष्टांत 2.5: राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित मामले

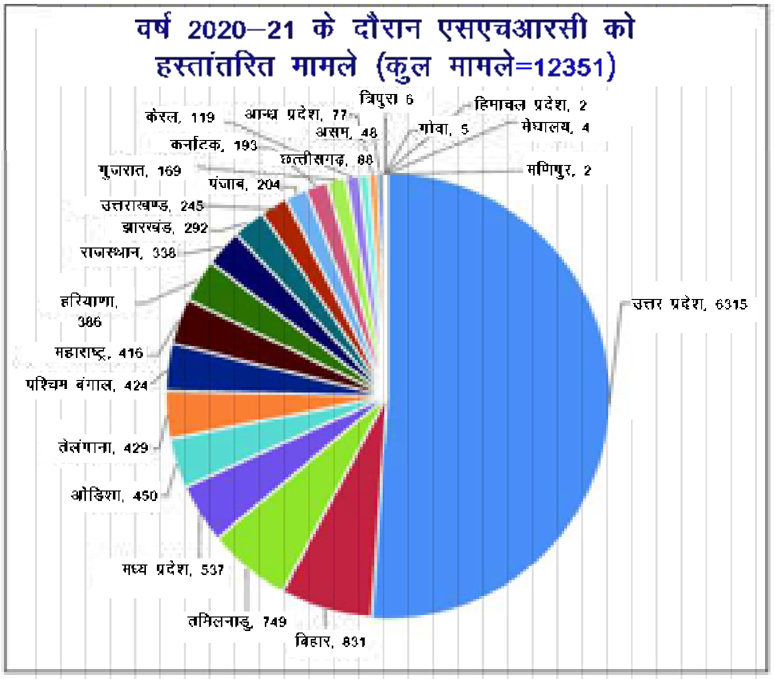

2.48 वर्ष के दौरान विभिन्न माध्यमों जैसे कि शिकायत को खारिज करके (डीआईएल), उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देकर, राज्य मानव अधिकार आयोगों को शिकायत स्थानांतरित करके, आयोगों से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद मामले को बंद करके, निपटाए गए मामलों को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

दृष्टांत 2.6: वर्ष 2020–21 में निपटान के विभिन्न माध्यमों से मामलों का निपटान और उनका विवरण

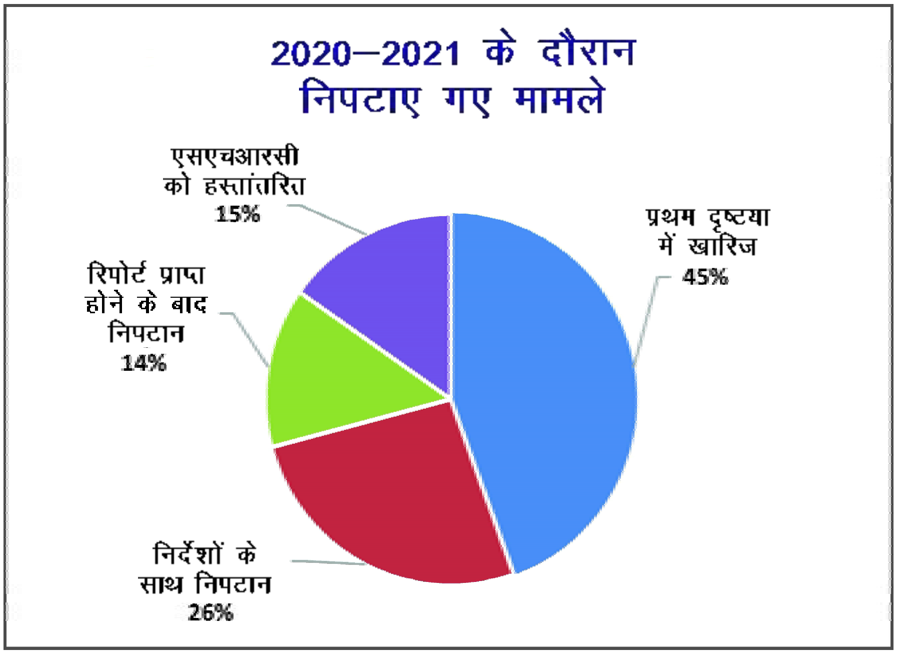

2.49 समीक्षाधीन अवधि के अंत में, अर्थात 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आयोग में लंबित मामलों की कुल संख्या 12,298 थी। इनमें से 266 मामलों पर प्रारंभिक विचार किया जा रहा था और 12,032 मामले या तो संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट के अभाव में या आयोग द्वारा विचार के लिए रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित थे (**अनुलग्नक–3**)।

2.50 नागरिक और राजनीतिक अधिकार

2.50.1 वर्ष 2020–2021 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित 1,841 सूचनाएं और पुलिस हिरासत में मौत की 102 सूचनाएं मिली और समीक्षाधीन अवधि के दौरान अर्ध–सैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में मौत की 1 सूचना भी मिली। आयोग ने हिरासत में मौत के 1543 मामलों का निपटान किया। इन 1543 मामलों में से न्यायिक हिरासत में मौत के 1437 मामले, पुलिस हिरासत में 104 मामले और अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत से संबंधित 2 मामले थे। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं। सभी विवरणों के लिए नीचे दिए गए ग्राफ को देखें।

दृष्टांत 2.7: वर्ष 2020–21 के दौरान हिरासत में हुई मौतों/बलात्कार के पंजीकृत और निपटाए गए मामलों की संख्या

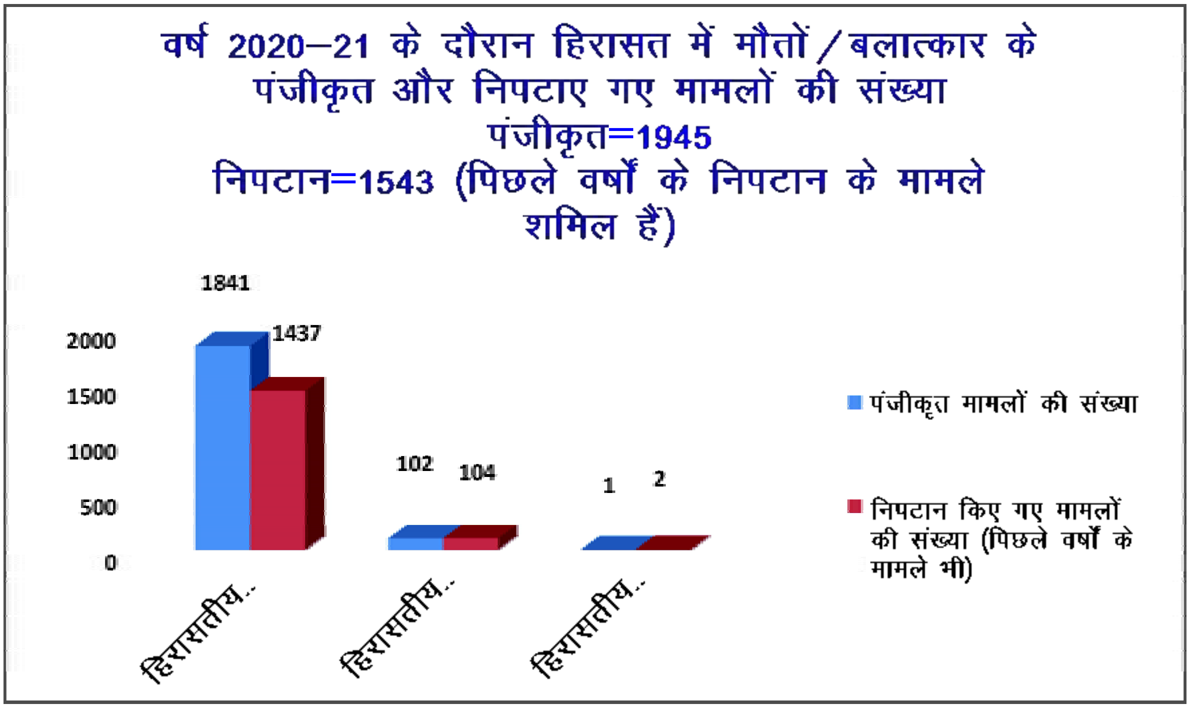

2.51 मौद्रिक राहत के लिए एनएचआरसी की संस्तुतियां और उनका अनुपालन

i. 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान, आयोग ने 459 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकटतम संबंधियों को मौद्रिक राहत/मुआवजे के भुगतान के रूप में 14,17,17,972 रुपये की संस्तुति की। जिन 459 मामलों में मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई थी, उनमें से केवल 133 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें पीड़ितों/मृतकों के निकटतम संबंधियों को कुल 3,29,27,219 रुपये का भुगतान किया गया था। इन मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–4** में दिया गया है।

ii. 31.03.2021 तक, 326 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित थी, जिसमें वर्ष के दौरान 10,97,95,000 रुपये की मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई थी (मामलों का विवरण **अनुलग्नक 5** पर है)। मौद्रिक राहत के लिए संस्तुतियों के अलावा, आयोग ने 1 मामले में दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई की भी संस्तुति की (मामलों का विवरण **अनुलग्नक – 6** पर है)। आयोग ने एक बार फिर उन सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार से अनुपालन के लिए लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने की संस्तुति की, ताकि प्रत्येक मामले में अनुशंसित मौद्रिक राहत पीड़ित अथवा उसके निकटतम संबंधी को तुरंत दी जा सके।

iii. जैसा कि दिए गए अनुलग्नक 4 से स्पष्ट है, 2020–2021 के दौरान, कुल 326 मामलों में से, 77 मामले उत्तर प्रदेश सरकार के पास, 42 मामले बिहार सरकार के पास और 19 मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और ओडिशा सरकार प्रत्येक के पास, 18 मामले झारखंड सरकार के पास, 16 मामले असम सरकार के पास, 14 मामले मध्य प्रदेश सरकार के पास, 12 मामले राजस्थान सरकार के पास, 11 मामले पश्चिमबंगाल सरकार के पास, 10 मामले आंध्र प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़

सरकार और पंजाब सरकार प्रत्येक के पास, 8 मामले महाराष्ट्र सरकार के पास, 7 मामले तमिलनाडु सरकार के पास, 6 मामले गुजरात सरकार के पास, 5 मामले केरल सरकार के पास, 3 मामले अरुणाचल प्रदेश सरकार, नागालैंड सरकार और उत्तराखंड सरकार प्रत्येक के पास, 2 मामले संघ–राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सरकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार और कर्नाटक सरकार प्रत्येक के पास और 1 मामला हिमाचल प्रदेश सरकार, संघ– राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप सरकार, संघ– राज्य क्षेत्र दमन और दीव सरकार, मिजोरम सरकार, मेघालय सरकार, सिक्किम सरकार, तेलंगाना सरकार, त्रिपुरा सरकार प्रत्येक के पास लंबित हैं।

iv. पिछले वर्षों से संबंधित मामलों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों के संबंध में, 67 (53+14) मामलों में अनुपालन प्रतीक्षित था, विवरण के लिए **अनुलग्नक – 7 और 8** देखें।

v. मौद्रिक राहत के भुगतान के संबंध में वर्ष 2019–2020 के लिए लंबित अनुपालन मामलों का विवरण **अनुलग्नक–7** में दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य फिर से सूची में सबसे ऊपर है क्योंकि आयोग को अब तक 14 मामलों में भुगतान का प्रमाण नहीं मिला है, जिनमें से अधिकांश मामले नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं। अन्य राज्य, जिन्होंने अभी तक इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित नहीं की थी उनमें ओडिशा के 6 मामले, झारखंड और बिहार प्रत्येक के 5 मामले, तमिलनाडु के 4 मामले, एनसीटी दिल्ली और असम प्रत्येक के 3 मामले, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रत्येक के 2 मामले, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल प्रत्येक का 1–1 मामला है। इन मामलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में गड़बड़ी, अपहरण/बलात्कार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं सहित और पेंशन का भुगतान न करने आदि के आरोप शामिल थे। इन मामलों का विवरण एनएचआरसी की पिछले वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। आयोग ने एक बार फिर उपरोक्त सभी राज्य सरकारों से आयोग को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने और साथ ही नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यापक कदम उठाने के साथ–साथ महिलाओं, सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं, के प्रति हिंसा और भेदभाव के कृत्यों को रोकने के लिए विशेष उपाय करने का आह्वान किया।

vi. मौद्रिक राहत के भुगतान के लिए 2013–14 से 2018–2019 की अवधि के लिए आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर अनुपालन के लिए लंबित 14 मामलों का विवरण **अनुलग्नक–8** में दिया गया है।

vii. इसके अलावा, राज्य के अधिकारियों ने निम्नलिखित मामलों में मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को मौद्रिक राहत के भुगतान के लिए आयोग के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दियाः

1. तमिलनाडु में पांच छात्रों के साथ मानव अधिकार संरक्षक श्री वी. गौतमन की अवैध हिरासत (केस संख्या 61/22/13/2014)

यह मामला मानव अधिकार संरक्षक श्री वी. गौतमन के साथ–साथ परवई दासन, रेमंड, गौतम, वसंतन और जोथिलिंगम नाम के पांच छात्रों को अवैध हिरासत में रखने और तमिल इनियान नाम के एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने से संबंधित है। आयोग की अन्वेषण टीम द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर पता चलता है कि पीड़ितों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और सीआरपीसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रात में पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्तियों को उनके

घरों/आवासों से गिरफ्तार किया गया था। आयोग ने पाया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था जिसके लिए राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इसलिए, आयोग ने तमिलनाडु सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से छह पीड़ितों को 50,000/– रुपये (प्रत्येक को) की मौद्रिक राहत का भुगतान करने और आयोग को भुगतान के प्रमाण के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट भेजने की संस्तुति की।

जवाब में उप सचिव, तमिलनाडु सरकार ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार इस मामले में शामिल 6 व्यक्तियों को मौद्रिक राहत देने के लिए एनएचआरसी के प्रस्ताव से असहमत है और उन्हें मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। मामले में मौद्रिक राहत के भुगतान के लिए आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार न करने के मद्देनजर, आयोग ने मामले को इस निर्देश के साथ बंद कर दिया कि मामले को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 के तहत आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाए और पीड़ितों को इस मामले में कानूनी उपाय तलाशने की सलाह दी जाए।

2. शिकायतकर्ता के बेटे और बहू को पुलिस थाना रानी बाग, दिल्ली के पुलिस कर्मियों ने पीटा (केस संख्या 2177/30/6/2018)

यह मामला एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के रानी बाग पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने शिकायतकर्ता के बेटे और बहू को पीटा था। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सतर्कता, दिल्ली ने बताया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। आयोग ने पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है और पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसके परिणामस्वरूप दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। अतः आयोग ने राज्य को प्रत्येक पीड़ित को मौद्रिक मुआवजे के रूप में 50,000/– रुपये का भुगतान करने और इन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई के विवरण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संस्तुति की।

प्रत्युत्तर में, बताया गया है कि पुलिस थाना रानी बाग वर्ष 2018 में उत्तर–पश्चिम जिले के अधिकार क्षेत्र में था। मामले में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों को उत्तर–पश्चिम जिले के डीसीपी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। जहां तक तीन पीड़ितों में से प्रत्येक को 50,000/– रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति का संबंध है, मामला एफआईआर संख्या 124/18 थाना रानी बाग के पीड़ित को मुआवजे के भुगतान के संबंध में पुलिस मुख्यालय से आज तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग ने मामले के अभिलेखों पर विचार करते हुए मामले को इस निर्देश के साथ बंद कर दिया कि संबंधित प्राधिकारी की टिप्पणियों के साथ जांच रिपोर्ट को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के तहत आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाए और पीड़ित के परिवार के सदस्यों को भी मामले में कानूनी उपाय तलाशने की सलाह दी जाए।

3. एक विचाराधीन कैदी, जो उप–जेल, घाटशिला, झारखंड में कैद था, की समय पर चिकित्सा देखभाल उपलब्ध न होने के कारण मृत्यु (केस संख्या 1387/34/6/2016–जेसीडी)

यह मामला झारखंड के घाटशिला की उप–जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की मृत्यु का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आयोग ने पोस्टमॉर्टम और जांच रिपोर्ट सहित मामले में अपेक्षित रिपोर्टें प्राप्त की और आयोग के पैनल में शामिल फोरेंसिक विशेषज्ञ की राय भी ली। फोरेंसिक विशेषज्ञ के अनुसार, रोगी फुफ्फुसीय तपेदिक से पीड़ित था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नैदानिक निष्कर्षों की पुष्टि करती है और मृत्यु का कारण टीबी है। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भर्ती होने के 20 दिनों के भीतर रोगी की मृत्यु फुफ्फुसीय तपेदिक की जटिलता और अस्पताल में भर्ती

होने से पहले उसका किसी किसी प्रकार का मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था इसलिए गैर–उपचार निदान/गैर–नियमित देखभाल का सुझाव देते हुए, आयोग का प्रथम दृष्टया विचार था कि मृतक की मृत्यु अपर्याप्त उपचार के कारण हुई थी। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक विचाराधीन कैदी के निकटतम संबंधी को 3,75,000/– रुपये के मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने की संस्तुति क्यों न की जाए।

प्रत्युत्तर में, झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव ने बताया कि राज्य सरकार आयोग के मौद्रिक मुआवजे की संस्तुति के लिए सहमत नहीं है क्योंकि राज्य की ओर से विचाराधीन कैदी के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। आयोग प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं था इसलिए उपरोक्त मौद्रिक मुआवजे की संस्तुति की। झारखंड सरकार ने संस्तुतियों का जवाब नहीं दिया, आयोग ने इस टिप्पणी के साथ मामले को बंद कर दिया कि वह राज्य के अधिकारियों के इस आचरण की सराहना नहीं करता है।

4. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक के आदेश के बावजूद पुलिस थाना हापुड़, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़ितों की अवैध हिरासत (केस संख्या 42837/24/77/2016)

यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद सी.ओ., हापुड़ द्वारा पीड़ितों की अवैध गिरफ्तारी/हिरासत से संबंधित है। आयोग के निर्देशों के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट से पता चला कि पीड़ितों के खिलाफ एक मामला पंजीकृत किया गया था। इंस्पेक्टर पुत्तन लाल वर्मा ने मामले का अन्वेषण किया। उन्होंने उनको अपराध में संलिप्त माना, और बिना किसी उपयुक्त कारण के उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। तथापि, उक्त इंस्पेक्टर द्वारा हापुड़ पुलिस स्टेशन में उन्हें अनावश्यक रूप से बुलाया गया और परेशान किया गया जिसके पीछे कुछ छद्म उद्देश्य हो सकते हैं। यह पाया गया कि इंस्पेक्टर कानून के खिलाफ काम कर रहा था और लोक सेवक के अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। उसके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही थी।

रिपोर्ट के अवलोकन पर, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उक्त निरीक्षक द्वारा प्रत्येक पीड़ित को अवैध हिरासत में रखने के लिए उनको 50,000 रुपये की मौद्रिक राहत की संस्तुति क्यों न की जाए।

प्रत्युत्तर में, उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव ने कहा कि पीड़ितों को आईपीसी की धारा 420/467/468/471/506 के तहत आपराधिक मामले में शामिल पाया गया था और उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दायर किया गया था, इसलिए वे किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हो सकते। साथ ही दोषी इंस्पेक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भी शुरू की जा रही है।

प्रतिक्रिया पर विचार करने पर, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रत्येक पीड़ित को 50,000/– रुपये की मौद्रिक राहत का भुगतान करने की संस्तुति की। इसके अलावा, डीजीपी, यूपी, लखनऊ को भी दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। आयोग ने पीड़ितों को उनकी टिप्पणियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रतिक्रिया से भी अवगत कराया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए, आयोग ने इस टिप्पणी के साथ मामले को बंद कर दिया कि संभवतः पीड़ितों के पास इस मामले में आग्रह करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए आयोग द्वारा आगे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

ठ. मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए आयोग की बैठक

2.52 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूर्ण आयोग ने अपनी 13 बैठकों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के 198 मामलों पर विचार किया। इसके अलावा, खण्ड पीठ ने 33 बैठकों में 595 मामलों पर विचार किया।

2.53 **अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों के संबंध में एनएचआरसी की जन सुनवाई:** समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कोविड महामारी के कारण कोई जन सुनवाई नहीं हो पाई और न ही कोई शिविर बैठक आयोजित की जा सकी। आयोग ने पूर्ण आयोग की 14 बैठकों में 207 मामलों पर विचार किया और **खण्ड पीठ** की 62 बैठकों में 822 मामलों पर विचार किया गया।

2.54 कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर पिछले 5 वर्षों के दृष्टिकोण का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3 : कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर पिछले 5 वर्षों का दृष्टिकोण

वित्तीय वर्ष	2015–2016	2016–2017	2017–2018	2018–2019	2019–2020
पुलिस मुठभेड़ में मौत (घटना कोड 812)	179	169	164	112	82
हिरासत में मौत (न्यायिक) (सूचना) (घटना कोड 301)	1668	1616	1636	1584	1840
हिरासत में मौत (पुलिस) (सूचना) (घटना कोड 807)	151	145	148	112	101
बाल श्रम (घटना कोड 101)	66	50	76	66	64
बंधुआ मजदूरी (घटना कोड 601)	3345	240	355	404	361
राज्य सरकार/केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता (घटना कोड 1505)	16258	13578	10929	8268	3092
सामूहिक बलात्कार (घटना कोड 1307)	572	455	422	375	217
बलात्कार (घटना कोड 1311)	707	535	701	648	478
बच्चे (घटना कोड 100–112)	1657	1211	1340	1019	538
स्वास्थ्य (घटना कोड 200–205)	2535	1832	1377	887	793
जेल (घटना कोड 300–318)	2670	2447	2669	2167	2336
पुलिस (घटना कोड 800–823)	35533	27845	27491	16286	13023
प्रदूषण/पारिस्थितिकी/पर्यावरण (घटना कोड 900–904)	457	446	471	458	358

महिलाएं (घटना कोड 1300–1314)	8105	7413	7843	6791	4219
रक्षा बल (घटना कोड 1600–1617)	128	72	98	94	66
अर्धसैनिक बल (घटना कोड 1700–1717)	160	152	132	135	157
एससी/एसटी/ओबीसी (घटना कोड 1900–1904)	3454	3207	2660	2403	942

ड. अन्वेषण प्रभाग द्वारा निपटाए गए मामलों के आंकड़े

2.55 निम्नलिखित तालिका अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक अन्वेषण प्रभाग द्वारा निपटाए गए मामलों के आंकड़ों को दर्शाती है

तालिका 2.4: अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक अन्वेतषण प्रभाग द्वारा निपटाए गए मामलों के आंकड़े

केस/स्थिति	न्यायिक हिरासत में मौतें	पुलिस हिरासत में मौतें	तथ्य अन्वेषण मामले	कुल मामले
प्राप्त (पिछले वर्षों के मामलों सहित)	2021	400	1624	4045
निपटाए गए	1845	211	1316	3372

2.56 अन्वेषण प्रभाग द्वारा निम्नलिखित पैराग्राफ में अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक संसाधित किए गए कुल मामलों की गणना की गई है:

दृष्टांत 2.8: अन्वेषण प्रभाग द्वारा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कार्रवाई कृत कुल मामले

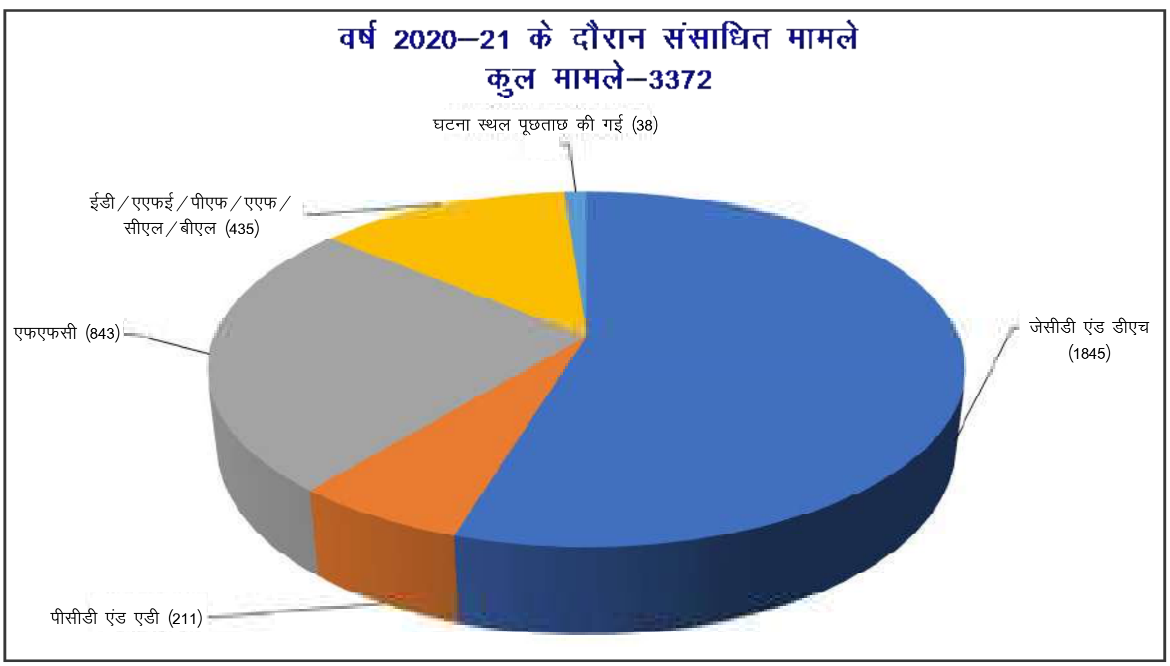

तालिका 2.5: 2020–21 के दौरान अन्वेषण प्रभाग द्वारा कार्रवाई कृत मामलों का माह–वार विवरण

महीने का नाम	कार्रवाई कृत मामले न्यायिक हिरासत में मौत (जेसीडी) और आश्रय गृहों में मौत (डीएच)	पुलिस हिरासत में मौत (पीसीडी) और कथित मौतें (एडी)	तथ्य अन्वेषण मामले (एफएफसी)	मुठभेड़ में मौतें (ईडी) / कथित फर्जी मुठभेड़ (एएफई) / पुलिस फायरिंग (पीएफ) / कथित फायरिंग (एएफ) / बाल श्रम (सीएल) / बंधुआ मजदूर (बीएल)	घटना स्थल पूछताछ	कुल
अप्रैल–20	55	0	43	0	0	98
मई–20	97	1	68	0	0	166
जून–20	73	4	100	0	1	178
जुलाई–20	138	12	123	0	2	275
अगस्त–20	130	20	63	40	2	255
सितम्बर–20	184	33	80	46	5	348
अक्टूबर–20	172	26	62	58	6	324
नवंबर–20	102	32	102	39	3	278
दिसंबर–20	176	15	58	65	6	320
जनवरी–21	254	22	56	57	3	392
फरवरी–21	239	28	42	78	5	392
मार्च–21	225	18	46	52	5	346
कुल	**1845**	**211**	**843**	**435**	**38**	**3372**

2.57 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, अन्वेषण प्रभाग द्वारा 38 घटनास्थल जांच भी की गई है। अन्वेषण प्रभाग द्वारा अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक की गई घटनास्थल जांचों का विवरण **अनुलग्नक 9** में दिया गया है।

चित्र 2.9: एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग के अधिकारी नागरिक निकाय की लापरवाही के मामले में घटनास्थल पर जांच करते हुए

चित्र 2.10: निजी अस्पतालों में कोविड–19 मरीजों के उत्पीड़न के एक मामले में घटनास्थल पर जांच

अध्याय 3

एनएचआरसीः संगठन तथा कार्य

3.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसे सितंबर, 2006 और जुलाई, 2019 में यथा संशोधित, इस अधिनियम का नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है। इस अधिनियम का उद्देश्य 'राज्यों के अंगों द्वारा किए गए शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ बेहतर संरक्षण और मानव अधिकारों का संवर्धन करना' है। यह एक ऐसा संस्थान है जो न्यायपालिका के अनुपूरक के रूप में कार्य करता है और देश में सभी लोगों के संवैधानिक रूप से निहित मौलिक मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में लगा हुआ है।

3.2 इस अधिनियम के अनुसार, 'मानव अधिकार' का तात्पर्य 'संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति विशेष की गरिमा संबंधी अधिकार' से है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आईसीसीपीआर), आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आईसीईएससीआर), महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू), बाल अधिकारों से संबंधित अभिसमय (सीआरसी) और नस्लीदय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन से संबंधित अभिसमय (सीईआरडी) शामिल हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1979 में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को स्वीकार किया था। भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय, वर्ष 1991 में बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और वर्ष 1968 में हर प्रकार के नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय की अभिपुष्टि की। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में उल्लिखित कई अधिकार भारतीय नागरिकों को उसी समय उपलब्ध हो गए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। ये अधिकार मुख्य रूप से संविधान के भाग III और भाग IV में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के व्यापक शीर्षक में परिलक्षित होते हैं।

3.3 आयोग को 'स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वायत्तता और व्यापक अधिदेश' उपलब्ध कराना निर्विवादित रूप से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की सबसे बड़ी ताकत रही है, जो कि पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के गठन और उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में भारत के सरोकार का मूर्त रूप है।

3.4 अपने अस्तित्व से लेकर अब तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अनुभव ने यह दर्शाया है कि इसकी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, अन्वेषण संबंधी शक्तियां, कार्यों का व्यापक विस्तार तथा विशेषज्ञ प्रभाग एवं स्टॉफ से संबंधित स्वतंत्रता और मजबूती, इसकी संरचना से संबंधित कानून की आवश्यकताओं द्वारा गारंटीकृत हैं।

क. आयोग का गठन

3.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3, (2019 में संशोधित) एक आयोग के गठन का प्रावधान करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा हो।

ii. एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो;

iii. एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो;

iv. तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला हो, की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं।

3.6 इस संशोधन से, आयोग के मानद सदस्यों की संख्या पांच से बढ़कर सात हो गई है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, (संशोधित) 2019 के अनुसार आयोग के सात मानद सदस्य निम्नानुसार हैं:

i. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष

ii. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष

iii. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष

iv. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा

v. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष

vi. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष

vii. दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त

3.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उपसभापति की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

3.8 आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है, जो भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय महासचिव के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है।

3.9 **जांच से संबंधित शक्तियां :** आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी वाद का विचारण करते समय, विशेष रूप से गवाहों की उपस्थिति हेतु समन करने तथा हाजिर करने तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करने; किसी भी दस्तावेज की खोज तथा प्रस्तुति; शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई लोक अभिलेख अथवा उसकी प्रति मांगने; गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आदेश जारी करना; तथा विहित किए गए किसी अन्य विषय के संबंध में सिविल न्यायालय को है। उल्लंघन के मामले में आयोग संबद्ध सरकार से उपचारात्मसक उपाय करने तथा पीड़ित अथवा मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजा देने के लिए कहता है तथा लोक सेवकों को उनके दायित्व एवं बाध्यताओं की भी याद दिलाता है। मामले के आधार पर, यह संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ अभियोजन या किसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है। आयोग में समाचार पत्र और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर गंभीर मामलों के स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति निहित है।

3.10 **कृत्यों का वृहत दायरा :** आयोग का अधिदेश बहुत व्यापक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में यथानिर्धारित आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं :–

i. स्वतः संज्ञान या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निर्देश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (i.i) मानव अधिकारों का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने या (i.ii) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोकसेवक द्वारा उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।

ii. किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में, जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतवर्लित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।

iii. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के कैदियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिशें करना।

iv. संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की संस्तुति करना।

v. ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारात्मक उपायों की संस्तुति करना।

vi. मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संस्तुति करना।

ख. विशेषज्ञ प्रभाग तथा स्टॉफ

3.11 आयोग के पांच प्रभाग हैं, ये – (i) विधि प्रभाग, (ii) अन्वेषण प्रभाग, (iii) नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग, (iv) प्रशिक्षण प्रभाग, तथा (v) प्रशासनिक प्रभाग हैं।

3.12 विधि प्रभागः विधि प्रभाग के मुखिया रजिस्ट्रार (विधि) हैं, जिनका सहयोग प्रजेंटिंग ऑफिसर, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, कुछ उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी और अन्य सचिवीय कर्मचारी करते हैं। यह आयोग की रजिस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है। यह पीड़ित अथवा उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर अथवा हिरासतीय मृत्यु, हिरासत में बलात्कार, मुठभेड़ में मौत या पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों या रक्षा बलों की कार्रवाई में मौत के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों या न्यायालयों के संदर्भ से सूचना प्राप्त होने पर मामलों की जांच तथा पंजीकरण करता है। यह इन शिकायतों/मामलों को आदेश/कार्यवाही के लिए आयोग के समक्ष रखकर आगे की कार्रवाई करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के आदेशों के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। यह आयोग को पीड़ितों को उनके घर पर न्याय दिलाने में सक्षम बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में आयोग की शिविर बैठकों, जन सुनवाइयों का भी आयोजन करता है। विधि प्रभाग आयोग को न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने या मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में आयोग के खिलाफ दायर मामलों में जवाब देने का कार्य भी करता है। यह आयोग को स्वतः संज्ञान लेने में भी सुविधा प्रदान करता है। विधि प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष लगभग एक लाख मामले पंजीकृत किए जाते हैं और उनका निपटारा किया जाता है। इनमें से कई मामलों के निपटारे से पीड़ितों को मौद्रिक राहत, अपराधी लोक सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन, बंधुआ मजदूरों की रिहाई, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का पंजीकरण, पेंशन का भुगतान आदि के रूप में राहत मिलती है। वर्ष 2020–2021 के दौरान आयोग ने 74,968 शिकायतें पंजीकृत की और 79307 मामलों का निपटारा किया। कुल पंजीकृत मामलों में से 41 मामले स्वतः संज्ञान से, 103 मामले पुलिस हिरासत में मौत, 1841 मामले न्यायिक हिरासत में मौत, 1 मामला अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत, 87 मामले मुठभेड़ में मौत, जैसा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया था, और 72895 मामले मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली शिकायतों की प्राप्ति पर पंजीकृत किए गए। इन शिकायतों में लगाए गए आरोपों में ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम में लोक सेवकों द्वारा लापरवाही के कारण कथित मानव अधिकार

उल्लंघन, कथित हिरासत में मौत, यातना, फर्जी मुठभेड़, पुलिस की मनमानी, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए उल्लंघन, जेलों से संबंधित स्थितियां, महिलाओं और बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ और बाल श्रम, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करना , सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा लापरवाही और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार आदि जैसे व्यापक मुद्दे शामिल हैं।

3.13 **अन्वेषण प्रभागः** अन्वेषण प्रभाग का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी करते हैं, एक उप महानिरीक्षक और चार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इनकी सहायता के लिए हैं। प्रत्येक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अन्वेषण अधिकारियों के एक समूह (जिसमें पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक शामिल हैं) का नेतृत्व करते हैं। अन्वेषण प्रभाग का कामकाज विश्लेषणात्मक और बहुआयामी है और यह निम्नलिखित क्रियाकलापों का संचालन करता हैः

i. **घटनास्थल जांच :** अन्वेषण प्रभाग घटनास्थल जांच करता है और मानव अधिकारों के उल्लंघन का खुलासा करने वाले मामले में उपयुक्त कार्रवाई की संस्तुति करता है। अन्वेषण प्रभाग द्वारा घटनास्थल पर किए गए निरीक्षण/जांच से न केवल आयोग के समक्ष सच्चाई प्रस्तुत होती है, बल्कि सभी संबंधितों– शिकायतकर्ताओं, लोक सेवकों आदि को एक संदेश भी जाता है। आयोग लोक अधिकारियों द्वारा मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित कई मामलों जैसे पुलिस द्वारा अवैध हिरासत, न्यायेतर हत्याओं आदि से लेकर अस्पताल में सुविधाओं की कमी के कारण अप्राकृतिक मौतें या बंधुआ मजदूरी के मामलों में घटनास्थल जांच का आदेश देता है। मौके पर की गई पूछताछ आम जनता का भी विश्वास बढ़ाती है और मानव अधिकारों की सुरक्षा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका में उनका विश्वास जगाती है। अन्वेषण प्रभाग सलाह/विश्लेषण के मामलों में निगरानी के अलावा जब भी इसे संदर्भित किया जाता है, अपनी टिप्पणियां/पर्यवेक्षण देता है। आयोग ने अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के दौरान 50 मामलों में घटनास्थल जांच करने का आदेश दिया। इस अवधि के दौरान (पिछले वर्ष की 5 पूछताछों सहित) अन्वेषण प्रभाग द्वारा कुल 38 घटनास्थल निरीक्षण किए गए।

ii. **अभिरक्षा/हिरासत में मौतें :** आयोग द्वारा राज्य प्राधिकारियों को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, अभिरक्षा में (चाहे पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में) किसी भी मौत के मामले में 24 घंटे के भीतर आयोग को सूचित करना चाहिए। इस तरह की सूचना मिलने पर अन्वेषण प्रभाग रिपोर्टों का विश्लेषण करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें कोई मानव अधिकार उल्लंघन शामिल तो नहीं था। विश्लेषण को अधिक पेशेवर और सटीक बनाने के लिए, अन्वेषण प्रभाग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पैनल में उपलब्ध फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉक्टरों से राय लेता है। अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के दौरान, न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों के 1845 मामलों और पुलिस हिरासत में हुई मौतों के 211 मामलों को अन्वेषण प्रभाग द्वारा संसाधित/निपटाया गया।

iii. **पुलिस फायरिंग/मुठभेड़ के दौरान मौत :** आयोग ने ऐसे मामलों, जिनमें पुलिस कार्रवाई, जैसे फायरिंग के दौरान लोग/उग्रवादी मारे जाते हैं, के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश निर्धारित किए हैं। ऐसे मामले की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से 48 घंटों के भीतर आयोग को दी जानी चाहिए, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट, मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आदि शामिल हैं। अन्वेषण प्रभाग को ऐसी घटनाओं के विश्लेषण का कार्य सौंपा गया है और वह आयोग के समक्ष ऐसे मामलों में भ्रांतियों/विसंगतियों को सामने लाता है। इस अवधि के दौरान, अन्वेषण प्रभाग द्वारा मुठभेड़ में हुई मौतों के 425 से अधिक मामलों को संसाधित/निपटाया गया।

iv. **तथ्य अन्वेषण मामले :** अन्वेषण प्रभाग आयोग के निर्देशों के अनुसार ''तथ्य अन्वेषण'' मामलों में विभिन्न प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहता है। अन्वेषण प्रभाग इन रिपोर्टों का गंभीर रूप से विश्लेषण करता है ताकि आयोग को यह तय करने में सहायता मिल सके कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। ऐसे मामलों में जहां प्राप्त रिपोर्ट भ्रामक या तथ्यात्मक नहीं हैं, आयोग घटनास्थल जांच करने का आदेश भी देता है।

v. **रैपिड एक्शन सेल :** वर्ष 2007 से, अन्वेषण प्रभाग ने आयोग में एक रैपिड एक्शन सेल (आरएसी) को कार्यात्मक बनाने की पहल की है। आरएसी मामलों के तहत, अन्वेषण प्रभाग उन मामलों पर विचार करता है जो अत्यंत तत्काल प्रकृति के होते हैं, जैसे कि अगले ही दिन बाल विवाह होने की संभावना हो या फिर शिकायतकर्ता को भय हो कि उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को पुलिस द्वारा उठाकर फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में, अन्वेषण प्रभाग आयोग द्वारा अपेक्षित तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करता है। तथ्यों का पता लगाने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन पर बात करने की आवश्यकता, शिकायत को संदर्भ के लिए विभिन्न अधिकारियों को फैक्स करना और उन्हें अपने उत्तर शीघ्रता से भेजने के लिए कहना – ये सभी कार्य अन्वेषण प्रभाग द्वारा किए जाते हैं। 01.4.2020 से 31. 3.2021 की अवधि के दौरान, अन्वेषण प्रभाग ने ऐसे 101 त्वरित कार्रवाई मामलों (आरएसी) का निपटान किया है, जहां आयोग के तत्काल हस्तक्षेप न केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन बल्कि मानव जीवन और स्वतंत्रता के लिए पैदा खतरे की भी रोकथाम हो सके।

vi. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता :** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों लिए मानव अधिकारों की जागरूकता और इसके प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए, अन्वेषण प्रभाग 1996 से हर साल नियमित रूप से ऐसे मुद्दों पर एक वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित करता आ रहा है। इसके अलावा, 2004 से, माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, पूरे देश में सीएपीएफ की बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए, अंतिम प्रतियोगिता के लिए क्षेत्र–वार वाद–विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान चुनी गई टीमों के सेमीफाइनल और फाइनल राउंड बाद में राजधानी में आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इस आयोजन में उत्साहपूर्ण भागीदारी और विचार–मंथन सत्रों का एक उत्कृष्ट स्तर देखने को मिलता है। आयोग इन वाद–विवाद प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए सीएपीएफ को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस वर्ष (2020–21) रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल कोलकाता में आयोजित किया गया था और फाइनल 16.9.2020 को उत्तर रेलवे सम्मेलन हॉल, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फाइनल राउंड के विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। सीएपीएफ वाद–विवाद प्रतियोगिता, 2020 की रोलिंग ट्रॉफी का विजेता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) था।

vii. **राज्य पुलिस बलों के कर्मियों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता :** पुलिस आज अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मानव अधिकारों के सिद्धांतों को मानने के लिए कर्तव्यबद्ध है। मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से पुलिस बलों में निम्न और मध्यम स्तर के कर्मचारी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सीधे आम जनता के संपर्क में आते हैं। वर्ष 2004 से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा राज्य पुलिस बल के कार्मिकों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके पुलिस अधिकारियों के बीच मानव अधिकार जागरूकता के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय

मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने एक वर्चुअल अखिल भारतीय पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता, 2020 का आयोजन किया। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। प्रतियोगिता का विषय था ''नागरिकों के मानव अधिकारों का संरक्षण पुलिस का न केवल कर्तव्य है बल्कि नैतिक दायित्व भी है''।

viii. **प्रशिक्षण** : अन्वेषण प्रभाग के अधिकारी विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाने और मानव अधिकार साक्षरता फैलाने तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उन प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य मंचों पर व्याख्यान देते हैं, जहां भी उन्हें आमंत्रित किया जाता है। एनएचआरसी के अल्पावधि के साथ–साथ दीर्घावधि इंटर्नशिप प्रोग्राम के इंटर्न और छात्रों को अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित व्याख्यान और प्रस्तुतियां दी जाती हैं।

ix. **नजरबंदी के स्थानों का दौरा** : जेलों, आश्रय गृहों और अन्य संस्थानों में जीवनयापन की दशाओं से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं जहां उपचार, सुधार या संरक्षण के उद्देश्य से लोगों को नजरबंद रखा जाता है। अन्वेषण प्रभाग के अन्वेषण अधिकारी को जब भी आयोग द्वारा निर्देश दिया जाता हैं, विभिन्न राज्यों में जेलों, आश्रय गृहों और अन्य संस्थानों का दौरा करते हैं और विशिष्ट आरोपों या संवासियों या कैदियों की सामान्य दशाओं के तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए मानव अधिकारों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

3.14 नीति अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग (पीआरपी एंड पी) : यह प्रभाग मानव अधिकारों के संबंध में अनुसंधान करता है और उनका प्रचार करता है और महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। जब कभी आयोग अपनी सुनवाई, विचार–विमर्श के आधार पर या अन्यथा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो इसे पीआरपीएंडपी प्रभाग द्वारा संचालित की जानी वाली परियोजना/कार्यक्रम में बदल दिया जाता है। इसके अलावा, यह मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रचलित नीतियों, कानूनों, संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों की समीक्षा करता है। यह केंद्र, राज्य और संघ–राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन की निगरानी में सहायता करता है। यह प्रशिक्षण प्रभाग को मानव अधिकार साक्षरता फैलाने और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है। प्रभाग का कार्य अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण), संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एसआरओ), अनुसंधान अधिकारी (आरओ), अनुभाग अधिकारी (एसओ), वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता (जेआरसी) और अन्य सचिवीय कर्मचारियों द्वारा निस्तारित किया जाता है।

3.15 प्रशिक्षण प्रभाग : यह प्रभाग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता फैलाने के लिए उत्तरदायी है। अतः, यह प्रभाग राज्य के विभिन्न सरकारी अधिकारियों और उनकी एजेंसियों के अधिकारियों, गैर–सरकारी अधिकारियों, सिविल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और छात्रों को मानव अधिकार के विभिन्न मुद्दों के संबंध में प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाता है। इस उद्देश्य के लिए, यह प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के साथ सहयोग करता है। इसके अलावा, यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (कार्यक्रम और प्रशिक्षण) स्तर का अधिकारी होता है, जिनकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशिक्षण), एक सहायक, कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता और अन्य सचिवीय कर्मचारियों द्वारा की जाती है। प्रशिक्षण प्रभाग के तहत समन्वय अनुभाग, अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों सहित सभी

अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखता है। इसके अलावा, यह विभिन्न राज्यों / संघ– राज्य क्षेत्रों में आयोग की शिविर बैठकों / जन सुनवाइयों के आयोजन में मदद करता है और आयोग के वार्षिक समारोहों, जैसे कि स्थापना दिवस और मानव अधिकार दिवस का आयोजन करता है। इसे प्रोटोकॉल कर्तव्यों का ध्यान रखने के साथ–साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों का आयोजन करने का कार्य भी सौंपा गया है। समन्वय अनुभाग में एक अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक, अनुसंधान सलाहकार और अन्य सचिवीय कर्मचारी होते हैं।

3.16 **प्रशासन प्रभाग :** प्रशासन प्रभाग आयोग के सामान्य प्रशासन, स्थापना, लेखा, समन्वय, आईटी अनुभाग, पुस्तकालय, मीडिया और संचार, राजभाषा और प्रकाशन से संबंधित है। प्रभाग के अध्यक्ष अपर सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनकी सहायता के लिए उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक और अन्य सचिवीय कर्मचारी होते हैं। हालांकि, आईटी अनुभाग, समन्वय और प्रकाशन का कार्य वर्तमान में संयुक्त सचिव (योजना और प्रशिक्षण) द्वारा संभाला जा रहा है। इसके अलावा, यह प्रभाग आधिकारिक उपयोग के लिए आवश्यक सामानों की खरीद और वितरण करने का काम भी देखता है। विभाग सामान्य वित्तीय नियमों के निर्देशों के अनुसार सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) से ऐसी सभी वस्तुओं की खरीद करता है जबकि ई–स्टोर सॉफ्टवेयर का उपयोग आयोग के लगभग 100 उपयोगकर्ताओं को खरीदी गई वस्तुओं का वितरण करने के लिए किया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित कार्यों के निर्माण/निष्पादन के साथ भवन के प्रवेश द्वार के उन्नयन का कार्य भी किया गयाः–

i. **सम्मेलन कक्ष का निर्माण :** मानव अधिकार भवन में सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से 2.32 करोड़ रुपये की लागत से कमरा संख्या 207 और 208 का जीर्णोद्धार कर 145 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सम्मेलन कक्ष बनाया गया। सम्मेलन कक्ष अत्याधुनिक है और इसमें वर्चुअल के साथ–साथ वास्तविक बैठक/सेमिनार आयोजित करने के लिए सभी सुविधाएं और यंत्र हैं।

ii. **मानव अधिकार भवन के अंदर नवीनीकरण :** मानव अधिकार भवन के भूतल, द्वितीय तल और छठी मंजिल के प्रसाधन कक्षों का जीर्णोद्धार किया गया और शेष तलों पर नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। एक अतिरिक्त सदस्य के नव सृजित पद के लिए कमरा संख्या 209 का नवीनीकरण/संरचनात्मक बदलाव किया गया। संयुक्त सचिव के लिए एक नया कमरा भी बनाया गया। मानव अधिकार भवन के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक स्थायी मंच भी बनाया गया।

iii. **महिला कर्मचारियों के लिए विश्राम कक्ष का निर्माण और स्वचालित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की स्थापना :** आयोग की महिला कर्मचारियों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक अलग विश्राम कक्ष बनाया गया। विश्राम कक्ष में एक स्वचालित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है।

iv. **पानी के डिस्पेंसर का संस्थापनः** आयोग के परिसर के प्रत्येक तल पर गर्म और ठंडे पानी की सुविधा वाले पानी के डिस्पेंसर लगाए गए।

अध्याय 4

अभिशासन पारिस्थितिकी तंत्रः प्रशासन और संभारकीय सहयोग

क. कर्मचारी

4.1 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार आयोग में सभी श्रेणियों के कुल मिलाकर 358 संस्वीकृत विभिन्न पदों की तुलना में 289 कर्मचारी कार्यरत थे। विगत वर्षों में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कर्मचारियों के चयन के संबंध में तथा अपने संवर्ग के निर्माण तथा विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में सीधी भर्ती, पुनः रोजगार, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा के आधार पर नियुक्तियां शामिल हैं।

ख. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

4.2 **एचआरसीनेट पोर्टल (https://hrcnet.nic.in)**: एनएचआरसी ने सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करके और शिकायतों/मामलों की ई–फाइल बनाकर सॉफ्टवेयर में आमूल–चूल बदलाव किए हैं। नई ऑनलाइन प्रणाली में, शिकायतकर्ताओं द्वारा या तो शिकायतें ऑनलाइन रूप से पंजीकृत की जाती हैं या आयोग के अधिकारियों द्वारा स्कैन की गई पीडीएफ के रूप में अपलोड की जाती हैं। संवीक्षा, मामलों के पंजीकरण, मसौदा कार्यवाही, कार्यवाही का अनुमोदन/अद्यतन/अस्वीकृति संबंधित संलग्नक के साथ ईमेल के माध्यम से प्राधिकारियों से पत्राचार जैसी हर प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जाती है। हालांकि, एचआरसीनेट पोर्टल को सुदृढ़ बनाने, निष्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने और पूरी तरह से कागज रहित ई–फाइल सिस्टम के लिए इसे फिर से विकसित किया जाना है। शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण/ट्रैकिंग और शिकायतों के प्रभावी प्रसंस्करण के लिए मध्य प्रदेश और तमिलनाडु एसएचआरसी को भी एचआरसीनेट पोर्टल से जोड़ा गया है।

4.3 **वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार**: कंप्यूटर सेल ने इस वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन प्रशिक्षण, मीटिंग, वेबिनार, साक्षात्कार प्रतियोगिता आदि के लिए वेब प्लेटफॉर्म (वेबएक्स, विडीयो, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ब्लू जींस) और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) का उपयोग करते हुए 250 से अधिक वेबिनार (पूर्ण दिवसीय/अर्ध दिवसीय) का आयोजन किया था। आयोग ने बंधुआ मजदूरी, महिलाओं, बच्चों और सिलिकोसिस के मुद्दों पर सरकारी अधिकारियों के साथ विभिन्न वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों का आयोजन किया। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा हजारों रिपोर्टें ऑनलाइन प्रस्तुत की गईं, जिससे आयोग त्वरित गति से मामलों की प्रगति/निपटान करने में सक्षम हुआ।

4.4 **ई–ऑफिस (https://nhrc.eoffice.gov.in)**: आयोग ने अपने सभी प्रभागों/अनुभागों की सभी सक्रिय फाइलों के लिए ई–ऑफिस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया।

4.5 **वेब वीपीएन** : आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को घर/अन्यत्र जगह से भी ई–ऑफिस का उपयोग करने के लिए वेब वीपीएन की सुविधा प्रदान की गई।

4.6 **स्कैनिंग सुविधा** : सभी प्रभागों और अनुभागों को पेपर स्कैनर प्रदान किए गए और यथासंभव डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

4.7 इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सॉफ्टवेयर : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने महामारी के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए। गूगल मीट/सिस्को वेबएक्स जैसे वेब प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इन कार्यक्रमों से प्रशिक्षुओं और वक्ताओं को जोड़ा गया। पारदर्शी, कुशल और त्वरित प्रसंस्करण के लिए पूर्वोक्त प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया।

4.8 वेबकास्ट: कंप्यूटर सेल ने 2020 के मानव अधिकार दिवस समारोह को वर्चुअल मोड में मनाने के लिए एक वेबकास्ट का आयोजन किया।

4.9 वेबसाइट का अद्यतनीकरण: संबंधित प्रभाग/अनुभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के अनुसार आयोग की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया गया। सामग्री में रिक्तियों की अधिसूचनाएं, समाचार पत्र, समाचार कतरनें, बैठक के कार्यवृत्त, संपर्क जानकारी, अधिकारियों की निर्देशिका, वीडियो, मासिक आंकड़े, प्रकाशन, प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज, फोटो गैलरी, प्रेस विज्ञप्ति आदि शामिल हैं।

4.10 अनुवादकों के लिए सॉफ्टवेयर : स्थानीय भाषाओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रेषित पत्राचार के अभिलेखों को संरक्षित रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण, विकास और इसका कार्यान्वयन किया गया। अनुवादकों को पत्राचार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण और उनके द्वारा अनुवादित सामग्री को सॉफ्टवेयर में अपलोड करने का प्रावधान है। इस साफ्टवेयर से अनुवाद करने में लगने वाले समय, श्रमशक्ति की आवश्यकता और बिल प्रसंस्करण के संदर्भ में संबंधितों की दक्षता में वृद्धि हुई।

4.11 ई–एचआरएमएस: आयोग में ई–एचआरएमएस सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। सेवा पुस्तिकाओं और वैयक्तिक फाईल से डेटा एंट्री का काम प्रगति पर है।

4.12 स्पैरो: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यरत आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के लिए स्पैरो पहले से ही उपयोग में लाया जा रहा है। शेष कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्पैरो को सफलतापूर्वक लागू किया गया। स्थापना अनुभाग ने वर्ष 2020–21 मूल्यांकन के लिए स्पैरो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की।

4.13 नेटवर्क और सुरक्षा संचालन: लीज लाइन (पीजीसीआईएल और रेलटेल दोनों) की गति को 34 एमबीपीएस से बढ़ाकर 100 एमबीपीएस कर दिया गया था, इससे आयोग में सॉफ्टवेयर के निष्पादन में सुधार हुआ है।

4.14 एनएचआरसी का नया सम्मेलन कक्ष : एनएचआरसी के नए सम्मेलन कक्ष में लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले, स्मार्ट पोडियम, नेटवर्क कनेक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार आदि जैसी सुविधाएं शामिल की गई। किए गए कार्यों में : आवश्यकताओं के लिए सर्वेक्षण, नेटवर्क आरेख, नेटवर्क उपकरणों के लिए विनिर्देश, कनेक्टिविटी के लिए एलएएन पोर्ट को चिह्नित करना, स्विच कॉन्फिगरेशन और मौजूदा वीसी सेटअप के साथ वीसी कनेक्टिविटी का परीक्षण आदि शामिल थे।

4.15 पुस्तकालय में बारकोड: पुस्तकालय में पुस्तकों, पत्रिकाओं, सीडी तथा डीवीडी को लेबल करने के लिए बारकोड का उपयोग किया जाता था। प्रत्येक पुस्तक और अन्य सामग्रियों पर एक अद्वितीय 12–अंकीय बारकोड अंकित किया गया था। इसमें उत्पाद के बारे में सभी जानकारी शामिल थी। यह पुस्तकों के व्यवस्थित प्रबंधन में मदद करता है।

4.16 एनएचआरसी डैशबोर्ड: एक नया डैशबोर्ड डिजाइन, विकसित और रोलआउट किया गया था। इस डैशबोर्ड का उपयोग आयोग की प्रमुख प्रगति पहलों को सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा।

4.17 रीयल टाइम एमआईएसः मामलों के पंजीकरण और निपटान की बेहतर निगरानी के लिए आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कई एमआईएस रिपोर्ट तैयार, विकसित और कार्यान्वित की गई।

ग. प्रलेखन केंद्र (ई–लाइब्रेरी)

4.18 आयोग के पुस्तकालय की स्थापना 1994 में अनुसंधान और संदर्भ उद्देश्यों के लिए की गई थी। इसे एनएचआरसी प्रलेखन केंद्र (ई–लाइब्रेरी) में अद्यतित किया गया है जो कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाओं से सुसज्जित है। पाठकों के व्यापक उपयोग के लिए इंटरनेट पर पुस्तकों/दस्तावेजों और लेखों का डेटाबेस उपलब्ध है। इन पाठकों में विश्वविद्यालय के शोधार्थी और मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करे वाले अन्य पाठक शामिल हैं। पुस्तकालय 2 ऑनलाइन डेटाबेस यानि–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), नई दिल्ली द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज (ई–ग्रंथालय) के साथ एसएससी ऑनलाइन, मनुपात्रा ऑनलाइन से भी सुसज्जित है। पुस्तकालय का अत्याधुनिक कम्प्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी (क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा) से आधुनिकीकरण किया गया है। पुस्तकालय में उपलब्ध किसी भी पुस्तक/दस्तावेज की उपलब्धता और स्थान का शीघ्रता से पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग (ओपीएसी) को विशेष रूप से विकसित किया गया है। एनएचआरसी पुस्तकालय विकासशील पुस्तकालय नेटवर्किंग (डेलनेट), नई दिल्ली का एक संस्थागत सदस्य है, जो पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझा करने को बढ़ावा देता है।

4.19 पुस्तकालय पुस्तकों की बारकोड प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुस्तकालय उन्नयन प्रणाली पहल के एक भाग के रूप में इसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

घ. राजभाषा का संवर्धन

4.20 राजभाषा का संवर्धनः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में राजभाषा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में आयोग में राजभाषा अनुभाग स्थापित किया गया है। इसकी मुख्य भूमिका अनुवाद करने की है जिसमें एनएचआरसी के मासिक समाचार पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट और आयोग के महत्वपूर्ण प्रकाशनों आदि का अनुवाद शामिल है।

4.21 एनएचआरसी में हिंदी पखवाड़े का आयोजनः अपने दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 से 28 सितंबर, 2020 तक वार्षिक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रश्नोत्तरी, सामान्य हिंदी, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टंकण और हिंदी सुलेख आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए थे।

4.22 वार्षिक हिंदी पत्रिका का प्रकाशनः चूंकि हमारे देश में हिंदी भाषा में मानव अधिकार से संबंधित सामग्री का आयाम अत्यंत सीमित है, इसलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रचनात्मक लेखन के माध्यम से मानव अधिकार जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2004 से हिंदी पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया। इस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपना 17वां अंक प्रकाशित किया और इसका लोकार्पण फरवरी, 2021 में किया गया।

4.23 मार्ग पुस्तिकाएंः आयोग ने दिल्ली स्थित संगठन मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (मार्ग) के सहयोग से विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर 26 पुस्तिकाएं प्रकाशित की। उक्त पुस्तिकाओं का हिन्दी अनुवाद मार्ग द्वारा किया गया था तथा संशोधन एवं पुनरीक्षण का कार्य आयोग के हिन्दी अनुभाग द्वारा किया गया था।

4.24 स्थानीय भाषाओं का अनुवादः आयोग सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतें स्वीकार करता है। हिन्दी अनुभाग स्थानीय भाषाओं के अनुवाद की निगरानी कर रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अनुवादकों के अनुमोदित पैनल द्वारा 2000 से अधिक शिकायतों का अनुवाद किया गया था।

ङ. सूचना का प्रसार और आउटरीच तंत्र (बाहरी और आंतरिक)

4.25 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मीडिया और संचार विंग द्वारा विभिन्न स्त्रोतों के माध्यमों से आयोग के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी का प्रसार किया जाता है। इनमें प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, माननीय अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार शामिल हैं। उप निदेशक (मीडिया एवं संचार) मीडिया में रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार मुद्दों के बारे में आयोग को प्रतिक्रिया भी देते हैं और इस प्रकार, यह आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के लिए समाचार कतरनों का एक प्रमुख स्रोत है।

4.26 **आउटरीच तंत्र : प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, मासिक समाचार पत्रः** 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान, मीडिया और संचार विंग द्वारा आयोग के विभिन्न हस्तक्षेपों और क्रियाकलापों के बारे में 84 प्रेस विज्ञप्तियां तैयार और जारी की गई थी। कोविड–19 वैश्विक महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माननीय अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के केवल तीन साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। स्वतः संज्ञान के लिए कई समाचार कतरनों को आयोग के संज्ञान में लाया गया था। एनएचआरसी की भूमिका और हस्तक्षेप के बारे में मीडिया में रिपोर्ट किए गए मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए, दैनिक समाचार कतरनों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इन समाचार कतरनों का एक मासिक सार–संग्रह भी तैयार किया गया था और अभिलेख तथा संदर्भ के लिए पुस्तकालय को भेजा गया था। इसके अलावा, लोगों की भागीदारी के माध्यम से आउटरीच का विस्तार करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मीडिया प्लेटफार्मों का पता लगाने के प्रयास किए गए थे। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आयोग के मासिक समाचार पत्र में नई विशेषताओं को शामिल किया गया था। मीडिया और संचार विंग द्वारा समाचार पत्रों को अंग्रेजी में संपादित, डिजाइन, मुद्रित और परिचालित किया गया था और राजभाषा अनुभाग द्वारा इनका हिंदी में अनुवाद, मुद्रण और परिचालन किया गया था। मानव अधिकारों और एनएचआरसी के हस्तक्षेपों और संस्तुतियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें सरकार के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, मीडियाकर्मियों, विशिष्ट व्यक्तियों आदि के बीच निःशुल्क परिचालित किया गया था। इसे एनएचआरसी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। समाचार पत्रों की प्रतियां आगंतुकों के लिए मानव अधिकार भवन के स्वागत परिक्षेत्र में भी उपलब्ध कराई गई थी। सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 5,000 थी। हार्ड कॉपी में 2,000 से अधिक मासिक समाचार पत्र डाक द्वारा भेजे गए थे। हार्ड कॉपी प्राप्तकर्ताओं की सूची को युक्तिसंगत बनाया गया है और अन्य लोगों के साथ–साथ, शिक्षा संस्थानों, पुलिस और प्रशासनिक संस्थानों, पुस्तकालयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और दूतावासों को शामिल करने के लिए इसे और अधिक समावेशी बनाया गया है।

4.27 **आंतरिक फीडबैक तंत्र :** माननीय अध्यक्ष को दैनिक आधार पर मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर समाचार कतरनें उपलब्ध कराने के साथ–साथ, मीडिया में रिपोर्ट किए गए मामलों पर आयोग की प्रतिक्रिया के लिए 'वीकली न्यूज डाइजेस्ट ऑन ह्यूमन राइट्स' भी तैयार किया जाता था, जिसकी एक प्रति पुस्तकालय को भी भेजी जाती है। संदर्भ के लिए मानव अधिकारों के मुद्दों और ऐसी घटनाओं और गतिविधियों पर मीडिया रिपोर्टों का एक मासिक संग्रह, जिनका मानव अधिकारों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है, भी तैयार किया गया था। एनएचआरसी की वेबसाइट पर एनएचआरसी विशिष्ट समाचार कतरनों को अपलोड करने के अलावा, आयोग के सभी तलों पर डिस्प्ले बोर्ड को 'एनएचआरसी–इन–न्यूज' शीर्षक के तहत नियमित आधार पर इस तरह की कतरने लगाकर आयोग के पदाधिकारियों और आगंतुकों की जागरूकता और जानकारी के लिए और अधिक जीवंत बनाया गया था।

4.28 **एनएचआरसी के लघु फिल्म पुरस्कारः** आयोग ने लघु फिल्म पुरस्कार योजना– 2020 को छठे वर्ष भी जारी रखने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लघु फिल्म पुरस्कार योजना का उद्देश्य मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उनको मान्यता देना है। पुरस्कृत फिल्मों को एनएचआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि लोगों को इन्हें देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा मानव अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सके। इस वर्ष, आयोग ने अपनी पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। इस वर्ष विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ क्रमशः दो लाख रुपये, एक लाख पचास हजार रुपये तथा एक लाख रुपये के तीन पुरस्कार, और चार प्रतिभागियों को 'स्पेशल मेंशन' प्रमाण पत्र दिए गए। आयोग को देश के विभिन्न हिस्सों से 93 प्रविष्टियों के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। पुरस्कारों के लिए फिल्मों का चयन एनएचआरसी सदस्य, डॉ. डी. एम. मुले की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति द्वारा किया गया था जिसमें आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव, श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता श्री अरुण चड्ढा शामिल थे। श्री जैमिनी कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (मीडिया एवं संचार) कार्यक्रम के संयोजक थे। कोविड–19 दिशानिर्देशों के मद्देनजर, एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, श्रीमती ज्योतिका कालरा और डॉ. डी. एम. मुले ने 8 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, श्री बिम्बाधर प्रधान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक ऑनलाइन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

i. रवींद्र माणिक जाधव की 'थलसर बंगसर' को 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये मात्र) का प्रथम पुरस्कार दिया गया था। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ कोंकणी भाषा में है। यह फिल्म शिक्षा के माध्यम से आजीविका के एक स्थायी स्रोत के लिए लोक परंपराओं और समकालीन समय की चुनौतियों के बीच की चिंताओं और संघर्ष को दर्शाती है।

ii. नितिन वसंतराव गणोरकर की 'वोम्ब ऑफ मेलघाट' और थॉमस जैकब की 'अन्नम' को संयुक्त रूप से 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। 'वॉम्ब ऑफ मेलघाट' महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व से विस्थापित हुए आदिवासियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाती है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ कोरकू तथा हिंदी भाषा में हैं। 'अन्नम्' भोजन के अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण पर केंद्रित है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम भाषा में है।

iii. जया रोज की 'एंड दस मैन गेट्स क्रस्ड अगेन एंड अगेन' और विनोद गरुड़ की 'सप्पर' को संयुक्त रूप से 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का तृतीय पुरस्कार दिया गया। 'एंड दस मैन गेट्स क्रस्ड अगेन एंड अगेन' व्यावसायिक गतिविधियों, जिनसे पर्यावरणीय संकट और जीवन एवं आजीविका के अधिकार का उल्लंघन होता है, पर ध्यान केंद्रित करती है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम भाषा में है। 'सप्पर' फिल्म स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार और उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की अनुपलब्धता और ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में संबंधित असंवेदनशीलता के संदर्भ में एक बच्चे की अपनी बीमार बुजुर्ग दादी के जीवन को बचाने के लिए किए गए संघर्ष को दर्शाती है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मराठी भाषा में है।

iv. इन तीन नकद पुरस्कारों के अलावा, आयोग ने तीन फिल्मों को 'स्पेशल मेंशन' का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया। ये निम्नानुसार हैं:

- रशीद उस्मान निंबालकर की 'डमरू' शिक्षा के अधिकार और वास्तविक स्थिति पर आधारित है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मराठी भाषा में है।

- रेवर गौरवसिंह की 'सरस्वती' की पृष्ठभूमि शिक्षा के अधिकार से जुड़ी है। यह ऑनलाइन कक्षाओं की प्रणाली के कार्यान्वयन में चुनौतियों को दर्शाती है, जो एक अवधारणा के रूप में ठीक हो सकती है, लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उन छात्रों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती जिनके पास इन कक्षाओं से जुड़ने की सुविधा नहीं है और ऐसे बच्चों तक पहुंचने के लिए युवाओं की पहल को बढ़ावा देती है और सीखने की प्रक्रिया में उनकी मदद करती है। फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ हिंदी भाषा में है।

- गौतमी पुरुषोत्तम बेर्डे की 'द वीमेन ऑन दैट स्ट्रीट' सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों की दशा तथा मानव अधिकारों की स्थिति, जो कोविड–19 महामारी के दौरान और खराब हो गई, से संबंधित मुद्दों को दर्शाती है। फिल्म अंग्रेजी में है।

v. आयोग के मानव अधिकार दिवस समारोह में विवरणिका के साथ इन 7 फिल्मों की डीवीडी जारी की गई थी। फिल्मों को मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक जागरूकता का समर्थन करने के लिए यू–ट्यूब लिंक और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।

4.29 कुछ अन्य प्रमुख गतिविधियां:

i. **वैकल्पिक संचार प्लेटफार्मों का विस्तार :** आयोग ने अपने मीडिया और संचार विंग के माध्यम से, मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वैकल्पिक मीडिया प्लेटफार्मों का विस्तार जारी रखा। इस प्रयास में, वर्ष 2020–21 में, आयोग ने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), इंडियन रेड क्रॉस के साथ युवा स्वयंसेवकों और अधिकारियों के अपने व्यापक कार्य नेटवर्क के माध्यम से मानव अधिकार कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए प्रेरित करने हेतु संवाद जारी रखा। इस संबंध में अगस्त और सितंबर में एनएसएस, एनवाईकेएस और रेड क्रॉस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया और मानव अधिकार जागरूकता कार्यशालाओं के लिए उनके क्षेत्रीय अधिकारियों और क्षेत्र के पदाधिकारियों का परिचय कार्यक्रम भी आयोजित किया। एनवाईकेएस और एनएसएस को क्रमशः नवंबर, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021 में उनकी मानव अधिकार जागरूकता कार्यशालाओं को संबोधित करने के लिए सहायता और विशेषज्ञ प्रदान किए। एनएसएस दिल्ली में अपने क्षेत्रीय निदेशालय के माध्यम से 10 जागरूकता कार्यशालाओं, जिसके लिए आयोग ने वर्ष के दौरान 4.10 लाख रुपये स्वीकृत किए थे, का भी आयोजन कर रहा है। इसके अलावा, दूरदर्शन, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी से उनके अखिल भारतीय नेटवर्क के माध्यम से मानव अधिकारों पर एनएचआरसी पुरस्कार विजेता लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए संपर्क किया गया था।

ii. **एनएचआरसी ट्विटर हैंडल का शुभारम्भ :** 2015 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ड्राफ्ट सोशल मीडिया नीति और मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार किया गया था, 2019 में फिर से इसकी समीक्षा की गई और आयोग ने 25 फरवरी, 2020 को अपने ट्विटर हैंडल (https://twitter.com/India_NHRC) के शुभारम्भ के लिए हरी झंडी दे दी। ट्विटर टीम द्वारा स्थगन के बावजूद, एनएचआरसी, भारत ट्विटर हैंडल को अप्रैल, 2021 में इसकी आधिकारिक स्थिति सत्यापित होने का संकेत देने वाला ब्लू टिक मिला। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 633 ट्वीट किए गए थे और कुल फॉलोअर्स की संख्या लगभग 19,000 तक पहुंच गई।

चित्र 4.1: एनएचआरसी भारत का ट्विटर पेज (16.6.2021 को लिया गया चित्र)

च. प्रकाशन

4.30 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ज) के तहत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पूरे देश में छात्रों, शोधकर्ताओं, विद्वानों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों, नीति निर्माताओं और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों के लिए सूचनात्मक सामग्री युक्त साहित्य का प्रकाशन किया है। इस अधिदेश को कम करने के लिए, प्रकाशन इकाई ने निम्नलिखित को प्रकाशित किया है:

- विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर पुलिस कर्मियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश
- निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं:

  क. विधिसम्मत शासन

  ख. कानून के उपचारों तक पहुंच

  ग. मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत

  घ. सूचना का अधिकार (आरटीआई)

  ङ. शिक्षा का अधिकार (आरटीई)

  च. आपराधिक न्याय प्रणाली

  छ. बाल श्रम और बाल विवाह

  ज. अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदा और अभिसमय

  झ. घरेलू हिंसा

  ञ. यौन हिंसा

  ट. पोक्सो

  ठ. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम

  ड. स्वच्छता का अधिकार

ढ. जल का अधिकार

ण. भोजन का अधिकार और आश्रय का अधिकार

त. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

थ. वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार

द. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस के दायित्व

ध. ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी)/एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) से पीड़ित लोगों के अधिकार और लेसबियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) व्यक्तियों के अधिकार

न. कैदियों के अधिकार

प. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचारों से बचाने के लिए संवैधानिक और नागरिक अधिकार तथा डायन हत्या के खिलाफ कानून

4.31 वार्षिक रिपोर्ट 2018–2019 (हिंदी और अंग्रेजी) और 2019–20 (हिंदी और अंग्रेजी), अंग्रेजी जर्नल अंक–19, 2020 को उल्लिखित वर्ष में प्रकाशित किया गया था। बाल अधिकारों और भारतीय विधानों, निर्णयों और योजनाओं पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय प्रकाशित और प्रसारित किया गया है।

4.32 हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण संशोधित निर्देशों/दिशानिर्देशों और पुलिस अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर नियमावली भी मुद्रित की गई है।

4.33 प्रकाशन इकाई विभिन्न हितधारकों, शिक्षाविदों और आम जनता में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रकाशनों का प्रचार–प्रसार कर रही है।

4.34 एनएचआरसी अंग्रेजी जर्नल का विमोचन

i) आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ज) के तहत अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अंग्रेजी जर्नल जो वर्ष 2002 से हर वर्ष प्रकाशित किया जा रहा है, सहित विभिन्न रूपों/प्रारूपों के माध्यम से मानव अधिकार जागरूकता का प्रसार कर रहा है।

ii) आयोग ने मानव अधिकार दिवस, यानी 10 दिसंबर, 2020 के अवसर पर एनएचआरसी अंग्रेजी जर्नल के 19वें संस्करण का विमोचन किया। जर्नल में प्रकाशित लेख आपराधिक न्याय प्रणाली, व्यवसाय और मानव अधिकार, दिव्यांगजनों के अधिकार और यौन तथा लिंग आधारित हिंसा, आदि सहित विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों से संबंधित थे।

छ. प्रशासनिक और जनशक्ति संबंधी समस्याएं

4.35 आयोग के दो सदस्यों के पद क्रमशः 7 जून, 2010 और 1 मार्च, 2016 से रिक्त थे। इसके अलावा, महानिदेशक (अन्वेषण) का पद 1 मई, 2020 से रिक्त था। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एसएसपी के भी दो पद रिक्त थे। उपर्युक्त पदों को भारत सरकार द्वारा भरा जाना अपेक्षित है। ऐसे महत्वपूर्ण पदों की रिक्ति से आयोग के कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है।

4.36 वर्तमान में, आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों के 358 पद संस्वीकृत हैं, जिनमें से 289 पद भरे हुए हैं। कुल संस्वीकृत 358 पदों में 162 पद अस्थायी थे, इनमें से 134 अस्थायी पदों को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान स्थायी किया गया है और शेष 28 पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया जाना अभी शेष है। प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों, रोजगार समाचारों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट पर विभिन्न पदों की विज्ञप्तियां प्रकाशित करने और विभिन्न मंत्रालयों में पदों की विज्ञप्तियों के व्यापक प्रसार के कई प्रयासों के बावजूद, आयोग में कई पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों के पद नहीं भरे जा सके। अपनी स्थापना के बाद से, आयोग में उपलब्ध पदों की तुलना में कभी भी पूरे पद नहीं भरे जा सके। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाली शिकायतों को देखते हुए, आयोग अनुबंध के आधार पर व्यक्तियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है।

4.37 यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 44 पदों के लिए आयोग के भर्ती नियमों को 27 जुलाई, 2020 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

अध्याय 5

कार्यों का विस्तार

5.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने लंबे समय से, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र विकसित किया है। एक और जहां इनमें से कुछ तंत्र मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत आयोग को दिए गए अधिदेश के आधार पर विकसित किए गए हैं, वहीं अन्य तंत्रों को मानव अधिकारों के संरक्षण, निगरानी और संवर्धन लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए उपायों और विशेष प्रक्रियाओं की तर्ज पर विकसित किया गया है। आयोग द्वारा तैयार किए गए कुछ प्रमुख तंत्रों में पूर्ण आयोग और सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकें, शिविर बैठकें और जन सुनवाई, विशेष प्रतिवेदकों की नियुक्ति, और मानव अधिकार के अनेक मुद्दों पर कोर और विशेषज्ञ समूहों की स्थापना शामिल हैं।

क. राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ आयोग की बैठक

5.2 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन का प्रावधान है। राज्यों में मानव अधिकार आयोग का अस्तित्व और कामकाज देश के दूरदराज के क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा। आयोग उन राज्य सरकारों से, जहां राज्य आयोग का गठन नहीं किया गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और 'पेरिस सिद्धांतों के अनुसार लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए कार्रवाई शुरू करने का आग्रह करता रहा है।

5.3 आयोग ने 19 मार्च, 2021 को **वेब माध्यम से** सभी एसएचआरसी के अध्यक्षों, सदस्यों और सचिवों के लिए एनएचआरसी–एसएचआरसी की बैठक आयोजित की। बैठक का उद्घाटन न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, माननीय सदस्य, एनएचआरसी ने किया और एनएचआरसी के अन्य् सदस्यों, महासचिव, वरिष्ठ अधिकारियों, और अधिकांश एसएचआरसी के अध्यक्षों, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने वेब माध्यम से भाग लिया।

5.4 इस बैठक का उद्देश्य अनुभवों को साझा करना और मानव अधिकारों के आपसी हित के मुद्दों का पता लगाना था। आयोग द्वारा जारी की गई परामर्शियां के कार्यान्वयन सहित कोविड–19 प्रबंधन जैसे मुद्दों और प्रवासियों के मुद्दों, एसएचआरसी का क्षमता मूल्यांकन – मुद्दे और चुनौतियां, एनएचआरसी–एसएचआरसी के बीच आपसी हित के क्षेत्र, एचआरसीनेट पोर्टल का कार्यान्वयन, राज्यों में जन सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन – प्रभाव, दृष्टिकोण और भविष्य की रणनीति, पुलिस अत्याचारों पर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ मानव अधिकारों के उल्लंघन और शिकायतों के प्रबंधन पर III सत्रों के दौरान विचार मंथन किया गया था।

5.5 19.03.2021 को हुई बैठक की प्रमुख सिफारिशों को सभी एसएचआरसी और संबंधित हितधारकों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया है।

ख. सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक

5.6 एनएचआरसी के सांविधिक पूर्ण आयोग (एसएफसी) में मानद सदस्यों सहित आयोग के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं। सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकें सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने और आयोग के सम्मेलन/सेमिनार में भाग लेने के लिए नियमित रूप से बुलाई जाती हैं।

5.7 इस वर्ष 10 मार्च 2021 को सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक मानव अधिकार भवन, एनएचआरसी, नई दिल्ली में वेब मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक का उद्देश्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और एनएचआरसी के मानद सदस्यों के बीच चर्चा को सुगम बनाना और समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों के अधिकारों के मुद्दों पर आयोगों के मानद सदस्यों के साथ चर्चा करना भी था। एसएफसी की बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की और श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्या, डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य, श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव, श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), श्रीमती अनिता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी), और आयोग के सभी मानित सदस्य आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

5.8 बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें (i) विभिन्न विषयगत मुद्दों पर आयोग द्वारा जारी परामर्शियों का कार्यान्वयन (ii) आयोग की नीतिगत योजना/वार्षिक कार्य योजना के संबंध में प्रगति और (iii) मानद सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य विशिष्ट मुद्दे शामिल हैं।

5.9 बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए मानद सदस्यों को भेज दिया गया है।

चित्र 5.1: न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, माननीय सदस्य, एनएचआरसी 10 मार्च 2021 को आयोजित सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक के दौरान संबोधित करते हुए

ग. मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना

5.10 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 और 31 मानव अधिकार मामलों के त्वरित निपटान के लिए उच्च न्यायालयों के परामर्श से सत्र न्यायालयों को मानव अधिकार न्यायालयों के रूप में अधिसूचित या नामित करके मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

5.11 आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसरण में मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों और रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालयों को महासचिव, एनएचआरसी ने अर्ध शासकीय पत्र लिखकर मामले को उठाया है।

5.12 इस मुद्दे पर आयोग के निरंतर प्रयासों के अनुसरण में, अब तक 23 राज्यों और 06 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्यों/जिलों में मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना की है/को अधिसूचित किया है।

5.13 आयोग ने उन अपराधों, जिन पर मानव अधिकार न्यायालयों द्वारा विचार किया जा सकता है, के संबंध में अपने विस्तृत सुझावों को अग्रेषित किया है। यह मामला अभी गृह मंत्रालय के विचाराधीन है। मानव अधिकार न्यायालयों द्वारा विचारण के लिए हस्तांतरित किए जाने वाले अपराधों की प्रकृति के संबंध में मामलों और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसे राज्यों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

घ. विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर

5.14 आयोग के विशेष प्रतिवेदक/विशेष मॉनीटर मानव अधिकार विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से किसी विषयगत या राज्य-विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से मानव अधिकार संबंधी सरोकारों पर रिपोर्ट करने और सलाह देने के निर्देश के साथ नियुक्त किया जाता है। विशेष प्रतिवेदक/विशेष मॉनीटर की व्यवस्था एनएचआरसी प्रशासन का एक केंद्रीय तत्व है और इसमें सभी अर्थात नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा, वे बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, दिव्यांगता संबंधी आदि जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित प्रावधानों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हैं ताकि उनके या अन्य लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में एनएचआरसी से समाधान की मांग की जा सके। समीक्षाधीन अवधि के दौरान पदासीन विशेष प्रतिवेदक/विशेष मॉनीटर नीचे सूचीबद्ध हैं।

तालिका 5.1: आयोग के क्षेत्रीय विशेष प्रतिवेदक

क्र. सं.	समाविष्ट अंचल/क्षेत्र	विशेष प्रतिवेदक का नाम	कार्यकाल
1.	**दक्षिण क्षेत्र** तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक	श्री देवेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त निदेशक (वित्त)	02.04.2020 से 01.04.2021
2.	**पश्चिम क्षेत्र** महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	डॉ. साधना राउत प्रेस रजिस्ट्रार (सेवानिवृत्त) रजिस्ट्रार, भारत समाचार पत्र, भारतीय सूचना सेवा	11.03.2020 से 10.03.2021

3.	**मध्य क्षेत्र** मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड	डॉ. विनोद अग्रवाल, पूर्वी क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक के साथ अतिरिक्त प्रभार	
4.	**पूर्वी क्षेत्र** पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	डॉ विनोद अग्रवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त) झारखंड कैडर	16.07.2020 से 15.07.2021
5.	**उत्तर पूर्व क्षेत्र** नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश	श्री उमेश कुमार, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	16.07.2020 से 15.07.2021
6.	**उत्तर क्षेत्र** पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश	श्री रंजन द्विवेदी, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	01.06.2020 से 31.05.2021

तालिका 5.2: आयोग के विशेष मॉनीटर

क्र. सं.	विशेष मॉनिटर का नाम	विषय	कार्यकाल
1.	श्री अजीत सिंह	मानव तस्करी	11.07.2019 से 10.07.2021
2.	श्री राजीव रतूरी	दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार	11.07.2019 से 10.07.2021
3.	श्री अंबुज शर्मा	मानसिक स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता सहित स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दे	11.07.2019 से 10.07.2021
4.	प्रो. इंदु अग्निहोत्री	महिलाओं के अधिकार	05.11.2019 से 04.11.2020
5.	डॉ. (सुश्री) जयश्री गुप्ता	उपभोक्ता मामले और भोजन	23.03.2020 से 22.03.2021
6.	श्री रईज अहमदी	अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार	20.07.2020 से 19.07.2021
7	सुश्री करुणा बिश्नोई	बच्चों के मानव अधिकार	25.08.2020 से 24.08.2021

ङ. कोर ग्रुप

5.15 कोर ग्रुप में प्रतिष्ठित व्यक्ति या विषय विशेषज्ञ या सरकारी या तकनीकी संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो आयोग द्वारा अपेक्षित स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, दिव्यांगता, बंधुआ मजदूरी आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हों। ये समूह अपनी विशेषज्ञता के अनुसार सलाह देते हैं। वर्ष 2020–2021 के दौरान एनएचआरसी में संचालित कुछ महत्वपूर्ण कोर ग्रुप थे:

1. स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप
2. दिव्यांगता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप
3. गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों पर कोर ग्रुप
4. भोजन के अधिकार पर कोर ग्रुप
5. व्यापार और मानव अधिकार पर कोर ग्रुप
6. बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप
7. महिलाओं पर कोर ग्रुप
8. बच्चों पर कोर ग्रुप
9. एलजीबीटीक्यू मुद्दों पर कोर ग्रुप
10. आपराधिक न्याय प्रणाली पर कोर ग्रुप

5.16 कोर ग्रुप की बैठकें समय–समय पर नियमित अंतराल पर या जब भी आवश्यकता समझी जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग में आयोजित कोर ग्रुप की कुछ बैठकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के उत्तरवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

अध्याय 6

कोविड-19 महामारी के दौरान मानव अधिकारों का संरक्षण

6.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 11 मार्च, 2020 को नोवेल कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया। महामारी के प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति से परे रहे हैं। इसने दुनिया भर के देशों की पहले से ही जटिल आर्थिक और भू–राजनीतिक स्थितियों को बदल दिया है। कोविड–19 महामारी निर्विवाद रूप से एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवीय संकट है।

6.2 जब कोई टीका उपलब्ध नहीं था, तो वायरस के प्रसार से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा 'परीक्षण, अनुरेखण, नियंत्रण' की चिकित्सा नीति अपनाई गई थी। एक और जहां कुछ सरकारों ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किया, यात्राओं को सीमित किया, संपर्क अनुरेखण किया और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया, आपस में शारीरिक/सामाजिक दूरी रखने को प्रोत्साहित किया, और नागरिकों को क्वारंटाइन किया, वहीं कुछ सरकारों ने संक्रमण को रोकने के लिए सख्त प्रोटोकॉल के साथ पूर्ण लॉकडाउन लागू किया। बाद वाली नीति के अनुरूप, भारत सरकार ने, कोविड–19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, भारतीय उपमहाद्वीप में 25 मार्च, 2020 से देशव्यापी लॉकडाउन को सक्रिय रूप से लागू किया।

6.3 महामारी ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा, देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और नीतियों के संदर्भ में कोविड–19 के खिलाफ तैयारियों के बारे में चिंता जताई। इसके अलावा, स्वास्थ्य देखभाल और न्याय तक पहुंच, विशिष्ट नस्लीय और धार्मिक समूहों के कलंक और भेदभाव, प्रवासी मजदूरों और अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों की असुरक्षा के बारे में चिंताएं थी। इसके साथ ही, डर और कलंक से प्रेरित गलत/फर्जी सूचनाओं के प्रसार ने कोविड–19 मामलों की सफल रोकथाम और रिपोर्टिंग में बाधा उत्पन्न की।

6.4 महामारी वास्तव में एक अभूतपूर्व संकट था जिसने प्रशासन को संघर्ष करने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर किया। गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के सहयोग ने महामारी के प्रबंधन और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने सरकार और नागरिक समाज के बीच अधिक अंतर–मंत्रालयी समन्वय और भागीदारी की आवश्यकता पैदा की है। महामारी हमें उन उपायों के बारे में हमारी कल्पना को विस्तार देने के लिए मजबूर किया है जिन्हें हमें लागू करना चाहिए तथा हमें समुदायों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थानों और प्रक्रियाओं को तैयार करना चाहिए।

6.5 भारत सरकार ने 16 जनवरी, 2021 को कोविड–19 टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू किया। भारत ने दुनिया के 84 देशों को भी टीके उपलब्धक कराए हैं।

6.6 महामारी के दौरान, आयोग का दृढ़ विश्वास था कि मानव अधिकार दृष्टिकोण से आयोग का हस्तक्षेप इस संकट से निपटने में रचनात्मक योगदान देगा। मानव अधिकार दृष्टिकोण उन मूल्यों को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाता है जो भागीदारी निभाने, संरक्षण, सुरक्षा, गरिमा, शालीनता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान, भलाई, सामाजिक एकता और दायित्व की भावना को बनाए रखने के लिए योगदान करते हैं। यह योगदान कोविड–19

के लिए एक प्रभावी, न्यायसंगत, संतुलित, टिकाऊ माध्यम और दीर्घकालिक प्रतिक्रिया के विकास और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा।

6.7 एनएचआरसी ने विशेष प्रतिवेदकों, विशेष मॉनिटरों, नागरिक समाज, डोमेन विशेषज्ञों और अन्य संबंधितों के परामर्श से चल रहे संकट के लिए मानव अधिकार आधारित प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर कई पहल की हैं। आगे के परिच्छेदों में कोविड–19 महामारी में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए विशिष्ट क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कोविड–19 के प्रसार को रोकना

6.8 एनएचआरसी में कोरोना वायरस के मामलों के प्रसार को रोकने के लिए किए गए निवारक उपाय – एनएचआरसी कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए नियमित अंतराल पर विशेष अभियान चलाए गए, अधिकारियों और कर्मचारियों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए, प्रत्येक मंजिल पर स्वचालित हैंड सैनिटाइजर मशीन स्थापित की गई। आयोग में कोविड–19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के तापमान की जांच के लिए सीआईएसएफ कर्मचारियों को इन्फ्रारेड थर्मल स्कैनर प्रदान किए गए थे। आयोग ने आईसीएमआर के डॉक्टरों/वैज्ञानिकों के दौरे की व्यवस्था की और उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की तथा उन्हें कोविड–19 मामलों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानव अधिकार भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तीन ''कोविड एंटीजन परीक्षण शिविर'' आयोजित किए गए। कोविड–19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मानव अधिकार भवन के विभिन्न स्थलों पर पोस्टर और पर्चे भी लगाए/चिपकाए गए। कोरोना प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के लिए समितियों का गठन किया गया था।

चित्र 6.1: मानव अधिकार भवन का सेनेटाइजेशन

ख. वित्तीय पहल

6.9 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक आदर्श पहल के रूप में, आयोग के कर्मचारियों से स्वैच्छिक योगदान देने के लिए प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत कोष (पीएम–केयर्स फंड) में न्यूनतम एक दिन का वेतन देने की अपील की गई थी। तदनुसार, 6,55,391/– रुपये (छह लाख पचपन हजार तीन सौ निन्यानवे रुपये मात्र) की राशि एकत्र की गई और पीएम–केयर्स फंड में जमा की गई।

ग. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में मानव अधिकार परामर्शियां

6.10 देश भर में अभूतपूर्व स्थिति और कोविड–19 वैश्विक महामारी और इसके परिणामस्वरुप लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रभावित समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों के बारे में गहरी चिंता को देखते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जुलाई 2020 में 'मानव अधिकारों पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव और भविष्य की प्रतिक्रिया' पर विशेषज्ञों की 12 समितियों का गठन किया। समितियों में नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि, स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञ और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे तथा इन लोगों, विशेष रूप से वंचित/कमजोर वर्गों, जो कि अनुचित रूप से प्रभावित हुए हैं, के अधिकारों की प्राप्ति पर महामारी के प्रभाव का आकलन करने और मानव अधिकारों के संरक्षण के उपायों की अनुशंसा करने का काम सौंपा गया था।

6.11 विशेषज्ञों की समितियों की कई बैठकों और प्रभाव आकलन के आधार पर आयोग ने कोविड–19 के संदर्भ में निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों में 12 परामर्शियां जारी कीः

i. भोजन और पोषण का अधिकार

ii. स्वास्थ्य का अधिकार

iii. दिव्यांगजनों के अधिकार

iv. बच्चों के अधिकार

v. अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकार

vi. व्यापार और मानव अधिकार

vii. कैदियों और पुलिस कर्मियों के अधिकार

viii. महिलाओं के अधिकार

ix. मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार

x. एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के अधिकारों का संरक्षण

xi. बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार

xii. मानव तस्करी का मुकाबला

6.12 ये 12 परामर्शियां सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को जारी की गई थी। आयोग ने परामर्शियों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संबंधित मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आगे के परिच्छेद में इन परामर्शियों का विवरण दिया गया है।

ग.1 कोविड–19 के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और पोषण के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी

6.13 विशेषज्ञों की समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित कोविड–19 के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और पोषण के अधिकार पर परामर्शी 28 सितंबर, 2020 को जारी की गई थी।

6.14 परामर्शी में गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वर्तमान में केवल 60% आबादी को कवर करती है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (एनएफएसए) 2013 के अनुसार इसे 67% आबादी को कवर करने की आवश्यकता है। एनएफएसए मानदंडों के अनुपालन के लिए कवरेज को तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए।

ii. आईसीडीएस को एक आवश्यक सेवा के रूप में मान्यता देना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिलाओं और बच्चों के लिए कोविड–19 संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ महत्वपूर्ण प्रगति निगरानी, टीकाकरण, पका हुआ भोजन और पोषण, परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को तत्काल फिर से खोला जाना चाहिए।

iii. प्रगति निगरानी और टीकाकरण सेवाओं को तत्काल फिर से शुरू किया जाए, कुपोषण और एसएएम (गंभीर तीव्र कुपोषण) से पीड़ित बच्चों की निगरानी, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण और ऊर्जा से भरपूर भोजन, बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोर लड़कियों के लिए पूरक पोषण/मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाना चाहिए।

iv. उन बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन या गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए एमडीएमएस को फिर से शुरू किया जाए, जो अपने माता–पिता के साथ गांवों में चले गए हैं, भले ही वे उस स्कूल के छात्र न हों। दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

v. बच्चों को सभी सेवाएं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। बच्चों के अधिकारों का कार्यान्वयन करने के लिए कोविड–19 जोखिमों के खिलाफ इन कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और व्यक्तिगत संरक्षण, समय पर भुगतान, अतिरिक्त जोखिम वेतन, पर्याप्त और नियमित प्रशिक्षण, प्रणाली के माध्यम पर्यवेक्षण और सहायता, और उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

vi. राज्य श्रम कल्याण बोर्ड को सभी निर्माण श्रमिकों के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल के लिए भवन उपकर कोष का उपयोग करना चाहिए।

vii. कोविड–19 महामारी और इसके परिणामस्वरुप लगे लॉकडाउन के कारण वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन निर्माण श्रमिकों के बच्चे जो राज्य श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य और पोषण देखभाल तक पहुंच प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है।

6.15 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/NHRC%20Advisory%20on%20Food.pdf>

ग.2 कोविड–19 महामारी के संदर्भ में स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी

6.16 विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित ''कोविड–19 महामारी के संदर्भ में स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी'' 28 सितंबर, 2020 को जारी की गई थी।

6.17 परामर्शी में शामिल मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:

i. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच
ii. मरीजों के अधिकार चार्टर का पालन
iii. सूचना का अधिकार
iv. रिकॉर्डस् और रिपोर्टस्
v. आपातकालीन चिकित्सा देखभाल
vi. गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता
vii. भेदभावहीनता
viii. मानकों के अनुसार सुरक्षा और गुणवत्ता देखभाल
ix. नैदानिक परीक्षण और प्रायोगिक उपचार
x. रोगी शिक्षा
xi. सुनवाई किया जाना और निवारण किया जाना
xii. आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान
xiii. स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रावधान

6.18 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/NHRC%20Advisory%20on%20Right%20to%20Health%20in%20context%20of%20covid-19.pdf>

ग.3 कोविड–19 के संदर्भ में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी

6.19 आयोग ने 1 सितंबर, 2020 को 'दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोविड–19 के प्रभाव' पर महामारी के दौरान दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की पहल की समीक्षा करने और 'केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों पर मसौदा सलाह' पर चर्चा करने के लिए एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया।

6.20 सम्मेलन में अभिव्यक्त विचारों/सुझावों को शामिल करने के बाद, 28 सितंबर, 2020 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ''कोविड–19 के संदर्भ में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी'' जारी की गई थी।

6.21 परामर्शी में निहित मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 8.3 का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और दिव्यांगजनों के संगठनों (डीपीओ) के परामर्श से जिले में दिव्यांगजनों के विवरण का रिकॉर्ड संरक्षित रखना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए ताकि आपदा की तैयारियों को बढ़ाया जा सके।

ii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट सभी 21 श्रेणियों के दिव्यांगों की सूची बनाई जानी चाहिए और इसे स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण, राहत और आर्थिक पैकेजों के वितरण में शामिल राज्य के सभी संबंधित विभागों, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विभाग आदि के साथ साझा किया जाना चाहिए।

iii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी 'कोविड–19 के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और बचाव के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों' का पालन करना चाहिए।

iv. कोविड–19 से संबंधित सभी संचारों में बधिर और नेत्रहीन व्यक्तियों की संचार आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

v. कोविड–19 हेल्पलाइन को उनके प्रश्नों के समाधान के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। उनकी देखभाल करने वालों और पुनर्वास पेशेवरों को भी एक आपातकालीन सेवा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार उन्हें पास जारी किए जाने चाहिए।

vi. दिव्यांगजनों के लिए सभी पुनर्वास उपायों और सहायता पैकेजों के समुचित समन्वय और कार्यान्वयन के लिए अंतर–विभागीय कार्यबल का गठन किया जाना चाहिए।

vii. सभी तृतीयक देखभाल अस्पतालों को थैलेसीमिया, हीमोफिलिया जैसे रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए एक अनुभाग/विभाग दिव्यांगों की पुनर्वास सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

viii. गंभीर/बहु–दिव्यांगजनों के लिए तत्काल चिकित्सा/उपचार सुविधाएं उनके घर पर डिलीवरी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सहायक दवाओं के वितरण के लिए मोबाइल क्लीनिक वाले गैर सरकारी संगठनों का उपयोग किया जा सकता है।

ix. प्रमाण पत्र जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए दो चरणों वाला दिव्यांगता प्रमाणन और यूडीआईडी तंत्र शामिल किया जाए।

x. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, दिव्यांगजनों को 25% अधिक सहायता दी जानी चाहिए। योजनाओं में उचित आवास के प्रावधान को शामिल किया जाए।

xi. दिव्यांजगजन अधिकार अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, सभी गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं (दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता के साथ) में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

xii. भारत सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक उपकरणों और उपायों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाए और इन्हें सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जाए।

xiii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) दिव्यांगजनों को संस्था और समुदाय आधारित पुनर्वास प्रदान करने के लिए पुनर्वास पेशेवरों के साथ काम करें।

xiv. भीम ऐप, आरोग्य सेतु आदि जैसी सरकारी प्रौद्योगिकी पहलें आत्मनिर्भर जीवन जीने और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजनों के अनुकूल, सुलभ और समावेशी होनी चाहिए।

xv. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित सभी हेल्पलाइनों को दिव्यांगजनों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, और इस तरह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिव्यांगता से संबंधित मामलों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को शामिल करना चाहिए।

xvi. राज्य और संघ–राज्य क्षेत्र समय पर निःशक्तता पेंशन का भुगतान करें और इस पेंशन को उनकी जीवन जीने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाए।

xvii. राज्य और संघ–राज्य क्षेत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 24(3) (ज) और (झ) के तहत अनिवार्य रूप से बेरोजगारी और देखभाल भत्ता देने की योजना तैयार करें और इसकी घोषणा करें।

xviii. दिव्यांगजनों को निःशक्तता प्रमाणपत्रों पर राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि उनके पास निःशक्तता प्रमाण पत्र या राशन कार्ड नहीं है, तो स्थानीय प्रशासन को उन्हें राशन प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। यह लाभ उन सभी परिवारों को प्रदान किया जाना चाहिए जिनके परिवार के सदस्य के रूप में दिव्यांगजन हैं।

xix. दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान सुलभ होने चाहिए। दिव्यांग छात्रों के लिए अभिगम्यता सुविधाओं वाले लैपटॉप/स्मार्टफोन मुफ्त या रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

xx. दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म सुलभ होना चाहिए।

xxi. दिव्यांग बच्चों के साथ–साथ उन परिजनों को जो स्वयं दिव्यांग हैं, को ऑनलाइन अध्ययन पाठ्यक्रम प्रदान करने के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए।

6.22 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/NHRC%20Advisory%20on%20Disability.pdf>

ग.4 कोविड–19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मानव अधिकार परामर्शी

6.23 विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित ''कोविड–19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर परामर्शी'' को 29 सितंबर, 2020 को जारी की गई थी।

6.24 परामर्शी में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड–19 के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के संबंध में दिनांक 13.04.2020 को जारी मार्गदर्शी नोट के अनुसरण में, यह सुनिश्चित करें कि नियमित टीकाकरण और अन्य आवश्यक बाल स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं हों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)/मोहल्ला क्लीनिक, क्वारंटाइन केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में उपलब्ध हों।

ii. जिला स्तर पर पैरा–मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक कैडर बनाएं जो भावनात्मक प्राथमिक उपचार देने, और इसकी गंभीरता, जिसे विशेषज्ञों को सूचित किया जा सकता है, की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित हों। गैर सरकारी संगठनों से परामर्शदाताओं के पैनल का निर्माण करके सभी बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध और सुलभ बनाई जानी चाहिए।

iii. बेघर बच्चों की लाचारी और जोखिम को ध्यान में रखते हुए, संरक्षात्मक प्रयास किए जाएं और निर्धारित मानकों और प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण और क्वारंटाइन सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।

iv. उन बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करें जो आमतौर पर समाज कल्याण छात्रावासों, आदिवासी कल्याण छात्रावासों आदि में रहते हैं, लेकिन आवासीय विद्यालय बंद होने के कारण अब घर पर रह रहे हैं।

v. कोविड–19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर स्कूलों के सुरक्षित रूप से और क्रमबद्ध रूप से पुनः खोलने के उपाय करें। जब तक स्कूल फिर से नहीं खुल जाते, बच्चों को छोटे समूहों में पढ़ाया जा सकता है; बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न मास–मीडिया स्त्रोतों के उपयोग का पता लगाया जा सकता है।

vi. स्कूल न जाने वाले बच्चों के डेटा को फिर से तैयार किया जाए ताकि उन बच्चों की पहचान की जा सके जिनकी स्कूल छूट गई है, अनौपचारिक श्रम बल में शामिल हो गए हैं, या वापस पलायन के परिणामस्वरूप अपने राज्यों में लौटने पर स्कूल छोड़ दी है।

vii. यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑनलाइन कक्षाएं दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी और सुलभ हों।

viii. बाल देखभाल संस्थान में स्वच्छता बनाए रखने, बच्चों के स्वास्थ्य और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति और सुरक्षात्मक गियर सुनिश्चित करने के उपाय करें।

ix. बाल संरक्षण समितियों और ग्राम सतर्कता समितियों को शामिल करते हुए तंत्र विकसित किया जाए ताकि कोविड–19 के लिए विशिष्ट अधिकारों का अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके और श्रम या यौन शोषण और बाल विवाह के लिए बाल तस्करी जैसे उल्लंघनों की निगरानी करके बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों (वीएलसीपीसी) और साथ ही डीसीपीयू की भी सक्रियता और निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

6.25 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/document/nhrc-advisory-children>

ग.5 कोविड–19 के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के मानव अधिकारों पर परामर्शी

6.26 विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर उचित विचार करने के बाद पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित ''कोविड–19 के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के मानव अधिकारों पर परामर्शी'' 5 अक्टूबर, 2020 को जारी की गई थी।

6.27 परामर्शी में चार मुख्य विषयगत क्षेत्रों पर सिफारिशें की गई हैं:

i. श्रमिकों को सहायता प्रदान करना, रोजगार बढ़ाना और श्रमिकों के अधिकारों को बनाए रखना;

ii. हिंसा और मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने से संरक्षण;

iii. भेदभाव और बहिष्कार का मुकाबला करना;

iv. श्रमिकों (विशेषकर) कमजोर श्रमिकों के अधिकार और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना।

6.28 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Advisory%20on%20Informal%20Workers_0.pdf>

ग.6 कोविड–19 महामारी का प्रभाव: व्यापार और मानव अधिकार तथा भविष्य की प्रतिक्रिया पर परामर्शी

6.29 विशेषज्ञों की समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित ''कोविड–19 महामारी का प्रभाव: व्यापार, मानव अधिकार और भविष्य की प्रतिक्रिया पर परामर्शी'' 5 अक्टूबर, 2020 को जारी की गई थी।

6.30 परामर्शी की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

i. इसका उद्देश्य व्यापारिक प्रमुखों/नेताओं/उद्यमों/एमएसएमई आदि के लिए एक अभिविन्यास के रूप में कार्य करना है, ताकि उन्हें कोविड–19 संकट प्रबंधन की पृष्ठभूमि में, उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया और संचार में मानव अधिकार और मानव अधिकार दृष्टिकोण को एकीकृत करने में मदद मिल सके।

ii. अनौपचारिक श्रमिकों के लिए उत्तरदायी व्यवसायिक अभ्यास;

iii. सरकारों और फाइनेंसरों को कंपनियों के शेयरधारकों के बजाय हितधारकों का सहयोग करने हेतु धन (आपातकालीन) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए;

iv. व्यवसायों के हितधारकों का समर्थन करने में सरकारों (संघ/राज्यों और स्थानीय) की भूमिकाएँ;

v. कोविड–19 के कारण हुए व्यावसायिक नुकसान की भरपाई के लिए व्यवसाय हेतु सम्यक उद्यम की रूपरेखा;

vi. मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ निवारक उपाय एवं

vii. व्यापारिक प्रमुखों/नियोक्ताओं के लिए भूमिका (भूमिकाओं) का निर्धारण:; कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए प्रोत्साहन नीति; विभिन्न ढांचागत जोखिमों और कार्यस्थल के मुद्दों (वास्तविक और वर्चुअल) से निपटना।

6.31 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Advisory%20on%20Business%20and%20Human%20R_ights_0.pdf>

ग.7 कोविड–19 के दौरान कैदियों और पुलिस कर्मियों के मानव अधिकारों पर परामर्शी

6.32 विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित 'कोविड–19 के दौरान कैदियों और पुलिस कर्मियों के मानव अधिकारों पर परामर्शी', को 5 अक्टूबर, 2020 को जारी किया गया था।

6.33 परामर्शी में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

पुलिस:

पुलिस प्रमुखों की भूमिका

i. राज्य के पुलिस महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी को नामित करने के लिए, जो पुलिस बल के सामने आने वाली चुनौतियों/मुद्दों को संबोधित करने के लिए नोडल अधिकारी होगा, जो प्रथम प्रतिक्रिया कर्त्ता है।

ii. यह सुनिश्चित करें कि जनता के लिए आधिकारिक जानकारी के स्रोत के रूप में काम करने के लिए पुलिस हेतु एक ही प्रवक्ता हो।

iii. समग्र स्वच्छता और विसंक्रमण के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानक संचालन पक्रियाओं को स्वागत क्षेत्रों, साक्षात्कार कक्षों, प्रतीक्षा क्षेत्रों, शौचालयों और लॉक अप में लगानी चाहिए ताकि सुरक्षित लोक व्यवहार के लिए उपलब्ध रहते हुए और पुलिस का दैनिक कार्य जारी रखते हुए शारीरिक दूरी बनाए रखने की क्षमता सुनिश्चित की जा सके।

शहर के पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक की भूमिका

i. दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सूचना का प्रसार और निकट भविष्य में हेल्पलाइनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना।

ii. यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना कि पुलिस कर्मियों के लिए अस्पतालों में विशेष आपातकालीन वार्ड आरक्षित हों।

iii. यह सुनिश्चित करें कि सभी पुलिस स्टेशनों में हर समय सभी जगहों को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं।

iv. पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य की प्रकृति और स्थान के आधार पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

स्टेशन हाउस अधिकारी / यूनिट प्रमुख की भूमिका और कार्य

i. मामलों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और जिला मजिस्ट्रेट को समय पर रिपोर्ट करने के लिए कोविड महामारी के दौरान दर्ज मामलों की पूछताछ करना या रिकॉर्ड रखना।

ii. छोटे–मोटे मामलों, जमानती मामलों में गिरफ्तारी से बचना चाहिए। केवल गंभीर मामलों में ही गिरफ्तारी और रिमांड लिया जाना चाहिए। गैर–जमानती अपराध में यदि उस समय जांच की आवश्यकता नहीं हो, तो आरोपी को जल्द से जल्द अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए।

iii. यदि पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें काम करते रहने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य विभाग को इसकी तत्काल सूचना दें।

पुलिस और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे

i. महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने के लिए जिला स्तर पर पुलिस विभाग में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों (मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों) की आंतरिक टीम की नियुक्ति की आवश्यकता है।

जेलः

जेल प्रशासन की भूमिका

i. प्रत्येक जेल में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना, आदर्श जेल नियमावली 2016 के अध्याय VII के अनुसार, चिकित्सा प्रशासन जेल प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण सरोकारों में से एक है।

ii. स्थानीय और विशिष्ट अस्पतालों के साथ सहयोग और प्रोटोकॉल बनाना ताकि कैदियों और कर्मचारियों को जल्दी से उचित परीक्षण और उपचार प्रदान किया जा सके।

iii. चूंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव और जेल विभाग के अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत स्थापित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों (एचपीसी) का हिस्सा हैं इसलिए वे कैदियों की रिहाई की श्रेणियों का विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं (यदि पहले से विचार नहीं किया गया है)।

iv. सभी कैदियों को साबुन, सैनिटाइजर और फेस मास्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उनका नियमित उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए ।

उचित बुनियादी सुविधाएं

i. संक्रमण का शीघ्र पता लगाने के लिए थर्मल स्कैनर और बिना–संपर्क वाले थर्मामीटर की विशेष रूप से प्रवेश और निकास के स्थानों और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ii. जेलों के भीतर, जहां पर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना और कर्मचारी उपलब्ध हैं, जहां भी संभव हो, क्वारंटाइन सेंटर/आइसोलेशन सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

iii. कोविड, इसके प्रसार और बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में साइन बोर्ड प्रदर्शित करने के अलावा नियमित रूप से जागरूकता कक्षाएं संचालित की जानी चाहिए।

कैदियों का स्वास्थ्य

i. कैदियों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड को देखने की अनुमति दें (यह उनका अधिकार है) और सुनिश्चित करें कि परिवार के सदस्यों को उनकी स्थिति और उपचार के बारे में सूचित किया जाता है।

ii. उन खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए आहार प्रावधानों की समीक्षा करें जो प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं और प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। इसके अलावा, आदर्श जेल नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्निहित स्थितियों वाले कैदियों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य वंचित समूहों के मामले में अनुकूलित आवश्यक आहार प्रदान करें।

6.34 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Advisory%20on%20the%20Rights%20of%20Prisoners%20and%20Police %20Personnel_0.pdf

ग.8 कोविड–19 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी

6.35 विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों के आधार पर उचित विचार के बाद, पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित ''कोविड–19 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी'' 7 अक्टूबर, 2020 को जारी की गई थी और विभिन्न विषयों के अंतर्गत इसका शुद्धिपत्र 10 नवंबर, 2020 को जारी किया गया था, ताकि हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों के लिए तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई, मानव अधिकारों के लिए गहन संवाद, सम्मान और मान्यता, अवसरों का विस्तार और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया जा सके।

6.36 यह परामर्शी महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों और श्रेणियों पर केंद्रित है जैसे:

i. लैंगिक हिंसा

ii. यौन और प्रजनन स्वास्थ्य

iii. कामकाजी महिलाएं

iv. सेक्स वर्कर्स

v. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाएं

vi. किशोरियां

vii. जलों में महिलाएं

6.37 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:
<https%èènhrc-nic-inèsitesèdefaultèfilesèAdvisory%20on%20Rights% 20of%20Women-pdf>

ग.9 कोविड–19 महामारी के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी

6.38 महामारी के रूप में कोविड –19 से दुनिया भर में सेवाओं के बाधित हो जाने के कारण कोविड–19 के संबंध में नीतिगत संक्षिप्त विवरण और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानसिक स्वास्थ्य पर कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुत से लोग वायरस के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले तात्कालिक प्रभावों और आइसोलेशन में रहने, मृत्यु हो जाने और परिवार के सदस्यों को खोने की आशंका से व्यथित हैं। लाखों लोग आर्थिक उथल–पुथल का सामना कर रहे हैं या उन्हें अपनी आय और आजीविका को खोने का जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं: लंबे समय तक सुविधा गृहों, जिसमें देखभाल गृह और मनोरोग संस्थान शामिल हैं, में संक्रमण और संक्रमण का जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारी के वायरस से संक्रमित होने का जोखिम, वायरस के बारे में बार–बार गलत सूचना और अफवाहें और कोविड–19 से संक्रमित लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को देखभाल सुविधाओं में बदलने के लिए बंद करना।

6.39 विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, ''पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित ''कोविड –19 के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी'' को 8 अक्टूबर, 2020 को जारी किया गया था।

6.40 परामर्शी में शामिल मुख्य विषय निम्नानुसार हैं:

i. सूचना का अधिकार

ii. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने का अधिकार

iii. कोविड–19 उपचार सुविधाएं

iv. क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार

v. गोपनीयता का अधिकार

vi. मानसिक स्वास्थ्य और निवारक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

vii. सेवाओं के प्रावधान में कमियों के बारे में शिकायत करने का अधिकार

viii. रिक्तियों को भरना

ix. मानसिक स्वास्थ्य सहायता का विस्तार करना

x. पुलिस कर्मी

xi. कोविड के पश्चात प्रबंधन

xii. अनुसंधान को बढ़ावा देना

6.41 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Human%20Rights%20Advisory%20on%20Right%20on%20Mental%20Health.pdf>

ग.10 कोविड–19 के संदर्भ में एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी

6.42 विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित ''कोविड–19 के संदर्भ में एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के अधिकारों पर परामर्शी'' को 16 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था।

6.43 परामर्शी में शामिल मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

i. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच

ii. सामाजिक सुरक्षा

iii. राहत और कल्याणकारी योजनाएं

iv. घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा

v. जेलों में वित्तीय सहायता और सुरक्षा, आदि।

6.44 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Advisory_for_the_Protection_of_the_Rights_of_LGBTQI%2B_Community.pdf>

ग.11 कोविड–19 महामारी के संदर्भ में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों पर एनएचआरसी परामर्शी

6.45 विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित ''कोविड–19 के संदर्भ में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों पर परामर्शी'' को 5 नवंबर, 2020 को जारी किया गया था।

6.46 परामर्शी में की गई कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

i. आवाजाही में परेशानी महसूस करने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को उनके घर पर ही तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।

ii. पर्याप्त क्षमता वाले अस्पतालों और विशिष्ट क्लीनिकों के अनुभाग/भाग को संचालित करके बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए गैर–कोविड रोगों का उपचार सुनिश्चित करें।

iii. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 18 का अनुपालन सुनिश्चित करें और जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद के समकक्ष अधिकारी को भरण–पोषण अधिकारी के रूप में नामित करें।

iv. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करें और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहयोग हेतु पर्याप्त प्रावधान करें।

v. मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइनों को संभालने वाले परामर्शदात्ताओं को वृद्धजनों को वृद्धावस्था से संबंधित मुद्दों में मदद करने के लिए अवसाद, चिंता आदि से संबंधित कॉलों से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

vi. पात्र वृद्धजनों को पेंशन का भुगतान समय पर सुनिश्चित करें।

vii. बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मौजूदा वित्तीय सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए और उनकी उत्तरजीविता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

viii. बुजुर्ग व्यक्ति जो नियोजित या स्व–नियोजित हैं, उन्हें घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके।

ix. बुजुर्ग व्यक्तियों, विशेष रूप से जो अकेले रहते हैं या दिव्यांग हैं, के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए घर–घर वितरण की व्यवस्था की जा सकती है।

x. यह सुनिश्चित करें कि हेल्पलाइन बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दों को हल करने में सक्षम हों और दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ त्वरित और पर्याप्त उपाय करें।

xi. यह सुनिश्चित करें कि प्रौद्योगिकी और ऐप्स से परिचित न होने के बावजूद बुजुर्ग व्यक्तियों की कोविड–19 के संबंध में प्रामाणिक और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच हो।

xii. गैर सरकारी संगठनों/सीएसओ के स्वयंसेवकों, जिन्हें बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, को शामिल करके सामुदायिक सहायता नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देना और समन्वय करना।

xiii. सरकार को चाहिए कि वह वृद्धजनों के लिए निर्बाध रूप से सहायता और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

xiv. सरकार जिले में वृद्धजनों के लिए सहायक उपकरणों की मरम्मत एवं अनुरक्षण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

xv. वृद्धाश्रमों और डे केयर संस्थानों में पर्याप्त पुनर्समायोजन किया जाना चाहिए ताकि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी को बढ़ावा दिया जा सके।

xvi. परिवार द्वारा परित्यक्त वृद्ध व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें आश्रय गृहों, जहां उनकी सलामती और सुरक्षा के लिए बुनियादी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, में समायोजित किया जाना चाहिए ।

xvii. विशेष रूप से सह–रुग्णता से ग्रस्त बुजुर्ग कैदियों के सामान्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

xviii. बुजुर्ग कैदियों को उनके व्यक्तिगत पिछली स्वास्थ्य दशाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए और अस्वस्थ पाए जाने पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

xix. रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और हवाई अड्डों पर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

xx. जिन लोगों को यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान या बाद में व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उनके लिए व्हीलचेयर, हेल्पर आदि आदि की सुविधा रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों के साथ–साथ हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6.47 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/NHRC%20Advisory%20on%20Elderly%20Persons.pdf>

ग.12 कोविड–19 महामारी के संदर्भ में मानव तस्करी का मुकाबला करने पर परामर्शी

6.48 विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, पूर्ण आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित, "कोविड –19 के संदर्भ में मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए परामर्शी", को महामारी के दौरान मानव तस्करी के खतरे से निपटने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों की मदद करने के लिए 5 नवंबर, 2020 को जारी किया गया था।

6.49 परामर्शी में निम्नलिखित से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं:

क. मानव तस्करी रोधी इकाइयां

ख. कानून प्रवर्तन एजेंसियां

ग. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

घ. मानव तस्करी आदि को कैसे रोका जाए।

6.50 परामर्शी को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/NHRC%20Advisory%20on%20Human%20Trafficking. pdf>

घ. एनएचआरसी की परामर्शियों पर अनुवर्ती कार्रवाई

6.51 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी दो परामर्शियां, अर्थात् 'कोविड–19 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी' और 'कोविड–19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए

मानव अधिकार परामर्शी' पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक बैठक 12 फरवरी, 2021 को दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव, एनएचआरसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

चित्र 6.2: महिलाओं और बच्चों से संबंधित एनएचआरसी परामर्शियों पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव, एनएचआरसी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक

6.52 देश के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों नामतः गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नोडल विभागों ने बैठक में भाग लिया।

6.53 इस वर्चुअल विचार–विमर्श में श्री प्रधान द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परामर्शियों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों ने आयोग को एनएचआरसी परामर्शियों में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। सभी भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आयोग को लिखित में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जल्द से जल्द भेजने के लिए भी कहा गया था।

ङ. कोविड–19 के दौरान बंधुआ मजदूरों के बचाव, रिहाई और पुनर्वास पर दिशानिर्देश

6.54 आयोग ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध के जवाब में न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) संख्या 503/2020 के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 9 दिसंबर 2020 को कोविड–19 के दौरान बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों का उद्देश्य महामारी की स्थिति के दौरान बंधुआ मजदूरों के बचाव, प्रत्यावर्तन और पुनर्वास के पहलुओं को शामिल करना है।

च. वर्ष 2020–21 में दृष्टांत मामले

1. राधा कृष्ण अस्पताल, कुरुक्षेत्र में भर्ती कोविड के सात नाजुक रोगियों को गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया, जहां से पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उन्हें पहले ही राधा कृष्ण अस्पताल रेफर कर दिया गया था।

(केस संख्या 2257/7/11/2020)

i. आयोग को श्री गौतम उप्पल से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बुजुर्ग मां, जन्म से हृदय रोगी और कई वर्षों से दवा ले रही थी, 21.12.2020 को कोविड–19 पॉजिटिव पाई गई और उनका ऑक्सीजन स्तर 80ः से नीचे पहुंच गया। चूंकि सरकारी एलएनजेपी अस्पताल, कुरुक्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं; पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, सरकार ने एक निजी अस्पताल यानी राधा कृष्ण अस्पताल कुरुक्षेत्र को कोविड–19 रोगियों के लिए नामित किया। तदनुसार, उनकी गंभीर रूप से बीमार मां को उसी दिन राधा कृष्ण अस्पताल, कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सा उपचार के कारण उनकी हालत स्थिर हो गई। हालांकि, 29.12.2020 को, राधा कृष्ण अस्पताल कुरुक्षेत्र में भर्ती सभी सात कोविड रोगियों को गंभीर स्थिति में एलएनजेपी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया, जहां से पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उन्हें पहले ही राधा कृष्ण अस्पताल रेफर किया गया था। जब इन मरीजों के परिजनों ने इतनी गंभीर स्थिति में मरीजों को राधा कृष्ण अस्पताल से शिफ्ट न करने की गुहार लगाई तो बताया गया कि राधा कृष्ण अस्पताल को कोविड–19 अस्पताल घोषित करने के बाद, कोविड–19 रोगियों के इलाज के बिल के रूप में 3.3 करोड़ रुपये के दावे के खिलाफ, सरकार की ओर से एक पैसा भी नहीं दिया गया और अब अस्पताल प्रशासन कोविड–19 रोगियों को आगे चिकित्सा उपचार प्रदान करने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लोक सेवकों की ओर से चूक के कारण, राज्य सरकार द्वारा अस्पताल के बकाया का भुगतान नहीं किया जा सका और गंभीर कोविड–19 रोगियों का जीवन दांव पर था क्योंकि राधा कृष्ण अस्पताल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि यदि कोविड–19 रोगियों को उनके अस्पताल से नहीं निकाला गया तो वे 01.01.2021 से अपना अस्पताल बंद कर देंगे।

ii. आयोग ने दिनांक 01.01.2021 की कार्यवाही में पाया कि आरोप बहुत गंभीर थे क्योंकि निजी अस्पताल के बकाया का भुगतान न करने के कारण कोविड–19 रोगियों के जीवन को कथित तौर पर दांव पर लगा दिया गया था, जिसे कोविड–19 रोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। तद्नुसार आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की मौके पर जांच करने के लिए आयोग के अधिकारियों का एक दल गठित करने और संबंधित प्राधिकारियों से दूरभाष पर यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकार द्वारा देय राशि का भुगतान न करने के कारण किसी भी गंभीर रोगी को उसके चिकित्सा उपचार के बीच में नामित निजी अस्पताल से निकाला न जाए।

iii. इसके अलावा, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को राज्य में गंभीर रूप से बीमार कोविड–19 रोगियों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने के मामले को देखने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि कोई भी रोगी किसी भी मामूली आधार पर उपचार से वंचित न रहे।

iv. तत्काल कार्रवाई शुरू करने के बाद, आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

2. उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरकारी बाल आश्रय गृह में सत्तावन नाबालिग लड़कियां नोवल कोरोनावायरस पॉजिटिव पाई गई

(केस संख्या 10769/24/43/2020)

i. आयोग को मानव अधिकारों के उल्लंघन की एक गंभीर घटना का पता चला, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक सरकारी बाल आश्रय गृह में सत्तावन नाबालिग लड़कियां नोवल कोरोनावायरस पॉजिटिव पाई गई, जिनमें से पांच गर्भवती और एक एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। जानकारी की पुष्टि होने के बाद, उत्तर प्रदेश प्रशासन एक उन्माद में चला गया था, यहां तक कि अधिकारियों ने कहा कि गर्भधारण लॉकडाउन से पहले शुरू हुआ था। शेल्टर होम को सील कर दिया गया और उसके स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया। यह ''द प्रिंट'' द्वारा 22.06.2020 को रिपोर्ट किया गया था।

ii. मीडिया रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि गृह में सात गर्भवती लड़कियां रहती थी, और उनमें से पांच कोविड–19 पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में बाल कल्याण समितियों की सिफारिश पर जब इन्हें आश्रय गृह लाया गया तो ये लड़कियां पहले से ही गर्भवती थी और इन सभी मामलों में बाल संरक्षण अधिनियम के तहत जांच चल रही थी।

iii. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर ने कथित तौर पर कहा कि दो लड़कियां दिसंबर 2019 में आगरा और कन्नौज से आई थी। एसएसपी ने कहा कि कोविड पॉजिटिव पाई गई सभी लड़कियों का इलाज कानपुर मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा था।

iv. रिपोर्ट के अनुसार, शेल्टर होम की लड़कियों में कुछ दिनों से कोविड–19 के लक्षण दिख रहे थे और स्थानीय प्रशासन ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी। जब उनका परीक्षण किया गया, तो पता चला कि उनमें से दो लड़कियां गर्भवती थी, जबकि एक एचआईवी पॉजिटिव थी।

v. आयोग ने मीडिया रिपोर्ट की सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की। यह देखा गया कि लड़कियों में कुछ समय से कोविड–19 के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाने में देरी हुई। कुल 57 लड़कियों कोविड पॉजिटिव पाई गई, जो काफी बड़ी संख्या थी। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियों को गर्भवती, एचआईवी और हेपेटाइटिस के लिए पॉजिटिव पाया गया जो राज्य की हिरासत में उनकी खराब और कमजोर स्थिति को दर्शाता है।

vi. आयोग ने 22.06.2020 को मामले का स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर सभी लड़कियों के स्वास्थ्य की स्थिति, प्राधिकारियों द्वारा उनके चिकित्सा उपचार और परामर्श प्रदान करने की स्थिति सहित मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार से एक स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच का आदेश देने की अपेक्षा की गई थी। राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह राज्य भर में आश्रय गृहों में रहने वाली महिला संवासियों की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा करे और उपयुक्त निर्देश जारी करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

vii. आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

viii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक (मानव अधिकार), कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने पुलिस अधीक्षक (यातायात), कानपुर शहर की एक रिपोर्ट दिनांक 01.02.2021 को अग्रेषित की। जिसमें, यह प्रस्तुत किया गया था कि मामला संख्या 135/20 आईपीसी की धारा

88/228ए/505 और 74 जेजेए और 23 पॉक्सो तहत दर्ज किए गया था और जांच के बाद, मामले में अंतिम रिपोर्ट 12.01.2021 को दायर की गई थी।

ix. मामला आयोग के विचाराधीन है।

3. बीमा कंपनियां कोविड योद्धाओं को कवर करने से कतराती हैं

(केस संख्या 651/90/0/2020)

i. आयोग को ''टाइम्स ऑफ इण्डिया'' में प्रकाशित एक समाचार ''बीमा कंपनियां कोविड योद्धाओं को कवर करने के लिए अनिच्छुक'' शीर्षक से सूचना प्राप्त हुई। समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्थकेयर कार्यकर्ता, जिन्हें कोरोनोवायरस संक्रमण का सबसे अधिक जोखिम माना जाता है, समूह मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए इनकार या उच्च प्रीमियम की मांगों का सामना कर रहे थे। जैसे–जैसे कोविड–19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार गैर–कोविड काम करने वाले निजी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए बीमा कवर पर बहुत कम स्पष्टता प्रदान कर रही है और सही नीति खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

ii. आगे यह भी कहा गया कि अधिकांश डॉक्टरों के पास मेडिकल कवर है, लेकिन संघर्ष मुख्य रूप से अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। शहर के कई नर्सिंग होम मालिक ग्रुप कवर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली। कंपनियों ने फिक्स्ड बेनिफिट कवर भी बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यहां पॉजिटिव परीक्षण पर लाभार्थी को एकमुश्त भुगतान किया जाता है। सम एश्योर्ड 20,000/– रुपये से 2,00,000/– रुपये तक भिन्न हो सकता है, और वार्षिक प्रीमियम अपेक्षाकृत कम है।

iii. समाचार रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कहा कि एक कंपनी जो पहले 2,00,000/– रुपये (केवल दो लाख रुपये) तक के एक निश्चित लाभ कवर के लिए सहमत हुई थी, राज्य में कोविड–19 मामले बढ़ने के बाद उसने भी इंकार कर दिया।

iv. आईएमए ने कथित तौर पर कहा था कि कंपनी ने लगभग 150 डॉक्टरों द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम वापस कर दिया है, जिनके द्वारा पहले ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

v. रिपोर्ट के अनुसार, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स (एएमसी) के मेडिको–लीगल सेल के प्रभारी डॉ. सुधीर नाइक ने कहा कि कोई भी बीमा कंपनी कोविड योद्धाओं को कवर नहीं करना चाहती। जहां प्राधिकारियों को क्लीनिक खुला रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, वहीं कर्मचारी काम करने को लेकर आशंकित थे। चिकित्सा बिरादरी कथित तौर पर मानक कोविड–19 नीति पर अपनी उम्मीदें लगा रही थी, जिसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी बीमा प्रदाताओं को 15 जून तक डिजाइन करने के लिए कहा था।

vi. जैसा कि समाचार रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, यह भी भ्रम था कि क्या केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रदान किए गए 50 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर में निजी डॉक्टर, कर्मचारी और गैर–कोविड काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल थे।

vii. आयोग द्वारा समाचार रिपोर्ट की सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया। कोविड–19 के प्रसार के बीच, देश भर में समाज के विभिन्न वर्गों को कई अनूठी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की अनुपलब्धता आदि के बारे में आयोग की जानकारी में पहले से ही कई मीडिया रिपोर्टें थी। महामारी के इस दौर में, देश को उचित

स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कंपनियों द्वारा कोविड वारियर्स को बीमा दावों से इनकार करने से निश्चित रूप से उनका मनोबल गिर सकता है और इसका परिणाम अंत में आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

viii. आयोग ने इसे मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला माना और इस मामले में अपना हस्तक्षेप आवश्यक पाया क्योंकि पीड़ित गरीब नागरिक थे जो पहले से ही चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कोरोना वायरस के आघात में थे।

ix. आयोग ने 12.06.2020 को मामले का स्वतः संज्ञान लिया और (i) अध्यक्ष, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद, तेलंगाना (ii) सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, बीमा प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को नोटिस जारी किया और मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

x. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, महाप्रबंधक (स्वास्थ्य), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद ने दिनांक 08.07.2020 के पत्र के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:

अ. यह प्रस्तुत किया गया है कि यह प्राधिकरण महामारी के इस संकटपूर्ण समय के दौरान जनता को पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए बीमाकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रहा है। कुछ उपाय नीचे सूचीबद्ध हैं:

i. 4 मार्च, 2020 को सभी बीमा कंपनियों को कोविड दावों को तेजी से संभालने के लिए निर्देश जारी किया गया था। दावे की समीक्षा समिति द्वारा मामले के किसी भी इनकार की समीक्षा की जानी चाहिए।

ii. कोविड–19 महामारी के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को कोविड–19, विशिष्ट बीमा उत्पादों को डिजाइन करने की सलाह दी है, जिसके जवाब में, कुछ बीमा कंपनियां कोविड–19 विशिष्ट बीमा योजनाएं पेश कर रही हैं।

iii. प्राधिकरण ने अपने दिनांक 25.06.2020 के पत्र के माध्यम से सभी बीमाकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा के तहत अधिक से अधिक व्यक्तियों के कवरेज को बढ़ाकर समाज में सुरक्षा स्तर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया है और बीमाकर्ताओं को बीमा नीति के अधीन उनके व्यवसाय की परवाह किए बिना भारत के सभी नागरिकों को कवरेज की पेशकश करनी चाहिए। बीमाकर्ताओं से विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि कोविड–19 मामलों को कवर करने वाली पॉलिसियों के लिए, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के मामले में कोई प्रीमियम लोडिंग नहीं होनी चाहिए।

iv. प्राधिकरण ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को भी कार्यालय कोरोना कवच, एक कोविड विशिष्ट क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, के लिए अनिवार्य कर दिया। 26 जून, 2020 को जारी इस कोविड विशिष्ट मानक स्वास्थ्य नीति के दिशानिर्देश में कहा गया है कि बीमाकर्ताओं को डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रीमियम में 5% की छूट देनी चाहिए।

ब. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास अपनी पसंद की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने वाले किसी

भी सामान्य बीमाकर्ता या अकेले स्वास्थ्य बीमाकर्ता से संपर्क करने का विकल्प है। कंपनी विशिष्ट उत्पादों के अलावा, मानक व्यापक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ''आरोग्य संजीवनी'' और मानक कोविड–19 विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ''कोरोना कवच'' भी सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के पास उपलब्ध हैं।

स. माननीय आयोग से नोटिस प्राप्त होने के बाद, सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं से महामारी की शुरुआत के बाद से डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के बारे में विशेष जानकारी मांगी गई थी। प्राप्त जानकारी से, यह देखा गया है कि 01 मार्च, 2020 से एक लाख से अधिक डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया गया था।

xi. मामला आयोग के विचाराधीन है।

अध्याय 7

नागरिक और राजनीतिक अधिकार और आपराधिक न्याय प्रणाली की सुरक्षा

7.1 आयोग को जेलों और अन्य बंदी सुविधाओं, जो कई समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे गंभीर भीड़भाड़, कम स्टाफ, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल का अभाव, कैदियों की शारीरिक दुर्बलता, हिरासत में मौतें, बुनियादी ढाँचे की कमी, खराब प्रशासन और अपर्याप्त अंतर–एजेंसी संचार, मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा में लंबी हिरासत अवधि, और कैदियों के लिए वकील, अधिकारियों और परिवार आदि के साथ संवाद करने के लिए अपर्याप्त अवसर से ग्रस्त हैं, की गंभीर चिंता है।

7.2 आयोग ने अधिक भीड़, कैदियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अधिकारों, अंडर–ट्रायल कैदियों की हिरासत, सजा समीक्षा बोर्ड, आगंतुक बोर्ड, जेल प्रशासन और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों के संबंध में निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी लिखा है कि वे मुकदमों की त्वरित सुनवाई और अंडर–ट्रायल कैदियों को मुक्त करने के लिए और जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उचित निर्देश दें कि वे नियमित रूप से जेलों का दौरा करें, जैसा कि राज्य जेल मैनुअल में अपेक्षित है। आयोग ने सभी जेल प्राधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि वे सभी कैदियों की अनिवार्य स्वास्थ्य जांच कराएं और मासिक रिपोर्ट आयोग को भेजें। आजीवन कारावास से गुजर रहे कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मुद्दे भी आयोग द्वारा उठाए गए हैं।

7.3 हिरासतीय हिंसा और यातना कानून के प्रवर्तन का कार्य सौंपे गए लोक सेवकों द्वारा ज्यादतियों के सबसे बुरे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आयोग ने बलात्कार, छेड़छाड़, अत्याचार, पुलिस हिरासत में फर्जी मुठभेड़ जैसे अपराधों को पीड़ितों के सबसे कमजोर और मूक तबकों के मानव अधिकारों की रक्षा की प्रणालीगत विफलता माना हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है कि ऐसी अवैध प्रथाओं को रोका जाए और सभी मामलों में मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाए। पीड़ितों या उनके निकटतम परिजनों को मुआवजा देने की बजाय, आयोग का प्रयास ऐसे माहौल को समाप्त करना है जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन ''वर्दी'' और ''प्राधिकारी'' द्वारा पुलिस स्टेशन, लॉक–अप और जेलों जैसी जगहों पर किया जाता हैं, जहां पीड़ित पूरी तरह से असहाय होते हैं। आयोग ने इस संबंध में विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किए हैं। ऐसे दिशानिर्देशों में से एक यह है कि हिरासत में मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर आयोग को देनी होती है। हालांकि सभी हिरासत की मौतें अपराध या हिरासत की हिंसा या चिकित्सा लापरवाही के परिणाम नहीं हो सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट की गहन जांच और विश्लेषण के बिना कोई भी धारणा नहीं बनाई जाए। इसलिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन, इसलिए, हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, यह देखा गया है कि कुछ मौतों को या तो काफी विलंब के बाद रिपोर्ट किया जाता है या बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं किया जाता है, और कई मामलों में रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सशर्त सम्मन जारी करने के बाद ही आयोग को भेजी जाती है।

7.4 आयोग के तत्कालीन विशेष मॉनिटर (पुलिस और जेल सुधार) ने कुछ जेलों की स्थितियों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कोविड –19 के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु कैदियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। महासचिव, एनएचआरसी के निर्देशों के तहत अनुसंधान प्रभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ– राज्य क्षेत्र के कारागारों के महानिदेशक/महानिरीक्षक को पत्र भेजकर कोविड–19 महामारी के दौरान कैदियों और जेल कर्मचारियों की स्थिति से आयोग को अवगत करायें। जेल प्रमुखों से अनुरोध किया गया था कि वे वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए अपने बुनियादी चिकित्सा ढांचे और सर्वोत्तम उपायों को साझा करें। जेल अधिकारियों द्वारा जेलों के अंदर कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों पर कुछ राज्यों ने आयोग को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

7.5 कैदियों और पुलिस कर्मियों के अधिकारों पर महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए, आयोग ने श्री जयदीप गोविंद, तत्कालीन महासचिव, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 'मानव अधिकारों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव और भविष्य की प्रतिक्रिया के संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति' का गठन किया, जिसमें पुलिस और जेल विभागों, संबंधित मंत्रालयों, स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञ और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। विशेषज्ञों की समिति द्वारा किए गए प्रभावी आकलन और उनके द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आयोग ने 6 अक्टूबर, 2020 को ''कोविड–19 के दौरान कैदियों और पुलिस कर्मियों के मानव अधिकार'' पर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यान्वयन के लिए परामर्शी जारी की। इस परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

7.6 आपराधिक न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विधि के शासन का संरक्षण और वकालत करना, अर्थात कानून का सामाजिक नियंत्रण, व्यवस्था का रखरखाव, त्वरित सुनवाई, अपराधियों को दंडित करना, न्यायिक प्रणाली के माध्यम से अपराधियों का पुनर्वास और अपराधों के पीड़ितों को सांत्वना देना है। वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि लोगों को त्वरित न्याय दिया जा सके और अपराध करने वालों को दंड सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए लोगों के लिए न्याय के क्षेत्र में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर और आपराधिक न्याय सुधार की बढ़ती चुनौतियों के संबंध में सुधार की आवश्यकता है।

7.7 इस संबंध में, आयोग ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की और 26 मार्च, 2021 को 'आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार' पर एक कोर सलाहकार समूह का गठन किया। कोर ग्रुप के सदस्य अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जिनके पास न्यायपालिका, पुलिस, जेलों और कानूनी सहायता संस्थानों में काम करने का दशकों का अनुभव है। सदस्यों का चयन देश भर से किया जाता है। प्राथमिक लक्ष्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित मुद्दों पर आयोग को सलाह देना और भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर उनकी सिफारिशों का अध्ययन और समीक्षा करना तथा अन्य कार्यों में उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव देना है।

क. आतंकवाद एवं उग्रवाद

7.8 भारत आज आतंकवाद एवं उग्रवाद से लड़ते हुए आम आदमी के मानव अधिकारों के संरक्षण की भयावह चुनौती का सामना कर रहा है। निर्दोष एवं निहत्थे लोगों को निशाना बना कर जारी आतंकवाद के भयावह परिदृश्य में मानव अधिकारों के संरक्षण का काम और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

7.9 एक शांतिपूर्ण समाज न्याय और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधारों पर टिका होता है। आतंकवाद के गंभीर मुद्दे से निपटते समय न्याय की चिंता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आंतकवाद से जुड़ी अधिकांश त्रासदियों में, ज्यादातर आम लोगों के अधिकारों का हनन होता है।

7.10 आतंकवादियों और नक्सलियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी ने सुरक्षा बलों की भूमिका को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। सामाजिक अशांति को नियंत्रित करने, महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने और जब भी आवश्यक हो, कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने और बनाए रखने के लिए उनकी आवश्यकता बढ़ गई है।

7.11 आयोग का दृढ़ मत है कि मानव अधिकारों के समुचित पालन से शांति और सुरक्षा को बहाल करने में कोई बाधा नहीं आती है, बल्कि, शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा आतंकवाद को पराजित करने की किसी भी सार्थक रणनीति में यह एक आवश्यक घटक है। इसलिए आतंकवाद विरोधी उपायों का उद्देश्य लोकतंत्र, विधि का शासन और मानव अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, जो हमारे समाज के आधारभूत मूल्य और हमारे संविधान के मूल तत्व हैं।

7.12 आयोग ने समय–समय पर इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो लोगों के भय मुक्त होकर जीने के अधिकारों का हनन करता है। आतंकवाद का लक्ष्य लोकतंत्र और समाज के ताने–बाने को नष्ट करना है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना हुआ है। इसने पचास से अधिक वर्षों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अपनी सफलता और विफलताओं से बहुत कुछ सीखा है। आयोग का प्रयास आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करना है। साथ ही, आयोग ने इस बात पर हमेशा बल दिया है कि ऐसा करते समय हमारा दृष्टिकोण मानवीय, तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष हो।

चित्र 7.1: 'संगठित अपराधों में वृद्धिः मानव अधिकारों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा' विषय पर हितधारक चर्चा में भाग लेते हुए आयोग और अन्य सरकारी संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी

7.13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 22 मार्च 2021 को 'संगठित अपराधों में वृद्धिः मानव अधिकारों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा' विषय पर एक हितधारक चर्चा का आयोजन किया। यह आयोजन आयोग द्वारा सभी प्रकार के संगठित अपराध और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए हितधारकों के बीच जागरूकता और अधिगम के लिए आयोजित 'अपनी तरह का पहला' कार्यक्रम है। यह आयोजन आयोग में वास्तविक रूप से मौजूद होकर और सिस्को वीबेक्स के माध्यम से वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था। चर्चा की अध्यक्षता एनएचआरसी के माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत ने की और बैठक में एनएचआरसी के महासचिव, रजिस्ट्रार (विधि), संयुक्त सचिव (ए एंड आर), एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

7.14 वक्ताओं में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), केरल और महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किएः

i. ऑनलाइन और साइबर अपराध के रुझान एवं पैटर्न तथा साइबर अपराध जांच में चुनौतियां।

ii. भारत में और सीमापार मादक पदार्थों की तस्करीः नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव, उनके स्रोत, पारगमन और गंतव्य बिंदु।

iii. मानव तस्करी की व्यापकता

iv. आर्थिक अपराध, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन/काले धन को वैध बनाना

v. अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, सीबीआई की भूमिका

7.15 इसमें अन्य के अलावा राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस), राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), दिल्ली पुलिस, उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (एनईपीए), आदि के प्रतिभागी शामिल हुए।

7.16 चर्चा मुख्य रूप से निम्नलिखित आवश्यकताओं पर केंद्रित थीः

i. पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से जांच अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण, ताकि हितधारक अपराध की वर्तमान प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बिठा सकें।

ii. वैश्विक रुझानों के अनुरूप जांच और स्वीकार्य साक्ष्य रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना।

iii. चूंकि संगठित अपराध बहु–राज्यीय और बहु–राष्ट्रीय है, इसलिए एजेंसियों और विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।

चित्र 7.2: 'संगठित अपराधों में वृद्धिः मानव अधिकारों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा' विषय पर हितधारकों की चर्चा में भाग लेते आयोग के वरिष्ठ अधिकारी

चित्र 7.3: 'संगठित अपराधों में वृद्धिः मानव अधिकारों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा' पर हितधारक चर्चा के एजेंडे पर विचार करते हुए आयोग और अन्य सरकारी संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी

ख. फोरेंसिक विज्ञान पर वेबिनार

7.17 आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा 11 अगस्त, 2020 को पहली बार फोरेंसिक विज्ञान पर एक वेबिनार का आयोजन और संचालन किया गया, जिसमें गृह मंत्रालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, फोरेंसिक विज्ञान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राज्य पुलिस अकादमियां और अन्य सभी प्रमुख हितधारक शामिल हुए। इस वेबिनार का उद्देश्य फॉरेंसिक साइंस से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों के बारे में सभी को संवेदनशील बनाना था। डॉ एस. के. जैन (निदेशक, डीएफएसएस), डॉ. आई. हक़ (उप निदेशक, सीएफएसएल, चंडीगढ़) और प्रोफेसर आदर्श कुमार (एम्स, दिल्ली) द्वारा तीन तकनीकी सत्र लिए गए। कार्यक्रम का उद्‌घाटन माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत और महासचिव जयदीप गोविंद ने किया। सुश्री पी. एस. श्रीवास्तव (संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय) ने भारत में फोरेंसिक विज्ञान परिदृश्य का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। चर्चा के विषय थे– भारत में हिरासत में होने वाली मौतों पर फोरेंसिक बैलिस्टिक, डीएनए प्रोफाइलिंग और मेडिको–लीगल जांच। इसके अलावा, फोरेंसिक क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में योग्य कर्मचारियों की भारी कमी, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी और प्रयोगशालाओं में काफी समय से लंबित मामलों आदि पर भी चर्चा की गई तथा विभिन्न राज्यों ने अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को भी साझा किया।

ग. पुलिस कर्मियों के साथ कार्यक्रम

7.18 अखिल भारतीय पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता 2020: महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मार्गदर्शन में, आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने वेबिनार के माध्यम से एक अखिल भारतीय पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया था। कोविड प्रतिबंधों के कारण यह पहली बार ऑनलाइन आयोजित किया गया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिताओं के बाद विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 46 प्रतिभागियों (24 हिंदी भाषा, 22 अंग्रेजी भाषा) का चयन किया गया। इन 46 प्रतिभागियों ने 25 और 26 नवंबर, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता के अंतिम दौर में भाग लिया। माननीय सदस्य (एनएचआरसी) डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुले ने मुख्य अतिथि और निर्णायक मण्डल के प्रमुख के रूप में प्रतियोगिता के अंतिम दौर की गरिमा बढ़ाई। माननीय सदस्या (एनएचआरसी) श्रीमती ज्योतिका कालरा, श्री प्रभात सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त), पूर्व डीजी, एनएचआरसी और प्रो. इंदु अग्निहोत्री, कोर ग्रुप सदस्य, एनएचआरसी और निदेशक, महिला विकास अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली निर्णायक मण्डल के सदस्य थे जिन्होंने 7 विजेताओं का चयन किया। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रतियोगिता के अंतिम दौर में शामिल हुए।

7.19 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता, 2020: मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार मुद्दों पर एक वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस वर्ष (2020–21) वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता का सेमी–फाइनल राउंड 04–05 सितंबर, 2020 को कोलकाता में आयोजित किया गया था और फाइनल राउंड 16.9.2020 को उत्तर रेलवे सम्मेलन हॉल, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेमी–फाइनल राउंड के दौरान, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से कुल 32 टीमों (64 प्रतिभागियों: अंग्रेजी भाषा के लिए 32 और हिंदी भाषा के लिए 32) ने भाग लिया और इनमें से 16 प्रतिभागियों को फाइनल राउंड के लिए चुना गया।

श्री नपराजित मुखर्जी, आईपीएस (सेवानिवृत्त), सदस्य, पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग, श्री एस. राम कृष्णन आईपीएस (सेवानिवृत्त) और श्री एस. एस. गहलोत, एजीएम, पूर्वी रेलवे, कोलकाता प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के निर्णायक मण्डल के सदस्य थे। माननीय सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुले ने सीएपीएफ वाद–विवाद प्रतियोगिता के अंतिम दौर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। माननीय सदस्या श्रीमती ज्योतिका कालरा निर्णायक मण्डल की प्रमुख थी और श्री प्रभात सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त), पूर्व महानिदेशक, एनएचआरसी और श्री नितिन मलिक, रजिस्ट्रार, डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली निर्णायक मण्डल के सदस्य थे और 8 विजेताओं का चयन किया गया। श्री जयदीप गोविंद, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रतियोगिता के अंतिम दौर में शामिल हुए। फाइनल राउंड के विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता, 2020 की रोलिंग ट्रॉफी का विजेता था।

घ. 'मीडिया ट्रायल व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन करता है' विषय पर राष्ट्रीय वाद–विवाद प्रतियोगिता

7.20 27.11.2020 को सिस्को वीबेक्स के माध्यम से एक राष्ट्रीय वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 11 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के 19 छात्रों ने भाग लिया। वाद–विवाद का विषय था ''मीडिया ट्रायल व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन करता है''। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शिमला की सुश्री अंकिता शर्मा ने प्रथम पुरस्कार (10,000/– रुपये), नेशनल लॉ स्कूल भारत यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की सुश्री सुरभि सोनी ने द्वितीय पुरस्कार (पुरस्कार राशि 8,000/– रुपये) और राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल की सुश्री श्रेया शंकर को तृतीय पुरस्कार (पुरस्कार राशि 6,000/– रुपये) मिला। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।

ङ. विधिक सहायता योजना

7.21 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स भारत, 2018 के अनुसार, 31 दिसंबर, 2018 तक भारत में 1339 जेलों में 4,66,084 कैदी थे। उनके विश्लेषण के अनुसार, जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक दर से बढ़ रही है। एनसीआरबी द्वारा 2019 में जारी भारत में प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के 25 वें संस्करण में कहा गया है कि सलाखों के पीछे 69.05 प्रतिशत लोग विचाराधीन थे, जबकि 30.11 प्रतिशत दोषी थे और 0.67 प्रतिशत बंदी थे। कारागारों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या का एक कारण बंदियों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता में कमी के कारण मुकदमे में देरी होना है।

7.22 इस मुद्दे के आलोक में, एनएचआरसी ने 24 जनवरी, 2019 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली (एनएलयू) के साथ एक बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एनएलयू, दिल्ली के छात्र विभिन्न अदालतों में कैदियों की जमानत अपील/आवेदन आदि दाखिल करने में डीएसएलएसए द्वारा तैनात वकील की सहायता कर सकते हैं। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, एक पायलट परियोजना का मसौदा तैयार किया गया है जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है:

7.23 पायलट परियोजना के उद्देश्य: कैदियों के मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए विधिक सहायता प्रणाली तक उनकी पहुंच में सुधार करना और विधि के छात्रों के बीच व्यावसायिकता और लोक सेवा की भावना को बढ़ावा देना, जिससे कॉलेज स्तर पर विधिक सहायता को बढ़ावा मिलेगा।

7.24 पायलट प्रोजेक्ट की अवधिः 12 महीने (छात्रों द्वारा हर महीने क्रमशः 2 दिवसीय प्रशिक्षण और 6 दिवसीय जेल दौरा शामिल है)।

7.25 पायलट परियोजना के अपेक्षित परिणामः

i. विलंबित न्याय के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए जेल के कैदियों को विधिक सहायता की सुविधा।

ii. एक बार सफल होने के बाद, इस परियोजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

iii. जेल के कैदियों के अधिकारों के संबंध में छात्रों को प्रशिक्षण और जागरूकता।

iv. पायलट प्रोजेक्ट मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देगा।

v. छात्रों में मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का विकास।

7.26 इसके बाद, 15 मार्च, 2019 को आयोग में एक अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि तिहाड़ जेल प्रशासन उन मामलों को संकलित करने पर काम करेगा जिनके लिए विधिक सहायता की आवश्यकता है। एनएचआरसी द्वारा एनएलयू, दिल्ली, आईजी जेलों और डीएसएलएसए के प्रतिनिधियों के साथ 31 जनवरी, 2020 और 10 फरवरी, 2020 को आयोजित पिछली दो बैठकों में परियोजना के प्रारूप प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है।

7.27 एनएलयू, दिल्ली, डीजी (जेल) तिहाड़ और डीएसएलएसए सहित प्रत्येक हितधारक की भूमिका और कार्य को परिभाषित करते हुए आयोग द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा तैयार किया गया था। हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे एफए (एमएचए) को सहमति के लिए प्रस्ताव भेजे जाने से पहले समझौता ज्ञापन के मसौदे की जांच कर लें और समझौता ज्ञापन के किसी भी खंड पर अपनी टिप्पणी या असहमति प्रस्तुत करें।

7.28 इस संबंध में, एनएचआरसी ने 26 मार्च 2021 को मानव अधिकार भवन में एनएलयू, दिल्ली, डीएसएलएसए और डीजी (जेल) तिहाड़ के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने पर पायलट प्रोजेक्ट की योजना और समझौता ज्ञापन के मसौदे की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय सदस्या श्रीमती ज्योतिका कालरा ने की। बैठक में समझौता ज्ञापन की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन और सुधार करने और पायलट परियोजना की योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया।

च. अनुसंधान परियोजनाएं

च.1 जारी अनुसंधान परियोजनाएं

7.29 गुजरात सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर एक अनुभवजन्य अध्ययन

i. आयोग ने 14.09.2018 को प्रोफेसर (डॉ.) पूर्वी पोखरियाल, निदेशक, विधि संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा 'गुजरात केंद्रीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर एक अनुभवजन्य अध्ययन' नामक एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1,15,000/– रुपये की वित्तीय सहायता के साथ अनुसंधान परियोजना को पूरा करने की अवधि नौ महीने है।

ii. अध्ययन का क्षेत्र / कवरेजः गुजरात की चार प्रमुख जेलः साबरमती सेंट्रल जेल, वडोदरा सेंट्रल जेल, राजकोट सेंट्रल जेल और लाहौर सेंट्रल जेल (सूरत)।

iii. अध्ययन का उद्देश्यः जेलों में विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर उनके स्वास्थ्य, आत्महत्या की बढ़ती संख्या और सजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी काफी अवधि के लिए जेलों में ठहरने/पड़े रहने के संबंध में ध्यान देने के साथ एक अनुभवजन्य शोध अध्ययन करना।

7.30 जेल और पुलिस हिरासत में मौतों की प्रवृति और स्वरूप का विश्लेषणः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ऐसी मौतों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

i. आयोग ने ''जेल और पुलिस हिरासत में मौतों की प्रवृति और स्वरूप का विश्लेषणः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ऐसी मौतों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' पर एक शोध परियोजना को प्रायोजित किया और डॉ. मोहम्मद असलम, सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सौंपा।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- जेल और पुलिस हिरासत में मौतों की प्रवृत्ति और स्वरूप तथा समाज पर इसके प्रभाव की जांच करना।
- मानव अधिकार न्यायशास्त्र के आलोक में जेल और पुलिस हिरासत में हुई मौतों के कारणों और परिणामों का अध्ययन करना।
- ऐसी घटनाओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा कानूनों की प्रभावशीलता की जांच करना।
- हिरासतीय मौतों और जेलों में हुई मौतों के आंकड़ों को सूचीबद्ध करना।
- देश में कैदियों के मानव अधिकारों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
- यह जांचने के लिए कि हिरासत में हिंसा किस हद तक मौतों का कारण बनती है।
- कैदियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन और इन अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसका सुझाव देना।

iii. स्थानः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली।

7.31 हिरासतीय मौतः झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रवृति और स्वरूप

i. आयोग ने पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन के प्रोफेसर डॉ. अनवर आलम द्वारा शुरू की जाने वाली 'हिरासतीय मौतः झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रवृति और स्वरूप' पर एक शोध परियोजना को मंजूरी दी।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- भारत में हिरासत में हुई मौतों (जेल में मौत और पुलिस हिरासत में मौत) की भयावहता को समझना और उजागर करना।

- विभिन्न रूपों में हिरासत में हुई मौतों के पीछे के विभिन्न कारकों को समझना और उनका विश्लेषण करना– प्रेरणा और सहायक कारक;
- हिरासत में होने वाली मौतों के स्वरूप और प्रवृत्तियों की जांच, जैसे कि हिरासत में होने वाली मौतों के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की जांच करना;
- हिरासत में हुई मौतों के मामले में पुलिस अधिकारियों, जेल अधिकारियों की भूमिका और न्यायिक निष्क्रियता की जांच करना;
- संभावित आत्महत्याओं के संकेतों और लक्षणों को समझना।

iii. स्थानः झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार

च.2 पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं

7.32 सेल से सोसाइटी तकः केरल और तमिलनाडु में रिहा किए गए कैदियों के पुनः एकीकरण पर एक अध्ययन

i. आयोग ने 14.09.2018 को डॉ. आर. संतोष, सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र), मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई द्वारा 'सेल से सोसाइटी तकः केरल और तमिलनाडु में रिहा किए गए कैदियों के पुनः एकीकरण पर एक अध्ययन' नामक एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी। 11,23,375/– रुपये की वित्तीय सहायता के साथ इस अनुसंधान परियोजना को पूर्ण करने की अवधि नौ महीने की थी।

ii. इस अध्ययन का उद्देश्यः

- रिहा किए गए कैदियों को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों की जांच करना।
- सामाजिक एकीकरण की जटिल प्रक्रिया पर गौर करना जिसमें कई घटक होते हैं जैसे पारिवारिक संबंध, सामाजिक कलंक और भेदभाव से निपटने वाले समुदाय की भूमिका आदि।
- आजीविका के मुद्दों और आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को समझना।
- कारागार में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के साथ–साथ सामाजिक कलंक, आजीविका के मुद्दों, पारिवारिक स्थितियों आदि सहित व्यापक सामाजिक कारकों पर विचार करना।

iii. उद्देश्यः केरल और तमिलनाडु की केंद्रीय जेलों से रिहा किए गए कैदियों के सामाजिक एकीकरण के विषय का पता लगाना।

iv. निष्कर्ष और सिफारिशें:

- जेल प्रशासन प्रणाली द्वारा सुधारात्मक पहलू को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
- कारावास की सजा को किए गए अपराध के लिए सजा के रूप में समझा जाना चाहिए और जेल के भीतर के जीवन को अपराधियों के लिए खुद को सुधारने और समाज में फिर से प्रवेश करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

- प्राथमिक कदम के रूप में प्रत्येक जेल में कैदियों का एक व्यवस्थित वर्गीकरण शुरू किया जाना चाहिए।

- नए जमाने के कई अपराध जो पॉक्सो , घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध, यूएपीए आदि के अंतर्गत आते हैं, और इस तरह के अपराधों के लिए जेलों में अधिक परिष्कृत हस्तक्षेप योजना की आवश्यकता होती है ताकि अपराधियों को विशेष परामर्श, जागरूकता कार्यक्रम और मनो–सामाजिक हस्तक्षेप किया जा सके ताकि उनमें एक निश्चित वैचारिक परिवर्तन हो सके।

- जेल के सुधारात्मक पहलू को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके लिए योग्य पेशेवरों की सेवा ली जा सकती है।

  कल्याण अधिकारियों के कार्यालय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। कल्याण अधिकारियों की भूमिकाओं और दायित्वों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैः पहला, कैदियों की नियमित कल्याण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरा, उनके पुनर्वास और समाज में उचित पुनः एकीकरण की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करना।

- कल्याण अधिकारियों को जेल के बाहर गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतर संबंध विकसित करने और रिहा किए गए कैदियों के पुनर्वास और पुनर्एकीकरण में मदद करने के लिए समाज में उपलब्ध विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- जेल में शुरू किए गए कौशल वृद्धि विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक कार्यक्रम समाज के बाहर हो रहे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होने चाहिए।

- मौजूदा व्यवस्था में परिवीक्षा अधिकारियों का एक अलग सेल बनाया जा सकता है।

- अधिक जनशक्ति और अतिरिक्त संसाधनों के साथ परिवीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। परिवीक्षा अधिकारियों को सहायता प्रदान करने और प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक जिले में सामाजिक कार्य/परामर्श पेशेवरों से युक्त एक समर्थन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। केरल में परिवीक्षा अधिकारियों की सहायता के लिए तदर्थ आधार पर परिवीक्षा सहायकों को नियुक्त किया जाता है और यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसे अन्य स्थानों पर भी दोहराया या लागू किया जा सकता है।

- रिहा किए गए कैदियों, जो लंबे समय तक कारावास में रहने के बाद अपनी रिहाई के बाद समायोजन करने में कठिनाई का सामना करते हैं, को एक विशिष्ट समय के लिए समायोजित करने के लिए हाफ–वे–होम की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसे गृहों को सक्रिय स्थानों के रूप में कार्य करना चाहिए जो कैदी के जीवन को जेल से निकलने के बाद समाज से जुड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं।

- जेल के कार्यकारी कर्मचारियों को अपराध विज्ञान, सामाजिक कार्य और परामर्श में पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी भूमिकाओं और कर्तव्यों एवं जेल को एक सुधारक संस्था के रूप में अधिक व्यापक समझ हो।

- सरकार के पास केंद्र या राज्य स्तर पर रिहा किए गए कैदियों के पुनर्वास की व्यापक नीति अभी तक नहीं है। ऐसी व्यापक नीति के अभाव में राज्यों की ओर से इस दिशा में कोई ठोस और सुविचारित पहल नहीं हो सकती है।

छ. आयोग के विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स द्वारा जेल का दौरा

7.33 डॉ. ईश कुमार, आईपीएस (सेवानिवृत्त), एनएचआरसी के तत्कालीन विशेष प्रतिवेदक ने 25 सितंबर, 2019 को कैदियों की रहने की स्थिति और जेल कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए फरीदाबाद जेल, फरीदाबाद, हरियाणा का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपने पर्यवेक्षण के आधार पर, उन्होंने कुछ प्रमुख सिफारिशें की जैसेः मुकदमों की कार्यवाही में तेजी लाकर कैदियों की संख्या को कम करना, अधिक खुली जेलों को तैयार करना या जेल में भीड़भाड़ से बचने के लिए अतिरिक्त जेलों का निर्माण करना, कैदियों के भागने सहित किसी भी अप्रिय घटना को रोकना, दंगे, प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी आदि, कैदियों के आहार और उनके अधिकारों में सुधार, जेल में कैदियों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी में वृद्धि और कैदियों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वार्डर स्तर और जेल अस्पताल में भर्ती बढ़ाने और नशामुक्ति केंद्र का निर्माण करने तथा सामान के लिए अधिक जैमर, एक्स–रे स्कैनर, सीसीटीवी, डीएफएमडी आदि प्रदान करने का भी सुझाव दिया।

7.34 डॉ. ईश कुमार आईपीएस (सेवानिवृत्त), एनएचआरसी के तत्कालीन विशेष प्रतिवेदक ने 11 फरवरी, 2020 को कैदियों की रहने की स्थिति और जेल कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए पंजाब राज्य में मॉडल जेल चंडीगढ़ का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने जेल प्रशासन को दोषियों के लिए अतिरिक्त बैरक बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं जेल के कैदियों की मजदूरी बढ़ाने के लिए तिहाड़ जेल फैक्ट्री जैसी पहल अपनाने की अनुशंसा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जेल में कैदियों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी को संशोधित करने, जेल से रिहा होने के बाद पुनर्वास के लिए अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने और जेल में सिलाई केंद्र, क्रेच, सैनिटरी पैड निर्माण इकाइयों आदि जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का भी सुझाव दिया।

ज. वर्ष 2020–21 में दृष्टांत मामले

क) हिरासत में होने वाली मौतें

1. जेल में हिरासत के दौरान होने वाली मौत और अभिलेखों का खराब रखरखाव (अन्वेषण प्रभाग) (केस संख्या 5/30/0/2018–जेसीडी)

i. 23.12.2017 को एक कैदी शनि राम पुत्र गणेशी राम की मृत्यु के संबंध में आयोग को जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल संख्या 5, तिहाड़, नई दिल्ली से सूचना मिली।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, अन्वेषण प्रभाग ने जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मृतक शनि राम को 4.1.2017 को जेल भेजा गया था और 18.9.2017 को कमर में दाने निकलने और मसूड़ों से खून बहने पर चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया था। इसके अलावा, 15.12.2017 को उन्होंने पसली में दर्द की शिकायत की और एक महीने के शारीरिक अत्याचार के बारे में बताया। 23.12.2017 को, मृतक को आत्महत्या करने के कथित आरोप के साथ बेहोशी की हालत में जेल अस्पताल में लाया गया और मृत घोषित कर दिया गया। मौत का कारण ''मौत से पहले फांसी के कारण श्वासावरोध'' था। मजिस्ट्रेट द्वारा

की गई मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक ने आत्महत्या की और हत्या की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बैरक के सीसीटीवी फुटेज में यह आत्महत्या का स्पष्ट मामला लगा।

iii. आयोग ने राज्य की हिरासत में रहने वाले विचाराधीन कैदी (यूटीपी) शनि राम का मृत्यु सारांश, चिकित्सा इतिहास और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट वाले अभिलेखों को सावधानीपूर्वक देखा। पूरे रिकॉर्ड के संचयी मूल्यांकन से पता चलता है कि फांसी के लिए एक पतले कंबल का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि जेल अधिकारियों ने दावा किया था, जबकि चिकित्सा सारांश में यह उल्लिखित था कि फांसी में लाल रंग के कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया था। पहले उपस्थित चिकित्सक के मृत्यु सारांश और चिकित्सा अवलोकन के अनुसार, पेट पर खरोंच के तीन निशान पाए गए, बाएं अग्रभाग पर पुरानी खरोंच के निशान मौजूद थे, बाएं जबड़े पर चोट के निशान दिखाए गए थे। रिपोर्ट में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि विचाराधीन कैदी को किन परिस्थितियों में उपरोक्त चोटें लगी हैं। कैदी को 4.1.2017 को जेल में भर्ती कराया गया था और यह घटना 23.12.2017 को हुई थी। रिकॉर्ड के अनुसार, विचाराधीन कैदी शनि राम ने सुबह 5:30 से 6:40 बजे के बीच आत्महत्या का प्रयास किया था। हालांकि, कैदी का सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण सुबह करीब 7.17 बजे एक डॉक्टर ने किया। ऐसी आपात स्थिति में, जीवन बचाने के लिए पहले कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस मामले में डॉक्टरों की कमी के कारण, यह समय बर्बाद हो गया, और इसलिए, विचाराधीन कैदी की मृत्यु हो गई। इसके अलावा, यह भी प्रतीत होता है कि जेल में लाए गए किसी भी विदेशी सामान का पता लगाने के लिए जेल में उचित गैजेट उपलब्ध नहीं हैं और इसके कारण कैदियों को कभी–कभी शारीरिक दंड दिया जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जेल अधिकारियों ने उस कैदी की देखभाल और सुरक्षा के लिए उचित ध्यान नहीं दिया, राज्य जिसके लिए कर्तव्यबद्ध है। परिणामस्वरुप, राज्य एक युवा कैदी के जीवन को बचाने में विफल रहा। इसलिए, राज्य मृतक शनि राम के परिजनों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी था। तदनुसार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आयोग द्वारा मृतक शनि राम पुत्र गणेशी राम के निकटतम संबंधी को 3,00,000/– रुपये (रुपये तीन लाख मात्र) के उपयुक्त मौद्रिक मुआवजे की अनुशंसा क्यों न की जाए।

iv. इस बीच, मृतक की मां ने आयोग को एक पत्र दिया था जिसमें उल्लेख किया गया है कि उसके बेटे का नाम अमर नाथ और पिता का नाम भोला रावत है, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके बेटे का नाम शनि राम पुत्र गणेशी राम बताया गया है। मृतक की मां ने आगे उल्लेख किया कि उसने पुलिस अधिकारियों को अपने बेटे की पहचान पहले ही दे दी थी; लेकिन, फिर भी इसे ठीक नहीं किया गया। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि पुलिस/जेल रिकॉर्ड में उनके बेटे के नाम में सुधार करने और मुआवजे में वृद्धि करने का आदेश दिया जाए। उसने अपने बेटे का आधार पहचान पत्र अमर नाथ पुत्र भोला रावत के रूप में संलग्न भी किया।

v. आयोग ने विचार के बाद अन्वेषण प्रभाग को मृतक के सही नाम और उसके पिता के नाम का पता लगाने का निर्देश दिया। इसके अनुपालन में, अन्वेषण प्रभाग ने मौके पर जाकर पूछताछ की और पाया कि मृतक का असली नाम शनि राम ऊर्फ लंबू के बजाय अमरनाथ है और जन्म तिथि 16.03.1998 है। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उनके पिता और माता का नाम क्रमशः भोला रावत और सुनीता देवी है।

vi. उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन पर, आयोग ने निर्देश दिया कि आगे की कार्यवाही के लिए मृतक पीड़ित के वास्तविक नाम अमरनाथ पुत्र भोला रावत पर विचार किया जाना चाहिए और मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मृतक के निकटतम संबंधी को भुगतान किए जाने वाले 3,00,000/– रुपये (तीन लाख रुपये मात्र) के मौद्रिक मुआवजे के लिए अपनी अनुशंसा की पुष्टि की और भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्देश दिया।

2. उप–जेल, नुजविद, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत

(केस संख्या 1209/1/6/2013–जेसीडी)

i. आयोग को उप–जेल, नुजविद, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश के अधीक्षक से एक सूचना मिली कि जेल की हिरासत में एक विचाराधीन कैदी की बाथरूम में गिरने से मौत हो गई।

ii. आयोग ने संबंधित अधिकारियों से संबंधित रिपोर्ट जैसे अन्वेक्षण रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि प्राप्त की। रिपोर्टों के अवलोकन पर, आयोग ने आयोग के पैनल में से एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की राय मांगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटें बाथरूम में गिरने के कारण हुई हैं या नहीं।

iii. फोरेंसिक विशेषज्ञ का मत था कि मृत व्यक्ति, जैसा कि उप–जेल के अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया था 26.10.2013 की रात को बाथरूम में गिर गया था, जबकि सरकारी सामान्य अस्पताल का उपचार रिकॉर्ड दर्शाता है कि मृतक 28.10.2013 की सुबह बाथरूम में गिरा था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को 26.10.2013 से 28.10.2013 तक कोई उपचार नहीं दिया गया था और उसे 28.10.2013 की सुबह गिरने के झूठे तथ्य के साथ अस्पताल लाया गया था जबकि मृतक 26.10.2013 को ही गिर गया था। इसके अलावा, मृतक को न्यूरो वार्ड में भर्ती करने के बजाय मनोरोग वार्ड में भर्ती कराया गया था। मृतक को लगी चोट के तरीके के बारे में, उनका विचार था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटें बाथरूम में साधारण रूप से गिरने से संभव नहीं थीं, अर्थात मृत कैदी को जेल में प्रताड़ित किया गया था।

iv. फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने पाया कि पीड़ित विचाराधीन कैदी की मृत्यु जेल में शारीरिक चोटों और उपचार में लापरवाही के कारण हुई थी। साथ ही उसे गलत वार्ड में भर्ती कर दिया गया जिससे उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। यह लोक प्राधिकारियों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला था, जिसके परिणामस्वरूप कैदी की मौत हो गई थी। इन अवलोकनों के साथ, आयोग ने मृतक कैदी के निकटतम संबंधी को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 5,00,000/– रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) के मौद्रिक मुआवजे की अनुशंसा की। राज्य सरकार से मामले में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

3. एक कैदी द्वारा सेंट्रल जेल, कडपा, आंध्र प्रदेश में हिरासत के दौरान आत्महत्या

(केस संख्या 209/1/4/2016–जेसीडी)

i. यह मामला केंद्रीय कारागार, कडपा, आंध्र प्रदेश की न्यायिक हिरासत में एक दोषी कैदी की आत्महत्या से संबंधित है। मामले में आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, राज्य प्राधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे पता चला कि दोषी 28.01.2009 से हिरासत में था। सेंट्रल जेल की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट से पता चला कि वह मिर्गी का मरीज था। उसे मनोरोग और तंत्रिका विज्ञान विभागों में उपचार प्रदान

किया गया था और वह नियमित रूप से इसकी दवा ले रहा था। आगे जांच की कार्यवाही के अवलोकन से मृतक के शरीर पर लाइनमार्क का पता चला और पोस्टमार्टम जांच की अनुशंसा की गई। पोस्टमॉर्टम की जांच में मृतक की गर्दन पर लाइनमार्क का पता चलता है और मेडिकल बोर्ड का मानना था कि मौत फांसी के कारण हुई थी।

ii. इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के निष्कर्ष में पता चला कि कैदियों को उनके बैरक से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी और उस समय, जेल प्राधिकारियों ने कैदियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर नहीं रखी और परिणामस्वरूप उसे आत्महत्या करने का मौका मिल गया। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सहित अन्य रिपोर्टों जिनमें जेल कर्मियों को दोषी ठहराया गया था, पर विचार करने के बाद, आयोग ने पाया कि जेल अधिकारियों की ओर से हुई लापरवाही के कारण मृतक ने आत्महत्या की। इसके अलावा, पीड़ित का इलाज उसकी मनोरोग और तंत्रिका विज्ञान की बीमारियों के लिए किया जा रहा था, जिसके लिए उच्च स्तर की सतर्कता की आवश्यकता होती है। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट के अनुसार, जेल कर्मियों की ओर से यदि उचित निगरानी की जाती, तो आत्महत्या के हादसे को टाला जा सकता था। मृतक (48 वर्षीय) की असामयिक मृत्यु, मृतक के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले जेल कर्मियों की ओर से हुई लापरवाही के कारण हुई। इसलिए, राज्य इस असामयिक मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी था। आयोग ने मृतक व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने पर उसके निकटतम संबंधी को 4,00,000/— रुपये (केवल चार लाख रुपये) के मौद्रिक मुआवजे की अनुशंसा की।

iii. अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और मामला आयोग के विचाराधीन है।

4. एक सजायाफ्ता कैदी पन्ना लाल की सेंट्रल जेल, अजमेर, राजस्थान में मौत

(केस संख्या 1055/20/1/2018—जेसीडी)

i. आयोग को सेंट्रल जेल, अजमेर, राजस्थान के अधीक्षक से सेंट्रल जेल, अजमेर की हिरासत में एक सजायाफ्ता कैदी पन्ना लाल (उम्र 45 वर्ष) पुत्र हीरा लाल की मौत के संबंध में सूचना मिली, उसका जेएलएन अस्पताल, अजमेर में इलाज चल रहा था। उसे 17.10.2011 को कारावास भेजा गया था।

ii. अभिलेखों की सामग्री पर विचार करते हुए, आयोग ने पाया कि मृतक पन्ना लाल की मृत्यु एक साथी कैदी के हमले के कारण हुई थी, जो मानसिक बीमारी से पीड़ित था। यह देखा गया कि जेल प्राधिकरण ने उस कैदी, जिसे मानसिक बीमारी थी, को अलग सेल में नहीं रखा, और परिणामस्वरूप उसने पीड़ित पन्ना लाल को मार डाला। इस प्रकार, जेल प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण पीड़ित ने व्यर्थ में अपनी जान गंवाई और वे उसके जीवन की रक्षा करने में विफल रहे। इसलिए, आयोग ने राजस्थान सरकार को पीड़ित के निकटतम संबंधी को मौद्रिक मुआवजे के रूप में 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की।

5. हेयुलिंग न्यायिक हिरासत में वहां के लॉक—अप के शौचालय के वेंटिलेटर रॉड से फांसी लगाकर एक विचाराधीन कैदी अकियासो बेलई की अंजॉ जिला, हवाई, अरुणाचल प्रदेश में मौत

(केस संख्या 36/2/15/2018—जेसीडी)

i. आयोग ने उपायुक्त, अंजॉ जिला, हवाई, अरुणाचल प्रदेश से एक कैदी, अकियासो बेलई पुत्र हयाम बेलाई की हिरासत में मौत के संबंध में सूचना का संज्ञान लिया। आयोग के निर्देशों के अनुसार, मामले में प्राप्त

रिपोर्टों के अवलोकन पर, आयोग ने पाया कि मजिस्ट्रियल जांच मे बताया गया था कि मौत का कारण फांसी लगाने से यांत्रिक श्वासावरोध प्रतीत होता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि विचाराधीन कैदी की आत्माहत्या का कारण जेल प्राधिकारियों द्वारा उचित निगरानी और देखभाल की कमी भी हो सकता है।

ii. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने पाया कि रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि मृतक विचाराधीन कैदी अकियासो बेलई जेल परिसर के भीतर आत्महत्या इस लिए कर पाया, क्योंकि जेल प्राधिकारियों द्वारा उचित निगरानी और देखभाल नहीं की गई थी। राज्य का कर्तव्य है कि वह उन लोगों की देखभाल करे जो उनकी हिरासत में हैं।

iii. इसलिए आयोग ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की। आयोग के निर्देशों के अनुसार, उपायुक्त (गृह), अरुणाचल सरकार, ईटानगर ने स्वर्गीय अकियासो बेलई के निकटतम परिजन श्री ओरेन्सो बेलाई को किए गए भुगतान के संबंध में चेक और रसीद और फोटो पहचान प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट को देखते हुए मामले को बंद कर दिया।

6. विचाराधीन कैदी (यूटीपी) राम नाथ प्रजापति की जिला जेल, झांसी, उत्तर प्रदेश में न्यायिक हिरासत के दौरान मृत्यु।

(केस संख्या 4785/24/40/2017–जेसीडी)

i. आयोग को उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान जिला जेल, झांसी, उत्तर प्रदेश की हिरासत में एक विचाराधीन कैदी राम नाथ प्रजापति पुत्र श्री राम भरोसे प्रजापति की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई।

ii. आयोग के निर्देशों के जवाब में, राज्य प्राधिकरण ने अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा विश्लेषण किया गया। जेल में प्रवेश के समय की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि कैदी का स्वास्थ्य सामान्य था। जांच की कार्यवाही में मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। हालांकि पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट में सिले हुए घाव और दाएं और बाएं नितंबों और दाहिनी जांघ पर त्वचा के छीलने से संबंधित मृत्यु–पूर्व आठ चोटें सामने आई। विसरा जांच रिपोर्ट से पता चला कि मृतक की आंत में कोई रासायनिक जहर नहीं मिला। मामले की मजिस्ट्रियल जांच अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर 01, झांसी द्वारा की गई थी, जिसमें बताया गया कि कैदी की मौत पुलिस द्वारा यातना के दौरान सिर में चोट लगने के कारण अस्वाभाविक रूप से हुई थी।

iii. आयोग ने अभिलेखों में उपलब्ध सभी रिपोर्टों के अवलोकन के बाद और अन्वेषण प्रभाग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (i) के तहत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक विचाराधीन कैदी रामनाथ प्रजापति, पुत्र स्वर्गीय श्री राम भरोसे प्रजापति, जिसकी जिला जेल, झांसी, उत्तर प्रदेश की हिरासत में मृत्यु हो गई थी, के निकटतम संबंधी को मौद्रिक मुआवजे की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, डीजीपी, उत्तर प्रदेश को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

iv. जवाब में, महानिदेशक जेल, उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट दी कि इस मामले की जांच वरिष्ठ अधीक्षक, जिला जेल, झांसी द्वारा की गई थी, जिसमें पता चला कि मृतक कैदी राम नाथ प्रजापति को किसी भी जेल अधिकारी या कैदी द्वारा किसी भी उल्लंघन, पिटाई या क्रूरता का शिकार नहीं बनाया गया था। आगे बताया गया है कि मृतक कैदी का ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज झांसी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कुलदीप चंदेल ने किया था और शिकायतकर्ता के बेटे के बयान के अनुसार मृतक कैदी का जेल अस्पताल के साथ–साथ मेडिकल कॉलेज, जहां उसे इलाज के लिए बाद में भेजा गया, में भी उचित इलाज कराया गया। रिपोर्ट में यह दलील दी गई थी कि जांच के निष्कर्षों के अनुसार, मृतक कैदी राम नाथ प्रजापति के आश्रित इस मामले में किसी भी मुआवजे या अंतरिम राहत के हकदार नहीं थे।

v. मामले के रिकॉर्ड के साथ–साथ उक्त प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, आयोग ने पाया कि एसीजेएम कोर्ट नंबर 1, झांसी ने अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि पुलिस ने मृतक कैदी राम नाथ प्रजापति को चोट पहुंचाई थी और सिर पर चोट के परिणामस्वरूप सबड्यूरल हेमेटोमा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतक कैदी राम नाथ प्रजापति की मृत्यु उनके सिर पर चोट लगने के कारण अप्राकृतिक थी। मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि मृतक कैदी के शरीर पर मृत्यु पूर्व 8 निशान थे।

vi. इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18क (i) के तहत, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक पीड़ित के निकटतम संबंधी को 2,00,000/– (केवल दो लाख रुपये) रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की। आयोग ने डीजीपी, उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी अधिकारियों, जो विचाराधीन कैदी की मौत के लिए जिम्मेदार थे, पर जिम्मेदारी तय करने और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

7. विचाराधीन कैदी रवींद्र गंभीर कोली की जिला जेल, जलगांव, महाराष्ट्र में हिरासत में मौत (केस संख्या 1294/13/12/2018–जेसीडी)

i. उपरोक्त हिरासत में मौत की सूचना मिलने पर आयोग ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजने का निर्देश दिया।

ii. प्रत्युत्तर में, आयोग को अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्टों के अवलोकन पर, आयोग ने पाया कि विचाराधीन कैदी की चिकित्सा लापरवाही के कारण हिरासत में मौत हो गई। बेशक, जेल में प्रवेश के समय वह किसी बीमारी से पीड़ित नहीं था। 4–10 दिनों की अवधि में मृतक के शरीर पर पाई गई बाहरी और आंतरिक मृत्यु–पूर्व चोटों के संबंध में रिपोर्ट में कोई स्पष्टीकरण नहीं था और इसलिए, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की हिरासत के दौरान पुलिस ने उस पर हमला किया था और जेल जाते समय उनकी उचित स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी या जेल में बंद रहने के दौरान कैदी पर शारीरिक हमला किया गया था। जिलाधिकारी ने चिकित्सकीय लापरवाही के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसलिए, जेल कर्मियों की ओर से लापरवाही के कारण मौत हुई जिससे कैदी के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने पाया कि लापरवाही के लिए, राज्य यूटीपी की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी था और इसलिए, मृतक कैदी के निकटतम संबंधी को 4,50,000/– रुपये (केवल चार लाख पचास हजार रुपये) के मौद्रिक मुआवजे की अनुशंसा की। आयोग को सूचित किया गया कि मृतक

की पत्नी को 4,50,000/– (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसे देखते हुए मामले को बंद कर दिया गया।

8. पुलिस थाना कोतवाली, अहमदनगर, महाराष्ट्र के पुलिस लॉक अप में 28.05.15 को 28 वर्षीय नितिन बालू साठे की हिरासत में मौत

(केस संख्या 1324/13/1/2015–पीसीडी)

i. आयोग को 28.05.15 को कोतवाली पुलिस स्टेशन, अहमदनगर, महाराष्ट्र के पुलिस लॉक अप में 28 वर्षीय नितिन बालू साठे की हिरासत में मौत के संबंध में पुलिस अधीक्षक (एसपी), अहमदनगर, महाराष्ट्र से सूचना मिली। पुलिस ने 27.05.15 को उसे लुटेरा मानकर गिरफ्तार किया था। उसने थाने से भागने की कोशिश की और उसका सिर लोहे के पोस्ट बॉक्स से टकरा गया। मृतक को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

ii. आयोग ने दिनांक 04.06.2015 को सूचना का संज्ञान लिया और आयोग के उप महानिरीक्षक (अन्वेषण) को तथ्य और अपेक्षित रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

iii. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, अन्वेषण प्रभाग द्वारा मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टें प्राप्त की गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के पूरे शरीर पर 29 चोट के निशान मिले। मौत का कारण ''शरीर पर कई चोटों के साथ सबड्यूरल और सबरानाक्वायड रक्तस्राव के रूप में सिर की चोट'' बताया गया था। डॉक्टरों द्वारा चोटों के कारण का उल्लेख या तो आकस्मिक या मानव वध के रूप में किया गया था।

iv. मृतक नितिन बालू साठे की मौत के कारणों की जांच उप–मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), अहमदनगर ने भी की थी। जांच मजिस्ट्रेट ने मृतक की पत्नी, मां और भाई के साथ–साथ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तथा पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी नितिन बालू साठे की मौत अप्राकृतिक थी और उनकी मृत्यु उन्हें लगी चोटों के कारण हुई थी। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती।

v. पुलिस उपाधीक्षक, सीआईडी (अपराध), नगर की एक रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस ने छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/330/331/348/193/203/34 के साथ पठित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत मामला संख्या 187/15 दर्ज किया गया था।

vi. आयोग ने रिपोर्ट और अन्य कागजातों पर विचार किया। अन्वेषण प्रभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विश्लेषण से संकेत मिला कि मृतक को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था। उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप या अपराध का पिछला इतिहास नहीं था।

vii. आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक नितिन बालू साठे के निकटतम

संबंधी को 5,00,000 / – रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की राशि मौद्रिक मुआवजे के रूप में भुगतान किए जाने की अनुशंसा क्यों न की जाए।

viii. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस अधीक्षक, राज्य सीआईडी, नासिक, महाराष्ट्र से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित की। रिपोर्ट में बताया गया था कि मृतक नितिन बालू साठे के निकटतम संबंधी को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था और इस मामले में दोषी पाए गए आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के संबंध में, पुलिस अधीक्षक, अहमदनगर (एमएस) ने दिनांक 16.04.2019 के पत्र के माध्यम से बताया कि अहमदनगर के न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) के न्यायालय में चार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था तथा इन चारों आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित था। आगे यह भी बताया गया कि एक आरोपी की मृत्यु अरवाडा जेल, पुणे में हो गई थी और राज्य सरकार ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई।

ix. चूंकि, राज्य सरकार को मृतक के परिजनों को मुआवजे के भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक नितिन बालू साठे के निकटतम संबंधी को मौद्रिक मुआवजे के रूप में 5,00,000 / – रुपये (रुपये पांच लाख मात्र) की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की। इन निर्देशों के साथ मामला बंद कर दिया गया।

ख) मुठभेड़ में मौत

9. ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में सुमित गुर्जर की मौत

(केस संख्या 30160 / 24 / 30 / 2017–एडी)

i. आयोग ने दिनांक 5.10.2017 को ''द टाइम्स ऑफ इण्डिया'' में ''नोएडा के गैंगस्टर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन'' शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार का संज्ञान लिया। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 3.10.2017 को एक मुठभेड़ में सुमित गुर्जर को पुलिस ने गोली मार दी थी। यह घटना कई अखबारों में भी छपी थी। हालांकि मृतक के परिजनों का आरोप था कि उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसे 30.09.2017 को एक बाजार से उठाया और बाद में गोली मार दी।

ii. आयोग को इस मुठभेड़ के दौरान मौत की सूचना के अलावा मृतक के पिता और भाई से भी शिकायत मिली थी कि सुमित गुर्जर को पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था ।

iii. आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट मांगी।

iv. आयोग के निर्देशानुसार, एसएसपी, गौतमबुद्ध नगर ने दिनांक 06.11.2017 की रिपोर्ट द्वारा बताया कि एक विशिष्ट सूचना के आधार पर, 03.10.2017 को पुलिस थाना कसाना, पुलिस थाना बिसरख और पुलिस थाना सेक्टर 58, नोएडा की एक संयुक्त पुलिस टीम ने पुलिस थाना कसाना अंतर्गत एटीएस के आस–पास संदिग्ध अपराधियों को घेर लिया। पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग में सुमित गुर्जर नाम के एक बदमाश की मौत

हो गई। हालांकि, उसके तीन साथी भागने में सफल रहे। इस मुठभेड़ में बदमाशों ने भी तीन पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली मार दी। घटना के बाद मामला अपराध संख्या 861/2017 थाना कसाना, गौतमबुद्ध नगर में दर्ज किया गया था।

v. आयोग ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अन्वेषण प्रभाग की एक टीम को मौके पर जांच करने और अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपने का निर्देश दिया।

vi. आयोग ने अन्वेषण प्रभाग की टीम द्वारा प्रस्तुत घटनास्थल संबंधी जांच रिपोर्ट और रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य रिपोर्टों की जांच करते हुए पाया कि सुमित गुर्जर की कथित मुठभेड़ में पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में कई स्पष्ट विरोधाभास थे और वैज्ञानिक जांच की कमी थी एवं आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक को पुलिस ने गैर–कानूनी तरीके से मारा था। अतः आयोग ने दिनांक 28 नवम्बर, 2019 की विस्तृत कार्यवाही के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह के भीतर कारण बताने के निर्देश दिए कि मृतक सुमित गुर्जर के निकटतम संबंधी को मौद्रिक मुआवजे के रूप में 5,00,000/– (पांच लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों न की जाए।

vii. कारण बताओ नोटिस के जवाब में, उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 11.6.2020 के पत्र के माध्यम से एसपी (एचआर), उत्तर प्रदेश से प्राप्त एक रिपोर्ट दिनांक 27.04.2020 को अग्रेषित किया, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था कि आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर द्वारा की गई जांच के आधार पर, मृतक के परिजनों को मौद्रिक मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि इस बात के विश्वसनीय सबूत थे कि मृतक एक वास्तविक मुठभेड़ में घायल हुआ था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।

viii. आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार किया। राज्य सरकार आयोग द्वारा अपने दिनांक 28.11.2020 के कारण बताओ नोटिस में बताई गई खामियों को सही ठहराने में विफल रही। आयोग का दृढ़ मत था कि चूक और वैज्ञानिक जांच के अभाव को देखते हुए मुठभेड़ की वास्तविकता पर गंभीर संदेह है और मामले के तथ्य मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन का खुलासा करते हैं। इसलिए, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक सुमित गुर्जर के नजदीकी संबंधी को मौद्रिक मुआवजे के रूप में 5,00,000/– रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की।

ix. सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश सरकार को भी पुलिस थाना कसाना, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश केस सीआर संख्या 861/2017 की एक स्वतंत्र एजेंसी से पूरी तरह से जांच कराने और छह सप्ताह के भीतर आयोग को जांच की प्रगति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था।

x. प्रत्युत्तर में, दिनांक 05.02.2021 के पत्र के माध्यम से, गवाहों की उपस्थिति में मृतक के माता और पिता को 5,00,000/– रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) के भुगतान के प्रमाण के साथ स्वीकृति की एक प्रति प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक, सीबी–सीआईडी, मेरठ ने 16.02.2021 के पत्राचार की एक प्रति का समर्थन किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि आपराधिक मामलों में संख्या 861/2017 और संख्या 862/2017 की अंतिम रिपोर्ट सीबी–सीआईडी द्वारा अदालत में दायर करने की अनुशंसा की गई थी। चूंकि अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान का प्रमाण प्राप्त हो गया था, रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया गया था और मामला दिनांक 15.03.2021 को बंद कर दिया गया था।

10. पुलिस थाना पोरोमपत, इंफाल पूर्वी जिला, मणिपुर के अधिकार क्षेत्र में दिनांक 29.8.2012 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में निंगथौजम बिमल सिंह की मौत

(केस संख्या 92/14/14/2012–ईडी)

i. आयोग को एसपी, इंफाल पूर्वी जिला, मणिपुर से दिनांक 30.08.2012 को एक सूचना मिली, जिसमें केसीपी (माओवादी) संगठन के एक कट्टर कैडर निंगथौजम बिमल सिंह की 29.08.12 को पुलिस थाना पोरोमपत, इंफाल पूर्वी जिला, मणिपुर के अधिकार क्षेत्र में पुलिस मुठभेड में मौत हो गई। आगे सूचना के अनुसार यह कहा गया कि 29.08.12 को शाम 6.00 बजे लफूपोकपी और नोंगमाईचिंग तलहटी में और उसके आसपास कुछ सशस्त्र आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। सीडीओ/इंफाल पूर्व और अन्य अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच की। पश्चिमी तलहटी के पास पुलिस को देखकर अज्ञात युवकों ने पुलिस पर गोलियां चला दी और जवाबी कार्रवाई में एक युवक का गोलियों से लथपथ शव मिला। दो युवक भागने में सफल रहे। शव के पास एक पिस्टल और कपड़ों से लिपटी विस्फोटक सामग्री का संदिग्ध पदार्थ पहाड़ी की चोटी पर पड़ा मिला। आयोग ने 12.09.2012 को सूचना का संज्ञान लिया और अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को तथ्य और अपेक्षित रिपोर्ट एकत्र करने का निर्देश दिया।

ii. आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा विभिन्न रिपोर्टें प्राप्त की गई और उनका विश्लेषण किया गया। आयोग ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री और आयोग के अन्वेषण प्रभाग के निष्कर्षों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में पुलिस आत्मरक्षा के रूप में अपनी कार्रवाई को सही ठहराने में विफल रही। आईपीसी के सामान्य अपवाद के तहत छूट का दावा करने के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार, ऐसी परिस्थितियां, जो आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग को सही ठहराती हैं, के अस्तित्व को साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है। इस मामले में, पुलिस ऐसा करने में नाकाम रही। इसलिए, वैज्ञानिक जांच की अनुपस्थिति, विशेष रूप से हथियारों की बैलिस्टिक जांच, मृतक के उंगलियों के निशान और आपराधिक इतिहास आदि की कमी संदिग्ध और फर्जी मुठभेड़ की ओर इशारा करती है।

iii. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 21.02.2019 की कार्यवाही द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मणिपुर सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि मृतक निंगथौजम बिमल सिंह के निकटतम संबंधी को उपयुक्त मुआवजे के रूप में 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों न की जाए।

iv. कारण बताओ नोटिस के जवाब में, उप सचिव (गृह), मणिपुर सरकार ने पत्र दिनांक 22.5.2019 के माध्यम से एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें राज्य सरकार ने कथित मुठभेड़ को उचित ठहराया था और आयोग से मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत के भुगतान के लिए अपनी अनुशंसा की समीक्षा करने और कारण बताओ नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया था। दिनांक 15.3.2019 को कारण बताओ नोटिस पर मणिपुर सरकार द्वारा प्रस्तुत पैरा–वार टिप्पणियों पर आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। दिनांक 21.02.2019 की कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारणों को विस्तृत उल्लेख किया गया था और राज्य सरकार आयोग द्वारा भेजे गए कारण बताओ नोटिस में बताई गई खामियों को सही ठहराने में विफल रही। आयोग का दृढ़ मत था कि चूक और वैज्ञानिक जांच के अभाव

में मुठभेड़ की वास्तविकता पर गंभीर संदेह है और मामले के तथ्य मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन का खुलासा करते हैं। इसलिए, आयोग ने अपनी कार्यवाही दिनांक 27.08.2020 के माध्यम से मणिपुर सरकार को मृतक निंगथौजम बिमल सिंह के परिजनों को मौद्रिक मुआवजे के रूप में 5,00,000/— रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की। इस निर्देश के साथ मामला बंद कर दिया गया।

ग) गैरकानूनी गिरफ्तारी, अवैध हिरासत और यातना

11. पुलिस थाना मोहम्मदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़के सत्यम (15 वर्ष) की अवैध हिरासत और यातना

(केस संख्या 3096/24/32/2019)

i. शिकायतकर्ता के. एन. लीगल, अधिवक्ता, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 27.12.2018 को की गई शिकायत का सार यह है कि एक नाबालिग लड़के सत्यम (15 वर्ष) को अवैध रूप से पुलिस स्टेशन मोहम्मदपुर ले जाया गया तथा झूठे मामले में कथित तौर पर हिरासत में लिया गया और यातना और अपमान का शिकार बनाया गया। थाने में पुलिस की प्रताड़ना व अपमान के कारण पीड़ित ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उक्त थाने के पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़ित के मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, शिकायतकर्ता ने दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की।

ii. आयोग के निर्देश के जवाब में, एसपी, गाजीपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। यह बताया गया कि पीड़ित की मां की लिखित रिपोर्ट के आधार पर मोहम्मदपुर थाना अपराध संख्या 143/2018 में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के बाद, जांच अधिकारी (आईओ) को कथित दोषियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने 22.02.2019 को बी—13/2019 के तहत अदालत में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

iii. आयोग ने रिपोर्ट के अवलोकन पर प्रधान सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी अपराध, उत्तर प्रदेश को संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

iv. जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव ने बताया कि मामले की जांच सीबीसीआईडी एजेंसी ने की थी और जांच के दौरान इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार तिवारी और सब—इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद पर लगे आरोप सही पाए गए। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 166ए/342 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार तिवारी की मौत हो गई। सबूतों के आधार पर सब—इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई।

v. मामले के अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 (क) (i) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा मृतक पीड़ित के निकटतम संबंधी को 1,00,000/— रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के मुआवजे के भुगतान की अनुशंसा क्यों न की जाए।

vi. चूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला अतः आयोग ने माना कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस मामले में आग्रह करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य को मृतक के निकटतम संबंधी को 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने की अनुशंसा की। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इन निर्देशों के साथ मामला बंद कर दिया गया।

12. कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा एक नाबालिग लड़की को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाना

(केस संख्या 12391/24/56/2017)

i. शिकायतकर्ता श्री राजहंस बंसल, जो एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, द्वारा आयोग के संज्ञान में लाया गया कि एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की निवासी गोविंद नगर, पुलिस स्टेशन कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को 30 वर्षीय राजकुमार द्वारा बहलाया–फुसलाया गया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना कटघर पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। परीक्षण व मेडिकल जांच के बहाने पुलिस द्वारा उसे 06 दिन तक थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने लड़की को छोड़ दिया।

ii. संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अवलोकन पर, आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ित लड़की, जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन उन पुलिस कर्मियों के उदासीन व्यवहार के कारण हुआ था, जिन्होंने उसे लगभग 4 दिनों तक थाना कटघर में बंदी बना कर रखा, को 3,00,000/– रुपये (रुपये तीन लाख मात्र) के मौद्रिक मुआवजे के भुगतान की अनुशंसा आयोग को क्यों नहीं करनी चाहिए।

iii. कारण बताओ नोटिस के जवाब में, एसएसपी, जिला मुरादाबाद ने अपने पत्र दिनांक 21.4.2020 में प्रस्तुत किया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और उन्हें दंडित किया गया है, इसलिए, पीड़िता को 3,00,000/– (रुपये तीन लाख मात्र) रुपये का मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है।

iv. आयोग ने फिर से अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि प्रत्युत्तर में स्वीकार किया गया था कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और दंडित किया गया। इसलिए, राज्य परोक्ष तौर से उत्तरदायी था। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ित लड़की के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 3,00,000/– रुपये (तीन लाख रुपये मात्र) के मुआवजे का भुगतान करने की अनुशंसा की। भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित थी; इस बीच आयोग ने मामले पर आगे विचार किया और आयोग के रिकॉर्ड के लिए भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को बंद कर दिया।

13. सुनील कुमार को पुलिस स्टेशन आनंद पर्वत, नई दिल्ली में अवैध रूप से हिरासत में लिया जाना और बेरहमी से पीटा जाना

(केस संख्या 1287/30/1/2019)

i. इस मामले में, आयोग को नई दिल्ली निवासी श्री सुनील कुमार पांडेय की ओर से दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता की पत्नी द्वारा की

गई शिकायत पर, पुलिस स्टेशन आनंद पर्वत, नई दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया था और उसके बाद उसे बेरहमी से पीटा गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता के पिता उसे इलाज के लिए ले गए। शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

ii. आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के पुलिस आयुक्त से मामले में रिपोर्ट मांगी। जवाब में, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सतर्कता, दिल्ली ने बताया कि पीड़ित को पुलिस अधिकारियों ने थप्पड़ मारा, शिकायतकर्ता के पिता ने भी वही बयान दिया, और कहा कि वह नहीं चाहता कि शिकायत पर आगे कोई कार्रवाई की जाए। बहरहाल, आयोग ने इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

iii. आयोग का दृढ़ विश्वास है कि पुलिस थाने के भीतर किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना पुलिस को दी गई शक्ति का घोर दुरुपयोग है और कर्तव्य की उपेक्षा से कहीं अधिक है। इस प्रकार थप्पड़ मारकर न केवल आईपीसी की धारा–323, 504 और 506 के तहत अपराध किया गया, बल्कि इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी किया गया। इसलिए आयोग ने दिल्ली सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ित सुनील कुमार पांडेय को 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये मात्र) का मुआवजा देने का निर्देश दिया। आयोग ने मामले को बंद कर दिया क्योंकि आगे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

घ) पुलिस की मनमानी

14. पुलिस द्वारा कदाचार और स्तरहीन जांच (अन्वेषण प्रभाग)

(केस संख्या 1357/7/12/2020–डब्ल्यूसी)

i. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी सोनू देवी 22.01.2020 को लापता हो गई और उसका एक दोस्त लोकेश भी उसी दिन से गायब था। उन्होंने अगले दिन नांगल चौधरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और आईपीसी की धारा 346 के तहत मामला अपराध संख्या 21/20 दर्ज किया गया। हालांकि, पुलिस ने शिकायतकर्ता के नियमित रूप से लगातार आने के बावजूद उस महिला का पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली और बाद में 31.01.2020 को रहस्यमय परिस्थितियों में उसका शव मिला। इससे पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि उसके शरीर में शुक्राणु और मानव त्वचा मिली थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इस अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले की जांच को स्थानीय विधायक द्वारा आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में प्रभावित किया गया था। उन्होंने अनुरोध किया है कि शिकायत में उनके द्वारा बताए गए तथ्यों को आयोग की एक टीम से सत्यापित करवाया जा सकता है, और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए क्योंकि हरियाणा पुलिस विधायक के प्रभाव में थी।

ii. आयोग ने दिनांक 26.08.2020 की कार्यवाही में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं। पत्नी के अपहरण और अवैध रूप से बंधक बनाए जाने का मामला दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे महिला की मौत हो गई। शिकायतकर्ता को इस बात की प्रबल आशंका थी कि डॉक्टर, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी और पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने और छह सप्ताह के भीतर साक्ष्यों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामला आयोग के अन्वेषण प्रभाग को भेजा गया था।

iii. जवाब में महानिदेशक अन्वेषण ने दिनांक 29.10.2020 के निष्कर्षों के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि उपलब्ध दस्तावेजों और मौके पर जाकर की गई जांच के अनुसार, पुलिस ने पेशेवर कार्रवाई नहीं की और प्राथमिकी दर्ज करने पर कथित आरोपी लोकेश से पूछताछ नहीं की। गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन पुलिस इनसे जानकारी जुटाने में नाकाम रही। लोकेश नाम के कथित आरोपी से सबसे पहले 05.03.2020 को पूछताछ की गई, हालांकि पीड़िता का शव 31.01.2020 को बरामद किया गया था। महत्वपूर्ण गवाहों और संदिग्धों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। पुलिस ने खुद ही आरोपों को आईपीसी की धाराओं 302 / 376डी / 365 को धारा 306 में बदल दिया, इस तथ्य के बावजूद कि पीड़ित के नाखून में कुछ त्वचा के नमूने मिले, जिन्हें डीएनए परीक्षण के लिए भेजा गया था और रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित थी। इसके अलावा, 306 आईपीसी के आरोप प्राथमिक संदिग्ध के खिलाफ नहीं लगाए गए थे। इसलिए पुलिस की लापरवाही के कारण वैज्ञानिक साक्ष्य कमजोर हो गए और समय पर कार्रवाई करने में देरी के कारण मामला जटिल बन गया और शिकायतकर्ता के मन में संदेह पैदा कर दिया।

iv. आयोग ने दिनांक 05.11.2020 की कार्यवाही के तहत निम्नानुसार निर्देश दियाः

''आयोग ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार किया। यह स्पष्ट है, पुलिस की लापरवाही के कारण वैज्ञानिक साक्ष्य कमजोर हो गए और समय पर कार्रवाई करने में देरी से मामला जटिल हो गया और शिकायतकर्ता के मन में संदेह पैदा हो गया। इसलिए डीजीपी हरियाणा को पूर्वकल्पित धारणा के साथ संदिग्ध जांच के लिए पुलिस थाना नांगल चौधरी (प्रथम आईओ) के डब्ल्यू / एएसआई राकेश, तत्कालीन इंस्पेक्टर / सीआईए अनिल कुमार नारनौल और एसआई राजकरण, मामले के वर्तमान आईओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा, मामले की जांच तुरंत एक वरिष्ठ एडीजी स्तर के अधिकारी की निगरानी में राज्य की अपराध शाखा / सीआईडी को हस्तांतरित कर दी जाए और चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।''

v. जवाब में, डीजीपी, हरियाणा की ओर से पुलिस अधीक्षक / कानून एवं व्यवस्था ने अपने पत्र दिनांक 22.12.2020 के माध्यम से आईपीसी की धारा 346 / 365 / 376 / डी / 306 के तहत पुलिस थाना नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़ में दर्ज एफआईआर संख्या 21, दिनांक 23.01.2020 की स्थिति की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग के निर्देशानुसार राज्य अपराध शाखा द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा सभी संबंधितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पत्र दिनांक 18.11.2020 के माध्यम से निदेशक, एफएसएल, करनाल को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है। दिनांक 07.12.2020 को सभी आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ की गई और मामले की जांच की जा रही है।

vi. एक अन्य जवाब में, डीजीपी, हरियाणा की ओर से पुलिस अधीक्षक / कानून एवं व्यवस्था ने अपने पत्र दिनांक 15.12.2020 के माध्यम से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि मामले की जांच आईजीपी, दक्षिण रेंज, रेवाड़ी द्वारा करवाई गई थी। आईजीपी, दक्षिण रेंज, रेवाड़ी से प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न थी। यह भी बताया गया कि संबंधित अधिकारियों इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एसआई राजकरण और एएसआई राकेश को पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 25.11.2020 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

vii. आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। मामला राज्य अपराध शाखा को सौंप दिया गया, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों निरीक्षक अनिल कुमार, एसआई राजकरण और एएसआई राकेश को पुलिस अधीक्षक, महेंद्रगढ़ के पत्र दिनांक 25.11.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया

गया है क्योंकि सभी दोषी पुलिस अधिकारी कानून के अनुसार मामले की जांच नहीं करने के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार थे। आयोग का विचार था कि गलती करने वाले अधिकारियों ने पेशेवर कार्रवाई नहीं की और प्राथमिकी दर्ज करने पर कथित प्राथमिक आरोपी से पूछताछ नहीं की जो पुलिस अधीक्षक, महेंद्रगढ़ की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन पुलिस इनसे जानकारी जुटाने में नाकाम रही। कथित आरोपियों से सबसे पहले 05.03.2020 को पूछताछ की गई, हालांकि पीड़िता का शव 31.01.2020 को बरामद किया गया था। महत्वपूर्ण गवाहों और संदिग्धों के बयान दर्ज नहीं किए गए थे। पुलिस के इस लापरवाही भरे कृत्य के कारण वैज्ञानिक साक्ष्य कमजोर हो गए और अपराध में शामिल आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने में देरी हुई, जिससे मृतक पीड़िता के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए राज्य सरकार परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी। इसलिए, आयोग ने हरियाणा सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया, कि आयोग को मृतक पीड़िता श्रीमती सोनू देवी के निकटतम संबंधी को 6 सप्ताह के भीतर 3,00,000/– रुपये (केवल तीन लाख रुपये) के मुआवजे की अनुशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए।

15. पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन (अन्वेषण प्रभाग)

(केस संख्या 6/21/3/2017)

i. आयोग को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दक्षिण सिक्किम से सूचना मिली कि 01.09.2017 को पश्चिम बंगाल पुलिस कर्मियों द्वारा फायरिंग के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई।

ii. आयोग के निर्देश पर, आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद पाया कि सीआईडी सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) की एक टीम नामची (सिक्किम) में इस मांग के साथ आई थी कि वे बिमल गुरुंग, प्रकाश गुरुंग, डी. के. प्रधान और अन्य को पकड़ने के लिए उनके क्षेत्राधिकार में छापेमारी के दौरान पुलिस सहायता चाहते हैं। संबंधित दस्तावेज के बारे में पूछे जाने पर वे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहे। इस बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस की एक अलग टीम ने छापेमारी की और स्थानीय पुलिस की पूर्व अनुमति और सहायता के बिना नामची से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सीआईडी सिलीगुड़ी के अधिकारियों से पूछताछ करने पर उन्होंने नामची और उसके आसपास इस तरह की छापेमारी के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की। उसी दिन, जिला अस्पताल, नामची ने नामची पुलिस स्टेशन को ललित पोंड्याल, निवासी लिंग्से कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल द्वारा एक बेहोश व्यक्ति को बंदूक की गोली से जख्मी होने के कारण अस्पताल लाने के बारे में सूचित किया। जांच करने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में मृतक की पहचान दावा भूटिया के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शी ललित पोंड्याल से पूछताछ करने पर पता चला कि एसपी कलिम्पोंग के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम ने मृतक दावा भूटिया पर गोली चलाई थी। इन घटनाओं को नामची पुलिस स्टेशन के जीडी में दर्ज किया गया था और नामची पुलिस स्टेशन में एसपी कलिम्पोंग और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत मामले में एफआईआर संख्या 46/2017 दर्ज की गई थी।

iii. अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के विश्लेषण पर, अन्वेषण प्रभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पुलिस स्टेशन नामची, सिक्किम (अन्य राज्य) के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करके मारा था और वह भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना। पश्चिम बंगाल पुलिस ने दावा किया कि पश्चिम

बंगाल पुलिस ने आत्मरक्षा में मृतक पर गोली चलाई गई थी, लेकिन इसे सही साबित करने में विफल रहे। जांच मजिस्ट्रेट ने मृतक के परिजन को उचित मुआवजा देने की भी अनुशंसा की है।

iv. आयोग ने अभिलेख में रखी गई सभी सामग्रियों पर विचार किया और माना कि यह पुलिस की मनमानी और शक्ति के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला था जिसके कारण एक नागरिक की मौत हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस और सीआईडी की टीमों ने सिक्किम के नामची जिले के स्थानीय मजिस्ट्रेट/पुलिस को बिना कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए और बिना किसी सूचना के दूसरे राज्य अर्थात सिक्किम के क्षेत्राधिकार में प्रवेश किया। टीम का नेतृत्व स्वयं एसपी कलिम्पोंग कर रहे थे, साथ में अन्य अधीनस्थ अधिकारी और कई वाहन भी थे। छापेमारी करने और कुछ वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए, उन्होंने एक निर्दोष नागरिक को मार डाला और उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। इन परिस्थितियों में, आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 3,00,000/– (रुपये तीन लाख केवल) की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों न की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किए बिना दूसरे राज्य में छापेमारी करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार से अनुपालन रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

16. मूकदर्शक बनी पुलिस (अन्वेषण प्रभाग)

(केस संख्या 19/17/8/2017)

i. यह समाज के नैतिक ताने–बाने के स्वयंभू संरक्षकों द्वारा मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन और प्रथागत कानून की आड़ में विधिसम्मसत शासन और व्यक्तियों के मानव अधिकारों की अवहेलना करने का मामला था।

ii. नॉर्थ ईस्ट के मानव अधिकार संरक्षक और कार्यकर्ता की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि विजिलेंट ऑर्गनाइजेशन एंड शैडो ऑफ कस्टूहमरी लॉ के बैनर तले नागालैंड में लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। नागालैंड के त्युएनसांग जिले के संगतम गांव के एक आदिवासी पुरुष और एक आदिवासी महिला पर व्यभिचार का मुकदमा चलाया गया। उनके कपड़े उतार दिए गए, हथकड़ी लगाई गई, मुंडन कराया गया, उन पर थूका गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अव्यवस्थित भीड़ के झुंड द्वारा गांव में नग्न परेड करवाई गई।

iii. पुलिस ने न तो अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही कोई मामला दर्ज किया। यह दो व्यक्तियों के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन था और शारीरिक नुकसान, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ तथा अपमान का संज्ञेय अपराध होने के बावजूद, पुलिस कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही। मामले के विश्लेषण के बाद, अन्वेषण प्रभाग ने कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत दोषियों को उचित मुआवजा देने के लिए मुख्य सचिव, नागालैंड सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ–साथ कार्रवाई नहीं करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की। हालांकि, आयोग ने नागालैंड राज्य को दोनों पीड़ितों को 50,000/– रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) प्रत्येक को मुआवजा देने की अनुशंसा की, क्योंकि राज्य प्राधिकारियों द्वारा उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था।

17. पुलिस द्वारा गलत पहचानः मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन (अन्वेषण प्रभाग)

(केस संख्या 34115/24/6/2017)

i. श्री सिंघासन विश्वकर्मा पुत्र झापसू विश्वकर्मा, ग्राम मनियारपुर, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कोतवाली पुलिस, आजमगढ़ आईपीसी की धारा 147/148/149 506/302 के तहत दर्ज मामला संख्या 347/2000 में जुलूम शर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसके स्थान पर शिकायतकर्ता को जुलुम शर्मा के रूप में फर्जी नाम पर गिरफ्तार कर लिया और उसे बिना किसी गलती के 04 साल और 05 महीने की कैद हुई।

ii. आयोग ने घटनास्थल जांच का आदेश दिया क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला था जिसमें गलत पहचान के आरोप शामिल थे। आयोग के निर्देश पर जांच विभाग के इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह और इंस्पेक्टर मनोज दहिया ने मामले की जांच की और पाया कि पुलिस स्टेशन कोतवाली, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में आईपीसी की धारा 147/148/149/302/506/34 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर संख्या 347/2000 में 05 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से 04 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। मामले में पांचवां वांछित व्यक्ति जुलुम शर्मा था, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के 13 साल बाद गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। आजमगढ़ पुलिस ने एनएचआरसी (सिंघासन विश्वकर्मा) के शिकायतकर्ता को जुलम शर्मा के रूप में एक बहुत बड़ी गलती के तहत गिरफ्तार किया और उसे हत्या के मामले में जेल भेज दिया। शिकायतकर्ता सिंघासन विश्वकर्मा (पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उर्फ जुलुम शर्मा) को बिना किसी गलती के 04 साल कैद की सजा काटनी पड़ी।

iii. इस घटना की पूरी जांच की गई और पुलिस को सिंघासन विश्वकर्मा को जुलुम शर्मा के रूप में गिरफ्तार करने के समर्थन में इसका आधार और सबूत प्रस्तुति करने का पर्याप्त अवसर दिया गया और पूछा गया कि वे कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि जूलम शर्मा और सिंघासन विश्वकर्मा एक ही व्यक्ति हैं और उन्होंने रिकॉर्ड पर उसकी पहचान कैसे प्रमाणित की। पर्याप्त अवसर देने के बावजूद पुलिस कोई दस्तावेज व संतोषजनक जवाब देने में विफल रही।

iv. दूसरी ओर, शिकायतकर्ता सिंघासन विश्वकर्मा ने अपनी पहचान सिंघासन विश्वकर्मा के रूप में साबित करने वाले उचित और पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराए और जुलुम शर्मा से उनका कोई लेना–देना नहीं था।

v. मौके की जांच के आधार पर, एनएचआरसी टीम ने पुष्टि की कि शिकायतकर्ता सिंघासन विश्वकर्मा को पुलिस ने आरोपी जुलुम शर्मा के उचित सत्यापन के बिना गिरफ्तार किया था, जिसे वास्तव में हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जाना था।

vi. आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा प्रस्तुत घटनास्थल जांच रिपोर्ट पर विचार करते हुए मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए शिकायतकर्ता को 3,00,000/– रुपये (तीन लाख रुपये मात्र) के मुआवजे के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। आयोग ने यह भी अनुशंसा की कि मामले के प्रगति के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ–साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में भी लाया जाए।

18. धनबाद, झारखंड पुलिस की असंवेदनशीलता और उदासीन रवैये के कारण करीब एक माह तक सामूहिक दुष्कर्म व प्रताड़ित करने, पीड़िता के शरीर के अंगों को जलाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज न करना/लापरवाही बरतना।

(केस संख्या 1285/34/4/2019–डब्ल्यूसी)

i. यह मामला शिकायत में नामजद आरोपी व्यक्तियों द्वारा करीब एक महीने तक पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके शरीर के अंगों को जलाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत से संबंधित है। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि पीड़िता के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने के बावजूद पुलिस द्वारा लड़की का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से भाग निकली तो महिला थाना प्रभारी, धनबाद, झारखंड से पीड़िता के मेडिकल परीक्षण कराने के साथ–साथ धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान दर्ज करने का अनुरोध किया। लेकिन इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई क्योंकि पीड़ित लड़की ने कथित तौर पर अपनी शिकायत वापस ले ली थी।

ii. आयोग ने असहाय पीड़िता के कथित मानव अधिकार उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले में मौके पर जांच के लिए अपने अन्वेषण प्रभाग की एक टीम नियुक्त की। आयोग ने घटनास्थल जांच रिपोर्ट और अन्वेषण प्रभाग द्वारा प्राप्त निष्कर्षों सहित अभिलेख में रखी गई सामग्री पर विचार किया, आयोग ने पाया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं करने, पुलिस द्वारा समझौता करने के लिए उकसाने, संवेदनहीनता, उदासीनता और पुलिस की लापरहवाहीपूर्ण कार्रवाई से पीड़िता के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत झारखंड सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से एक नोटिस भी जारी किया कि आयोग पीड़िता को 2,00,000/– रुपये (केवल दो लाख) के मुआवजे की अनुशंसा क्यों न करे। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है, जो मामले के पंजीकरण के लिए पीड़िता और उसके परिवार में विश्वास पैदा करे और दोषी व्यक्तियों/अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे एवं पीड़िता को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मौद्रिक राहत प्रदान करे।

iii. इसके अलावा, झारखंड के पुलिस महानिदेशक को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, धनबाद और तत्कालीन डीएसपी (एल एंड डब्ल्यू), धनबाद, जो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत परिकल्पित कानून और शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करने में विफल रहे, के खिलाफ उनकी असंवेदनशीलता और उदासीन रवैये के लिए कानूनी कार्रवाई करने एवं मामले में उल्लिखित उचित विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाने में विफल रहे एसआई एम गुड़िया और तत्कालीन एसएचओ, महिला थाना, धनबाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 66ए और अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (यदि लागू हो) के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी पंजीकृत करने के साथ–साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्कालीन एसएचओ सुरेंद्र कुमार सिंह, पीएस बांक मोरे, धनबाद और एएसआई आमोद कुमार, लापता रिपोर्ट के अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया था। प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है और मामला आयोग के विचाराधीन है।

19. श्री सिंघासन विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की पुलिस ने गलत पहचान की वजह से गिरफ्तार किया जाना और इस कारण उसका साढ़े चार साल से जेल में बंद रहना।

(केस संख्या 34115/24/6/2017)

i. यह मामला श्री सिंघासन विश्वकर्मा से संबंधित है, जिनको आईपीसी की धारा 147/148/149/506/302 के तहत मामला संख्या 347/2000 में जुलुम शर्मा के रूप में गलत पहचान के कारण पिछले चार साल और पांच महीने से जेल में रहना पड़ा।

ii. आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा मामले में जांच से पता चला कि जुलुम शर्मा सहित 5 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/148/149/302/506/34 के तहत मामला संख्याआ 347/2000 दर्ज किया गया था। वह अन्य 4 आरोपियों के अलावा शिकायतकर्ता का अज्ञात आरोपी था, जिसे वर्ष 2002 में अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। हालांकि, पीड़ित सिंघासन विश्वकर्मा को पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के 13 साल बाद मामले में जुलुम शर्मा के रूप में गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें लेकिन पुलिस थाना कोतवाली आजमगढ़ के आईओ/एसएचओ के पास सिंघासन विश्वकर्मा की जुलुम शर्मा के रूप में पहचान को सही ठहराने के लिए कुछ भी साक्ष्य नहीं थे।

iii. इसलिए आयोग ने मुख्य सचिव, यूपी सरकार को पीड़ित शिकायतकर्ता सिंघासन विश्वकर्मा, जो जुलुम शर्मा की गलत पहचान को लेकर साढ़े चार साल से सलाखों के पीछे है, को 3 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने के लिए अनुशंसा की। डीजीपी यूपी को भी मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कहा गया । कार्यवाही की एक प्रति रजिस्ट्रार के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी सूचना एवं उचित कार्रवाई के लिए भेजी गई ।

20. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महिला से दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस की निष्क्रियता (कानूनी कार्रवाई में पुलिस की निष्क्रियता)

(केस संख्या 23157/24/45/2017–डब्ल्यूसी)

i. यह मामला श्रीमती रिंपू देवी के साथ उनके बहनोई अवधेश द्वारा उनके पति की अनुपस्थिति में कथित बलात्कार के मामले में पुलिस द्वारा निष्क्रियता से संबंधित है। जब उसका पति वापस आया, तो मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, फलस्वरूप विवश होकर उसे आयोग से संपर्क करना पड़ा।

ii. आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश ने आयोग को पीड़िता रिंकू देवी की मेडिकल जांच रिपोर्ट, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान और जांच अधिकारी की दैनिक डायरी रिपोर्ट के साथ एक रिपोर्ट सौंपी।

iii. रिपोर्टों के अवलोकन पर, आयोग ने पाया कि पुलिस अधिकारियों की ओर से एक स्वीकार्य चूक हुई थी, जिसके कारण प्राथमिकी तुरंत दर्ज नहीं की गई थी और पीड़िता आयोग से संपर्क करने के लिए विवश हुई। राज्य को उनके कार्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए, आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(i) के

तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा पुलिस कर्मियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के कारण पीड़िता को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के रूप में 2,00,000 / — रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों न की जाए।

iv. जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया था कि मामले की गंभीरता और संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से लापरवाही को ध्यान में रखते हुए, श्री अनिल प्रकाश पांडे को जिम्मेदार पाया गया था और इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य को आयोग द्वारा संस्तुत मुआवजे के रूप में 2,00,000 / — रुपये (दो लाख रुपये मात्र) के भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं थी।

v. आयोग ने मामले पर आगे विचार करते हुए संबंधित प्राधिकारी द्वारा दी गई अनापत्ति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से इस मामले में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत पीड़ित को 2,00,000 / — रुपये (दो लाख रुपये मात्र) का मुआवजा देने के लिए और भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुशंसा की। अनुपालन रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है और मामला आयोग के विचाराधीन है।

21. अपने पैतृक गांव लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए प्रवासी श्रमिकों पर मुंबई में लाठीचार्ज

(केस संख्या 466 / 13 / 16 / 2020)

i. आयोग को अखंड— पत्रकार / मानव अधिकार संरक्षक से पुलिस अधिकारियों की ओर से अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिली। शिकायत के अनुसार, पीड़ित प्रवासी श्रमिक थे जो भारत सरकार द्वारा लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हो गए थे। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त प्रवासी श्रमिक अपने पैतृक गांव लौटने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए थे, लेकिन उन सभी पर लाठीचार्ज किया गया। उक्त प्रवासी श्रमिकों के साथ हुए अत्याचारों से व्यथित, शिकायतकर्ता ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की थी।

ii. आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, पुलिस उपायुक्त, मुंबई द्वारा दिनांक 26.09.2020 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ने 25.03.2020 को देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर कर दिया था और किसी भी / सभी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 14.04.2020 को बांद्रा थाने के पुलिस अधिकारियों को रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ की सूचना मिली। पुलिस अधिकारियों को रेलवे स्टेशन पर 600 श्रमिक मिले और उन्हें पता चला कि लॉकडाउन के कारण उन सभी की नौकरी चली गई थी। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि सरकार द्वारा इस तरह से सभा करने की अनुमति नहीं दी गई है और सरकार द्वारा उनके आने—जाने की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। कहा गया कि पुलिस अधिकारियों की बात सुनने के बजाय प्रवासी मजदूर हिंसक होने लगे। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे जहां उन्हें फिर से शांत कराने और स्थिति को समझाने का प्रयास किया गया। हालांकि, कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज करने के लिए कम से कम बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर—बितर कर दिया। बहुत सावधानी बरती गई और बांद्रा पुलिस स्टेशन में किसी प्रकार की चोट की कोई शिकायत नहीं मिली, इस मामल में

प्राथमिकी संख्या 290/20, 291/20 और 292/20 दर्ज की गई और इसकी जांच लंबित है। अप्रैल, 2020 से जून, 2020 की अवधि के बीच 18,000 श्रमिकों को उनके मूल निवासों पर भेजा गया था। रिपोर्ट में शिकायत में लगाए गए आरोपों को नकारा गया है।

iii. आयोग ने प्रतिवेदन का अवलोकन किया तथा उस पर विचार किया तथा प्रतिवेदन में सामने आये तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण को बंद कर दिया।

22. अपराध शाखा, अपराध जांच विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी का सीबी–सीआईडी जांच अधिकारी के रूप में उनके द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न

(केस संख्या 6716/24/54/2021)

i. आयोग को एक सेवानिवृत्त सीबी–सीआईडी अधिकारी, जिसने मामला संख्या 27373/24/8/2013 (एम–5) में आयोग के आदेश पर जांच की थी, से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे पुलिस अधिकारियों, जो उसके द्वारा की गई सीबी–सीआईडी जांच/जांच के दौरान दोषी पाए गए थे, द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था।

ii. दरअसल, आयोग को दिनांक 04.07.2013 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि फारुख पुत्र रहमू फकीर को 22.02.2013 की रात को नेकपुर गांव के ग्रामीणों द्वारा चोरी की भैंस के साथ पकड़ लिया गया था और उसे ग्रामीणों ने रावली पुलिस चौकी, जिला गाजियाबाद की पुलिस के हवाले कर दिया तथा उसके बाद चोर को थाना चौडी नगर, जिला बागपत की पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन थाना चौडी नगर, जिला बागपत की पुलिस ने तीन युवकों फरमान पुत्र मुमताज, शाकिर पुत्र फारुख और शाहिद पुत्र सईद को यह दिखाते हुए झूठा फंसाया कि वे फारुख पुत्र रहमु फकीर (वह व्यक्ति जिसे ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया था) के साथ दिनांक 23.02.2013 को शाम 5:00 बजे पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल थे। इस मामले में, आयोग ने दिनांक 21.08.2013 की कार्यवाही के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सीबी–सीआईडी द्वारा झूठे निहितार्थ के मामले की जांच करने और आठ सप्ताह के भीतर आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

iii. जवाब में, अवर सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबी–सीआईडी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की थी जिसमें पता चला था कि सीबी–सीआईडी द्वारा की गई जांच के दौरान, आरोपी फारुख पुत्र रहमू के खिलाफ धारा 307 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट के आरोप सही पाए गए, लेकिन शेष व्यक्ति अर्थात् शाकिर पुत्र फारुख, शाहिद पुत्र यासीन और फरमान पुत्र रफीक धारा 307 आईपीसी के अपराध में शामिल नहीं पाए गए। रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ कि एसआईएस शाखा बागपत के सब–इंस्पेक्टर उमेश चंद कौशिक ने शाकिर पुत्र फारुख, शाहिद पुत्र यासीन और फरमान पुत्र रफीक के खिलाफ निर्दोष होने के बावजूद आरोप पत्र तैयार किया था ताकि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 167 और 218 के तहत मामला दर्ज करने की अनुशंसा की गई थी। चूंकि अंचल अधिकारी, एसआईएस बागपत श्री अमित राय ने जानबूझकर तथ्यों की अनदेखी करते हुए मामले को संसाधित किया, और डॉ. धर्मवीर, अपर पुलिस अधीक्षक, बागपत ने मामले के तथ्यों की अनदेखी करते हुए एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की अतः दोनों पुलिस अधिकारियों को कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही

बरतने के लिए उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 10(1) के तहत विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। तदनुसार, श्री गजे सिंह, तत्कालीन निरीक्षक, सीबी–सीआईडी, मेरठ सेक्शन (वर्तमान केस संख्या 6716/24/54/2021 के शिकायतकर्ता) द्वारा दिनांक 06.04.2014 को थाना चंडी नगर में श्री उमेश चंद कौशिक, एसआईएस शाखा, बागपत के तत्कालीन उप निरीक्षक के विरुद्ध धारा 167, 218 आईपीसी के तहत एक अपराध मामला संख्या 97/2014 दर्ज किया गया था।

iv. बाद में, आयोग को श्री गजे सिंह, इंस्पेक्टर, सीबी–सीआईडी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 07.11.2014 और 10.11.2014 का आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि उन्हें सीबी–सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस स्टेशन, चांदी नगर में दर्ज मामले की जांच की थी, को तत्कालीन एसआईएस शाखा बागपत के उप निरीक्षक श्री उमेश चंद कौशिक, जो सीबी–सीआईडी जांच के दौरान दोषी पाए गए थे, द्वारा झूठा फंसाया गया था, और श्री गजे सिंह, निरीक्षक, सीबी–सीआईडी, श्री पंकज कुमार, पुलिस अधीक्षक, सीबी–सीआईडी, श्री रफीक अहमद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरौत और कांस्टेबल श्री राम दत्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 166 ए, 218, 219, 477 ए के तहत केस संख्या 216/14 दर्ज किया गया था।

v. चूंकि सीबी–सीआईडी, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप संगीन थे, इस मामले को इस आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया, जिन्होंने अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 25.11.2014 के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से मामले को देखने और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा सीबी–सीआईडी अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 166ए, 218, 219, 477ए के तहत प्राथमिकी संख्या 216/14 के संदर्भ में, उचित समझे जाने पर, पारित आदेश की सत्यता की जांच करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी उप निरीक्षक उमेश चंद कौशिक द्वारा सीबी–सीआईडी अधिकारियों और अन्य को फंसाए जाने के मामले को देखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आयोग की अनुशंसा पर सरकार के आदेश पर कार्रवाई करने की वजह से उन्हें परेशान न किया जाए।

vi. इसी बीच, श्री गजे सिंह, तत्कालीन निरीक्षक, सीबी–सीआईडी, उत्तर प्रदेश मई, 2015 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए और अपने पैतृक जिले मेरठ में बस गए, जहां एक कर्तव्यभ्रष्ट अधिकारी श्री अमित राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ), एसआईएस, बागपत की सितंबर, 2020 में श्री गजे सिंह के पैतृक स्थान क्षेत्र में अंचल अधिकारी ब्रह्मपुरी के रूप में पदस्थापना हुई। पदस्थापन के बाद श्री अमित राय, सीओ ने उनके प्रियजनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कई झूठे मामले गढ़े। श्री गजे सिंह को, जब वे सीबी–सीआईडी, सेक्सन मेरठ के तत्कालीन निरीक्षक थे, उनके द्वारा 06.04.2014 को पुलिस थाना चंडीनगर में श्री उमेश चंद कौशिक, एसआईएस शाखा, बागपत के तत्कालीन सब–इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज अपराध संख्या 97/2014, आईपीसी की धारा 167, 218 के तहत दर्ज मामले में समझौता करने और अदालत में पक्ष न लेने का दबाव बनाया गया।

vii. श्री गजे सिंह जो बीमारियों से पीड़ित एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ने 03.03.2021 को आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर कहा कि उन्हें अपने और अपने परिवार के सदस्यों को जीवन का खतरा है, तथा उन्होंने

अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सीबी–सीआईडी द्वारा जांच की जाए।

viii. आयोग ने पाया कि 'यह अत्यंत चिंता का विषय है कि यदि सीबीआई, सीबीसीआईडी आदि जैसी विशेष एजेंसियों के अधिकारियों को, विशेष रूप से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आरोपी पुलिस अधिकारियों या अपराधियों, जिनके खिलाफ उन्होंने पूछताछ/जांच की थी, द्वारा परेशान किया जा रहा है और उन्हें अभी भी उन मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत के समक्ष पेश होना है। सरकार ऐसे ईमानदार अधिकारियों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए बाध्य है।' तदनुसार, आयोग ने निर्देश दिया कि संलग्नकों के साथ, शिकायत की एक प्रति, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित की जाए जिसमें मामला एफआईआर संख्या 783/2019 और 0733/2020 आईपीसी की धारा 216 के तहत पुलिस थाना परतापुर, मेरठ की जांच सीबी–सीआईडी द्वारा करवाई जाए और छह सप्ताह के भीतर आयोग को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा, सरकार को शिकायतकर्ता श्री गजे सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की सलामती, सुरक्षा और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि उन्हें श्री अमित राय, अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुरी सहित उन पुलिस अधिकारियों, जिनके खिलाफ उन्होंने पूछताछ/जांच की थी, द्वारा परेशान या दबाव नहीं बनाया जाए।

ix. कार्यवाही की एक प्रति मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को भी उनकी जानकारी और मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई थी।

ङ. बिजली (करंट लगने) से मृत्यु के मामले

23. सिनापाली हाई स्कूल, जिला नौपाड़ा, ओडिशा के गेट पर लोहे के एक एंग्ल को खड़ा करते समय स्कूल के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली के तार को छू जाने के कारण 23 वर्षीय हरे कृष्ण नाग की करंट लगने से मौत।

(केस संख्या 3516/18/30/2014)

i. मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री जयंत कुमार दास ने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए आयोग के संज्ञान में लाया कि 23 वर्षीय हरे कृष्ण नाग, सिनापाली हाई स्कूल में काम करते समय जब एक लोहे के एंग्ल को खड़ा कर रहा था, तो स्कूल के ऊपर लगे 11 केवी बिजली के तार के संपर्क में आया और उसे बिजली का करंट लग गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के अनुसार मृतक के परिवार को उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मुआवजे के रूप में मात्र 50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) प्रदान किए गए और विद्यालय समिति ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत उनकी पत्नी को रसोइए के रूप में प्रतिनियुक्त किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ओडिशा के ऊर्जा विभाग की ओर से देखभाल की कमी और लापरवाही के कारण उक्त दुर्घटना हुई और आयोग के हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

ii. अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर आयोग ने पाया कि उक्त घटना स्कूल मास्टर की लापरवाही के कारण हुई। लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा मृतक की पत्नी को 50,000/– रुपये (पचास

हजार रुपये मात्र) का मामूली मुआवजा दिया गया। चूंकि, स्कूल मास्टर एक लोक सेवक है, इसलिए, मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(i) के तहत 11 केवी आपूर्ति लाइन के पास निर्माण गतिविधि शुरू करने से पहले वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ ओडिशा (वेस्को) से वैधानिक अनुमति न लेने या सूचना न देने पर स्कूल प्रशासन की ओर से हुई चूक के लिए मृतक पीड़ित की पत्नी को 2,50,000/– रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) के मुआवजे का भुगतान करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

iii. जवाब में, लेखा अधिकारी (एसई), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, भुवनेश्वर, ओडिशा द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि श्रीमती बेलमती नाग अर्थात मृतक हरेकृष्ण नाग की पत्नी, ग्राम घंटीगुडा, पुलिस थाना सिनापल्ली, जिला नुआपाड़ा को बकाया भुगतान के संबंध में डीईओ, नुआपाड़ा के पक्ष में 2, 50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) की राशि जारी की गई थी। रिपोर्ट के अवलोकन पर, आयोग ने मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को मृतक पीड़ित की पत्नी को 2,50,000/– रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) के मुआवजे के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को बंद कर दिया।

24. उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुन्नौर थाना क्षेत्र के उदयभान गांव में बिजली के टूटे तार के संपर्क में आने के कारण करंट लगने से एक व्यक्ति जुगल किशोर की मौत ।

(केस संख्या 18667/24/75/2018)

i. आयोग को सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के निदेशक श्री राजहंस बंसल से शिकायत मिली कि जुगल किशोर नामक व्यक्ति की मौत बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई, जो गुन्नौर थाना क्षेत्र के उदयभान गांव में बिजली के टूटे हुए तार के संपर्क में आने से बिजली की चपेट में आ गया था।

ii. आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, पुलिस अधीक्षक, संभल, उत्तर प्रदेश ने मामले में अंचल अधिकारी, गन्नौर, जिला संभल, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट अग्रेषित की, जिसमें पता चला कि इस मामले में पुलिस स्टेशन गन्नौर में आईपीसी की धारा 338/304ए/427 के तहत एक प्राथमिकी संख्या 156/2018 दर्ज की गई थी। जांच के दौरान कार्यपालक अभियंता सहित लाइनमैन महावीर का बयान दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चलाते समय मृतक तार के संपर्क में आया, जिससे पीड़ित की मौत हो गयी। चूंकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट संख्या 50/2018 प्रस्तुत की गई।

iii. इसके अलावा आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, कार्यकारी अभियंता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खंड, बबराला द्वारा एक पत्र दायर किया गया था। पत्र में कहा गया कि मृतक का पोस्टमॉर्टम किया गया और घायल व्यक्ति का इलाज किया गया। संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। अधिकारियों से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की गुहार लगाई गई थी।

iv. मामले के अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, आयोग ने पाया कि यह मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा प्रदान करने हेतु यह एक उपयुक्त मामला था। इसलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (i) के तहत आयोग द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश

सरकार को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें कारण बताने का निर्देश दिया गया कि पीड़ित, जिसके मानव अधिकारों का हनन विद्युत विभाग के लोक सेवकों के ढुलमुल व्यवहार के कारण हुआ है, को 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपए मात्र) के मुआवजे के भुगतान की अनुशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए।

v. जवाब में, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने आयोग को बताया कि श्री जुगल किशोर की पत्नी श्रीमती माया को चेक संख्या 754128 दिनांक 06.02.2020 के तहत 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये मात्र) का मुआवजा दिया गया है। आयोग ने अपने निर्देशों के अनुपालन को देखते हुए मामले को बंद कर दिया।

25. उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में भगवानपुर के रहने वाले अरुण कुमार उर्फ ईशू की यूपीपीसीएल के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण करंट लगने से मौत

(केस संख्या 9906/24/27/2019)

i. शिकायतकर्ता मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री आर एच बंसल ने आयोग के संज्ञान में लाया कि उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में भगवानपुर के रहने वाले अरुण कुमार उर्फ ईशू की यूपीपीसीएल के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण करंट लगने से मौत हो गई। आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ और प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ और पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी।

ii. जवाब में, निदेशक (कार्मिक और प्रशासन), यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पता चलता है कि मृतक के परिजनों को 5,00,000/– रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया गया था। आयोग ने अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को आयोग के आधिकारिक अभिलेखों के लिए पीड़ित को मुआवजे के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और इन निर्देशों के साथ मामला बंद कर दिया गया।

26. जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) बस्ती, उत्तर प्रदेश के आठवीं कक्षा के छात्र मास्टर सोनू गौतम की स्कूल के फर्श की सफाई करते समय करंट लगने से मौत।

(केस संख्या 33064/24/15/2016)

i. आयोग को जिला मजिस्ट्रेट बस्ती, उत्तर प्रदेश से आठवीं कक्षा के एक छात्र की करंट लगने से मौत होने की सूचना मिली थी। हादसा तब हुआ जब छात्र स्कूल के एम.पी. हॉल के फर्श को पानी से भरी बाल्टी से साफ कर जन्माष्टमी मनाने की तैयारी कर रहे थे।

ii. मामले में आयोग के निर्देशों के जवाब में, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि लड़के की मौत विद्यालय के मुख्य बोर्ड के लिए बिजली के तारों में सुरक्षा उपायों को लागू न करने और भारतीय विद्युत विनियम, 1956 के नियम 29 और 30 (1) का अनुपालन न करने के कारण हुई थी, जिसके लिए एकमात्र जिम्मेदारी जेएनवी, बस्ती के तत्कालीन प्रबंधकों / प्रधानाचार्य आदि की थी। रिपोर्ट में सलाह दी गई कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा मृतक लड़के के परिवार को पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा दिया जाए।

iii. अवर सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार ने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि स्कूल प्रबंधन, जो एहतियाती और सुरक्षा उपाय करने में उपेक्षाकारी और लापरवाह रहा, उस लड़के की मौत के लिए जिम्मेदार था।

iv. रिपोर्टों के अवलोकन पर, आयोग ने पाया कि तथ्यों और परिस्थितियों तथा विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर, आयोग अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीड़ित लड़के की मौत जेएनवी, बस्ती स्कूल प्रबंधन/प्राचार्य/कर्मचारी के गैर जिम्मेदार और लापरवाह कृत्यों के कारण हुई थी और मृतक लड़के के मानव अधिकारों के उल्लंघन हेतु उसके परिवार को मौद्रिक क्षतिपूर्ति करने के उत्तरदायी थे। इसलिए आयोग ने मृतक के माता–पिता को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 5,00,000/– रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) के मुआवजे की अनुशंसा की।

v. उक्त निर्देश के अनुसरण में, सहायक आयुक्त (एसए), नवोदय विद्यालय समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने आयोग के निर्देशों के अनुसार 5,00,000/– (पांच लाख रुपये मात्र) रुपये के अनुशंसित मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करके एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस अवलोकन के साथ तत्काल मामला बंद कर दिया गया।

च. अन्य मामले

27. चीनी जलक्षेत्र में फंसे भारतीय नाविकों का शून्य से नीचे तापमान पर बिना किसी डॉक्टर/स्वास्थ्य देखभाल के मानसिक तनाव से गुजरना

(केस संख्या 1/99/4/2021)

i. आयोग ने 30 दिसंबर, 2020 को ''द टाइम्स ऑफ इण्डिया'' में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसका शीर्षक था ''शून्य से नीचे तापमान, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं: चीनी जलक्षेत्र में फंसे भारतीय नाविक 'कैद' में हताश''। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, मालवाहक जहाज एमवी अनास्तासिया 146 दिनों से अधिक समय से चीन के कोफेडियन बंदरगाह पर फंसा हुआ था। एमवी अनास्तासिया के एक चालक दल के सदस्य ने जहाज के कप्तान और उनकी कंपनी से लगातार अनुरोध किया कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के पास जाने की अनुमति दी जाए, मगर वे नहीं माने। एक महीने के असफल प्रयासों के बाद, पीड़ित ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की। उक्त मालवाहक जहाज एक अन्य माल वाहक जहाज एमवी जग आनंद के साथ चीनी जलक्षेत्र में फंस गया था, जो जून, 2020 से जिंगतांग बंदरगाह पर अटका हुआ था और इस पर 23 भारतीय नाविक सवार थे। समाचार रिपोर्ट में यह भी कहा गया है चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते विवाद के बीच इन जहाजों का आगमन हुआ। चीन ने कहा कि यह 'महामारी की रोकथाम' उपायों के कारण था, लेकिन रूस, कनाडा और यूरोप के जहाजों को माल उतारने और माल ढ़ोने की अनुमति दी गई थी। यहां तक कि दोनों मालवाहक जहाजों के चालक दल के सदस्यों ने भी महीनों तक जमीन पर पैर नहीं रखा। यह बताया गया कि उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था और पानी भी दूषित था, जिसके कारण चालक दल के कई सदस्यों को त्वचा में संक्रमण हो गया था। चालक दल के सदस्यों के लिए उचित चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी और मालवाहक जहाजों के चार्टरिंग एजेंट द्वारा यह सूचित किया गया था कि डॉक्टर तभी जाते हैं जब कोई मर रहा होता है। समाचार रिपोर्ट में चालक दल के सदस्यों की मानवीय आधार पर उन्हें रिहा करने की अपील का भी उल्लेख किया गया है।

ii. आयोग ने समाचार रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए दिनांक 01.01.2021 को सचिव (सीपीवी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और महानिदेशक, नौवहन, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें चीनी जलक्षेत्र में फंसे एमवी अनास्तासिया और एमवी जग आनंद में सवार नाविकों की रिहाई/उनको छोड़े जाने के लिए की गई कार्रवाई सहित मामले में रिपोर्ट मांगी गई थी। आयोग ने विदेश मंत्रालय से इस मुद्दे को चीन जनवादी गणराज्य में भारतीय दूतावास के माध्यम से अधिकारियों के साथ उठाने के लिए भी कहा, ताकि फंसे हुए भारतीय नाविकों को तत्काल राहत और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

iii. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, निदेशक (सीपीवी), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली ने सबसे पहले, दिनांक 8.1.2021 के पत्राचार के माध्यम से बीजिंग में भारतीय दूतावास से प्राप्त एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें, यह कहा गया है कि राजदूत ने 04.1.2021 को चीन के उप विदेश मंत्री को पत्र लिखकर जहाज पर हो रहे मानवीय संकट, जिससे वर्तमान में चालक दल गुजर रहे थे, को देखते हुए शीघ्र अनुमोदन करने और उस संकट को खत्म करने का आग्रह किया था। दूतावास द्वारा शिपिंग कंपनी को इस संबंध में सभी रसद सामग्री तैयार रखने के लिए भी कहा गया था ताकि चीनी पक्ष की अनुमति मिलते ही चालक दल को बदलने की प्रक्रिया को सक्रिय किया जा सके।

iv. आयोग को निदेशक (सीपीवी), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 13.1.2021 को एक और पत्राचार प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि एमवी जग आनंद के संबंध में चालक दल को बदलने की प्रक्रिया के मुद्दे को ग्रेट ईस्टर्न कंपनी, मुंबई के साथ सुलझा लिया गया है। दिनांक 09.1.2021 को दूतावास को उनकी ईमेल के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार 14.1.2021 को जापान के चिबा में इसे कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। दूतावास ने तदनुसार चीनी अधिकारियों को सूचित किया था कि एमवी जग आनंद की शिपिंग कंपनी चीन में टियांजिन बंदरगाह पर चालक दल के बदलाव की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। कार्गो वेसल, एमवी अनास्तासिया के संबंध में, बीजिंग में भारतीय दूतावास को चीनी पक्ष से एंकोरेज प्वाइंट पर चालक दल में बदलाव की प्रक्रिया के बारे में सूचना प्राप्त होनी बाकी थी, जिसके बारे में उन्होंने 12.1.2021 को बताया था कि स्थानीय विभाग इसका मसौदा तैयार करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और जल्द ही इसके बारे में सूचित किया जाएगा। शिपिंग लाइन को यह कहते हुए अद्यतन किया गया था कि दूतावास चीनी पक्ष के साथ इसका गंभीरता के साथ अनुसरण कर रहा है और सभी रसदसामग्री को तैयार रखने की जरूरत है ताकि चालक दल में बदलाव करने की प्रक्रिया के संबंध में एसओपी प्राप्त करने के तुरंत बाद कार्रवाई शुरू की जा सके।

v. महानिदेशक, नौवहन, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित रिपोर्ट, जैसा कि पत्र दिनांक 01.01.2021 द्वारा मांगी गई थी, अभी भी प्रतीक्षित है।

vi. मामला आयोग के विचाराधीन है।

28. मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बलवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम जवार के पास के जंगल में एक आदिवासी बलराम सिंह की वन संरक्षक द्वारा हत्या

(केस संख्या 253/12/26/2013)

i. आयोग को एक गैर सरकारी संगठन के सदस्य पारितोष चकमा से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बलवाड़ा थाना अंतर्गत गांव जवार के पास के जंगल में वन संरक्षक द्वारा बलराम सिंह नामक एक

आदिवासी की 18.01.13 की मध्यरात्रि में गैर–कानूनी हत्या के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई। उन्होंने इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप की प्रार्थना की।

ii. आयोग ने दिनांक 06.02.2013 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से शिकायत का संज्ञान लिया और (1) जिला मजिस्ट्रेट, खरगोन, मध्य प्रदेश और (2) पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश को मामले में अपेक्षित रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस जारी किया।

iii. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने मामले से जुड़े प्राधिकारियों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त की और उसका विश्लेषण किया जिससे यह पता चला कि मजिस्ट्रियल जांच वन संरक्षकों द्वारा मृतक बलराम की हत्या के बारे में संदेह व्यक्त करती है। इसके विपरीत, जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी का निष्कर्ष था कि मृतक की मौत आत्मरक्षा में वन संरक्षकों द्वारा चलाई गई गोलियों से लगी चोट के कारण हुई थी। हालांकि, इसमें वन संरक्षकों के जीवन को आसन्न खतरे या धमकी पर चर्चा नहीं की गई थी, सिवाय एक बिना हैंडल वाली कुल्हाड़ी की बरामदगी हुई, जिसे वन विभाग ने जब्त कर लिया था। 20–25 बदमाशों के साइकिल पर और लाठियों के साथ मौजूद होने के दावे के विपरीत मौके से तीन साइकिलें जब्त की गई, जिससे पीड़ित के दावे की पुष्टि होती है। बताया गया कि फायरिंग के बाद बदमाश भाग गए। घटना स्थल के पास का इलाका खतरनाक था और भागना काफी कठिन था, इसलिए साइकिल लेकर भागना कदापि संभव नहीं था। पुलिस जांच जो अधिक विस्तृत और विभिन्न सामग्री तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर तैयार की गई थी, में दर्शाया गया कि आरोपित वन संरक्षकों और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभियोजन संस्वीकृति प्रतीक्षित थी। घटना के बाद खरगोन के डीएम ने भी शिकायत का समर्थन करते हुए मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की राशि भी सौंपी। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, 25 वर्षीय मृतक बलराम पुत्र राय सिंह भील की दिनांक 18.01.13 को वन संरक्षकों की अनुचित गोलीबारी के कारण मृत्यु हो गई।

iv. आयोग ने अभिलेख में रखी गई रिपोर्टों और सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया। जिला प्रशासन/पुलिस अधिकारी दिनांक 18.01.13 को हुई बलराम की मृत्यु की सूचना न देकर आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। मृतक के परिजन को भुगतान की गई 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की राशि को भी पूर्णतया अपर्याप्त माना गया।

v. ऐसी परिस्थितियों में, दिनांक 08.08.2018 को की गई कार्यवाही के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि मृतक बलराम सिंह के निकटतम संबंधी को 1,00,000/– रुपये (केवल एक लाख रुपये) के अलावा, मौद्रिक मुआवजे के रूप में रुपये 4,00,000/– (केवल चार लाख रुपये) की राशि, का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों न की जाए।

vi. मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार को भी उक्त अवधि के भीतर निम्नलिखित कदम उठाने के निर्देश दिए गए :

- बलवाड़ा पुलिस स्टेशन, जिला खरगोन में दिनांक 19.01.13 को आईपीसी की धारा 304/34 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 09/13 के मामले में अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी।
- बलराम की मौत की सूचना न देने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

- आयोग के दिनांक 12.05.10 को जारी दिशा–निर्देशों को सख्ती से लागू करने और उनका अनुपालन करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों/जिला प्रमुखों को परिपत्र जारी करें।

vii. उक्त के प्रत्युत्तर में अपर मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), मध्य प्रदेश ने दिनांक 14.12.2018 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि मुख्य वन संरक्षक, खंडवा, मध्य प्रदेश द्वारा मामले की जांच की गई थी और उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार बलराम की मृत्यु घटना स्थल पर नहीं हुई और बाद में उसके शव को घटना स्थल पर रख दिया गया। इसलिए, राज्य सरकार आयोग द्वारा अनुशंसित 4,00,000/– रुपये (केवल चार लाख रुपये) के अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हुई। आयोग ने दिनांक 14.02.2019 को मध्य प्रदेश सरकार को मृतक के निकटतम संबंधी को 4,00,000/– रुपये (केवल चार लाख रुपये) की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुशंसा की।

viii. उप सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 28.02.2020 के एक पत्र में कहा गया कि मृतक की मौत पुलिस कार्रवाई में नहीं हुई, बल्कि वन संरक्षकों द्वारा फायरिंग के दौरान हुई, इसलिए मुआवजे का भुगतान पुलिस द्वारा नहीं बल्कि वन विभाग द्वारा किया जाना था।

ix. आयोग ने 27.08.2020 को उपरोक्त पत्र पर विचार किया और पाया कि इसका कोई उपयुक्त आधार नहीं है। अतः आयोग ने मृतक के निकटतम संबंधी को अतिरिक्त राशि के रूप में 4,00,000/– रूपये (चार लाख रूपये मात्र) के भुगतान हेतु अपनी अनुशंसा को दोहराया तथा मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन को भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

x. अवर सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 17.11.20 के पत्राचार के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट और मृतक की पत्नी श्रीमती राधाबाई को 4,00,000/– रुपये (चार लाख रुपये मात्र) के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के आलोक में मामले को बंद कर दिया गया था।

अध्याय 8

स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार

8.1 प्रत्येक मनुष्य, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, अनुकूल स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों का उपभोग करने का हकदार है। जैसा कि डब्यूजएचओ द्वारा परिभाषित किया गया है, कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक–स्वास्थ्य की स्थिति है, न कि केवल व्याधियों अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह अधिकार अन्य मानव अधिकारों के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रोन्नत, संरक्षित और परिरक्षित करना राज्य का कर्तव्य है। भारत का संविधान, अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार को संरक्षित करता है।

8.2 स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग 'मानसिक स्वास्थ्य' एक ऐसा क्षेत्र है जहां देश गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य ''स्वास्थ्य की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करते हुए जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है, और इसके साथ ही, अपने समुदाय के लिए सामर्थ्यपूर्ण तरीके से योगदान दें सकता है''। तंत्रिका संबंधी विकारों और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के बोझ की गणना करते हुए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस), 2015–16, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के भारी बोझ की ओर इशारा करता है, जहां लगभग 150 मिलियन भारतीयों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आवश्यकता है जबकि 30 मिलियन से कम देखभाल की मांग कर रहे हैं।

8.3 यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन से मानव अधिकार और आर्थिक पहलू, दोनों जुड़े हुए हैं। लंबे समय से ऐसा रहा है कि गरिमापूर्ण व्यवहार के योग्य, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझते व्यक्ति, देश में सबसे अधिक दुर्व्यवहार और भेदभाव का सामना करते आए हैं। इससे आगे देखें तो, मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करना, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर, उत्पादन और उपभोग के अवसरों की हानि के माध्यम से, आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है। इसे स्वीकार करते हुए, सतत विकास लक्ष्य, जिसे सितंबर, 2015 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वास्थ्य संबंधी कार्यावली में अपनाया गया था, में मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन से प्रत्यक्षतः संबंधित दो लक्ष्यों को शामिल किया गया है क्योंकि यह देशों से अनुरोध करता है कि 2030 तक, वे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को उन्नत करते हुए रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर–संचारी रोगों के कारण होने वाले असमय–मृत्यु दर को एक तिहाई कम करें'' और इसी क्रम में ''वे मादक द्रव्यों के सेवन और शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी रोकथाम और उपचार को मजबूत करें''। इसलिए, वैश्विक स्तर पर, यह एक मान्यता प्राप्त तथ्य रहा है कि सतत मानव विकास के लिए 'स्वास्थ्य' एक महत्वपूर्ण शर्त है, लेकिन वह 'स्वास्थ्य' मानसिक स्वास्थ्य के बिना कतई संभव नहीं है।

8.4 अक्टूबर 1993 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अस्तित्व में आने के बाद से, आयोग ने लगातार यह माना है कि संविधान में निहित गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने वाले उपायों को और मजबूत करना चाहिए ताकि सभी लोगों, विशेष रूप से, समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लोगों की बेहतर, सस्ती, सुलभ और अधिक व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो सके। दिया गया अध्याय, वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग द्वारा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करने के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालता है।

क. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में, स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार–परामर्शी

8.5 आयोग ने, 28 सितंबर 2020 को, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को इसके कार्यान्वयन के लिए "कोविड –19 महामारी के संदर्भ में, स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार–परामर्शी" जारी की थी। उक्त परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

ख. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार–परामर्शी

8.6 आयोग ने,8 अक्टूबर 2020 को, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को इसके कार्यान्वयन के लिए "कोविड–19 महामारी के संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार–परामर्शी" जारी किया था। उक्त परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

ग. "मरीजों के अधिकार और निजी अस्पतालों की सामाजिक जवाबदेही" पर खुली परिचर्चा

चित्र 8.1, निजी अस्पतालों के मरीजों के अधिकारों और सामाजिक जवाबदेही पर
खुली परिचर्चा में भाग लेते एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी

8.7 आयोग ने "मरीजों के अधिकार और निजी अस्पतालों की सामाजिक जवाबदेही" पर एक खुली परिचर्चा का आयोजन किया ताकि मरीजों के अधिकार और निजी अस्पतालों की सामाजिक जवाबदेही से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करते हुए निष्कर्षतः आवश्यकतानुसार आगे लागू किए जा सकने योग्य, कुछ कार्रवाई योग्य बिंदुओं को प्राप्त किया जा सके। यह परिचर्चा 5 नवंबर 2020 को, सिस्को वीबेक्स के माध्यम से, माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी. सी.पंत की अध्यक्षता में हुई।

8.8 बैठक का एजेंडा थाः

i. सभी के लिए विनियमित दरों / कीमत का अधिकार

ii. निजी अस्पतालों के दरों / कीमत में पारदर्शिता का अधिकार

iii. चिकित्सकीय लापरवाही और इलाज से इंकार

iv. निजी अस्पतालों की अनावश्यक और महंगी कार्यप्रणाली

v. रोगियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता

8.9 उक्त परिचर्चा में, माननीय सदस्य, न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ने संतुलन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि बड़े शहरों के बड़े संस्थानों के साथ–साथ छोटे शहरों या दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों या छोटे निजी सेट–अप को भी देखना महत्वपूर्ण है जिससे कि सुझावों और कार्रवाई योग्य बिंदुओं से, सभी प्रकार के नैदानिक प्रतिष्ठानों को लाभ होना चाहिए। उन्होंने सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों को ध्यान में रखते हुए कहा कि हमें रोगियों के आदर्श अधिकारों और जमीनी स्तर पर व्यावहारिक कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। श्री बिम्बााधर प्रधान, महासचिव, एनएचआरसी ने, संक्षेप में, इस विषय के महत्व और उस पर चर्चा की आवश्यकता के संबंध में भी बताया। उन्होंने कुछ चिकित्सा पेशेवरों और प्रतिष्ठानों द्वारा, विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के दौरान, उपचार से इनकार करने के उदाहरणों का भी उल्लेख किया। एनएचआरसी द्वारा तैयार किए गए, रोगियों के 17 अधिकारों की एक रूपरेखा वाले 'मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणापत्र' के संबंध में बात करते हुए उन्होंने रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों की भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों की ओर इशारा किया, जिसका पालन सभी हितधारकों द्वारा भी किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह एक दोतरफा प्रक्रिया है, जहां इसे संचालित करने में चिकित्सा पेशेवर और रोगी दोनों की समान भूमिका और जिम्मेदारी होती है।

8.10 उचित विचार–विमर्श के बाद, संबंधित अधिकारियों को निम्नलिखित कार्रवाई योग्य बिंदुओं का सुझाव दिया गया :

i. मानव अधिकार परामर्शियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्टः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों / संघ राज्यर क्षेत्रों को, क्रमशः 28 सितंबर 2020 और 8 अक्टूबर, 2020 को एनएचआरसी द्वारा जारी की गई, स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शियों तथा मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही, इस संबंध में एनएचआरसी द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा सकती है।

ii. नैदानिक स्थापना अधिनियम :

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उन 11 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिन्होंने अब तक उक्त अधिनियम को अपना लिया है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शेष राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों पर नैदानिक स्थापना अधिनियम को अपनाने और इसे लागू करने के लिए दबाव डाल सकता है।

iii. मरीजों के अधिकार संबंधी चार्टर :

- एनएचआरसी द्वारा तैयार मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र को ध्यान में रखते हुए, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2 जून 2019 को सभी मुख्य सचिवों को एक डीओ पत्र लिखा था, जिसमें मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र को अपनाने और लागू करने का अनुरोध किया गया था। इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट एनएचआरसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और इस संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा सकती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत सभी अस्पतालों

में मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र का पालन सुनिश्चित कर सकता है, जिसमें पीएमजेएवाई और इसी तरह की अन्य योजनाओं के तहत आने वाले निजी अस्पताल भी शामिल हैं।

iv. मरीजों के अधिकारों का प्रचार करना :

- नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट द्वारा अनुशंसित मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र और मरीजों के अधिकारों के तहत क्या करें और क्या न करें, को व्यापक प्रचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनसंचार माध्यमों से प्रचारित किया जाना चाहिए।
- सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों / क्लीनिकों / नर्सिंग होम में मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र का प्रदर्शन अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- निजी अस्पतालों के मामले में लाइसेंस का नवीनीकरण मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र के अनुपालन के अध्यधीन जारी किया जा सकता है।

v. प्रशिक्षण और पाठ्यचर्चाः डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए, मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र को सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न पाठ्यचर्चाओं में शामिल किया जा सकता है।

vi. शिकायत निवारण तंत्रः

- यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि, मरीजों के घोषणा–पत्र को अक्षरशः लागू किया जाता है।
- घोषणा–पत्र के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती तंत्र के लिए एक समय–सीमा निर्धारित की जा सकती है। यह अनुवर्ती कार्रवाई हर 3 महीने में की जा सकती है।
- आईटी का उपयोगः रोगी के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र में उल्लिखित अधिकारों के संबंध में रोगी के अनुभव का पता लगाने के लिए एक रोगी प्रतिक्रिया ऐप विकसित किया जा सकता है।

vii. दरों की पारदर्शिताः सभी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपनी वेबसाइट पर रेट कार्ड प्रदर्शित करें, जिसमें सभी दरें स्पष्ट रूप से वर्णित हों तथा छिपी हुई लागत की कोई गुंजाइश न हो।

viii. स्व–घोषणाः सभी अस्पतालों को रोगी की शिकायतों का रिकॉर्ड रखने और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख करने के लिए स्व–घोषणा की आवश्यकता का सुझाव दिया जा सकता है।

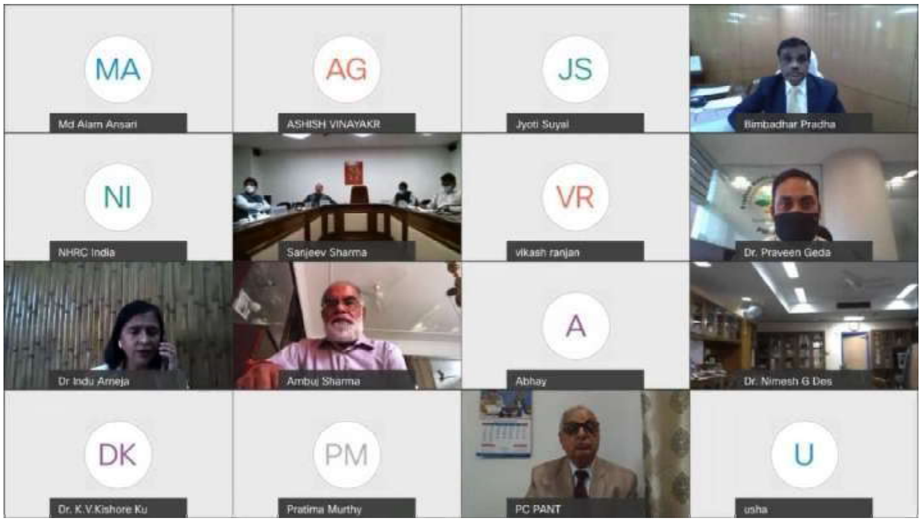

चित्र 8.2, मरीजों के अधिकारों तथा निजी अस्पतालों की सामाजिक जवाबदेही पर खुली परिचर्चा में आभासी तरीके से भाग लेते भागीदार

घ. वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले

1. विशाखापट्टनम जिले के पेडाबयालु मंडल के जमादंगी बस्ती निवासी एक गर्भवती आदिवासी महिला की, अज्ञानता और घटिया चिकित्सा सुविधाओं के कारण हुई मौत

(केस संख्या 847/1/21/2019)

i. आयोग को अंग्रेजी दैनिक 'टाइम्स ऑफ भारत' में दिनांक 26.08.2019 को प्रकाशित एक चिंताजनक समाचार रिपोर्ट "गर्भवती आदिवासी की मृत्यु अज्ञानता, घटिया चिकित्सा अवसंरचना को उजागर करती है" शीर्षक के तहत मिली। रिपोर्ट के अनुसार, विशाखापट्टनम एजेंसी में मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की कमी आदिवासी महिलाओं में कहर बरपा रही थी जिससे जिले के आदिवासी इलाकों में रहने वाली गर्भवती आदिवासी महिलाओं की जान, लगातार खतरे में थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विशाखापट्टनम जिले के पेडाबयालु मंडल के जमादंगी बस्ती की रहने वाली एक महिला ने अत्यधिक रक्तस्राव के कारण गर्भ में ही अपने बच्चे को खो दिया।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, आंध्रप्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक, ने दिनांक 20.12.19 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि मृत गर्भवती महिला को सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम)तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी सेवाएं दी गई थीं लेकिन एएनएम की सलाह के बावजूद भी मरीज की घर पर ही अप्रशिक्षित दाई (मिडवाइफ) की सहायता से प्रसव हुआ। रिपोर्ट में जनजातीय क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए किए गए कई अन्य उपायों और जनजातीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए किए गए हस्तक्षेपों का भी उल्लेख किया गया था।

iii. आयोग ने पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, यह पाया कि गरीब आदिवासी महिला, चिकित्सा देखभाल सुविधाओं की कमी और घोर लापरवाही की शिकार हुई क्योंकि यह राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह गर्भवती आदिवासी महिलाओं की पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करे ताकि उन्हें अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टरों आदि सहित चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण पीड़िता की तरह का कोई भी नुकसान, न उठाना पड़े। इसलिए, आयोग ने, दिनांक 17.02.2020 की अपनी कार्यवाही के तहत, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत, मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को, एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि क्यों आयोग द्वारा मृतक किलो लक्ष्मी के निकटतम परिजनों को 5,00,000/– रुपये की राशि (रुपये पांच लाख मात्र) के रूप में मौद्रिक मुआवजे के तौर पर भुगतान करने की अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए।

iv. पूर्वोक्त कारण बताओ नोटिस के अनुसार, सचिव, जनजातीय कल्याण (जीसीसी) विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने, दिनांक 23.12.2020 के संसूचन के माध्यम से प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.8.2019 को एडीएम एंड एचओ (टी), आईटीडीए, पडेरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा दिनांक 26.8.2019 को डीएम एंड एचओ, विशाखापट्टनम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मृतक श्रीमती किल्लो लक्ष्मी, पत्नी चिन्ना राव 37 सप्ताह की गर्भवती थीं और उनकी डिलीवरी की अपेक्षित तिथि 14.9.2019 थी।17.8.2019 को, शाम 5 बजे से, उसे प्रसव पीड़ा का अनुभव होने लगा और एक स्थानीय आशा कार्यकर्ता ने यह प्रसव कराने का प्रयास किया क्योंकि वह उस गाँव की दाई भी थी। चूंकि वह प्रसव नहीं करा सकती थी, इसलिए 18.8.2019 को पेडाबयालु क्षेत्र से एक और अप्रशिक्षित दाई लाई गई और सुबह 03.00 बजे, मृतक ने एक मृत बालिका शिशु को जन्म दिया और उसकी नाल का प्रसव नहीं हुआ और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। इसलिए, दाई ने कुछ स्थानीय जड़ी–बूटियाँ माँ को मौखिक रूप से दीं और तड़के गाँव छोड़ दिया। उसके बाद, योनि से गंभीर रक्तस्राव हुआ और उसी दिन दोपहर 12 बजे मां की मृत्यु हो गई।

प्लेसेंटा को बनाए रखने के कारण मृत्यु का कारण बना प्राथमिक पीपीएच था। उक्त जानकारी एएनएम से संबंधित दो चिकित्सा अधिकारियों, पीएचसी स्टाफ नर्स और ग्रामीणों से एकत्रित की गई थी। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया था कि पेडाबयालु मंडल का इंजरी गांव, आर एंड बी रोड से 14 कि०मी० की दूरी पर, अत्यधिक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित था। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) 2012–13 के तहत आर एंड बी रोड से इंजारी तक 28 किलोमीटर की बीटी सड़क उपलब्ध कराने का कार्य स्वीकृत किया गया था। हालांकि, माओवादियों के गंभीर खतरे के कारण, ठेकेदार काम शुरू नहीं कर सके। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एनआरआईडीए को उन कार्यों को बंद करने का निर्देश दिया गया था जो बहुत पहले स्वीकृत किए गए थे और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से जुड़ी समस्याओं के कारण जमीन पर फलीभूत नहीं हुए थे।

v. आयोग को, प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण (बी2) विभाग के पत्र, दिनांक 23.11.2020 से, जवाब भी प्राप्त हुआ था। इस रिपोर्ट में सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मृतक श्रीमती किलो लक्ष्मी की मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत समान विवरण का भी उल्लेख किया गया है। उपरोक्त के अलावा, आगे यह भी प्रस्तुत किया गया था कि सरकार ने स्वास्थ्य, चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कई पहल शुरू कीं, जिसका उद्देश्य सरकारी/निजी संस्थानों में गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, जो मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की कमी में योगदान देता है।

vi. आयोग ने उक्त रिपोर्ट और आंध्र प्रदेश राज्य को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और दिनांक 22.02.2021 की कार्यवाही के जवाब पर विचार किया और पाया कि यदि रिपोर्ट में सभी योजनाएं और उपाय उस समय प्रचलित थे, तो वर्ष 2019 में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्यों हुई, जो एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आया था। इसलिए, यह दर्शाता है कि रिपोर्ट में जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया था, उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा ठीक से लागू और मॉनिटर नहीं किया जा रहा था। इसलिए, मौद्रिक मुआवजे की अनुशंसा करने से परहेज करने का कोई प्रशंसनीय और न्यायसंगत कारण नहीं हो सकता है जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इसके अलावा, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि आदिवासी समुदाय के पास कहीं से भी कोई उपचारात्मक उपाय प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था और इस प्रकार आयोग का विचार था कि एक बार गर्भवती महिला की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने के बाद, घर पर उसके ले जाने की अवस्था में, संभावना की प्रधानता से पता चलता है कि राज्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी था क्योंकि यह आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा और संरक्षण करने में विफल रहा।

vii. उपरोक्त के मद्देनजर, आयोग ने अपने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और आंध्र प्रदेश सरकार को मृतक किलो लक्ष्मी के निकटतम परिजनों को 5,00,000/– रुपये की राशि (रुपये पांच लाख मात्र) के रूप में मौद्रिक मुआवजे के तौर पर भुगतान करने की अनुशंसा। अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है।

2. एंबुलेंस न मिलने के कारण,जिला नबरंगपुर जिले के नबरंगपुर गांव की एक गर्भवती महिला ने ऑटो रिक्शा में एक बच्ची को जन्म दिया, जो ऑटो रिक्शा से फिसल कर मर गई।

(केस संख्या 5915/18/10/2016)

i. शिकायतकर्ता ने,दिनांक 30.08.2016 को उड़िया समाचार पत्र 'संबाद' में प्रकाशित एक समाचार को आयोग के संज्ञान में लाया कि एम्बुलेंस के न आने के कारण एक गर्भवती महिला ने ऑटो रिक्शा में

एक बच्ची को जन्म दिया जिसमें वह अस्पताल जा रही थी। नवजात बच्ची ऑटो रिक्शा से फिसल कर गिर गई और उसकी मौत हो गई। आयोग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार ने बताया कि एम्बुलेंस संचालन एजेंसी ने बताया कि एम्बुलेंस के लिए फोन करने वाले व्यक्ति से संपर्क करने में देरी, उस समय प्रेषण कतार में लंबित कार्यों की बड़ी संख्या में होने के कारण हुई। एजेंसी ने आगे कहा कि चूंकि कॉल फर्स्ट कम फर्स्ट के आधार पर भेजी जानी थी, जब तक उक्त व्यक्ति तक एम्बुलेंस भेजने का वक्त आया तब तक पास में कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। हालांकि डिस्पैचर ने फोन करने वाले को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन कॉल काट दिया गया। अंत में, डिस्पैचर लगभग 12.10 बजे कॉल करने वाले से संपर्क करने में सक्षम हुआ। लेकिन तब तक फोन करने वाले ने मरीज को ट्रांसफर करने का इंतजाम खुद कर लिया था। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि कॉल सेंटर की ओर से मानवीय त्रुटि के कारण आशा कार्यकर्ता को कॉल करने में 1.20 घंटे की देरी हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि आपातकालीन प्रबंधन विभिन्न संसाधनों के एकीकरण तथा काफी हद तक समझौता–परिदृश्य के आधार पर कार्य करने वाला एक ऐसा जटिल विषय है जिसमें ज्यादातर स्थितियां आदर्श नहीं होती हैं, ऐसी चूक सरकार और सेवा प्रदाताओं के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कई बार होती है।

iii. मामले की गंभीरता से जांच करने पर, आयोग ने पाया कि यह स्पष्ट है कि यदि एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध कराई जाती, तो नवजात शिशु की जान बचाई जा सकती थी। इस तरह, नवजात शिशु और उसकी माँ के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया और उसे उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के साथ–साथ उसके नवजात शिशु के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा दिया जाना था, जिसकी अंततः मृत्यु हो गई। राज्य अपने कर्मचारियों की कार्रवाई और निष्क्रियता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी था। इसलिए आयोग ने, पीड़िता को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) मुआवजे के भुगतान की अनुशंसा की। ।

iv. निर्देशों के अनुसरण में, ओडिशा सरकार के अतिरिक्त सचिव, गृह विभाग ने आयोग को सूचित किया कि आयोग द्वारा अनुशंसित रु. 2,00,000/– (दो लाख रुपये मात्र) मुआवजे का भुगतान, पीड़ित को पहले ही किया जा चुका है। आयोग ने मामले को बंद कर दिया था।

3. मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल बैतूल ले जाते समय एक गर्भवती महिला ने, रास्ते में एक बच्चे को जन्म दिया क्योंकि उसे स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिससे बच्चे की मौत हो गई।

(केस संख्या 381/12/5/2018)

i. इस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में, एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल लाया गया। पीड़िता को अस्पताल द्वारा स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए, वह स्वयं चलते हुए आगे बढ़ी और उसने रास्ते में एक बच्चे को जन्म दिया।जिसके परिणामस्वरूप नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। इसलिए, शिकायतकर्ता ने, आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

ii. इसके जवाब में अपर सचिव, सामान्य प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि मामले की जांच की गयी और आशा कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया गया और स्वीपर को सेवा से हटा दिया गया।

iii. रिपोर्ट के अवलोकन पर, आयोग ने पाया कि पीड़ित मां और उसके नवजात शिशु के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया क्योंकि नवजात शिशु की मृत्यु उक्त अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई क्योंकि उन्होंने पीड़िता/गर्भवती महिला को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया था जिसके कारण उसे पैदल चलना पड़ा, उसने पैदल जाते हुए एक बच्चे को जन्म दिया और आखिरकार, नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। इसलिए, राज्य अपने कर्मचारियों की ओर से कार्रवाई के उल्लंघन या निष्क्रियता के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी था। आयोग ने,पीड़ित को राज्य प्राधिकरण द्वारा 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) मुआवजे के भुगतान की अनुशंसा की थी। उक्त मामले में एक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, इसलिए आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

4. राजस्थान के जामडोली में सरकार द्वारा संचालित एक होम (गृह) में रहने वाले 12 बच्चों की दूषित पेयजल के सेवन से मौत

(केस संख्या 996/20/14/2016)

i. आयोग को, एनडीटीवी समाचार चौनल द्वारा राजस्थान के जामडोली में एक सरकार द्वारा संचालित होम (गृह) में रहने वाले 12 बच्चों की दूषित पेयजल के सेवन से मौत के बारे में रिपोर्ट की गई, एक खबर मिली। आयोग ने समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), राजस्थान और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, राजस्थान सरकार को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट के लिए नोटिस जारी किया।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, निदेशक और विशेष सचिव, राजस्थान सरकार, निःशक्त जन निदेशालय द्वारा दिनांक 13.5.2016 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 37 बच्चे बीमार पड़ गए, 16 को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, 12 बच्चों की मौत हो गई थी और एक बच्चे को इलाज के बाद वापस भेज दिया गया था। जामडोली में सरकारी संचालित गृहों की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का भी विवरण दिया गया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी)–पूर्व, जयपुर द्वारा अलग से प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 12 मौतों के संबंध में धारा 176 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था, और पोस्टमार्टम भी किया गया था। श्री सुदर्शन सेठी और डॉ. अशोक पनगढ़िया की अध्यक्षता में दो जांच समितियां गठित की गईं।

iii. आयोग ने, राजस्थान के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करते हुए आयोग के जांच प्रभाग को, मृतक बच्चों के पोस्टमार्टम और अन्य चिकित्सा रिपोर्टों पर आयोग के पैनल को चिकित्सा विशेषज्ञ की राय लेने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के जवाब में, सभी 12 मृतकों के मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की जांच डॉ. अरविंद कुमार, प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली ने की, जिन्होंने अपनी राय दी कि 12 पीड़ितों में से 7 बच्चों की मौत का कारण रिकॉर्ड में है। ऑटोप्सी सर्जन के अनुसार, मौत स्क्रब टाइफस, बेड सोर के परिणामस्वरूप सेप्टीसीमिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मिर्गी और अन्य जटिलताओं के कारण हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि सेप्टीसीमिया से जुड़े कीट–जनित/गैस्ट्रोएंटेराइटिस/बेड सोर जैसे, संचारी रोग के प्रकोप के समय, अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, 15 नर्स, व्यावसायिक चिकित्सक

जैसे प्रमुख पदों पर रिक्तियां थीं और ऐसे में उचित स्वास्थ्यकर/चिकित्सा देखभाल और निगरानी के प्रावधान की कमी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

iv. आयोग ने निष्कर्षों और टिप्पणियों तथा रिकॉर्ड की अन्य प्रासंगिक सामग्री सहित चिकित्सा विशेषज्ञ की राय पर ध्यान से विचार करने के बाद, दिनांक 14.12.2020 को अपनी कार्यवाही के माध्यम से देखा कि सभी बच्चे राज्य की देखभाल और निगरानी में थे और यह राज्य की जिम्मेदारी थी उन्हें उचित स्वास्थ्यकर/चिकित्सा देखभाल और उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किया जाए। इसलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993की धारा 18 के तहत राजस्थान सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि 12 मृत बच्चों के परिजनों में से प्रत्येक को 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) रुपये की राशि, मौद्रिक मुआवजे के रूप में भुगतान करने की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए। श्री सुदर्शन सेठी, प्रमुख सचिव, प्रशासन एवं डॉ. अशोक पंगरिया की अध्यक्षता वाली दो समितियों द्वारा की गई सभी अनुशंसाओं पर जिलाधिकारी, जयपुर, राजस्थान को भी कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

v. आयोग के निर्देशों के जवाब में, आयुक्त एवं सचिव, निःशक्त जन निदेशालय, राजस्थान सरकार ने दिनांक 12.2.2021 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि मानसिक रूप से मंद महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केंद्र, जामडोली, जयपुर में 12 बच्चों की अप्रैल, 2015 में मृत्यु हो गई थी। जिसमें से 04 गंभीर, 06 अतिगंभीर और 02 मध्यम प्रकृति के थे।उन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य से कम थी। उनके मेडिकल इतिहास के अनुसार, उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल, जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर, मनश्चिकित्सा एवं सैटेलाइट अस्पताल समय–समय पर इलाज के लिए भेजा जा रहा था। साथ ही, वर्तमान मामले में गठित दो समितियों की सिफारिशों/निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त संसाधनों के रखरखाव और विशेष उपलब्धियों, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रशिक्षण, मनोरंजन, खेल, गैर सरकारी संगठनों/सामाजिक संगठन, आदि की भागीदारी पर उचित ध्यान दिया जा रहा था। रिक्त पदों को भरने के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग स्टाफ के अधिकांश पद भरे गए थे। एक मनोचिकित्सक दोनों विभागों का काम देख रहा था और विशेष शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के अलावा देखभाल करने वालों की संख्या बढ़ाकर 135 कर दी गई थी। उत्तर के अनुसार, 12 मृत छात्रों में से 03 के पारिवारिक विवरण अज्ञात थे। आगे प्रस्तुत किया गया कि बच्चों के माता–पिता और रिश्तेदारों के अनुसार, केंद्र द्वारा उनके बच्चों के प्रति व्यवस्था और देखभाल को संतोषजनक पाया गया। उपरोक्त को देखते हुए आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया गया था।

vi. स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए संशोधित सिफारिशों के अनुसार, प्रत्येक बच्चे का चिकित्सकीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए, चिकित्सा/पोषण या कार्यात्मक विकलांगता समस्याओं के लिए नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। इस मामले में, यह प्रमाणित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं था कि क्या ऐसा व्यवस्था की गई या नहीं। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि सभी मौतें मानसिक रूप से मंद महिला बाल कल्याण पुनर्वास केंद्र, जामडोली में हुईं, जहां उचित स्वच्छता/चिकित्सा देखभाल और उचित देखभाल की कमी के कारण संचारी रोग के प्रकोप के समय खाली पड़े प्रमुख पदों पर रिक्तियां होने के कारण निगरानी की जा रही है।अब, आयोग के हस्तक्षेप के बाद अधिकांश चिकित्सा

अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ के पद भरे गए। इसके अलावा, सभी बच्चे राज्य की देखरेख और अभिरक्षा में थे और यह राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह उचित स्वास्थ्य/चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने और कैदियों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करे। संबंधित अधिकारियों की ओर से इस चूक के लिए, संस्था के 12 बच्चों की जान चली गई, जिसके लिए राज्य मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

vii. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने, राजस्थान सरकार को दिनांक 09.03.2021 की कार्यवाही के लिए अपने मुख्य सचिव के माध्यम से, तीन बच्चों के मामले को छोड़कर, जिनके परिवार का विवरण ज्ञात नहीं था, प्रत्येक मृतक छात्रों के परिजनों को आर्थिक मुआवजे के रूप में, 2,00,000/– रुपये की राशि (रुपये दो लाख मात्र) का भुगतान करने की अनुशंसा की। अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है।

5. मऊ चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के परदावन निवासी एक बालक, मास्टर अभय मिश्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, उचित इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गयी।

(केस संख्या 25878/24/20/2017)

i. मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री विवेक कुमार सिंह ने, एक प्रेस क्लिपिंग संलग्न करते हुए आयोग के संज्ञान में लाया कि परदावन, मऊ चित्रकूट, उत्तर प्रदेश की रहने वाली मंजू देवी अपने पुत्र मास्टर अभय मिश्रा (2) वर्ष) को जिला अस्पताल में इलाज के लिये ले गई, लेकिन बच्चे को उचित इलाज नहीं दिया गया और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराया गया था, ऐसे में उन्हें बच्चे के शव को गोद में लेकर चलना पड़ा। मामले में संज्ञान लेते हुए, आयोग ने संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

ii. जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे पता चला कि मामले की जांच तीन डॉक्टरों की एक समिति द्वारा की गई थी। समिति द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि स्टाफ नर्स शालू द्विवेदी ने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। अगर उसने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया होता, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। रिपोर्ट के परिशीलन पर आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(ए) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग मृतक पीड़िता की मां जिनके मानव अधिकारों का हनन हुआ है। को भुगतान की जाने वाली आर्थिक राहत की अनुशंसा क्यों नहीं करे। चूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए आयोग ने माना कि राज्य सरकार के पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है। आयोग ने पाया कि मृत बच्चे, मास्टर अभय मिश्रा के मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक मामला मिला था और राज्य सरकार मृतक के परिजनों को मौद्रिक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक के परिजन को 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये मात्र) का मुआवजा देने की अनुशंसा की।

iii. आयोग के निर्देशानुसार, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश प्रशासन, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने आयोग को सूचित किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को संबंधित मदों के

तहत 2,00,000/–रुपये (रुपये दो लाख मात्र) की राशि का भुगतान हेतु स्वीकृत किया गया था। आयोग ने, मामले के अभिलेखों में रखे उपरोक्त दस्तावेजों को देखा और विचार किया और इस अवलोकन के साथ इसे बंद कर दिया कि यह उम्मीद की जाती थी कि राज्य सरकार, मृतक बच्चे मास्टर अभय मिश्रा के परिजनों को मुआवजे के भुगतान में तेजी लाएगी।

6. अवैध शराब के सेवन से असम के गोलाघाट में 94 और जोरहाट जिले में 60, कुल 154 लोगों की मौत

(केस संख्या 51/3/7/2019)

i. आयोग ने, 25.02.2019 को, अवैध शराब के सेवन के कारण दिनांक 24.02.2019 को, 154 व्यक्तियों, असम के गोलाघाट में 94 और जोरहाट जिलों में 60 लोगों की मौत के बारे में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। प्रारंभ में, आयोग को, असम सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अवैध शराब के सेवन से मारे गए 94 व्यक्तियों में से प्रत्येक के परिजनों को 2,00,000/– (दो लाख रुपये मात्र) रुपये का अनुग्रह भुगतान किया गया था। इसलिए, सचिव, राजनीतिक (ए) विभाग, असम सरकार को शेष 60 मृतक व्यक्तियों के परिजनों को किए गए अनुग्रह भुगतान, जोरहाट में दर्ज आपराधिक मामलों की जांच की स्थिति और, यदि त्रासदी के परिणामस्वरूप कोई अनाथ बच्चा था, तो उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की अद्यतन जानकारी, आयोग को देने का निर्देश दिया गया था।

ii. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें और अपने राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस गश्त और सतर्कता बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रासंगिक दिशा–निर्देश जारी करें। इसमें आगे कहा गया है कि, यदि आवश्यक हो, तो कानून के अपराधियों पर, प्रभावी ढंग से, नकेल कसने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया जाए।

iii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के अवर सचिव, गृह मंत्रालय (सीएस डिवीजन) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रधान सचिव (गृह) को संबोधित पत्र की एक प्रति दिनांक 11.11.2019 को अग्रेषित की, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस गश्त और चौकसी बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। उक्त पत्र में नकली शराब निर्माताओं और वितरकों के गैरकानूनी नेटवर्क को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने और यदि आवश्यक हो तो कानून के अपराधियों को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन करने पर भी जोर दिया गया।

iv. सचिव, असम सरकार, गृह एवं राजनीतिक विभाग, दिसपुर ने,दिनांक 4.1.2020 को पत्र के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, जोरहाट, असम कोदिनांक 25.11.2019 को एक रिपोर्ट अग्रेषित की। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने, शेष 60 मामलों में से, शेष 58 मृतकों के परिजनों में प्रत्येक को अनुग्रह राशि के रूप में रु. 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) जारी किए और शेष दो मामलों में मुआवजे की राशि के संवितरण की प्रक्रिया चल रही है। मृतक व्यक्तियों के बच्चों की देखभाल और संरक्षण के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि वे अपनी मां के साथ रह रहे थे और उन्हें सरकार के विभिन्न प्रायोजन कार्यक्रमों के साथ सुविधा प्रदान की गई थी।

v. आयोग ने, 18.01.2021 को, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और असम राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार किया और पाया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, राज्य सरकार ने, 24.2.2019 को, असम के गोलाघाट और जोरहाट जिलों में अवैध शराब के सेवन से मारे गए 152 व्यक्तियों में से प्रत्येक के परिजनों को 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये मात्र), का अनुग्रह भुगतान किया, उनके बच्चों को सरकार के विभिन्न प्रायोजन कार्यक्रमोंसे सहायता प्रदान की गई,इसके अलावा,घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी ने, जांच के दौरान अवैध शराब के निर्माण और वितरण में शामिल 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दायर किया। एसआईटी की टीम ने छापेमारी के दौरान, भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की थी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव (गृह) को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने और नकली शराब निर्माताओं के गैरकानूनी नेटवर्क को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। उपरोक्त के मद्देनजर, आयोग ने पाया कि आयोग द्वारा आगे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए मामला बंद कर दिया गया था।

अध्याय 9

भोजन और पोषण का अधिकार

9.1 भारत लगातार भूख और कुपोषण के मुद्दों से जूझ रहा है। पिछला वर्ष लगभग हर क्षेत्र में विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कई चुनौतियाँ लेकर आया। दिसंबर 2020 में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (एनएफएचएस, 2019–20) के चरण– I की रिपोर्ट में पोषण से जुड़े ऐसे तथ्य दिखाए गए हैं, जो संतोषजनक नहीं थे। 2015–16 और 2019–2020 के बीच बाल–पोषण के संकेतक स्थिर रहे हैं। 22 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल जैसे आबादी वाले कुछ राज्यों सहित,13 ने वृद्धि में रोक दिखाई है। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण, 2016–2018 की तुलना में मेघालय (46.5:) और बिहार (42.9:) में स्टंटिंग सबसे ज्यादा थी। सिक्किम सबसे कम 22.3: था, जो 2015–16 के बाद से एक महत्वपूर्ण गिरावट (7.3:) थी। अधिकांश राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हानि या तो बढ़ी है या स्थिर बनी हुई है। 13 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह वृद्धि 0.1 से 8.2 प्रतिशत अंक तक की सीमा में थी। 15–49 साल की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता का भी कुछ ऐसा ही चलन है। एनएफएचएस–5 के चरण–1 में शामिल 22 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में महिलाओं में एनीमिया में वृद्धि देखी गई है।

9.2 भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सक्रिय सदस्य है और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के लिए एक राष्ट्रीय पक्ष है। 2030 तक दुनिया को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) को भी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये 17 लक्ष्य एक अधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण एवं दीर्घकालिक दुनिया की दृष्टि प्रदान करते हैं जिसमें कोई भी पीछे न रहे। वे 2015 के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजीएस) का निर्माण करना चाहते हैं। यह भारत के प्रत्येक नागरिक के भोजन के अधिकार का सम्मान करने, उसकी रक्षा करने और उसे पूरा करने के लिए सरकार पर और अधिक दायित्व डालता है। भारत सरकार, खाद्य, आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना, मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), को आबादी के कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए लागू कर रही है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें, विशेषकर भोजन तक उनकी पहुंच हो सके।

9.3 भारत सरकार ने पोषण और खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों के वितरण में सुधार के लिए देश के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में कई सुधार किए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय पोषण नीति और राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है जो खाद्य और पोषण असुरक्षा की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है और लिंग, आयु, विकलांगता, आय, जाति और क्षेत्र से संबंधित असमानताओं को दूर करता है। ऐसे सकारात्मक नीतिगत माहौल में, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा को दूर करने के सरकार के प्रयासों में, एसडीजी के लक्ष्य–2 के तहत अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की क्षमता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करके एक व्यापक खाद्य और सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया है जो लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लक्षित लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), आईसीडीएस और

एमडीएमएस के पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) और मातृत्व लाभ कार्यक्रम के नाम से अभिहित एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना [तत्कालीन इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, (आईजीएमएसवाय) के नाम से ज्ञात] जैसी कुछ मौजूदा खाद्य–आधारित कल्याणकारी योजनाओं के दायरे को जोड़ती और विस्तारित करती है।

9.4 संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी–2 के अनुसार, भूख को समाप्त करने का लक्ष्य है। दशकों की लगातार गिरावट के बाद, कुपोषण की व्यापकता के आधार पर भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 2015 में धीरे–धीरे फिर से बढ़ने लगी। आज, 82 करोड़ से अधिक लोग नियमित रूप से भूखे सोते हैं, जिनमें से लगभग 13.5 करोड़, मोटे तौर पर मानव निर्मित संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी के कारण,तीव्र भूख से पीड़ित हैं। एसडीजी लक्ष्यों के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिएविभिन्न प्रकार के खाद्य और पोषण सुरक्षा संकेतकों का उपयोग करके एसडीजी के तहत प्राप्य लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है। इन जोखिमों को दूर करने के लिए, खाद्य और कृषि संगठन,सभी देशों से उनकी कमजोर आबादी की तत्काल खाद्य जरूरतों को पूरा करने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, वैश्विक खाद्य व्यापार को जारी रखने, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला के चक्र को गतिमान रखने, तथा खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे किसानों की क्षमता का समर्थन करने, का आग्रह करता है ।

9.5 पूरी दुनिया कोविड–19 महामारी से प्रभावित है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्र, कोई अपवाद नहीं है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च खुदरा कीमतें, महामारी के दौरान कम आय के साथ, संयुक्त रूप से अधिक से अधिक परिवारों को अपने भोजन की खपत की मात्रा और गुणवत्ता में कटौती करने के लिए प्रेरित करती हैं। गैर–लाभकारी संगठनों की भूमिका काफी बढ़ गई है क्योंकि प्राधिकरण अकेले इस चुनौती पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यह इस तथ्य से सिद्ध हुआ कि अक्टूबर 2020 में नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) को, भूख से निपटने के प्रयासों के लिए, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति की बेहतर परिस्थितियों के निर्माण में इसके योगदान तथा युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के प्रयासों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। हालाँकि, स्थिति अभी भी गंभीर है और इस समस्या का मुकाबला करने के लिए अधिक समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अगले कुछ महीनों में 20 से अधिक देशों में अत्यधिक भूख के बढ़ने की संभावना है। खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित भूख हॉटस्पॉट पर एक रिपोर्ट के अनुसार, यमन और दक्षिण सूडान के कुछ परिवार, पहले से ही भुखमरी से जूझ रहे हैं।

9.6 सरकार ने, पिछले दो दशकों में कुपोषण से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को राशन प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी प्रणाली, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए रियायती अनाज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का उद्देश्य, अपनी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुंच एक कानूनी अधिकार बन जाए।

9.7 सरकार की पहले से शुरू की गई खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं की भूमिका काफी बढ़ गई है। लेकिन, वे भी महामारी और तालाबंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। शारीरिक दूरी के मानदंडों और पात्र लाभार्थियों के राशन,भोजन और प्रतिरक्षण को सुनिश्चित करने के बीच एक विवाद विकसित हुआ। हालाँकि, अधिकारियों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों को बनाए रखते हुए ये सेवाएं प्रदान करने के लिए एक व्यावहारिक तरीका सुनिश्चित किया गया था। फिर भी, इन योजनाओं का सही संचालन सुनिश्चित करना संभव नहीं था। आईसीडीएस द्वारा उत्पन्न कल्याण और मध्याह्न भोजन योजना विशेष रूप से महामारी के इस दौर में बुरी तरह

प्रभावित हुई और स्कूलों में आंगनबाडी और मध्याह्न भोजन चलाना मुश्किल हो गया। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने, मार्च 2020 में, अधिकारियों को कोविड–19 एहतियाती मानदंडों को बनाए रखते हुए आईसीडीएस और एमडीएमएस के लाभार्थियों को राशन की डिलीवरी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। कई राज्यों ने आदेशों का पालन किया और अपना सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित किया लेकिन वहाँ विपथन हमेशा थे।

9.8 इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार ने भूख और अल्पपोषण का मुकाबला करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। लॉकडाउन की शुरुआत के साथ, डूबी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आत्म निर्भर भारत (एएनबी) पैकेज की घोषणा की गई थी। एएनबी पैकेज में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) के तहत अप्रैल से नवंबर 2020 तक एमएफएसए कार्ड धारकों को प्रति व्यक्तिप्रति माह अतिरिक्त 5 किलो (गेहूं या चावल) और 1 किलो दाल/चना पीडीएस राशन प्रदान किया गया था। इस योजना को उन 8 करोड़ प्रवासी कामगारों तक भी विस्तारित किया गया जो एनएफएसए या राज्य पीडीएस योजना कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। दुखद बात यह है कि यह योजना नवंबर 2020 तक ही चली। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों ने अब इस योजना के तहत राशन की मांग नहीं की है। हाल ही में, फरवरी 2020 में, केंद्रीय बजट 2021–22 की घोषणा करते हुए, सरकार ने, पोषण सामग्री, वितरण, पहुँच और परिणाम को मजबूत करने के लिए, मिशन पोषण 2.0 शुरू करते हुए पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर दिया है।। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए हम 112 आकांक्षी जिलों में सघन रणनीति अपनाएंगे'।

9.9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के नागरिकों के लिए पौष्टिक भोजन के अधिकार की रक्षा के लिए अपने धर्मयुद्ध के प्रति प्रतिबद्ध है। खाद्य और पोषण के अधिकार पर इसके कोर सलाहकार समूह, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करने के बाद इस क्षेत्र के मुद्दों, चुनौतियों और समाधानों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, आयोग, खाद्य सुरक्षा और भूख उन्मूलन से संबंधित कानूनों का बहुत ही गहन पर्यवेक्षक है। इस वर्ष, कोविड–19 के संदर्भ में, स्थिति के प्रभावकारी मूल्यांकन के लिए हितधारकों के साथ, परामर्श करने के बादआयोग द्वारा, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसके कार्यान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण पर परामर्शियां जारी की गई थी।

9.10 एनएचआरसी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के साथ–साथ पीडीएस, आईसीडीएस और एमडीएमएस जैसी प्रमुख योजनाओं के उचित कार्यान्वयन पर जोर देता रहा है। यह अपने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटरों, जो कि क्षेत्र का दौरा करते हैं और इन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ–साथ राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, उनके माध्यम से जमीनी हकीकत की तस्वीर प्राप्त करता है।

क. भोजन और पोषण के अधिकार पर कोर समूह की बैठक

9.11 दिनांक 25.08.2020 को,आयोग में, डॉ. डी.एम. मुले, माननीय सदस्य, एनएचआरसी, की अध्यक्षता में भोजन और पोषण के अधिकार पर, कोर समूह की बैठक आयोजित की गयी थी।इस बैठक में,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वरिष्ठ अधिकारियों, खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में कार्यरत नागरिक समाज की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया था। बैठक का विचार–विमर्श दो प्रमुख विषयों के इर्द–गिर्द घूमता रहा, अर्थात, (i) बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा (ii) 'कोविड –19 के संदर्भ में भोजन और पोषण का अधिकार' संबंधी परामर्श मसौदा पर चर्चा। बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के बाद कोविड–19 के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और पोषण के अधिकार पर परामर्श, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 28 सितंबर 2020 को कार्यान्वयन के लिए जारी किया गया था।

चित्र 9.1 भोजन और पोषण के अधिकार पर कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेने वाले एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी

ख. कोविड–19 के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी

9.12 आयोग ने 28 सितंबर, 2020 को, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को, 'कोविड–19 के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और पोषण का अधिकार' शीर्षक से कार्यान्वयन के लिए एक परामर्शियां जारी किया था। इस परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

ग. आयोग के विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटरों द्वारा क्षेत्र का दौरा

9.13 डॉ. जयश्री गुप्ता, उपभोक्ता मामले और खाद्य से संबंधित मुद्दों के लिए विशेष मॉनीटर, एनएचआरसी ने 23 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक देहरादून का दौरा किया। उन्होंने देहरादून के जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता आयोग उत्तराखंड राज्य का दौरा किया और राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों के सदस्यों और उपभोक्ता संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने देहरादून जिले में पीडीएस और आईसीडीएस केंद्रों का भी दौरा किया तथा अधिकारियों और इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों के साथ भी विस्तृत चर्चा की। यात्रा का समापन देहरादून के जिला कलेक्टर और उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक के साथ हुआ। इस दौरान यह देखा गया कि जिला उपभोक्ता फोरम देहरादून, राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखंड राज्य में बड़ी संख्या में लम्बित और रिक्त पद हैं। संशोधित अधिनियम के अनुसार वित्तीय क्षेत्राधिकार को अभी लागू किया जाना बाकी है। राज्य में भोजन और पोषण की स्थिति ठीक है। पीडीएस के तहत उचित मूल्य की

दुकानें, लाभार्थियों की जरूरतों के लिए उत्तरदायी हैं और ठीक से काम कर रही हैं। खराब नेटवर्क/वाईफाई के कारण कुछ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या है। 'उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2020' को लागू करने और फोरम/आयोग के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक रिक्ति को भरने की अनुशंसा की गई है।

9.14 **डॉ. जयश्री गुप्ता, उपभोक्ता मामले और खाद्य से संबंधित मुद्दों के लिए विशेष मॉनीटर, एनएचआरसी** ने 8 मार्च 2021 से 12 मार्च 2021 तक, अहमदाबाद का दौरा किया। उन्होंने गुजरात राज्य के जिला उपभोक्ता आयोगों और राज्य उपभोक्ता आयोग का दौरा किया और अधिकारियों, कर्मचारियों और राज्य के उपभोक्ता संगठनों से उपभोक्ता संरक्षण मशीनरी के कामकाज तथा राज्य में खाद्य और पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेके लिए विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अहमदाबाद जिले में पीडीएस केंद्र का भी दौरा किया और अधिकारियों के साथ–साथ इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों के साथ भी विस्तृत चर्चा की। राज्य में भोजन और पोषण की समग्र स्थिति की समीक्षा की गई, विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा कुपोषण की समस्याओं से निपटने के लिए की गई पहलों से संबंधित, जैसा कि एनएफएचएस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। राज्य में नकली/अवैध/कृत्रिम दवाओं और टीकों से संबंधित चिंताओं पर भी संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। यात्रा का समापन अहमदाबाद जिले के जिला कलेक्टर और गुजरात राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के सचिव के साथ एक बैठक के साथ किया गया। यात्रा रिपोर्ट आयोग को अनुमोदन और आगे के निर्देशों के लिए, यदि कोई हो, प्रस्तुत की गई है।

घ. अनुसंधान परियोजनाएं

9.15 आयोग ने, हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए **"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच खाद्य और पोषण सुरक्षाः तीन भारतीय राज्यों के साक्ष्य"** नामक एक शोध परियोजना को प्रायोजित किया। डॉ अमित कुमार बसंतराय, सहायक प्रोफेसर प्रधान अन्वेषक हैं और डॉ इंदरवीर सिंह, सहायक प्रोफेसर अनुसंधान परियोजना के सह–अन्वेषक हैं। अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य हैं:

1. खाद्य और पोषण असुरक्षा की सीमा को मापना
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों और सामान्य श्रेणी के परिवारों की खाद्य और पोषण असुरक्षा की स्थिति में अंतर का दस्तावेजीकरण करना
3. खाद्य असुरक्षा के निर्धारकों का पता लगाना
4. पोषाहार असुरक्षा का निर्धारण करने वाले कारकों का विश्लेषण करना
5. खाद्य और पोषण संबंधी असुरक्षा की जांच के लिए वर्तमान कार्यक्रमों के साथ समस्याओं और चुनौतियों की जांच करना
6. खाद्य और पोषण संबंधी असुरक्षा के उन्मूलन के लिए नीतिगत सुझाव देना

9.16 अध्ययन एक प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित होगा जो तीन राज्यों अर्थात् ओडिशा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित अनुसंधान परियोजना की कुल अवधि 12 महीने है।

अध्याय 10

शिक्षा का अधिकार

10.1 शिक्षा का अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसके साथ ही यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 26 तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 14 में भी निहित है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा 2030 एजेंडा को रेखांकित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों में से एक है जो कि सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 4 पर आधारित है जिसका उद्देश्य 2030 तक, "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना" है।

10.2 भारत में, 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित, बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। इसके तहत सभी निजी स्कूलों को वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है। यह सभी गैर–मान्यता प्राप्त स्कूलों को व्यवसाय से प्रतिबंधित करता है, तथा प्रवेश के लिए कोई दान या कैपिटेशन शुल्क और बच्चे या माता–पिता के साक्षात्कार का प्रावधान नहीं करता है।

10.3 साक्षरता दर और स्कूली शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, राज्यों द्वारा आरटीई के कार्यान्वयन, विशेषकर उचित कक्षाओं, स्कूलों के लिए शौचालय और चाहरदीवारी, पीने के पानी की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की जगह, शिक्षकों के पद की रिक्तियों को भरना और छात्र–शिक्षक अनुपात जैसे बुनियादी आवश्यक ढांचे से संबंधित, अभी भी बड़ी खामियां हैं। आरटीई, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों तथा संघर्ष–क्षेत्रों के ज्यादातर बच्चों के लिए अस्पष्ट है। इसके अलावा, सभी राज्यों में, आरटीई के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु आवश्यक, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, कोई आयोग, नहीं हैं। इसलिए, इस अधिकार को सार्थक और पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए भारी वित्तीय और मानव संसाधनों के निवेश के अलावा, जमीनी स्तर पर बहुत काम करने की आवश्यकता है।

10.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत में, बच्चों की शिक्षा की स्थिति से संबंधित मुद्दों के प्रति सजग है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के 12(जी) के तहत आयोग को मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, आयोग ने, राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब के सहयोग से "भारत के स्कूलों में मानव अधिकार शिक्षाः राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का एक तुलनात्मक अध्ययन" पर एक अध्ययन सौंपा था। 27 दिसंबर, 2018 को, आयोग द्वारा शोध अध्ययन पूरा करके उसे अनुमोदित किया गया और फिर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। केंद्र / राज्य सरकारों के लिए, रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक यह था कि भारत में, स्कूलों के पाठ्यक्रम में मानव अधिकारों पर सामग्री को भी शामिल किया जाना चाहिए।

10.5 इस संबंध में, आयोग ने, सभी संघ और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी कर उनसे प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर, मानव अधिकारों पर सामग्री शामिल करने का अनुरोध किया है।

कुछ राज्यों ने अपनी रुचि दिखाई है और पाठ्यक्रम के अगले संशोधन से मामले को देखने के लिए सहमत हुए हैं और आयोग के अवलोकन के लिए मानव अधिकार के मुद्दों पर सामग्री भी अग्रेषित की है जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

क. नव स्वीकृत अनुसंधान परियोजना

10.6 दिल्ली में प्रवासी कामगारों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव

i. यह नया स्वीकृत शोध अध्ययन प्रो. जुबैर मीनाई, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा किया गया है।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- प्रवासी बच्चों की शिक्षा पर महामारी और स्कूल बंद होने के प्रभाव का अध्ययन करना।
- आरटीई के आलोक में कोविड 19 के दौरान प्रवासी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंत्र की जांच करना
- प्रवासी बच्चों द्वारा अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए किए गए उपायों को समझना
- कोविड–19 और उसके बाद की स्थिति के दौरान प्रवासी बच्चों को अपनी शिक्षा तक पहुँच बनाने और उसे जारी रखने में आने वाली चुनौतियों को समझना
- बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने और समग्र व्यक्तित्व विकास में आभासी शिक्षा की व्यवहार्यता का आकलन करना
- कोविड के आलोक में प्रवासी बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकारों की प्रतिक्रिया का आकलन करना

iii. अध्ययन की अवधिः पहली किस्त जारी होने की तारीख से 10 महीने।

iv. आयोग ने कुल 09,15,000/– रुपये (नौ लाख पंद्रह हजार रुपये मात्र) के बजट के साथ परियोजना को मंजूरी दी है।

ख. वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले

1. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र मानव अधिकारों का उल्लंघन (अन्वेषण प्रभाग)

(केस संख्या 5630/30/0/2019)

दिल्ली पुलिस द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों को हिरासत में लेने और दिसंबर, 2019 में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्हें मूल अधिकारों से वंचित करने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त होने पर, अन्वेषण प्रभाग की एक टीम ने कथित मानव अधिकारों का उल्लंघन की घटना पर एक मौके का दौरा किया। पूछताछ के दौरान, कथित पीड़ितों, छात्रों, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, गवाहों, पुलिस कर्मियों, सीसीटीवी फुटेज, अस्पताल के रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक सबूतों के बयान एकत्र किए गए। गहन जांच के बाद जांच दल ने पाया कि यह घटना कानून–व्यवस्था की है जिसमें हिंसा, भीड़ का गैरकानूनी

जमावड़ा, अराजकता और आगजनी शामिल है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की, हालांकि कुछ घटनाओं में पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली। तदनुसार, जांच दल की सिफारिशों पर आयोग ने, मानवीय आधार पर घायल छात्रों को उपयुक्त मुआवजे की अनुशंसा की, उन पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जिन्होंने गैर–पेशेवर तरीके से स्थिति को संभाला और साथ ही आयोग ने, पुलिस बलों के लिए, कानून–व्यवस्था की स्थिति को संभालने के दौरान ध्यान रखने योग्य तथ्यों के प्रशिक्षण मॉड्यूल पर भी जोर दिया। आयोग ने, यह भी अनुशंसा की कि सभी मामलों की जांच अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा गुण–दोष के आधार पर की जाए तथा सोशल मीडिया पर झूठी खबरों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा बेहतर कदम उठाए जाएँ और भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं से निपटने से संबंधित एक मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार की जाए।

2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प (अन्वेषण प्रभाग)

(केस संख्या 1018/24/3/2020)

दिसंबर, 2020 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के परिसर में सीएए–विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए उल्ल्घन के मामले रिपोर्ट किए गए। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने, एक रिट याचिका में घटना के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच, एनएचआरसी को सौंपी थी। तदनुसार, एनएचआरसी के एक जांच दल ने जनवरी, 2020 में गहन जांच की और पाया कि यह घटना प्रथम दृष्टया कानून और व्यवस्था की स्थिति थी जिसमें अलीगढ़ पुलिस और सशस्तर बलों द्वारा हिंसा और बाद में जबरदस्ती कार्रवाई शामिल थी। जांच दल ने पाया कि कोई भी छात्र लापता नहीं पाया गया, कोई अवैध हिरासत नहीं थी और स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस की कार्रवाई उचित थी। हालांकि, घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए छात्रों को मुआवजे की अनुशंसा की गई थी और असंवेदनशील और गैर–पेशेवर तरीके से स्थिति को संभालने के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। जांच रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रस्तुत की गई जिसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया।

3. ज्योतिबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रंगबाड़ी, कोटा, राजस्थान के पांचवीं कक्षा के एक छात्र को उसके शिक्षक ने बांस से बेरहमी से पीटा, जिसकी बाद में, दहशत से मौत हो गई

(केस संख्या 3142/20/21/2017)

i. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की मौत, स्कूल में शिक्षक द्वारा बेरहमी से की गई पिटाई के कारण हुए भगदड़ के कारण हुई। प्राचार्य और पुलिस से शिकायत के बावजूद आरोपित शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, एसपी, कोटा, राजस्थान ने बताया कि अदालत के निर्देश के अनुसार इस संबंध में, 51/18 के तहत 506/304/120 बी, आईपीसी का मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के प्रमुख सचिव ने, आयोग को, सूचित किया कि मामले में एक जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, छात्र मोहन सोनी की मौत का कारण, पिटाई नहीं था।

iii. इस मामले की जांच, आयोग के, अन्वेषण प्रभाग ने भी की थी। बताया गया कि शिकायतकर्ता श्रीमती नौकला सोनी ने, स्कूल के अधिकारियों और पुलिस दोनों से संपर्क किया था, हालांकि एक संज्ञेय अपराध का आरोप लगाने के बावजूद उनका मामला दर्ज नहीं किया गया था यानी स्कूल शिक्षक द्वारा

पिटाई के कारण उनके बेटे की मौत और बाद में विकसित लक्षणों के कारण दम तोड़ दिया। बच्चे की मृत्यु 03.12.2017 को हुई थी, जबकि मामला 25.01.2018 को 52 दिनों के बाद दर्ज किया गया था, वह भी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट, कोटा के हस्तक्षेप के बाद, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

iv. आयोग ने, इस मामले पर विचार करते हुए पाया कि घटना के 52 दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और अदालत के निर्देश पर, यह पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है जिससे पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसलिए आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को, मृतक लड़के के परिजन को 2,00,000/– रुपये का (रुपये दो लाख मात्र) मुआवजा देने का निर्देश दिया और भुगतान का प्रमाण आयोग को भेजने के लिए कहा गया। जवाब प्रतीक्षित है, मामला आयोग के विचाराधीन है।

अध्याय 11

बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रमिकों के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे

11.1 उच्चतम न्यायालय ने, रिट याचिका (सिविल) संख्या 3922/1985 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु और अन्य, में अपने आदेश, दिनांक 11.11.97, द्वारा, और 1997 में रिपोर्ट (7) एससीएएलई (एसपी) 17, ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में न्यायलय के निर्देशों के कार्यान्वयन निगरानी और प्रबंधन के साथ–साथ बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन), अधिनियम (बीएलएसएए), 1976 की जिम्मेदारी सौंपी गई।।

11.2 आयोग ने हमेशा यह माना है कि बंधुआ मजदूर प्रणाली का प्रचलन सामान्य रूप से मानव अधिकारों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद –21 में निहित जीवन के अधिकार के सबसे खराब उल्लंघनों में से एक है। इसकी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में वे सभी अधिकार और साधन शामिल हैं जिनके द्वारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता हैः यह एक न्यूनतम भौतिक और जैविक अस्तित्व के दायरे से परे है।

11.3 जबरन/बंधुआ मजदूरी को, आयोग द्वारा मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में देखा जाता है। यह क्रूरता, आक्रोश और अभाव के सबसे बुरे रूपों में से एक है। यह प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक नागरिक के अहरणीय मानव अधिकारों का हनन है। यह नागरिक समाज पर एक धब्बा है और राष्ट्र राज्य की अंतरात्मा के लिए एक झटका है।

11.4 आयोग ने, देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों पर इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने तक, तीन राष्ट्रीय संगोष्ठियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया और 50 कार्यशालाओं का आयोजन किया। आयोग का उद्देश्य संबंधित राज्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाकर भारत के नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाते हुए बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण रखना है। अब तक, इन कार्यशालाओं ने बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों में संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आयोग इस विषय पर अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

11.5 समय–समय पर, आयोग को, बंधुआ श्रम प्रणाली (वयस्क, किशोर और बच्चे शामिल) के शिकार व्यक्तियों के शोषण और उत्पीड़नय बंधुआ और गुलाम की तरह काम करने वाले और रहने वाले अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों के साथ जाने वाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार; ऐसी महिलाओं का शील भंग करना; मजदूरी का भुगतान या अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या बाजार मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान (जहां ऐसी न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित नहीं किया गया है) जैसे मुद्दों के संबंध में शिकायतों का एक अम्बार प्राप्त होता है। आयोग ऐसी शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए गहन जांच और घटनास्थल का दौरा करने के बाद उनका निवारण करते हैं।

11.6 आयोग, अपने सदस्यों और विशेष प्रतिवेदकों के माध्यम से, बीएलएसएसए–1976 और केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), 2016 के कार्यान्वयन की गति और प्रगति के संबंध में, प्रमुख बंधुआ मजदूरी प्रवण राज्यों के

प्रदर्शन का रिकॉर्ड और मूल्यांकन करता है। कुछ राज्यों में उनके प्रदर्शन को देखते हुए ऐसी समीक्षाएं दोहराई गई हैं। राज्य सरकारों को समीक्षा से पहले और समीक्षा के दौरान विश्वास में लिया गया है, और समीक्षा पूरी तरह से उतनी ही सहभागी रही है जितना कि समीक्षा से पहलेय पर्याप्त रूप से, पहले से परिचालित एक विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों के एक समूह के लिए, राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

क. बंधुआ मजदूरी पर कोर समूह की बैठक

11.7 आयोग ने, 14 अगस्त, 2020, को सुबह 11:00 बजे, माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत की अध्यक्षता में बंधुआ मजदूरी पर, कोर समूह की बैठक आयोजित की।

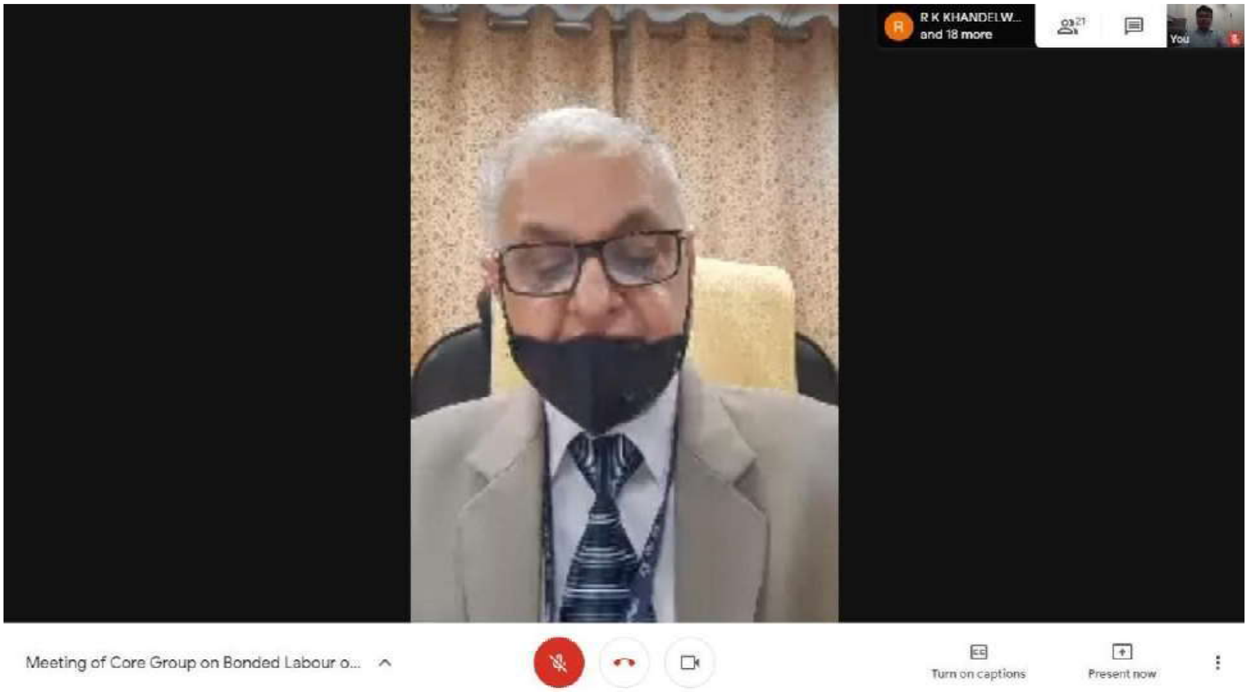

चित्र 11.1: न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, सदस्य, एनएचआरसी, उद्घाटन भाषण देते हुए

11.8 बैठक में विचारणीय विषय निम्नलिखित थे :

i. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण

ii. बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 2016 के कार्यान्वयन पर चर्चा

iii. 17 अगस्त, 2017 को श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिचालित बंधुआ मजदूर की पहचान एवं रिहाई और अपराधी के अभियोजन के लिए केंद्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर स्पष्टीकरण

iv. 10 फरवरी, 2020 को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरी पर राज्य मानक संचालन प्रक्रियाओं का अवलोकनः श्री किरण कमल प्रसाद, कोर ग्रुप के सदस्य द्वारा उठाए गए संबंधित मुद्दे

v. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में प्रवासी कामगारों के अधिकार

11.9 उपर्युक्त विचारणीय विषयों पर विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, निम्नलिखित सिफारिशें सामने आईंः

i. बंधुआ मजदूरी की पुनर्परिभाषाः बदलते संदर्भों के साथ बंधुआ मजदूरी का स्वरूप भी बदला है। इस प्रकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से, बंधुआ मजदूरी की प्रकृति में ऐसे परिवर्तनों के दायरे का आकलन और अध्ययन कर सकता है और फिर संशोधन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

ii. कार्यान्वयन प्राधिकरणों का क्षमता निर्माणः श्रम और रोजगार मंत्रालय, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (बीएलएसएए), 1976 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार राज्य प्राधिकरणों के लिए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्री्य क्षेत्र की योजना (सीएसएस), 2016, बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव के लिए केन्द्रीय मानक प्रचालन प्रक्रिया और अपराधी का अभियोजन, 2017 और अन्य आदेशों जैसे कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में, संवेदीकरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू कर सकता है।

iii. प्रावधानों के बारे में जागरुकता पैदा करना : बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (बीएलएसएए), 1976 और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्य् प्रावधानों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हुए सरल सूचना पत्रक निकालकर जागरुकता पैदा करने की पहल की जानी चाहिए। इसे स्थानीय भाषाओं में निकाला जा सकता है और व्यापक रूप से वितरित किया जा सकता है।

iv. कॉरपस फंड बनाने/भरने और संक्षिप्ता विचारण के त्वरित निपटान के लिए निर्देश : मंत्रालय, राज्यों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस), 2016 के तहत कॉरपस फंड बनाने/फरने और संक्षिप्त् विचारण का तेजी से निपटान करने का निर्देश दे सकता है। पिछले अनुभव बताते हैं कि इस तरह की बातें राज्य के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को तेजी से पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।

v. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस), 2016 के तहत कॉरपस फंड प्राप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया का सरलीकरण : चूंकि राज्यों को सही स्वरूप में प्रस्ताव भेजने में कई तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, निधि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और प्रारूप को सरल बनाने पर विचार कर सकता है।

vi. मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मंत्रालयों और उनकी योजनाओं के बीच समामेलनः महामारी को देखते हुए जहां भेद्यता काफी बढ़ी है वहां श्रम और रोजगार मंत्रालय, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए विकास कार्यक्रमों और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विभिन्न लाभों के बीच समामेलन के दायरे का आकलन कर सकता है और उसके बाद समामेलन के क्षेत्रों को इंगित करने वाले आवश्यक निर्देश तैयार कर सकता है।

vii. डेटा साझा करनाः श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2016 से 2020 तक की संशोधित योजना के बाद से पुनर्वास (नकद सहायता और गैर–नकद पुनर्वास) और अभियोजन पर आंकड़ों का राज्य–वार ब्यौरा साझा करेगा।

viii. केन्द्रीय एसओपी का प्रसारः बंधुआ मजदूर की पहचान एवं बचाव और अपराधी के अभियोजन, 2017 के लिए केन्द्रीय मानक प्रचालन प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रसारित करने की आवश्यकता है। श्रम

और रोजगार मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि वह राज्य सरकार को इसे, सभी संबंधित राज्य प्राधिकरणों के बीच प्रसारित करने का निर्देश दे और उन्हें स्थानीय भाषाओं मे अनुवाद कराने का भी निर्देश दे।

ix. बंधुआ मजदूरी की पहचान के लिए अघोषित निरीक्षण : राज्य के अधिकारियों द्वारा अघोषित/औचक निरीक्षण किए जाने की आवश्यिकता है ताकि नियोक्ताओं द्वारा बंधुआ मजदूरी को छुपाए जाने की गुंजाइश न हो।

x. बचाव दल में सिविल सोसायटी के एक सदस्य या सामाजिक कार्यकर्ता को शामिल करना : बंधुआ मजदूर की पहचान एवं बचाव और अपराधों के अभियोजन, 2017 के लिए केन्द्रीय मानक प्रचालन प्रक्रिया के बिंदु 2.2(i) में कहा गया है कि बचाव दल में सिविल सोसायटी संगठन का एक प्रतिनिधि या एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होना चाहिए। राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि हर बार इस दिशानिर्देश का पूर्णतः पालन किया जाए।

xi. केन्द्रीय एसओपी पर दोबारा गौर करना : बंधुआ मजदूर की पहचान एवं बचाव और अपराधों के अभियोजन के लिए केन्द्रीय मानक प्रचालन प्रक्रिया, 2017 पर, बंधुआ मजदूरी के पीडितों की सुरक्षा, रिहाई और पुनर्वासन पर जोर देने के साथ फिर से विचार किया जा सकता है। 3 महीने की अवधि के दौरान रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश होने चाहिए, जिसके भीतर एक संक्षिप्त विचारण पूरा किया जाए। इसके अलावा, यह भी स्प्ष्ट किया जाना चाहिए कि परीक्षण अवधि के दौरान मजदूर को कहां रखा जाना है।

xii. उद्योगों में श्रमिकों के लिए कोविड–19 बीमा : श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रमिकों के बीच कोविड–19 के डर को दूर करने और प्रवासी श्रमिकों को शहरों में काम हेतु लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य् से कोविड –19 स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के संदर्भ में नियोक्ताओं को निर्देश जारी करने की संभावनाओं की तलाश कर सकता है।

xiii. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना : संबंधित मंत्रालय, राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएम–पीडीएस) के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस योजना के लागू होने से प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा, खासकर इस महामारी के समय में सुनिश्चित होगी।

xiv. प्रवासी कामगारों के डेटाबेस का रख–रखाव : संबंधित मंत्रालय को, पंचायत स्तर पर प्रवासी कामगारों के रजिस्टर के रख–रखाव के लिए राज्यों को बढ़ावा देना और उनका अनुकरण करना चाहिए क्योंकि यही प्रवासी मजदूरों की तस्करी के मामले में एक डेटा पूल के रूप में कार्य करेगा। ये आंकड़े, अधिकारियों द्वारा प्रवासी परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर, पर्याप्तं मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, उचित आवास सुविधाएं, सुरक्षित पेयजल, स्वरच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किए जाने को सुकर बनाएंगे। यह 6 जुलाई, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई परामर्शियां (सं. 24013/4/2020–एटीसी) के अनुरूप भी है।

xv. श्रमिकों के अधिकारों का चार्टर : श्रमिकों की आजीविका, भोजन, सुरक्षा और श्रम की गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करने में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करने के लिए कामकाजी आबादी के अधिकारों का एक चार्टर तैयार किया जाना चाहिए।

चित्र 11.2: बैठक के विचारणीय विषयों पर विचार–विमर्श करते प्रतिभागी

ख. कोविड–19 के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के मानव अधिकारों पर परामर्शी

11.10 आयोग ने 5 अक्टूबर, 2020 को कोविड–19 के दौरान अनौपचारिक कामगार शीर्षक से श्रम और रोजगार मंत्रालय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उसके अनुसार की गई कार्रवाई रिपोर्ट को लागू करने और प्रस्तुत करने के लिए परामर्शी जारी की। उक्त परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

ग. बंधुआ मजदूरी पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट

11.11 एनएचआरसी, उच्चतम न्यायालय के, दिनांक 11 नवंबर 1997 की रिट याचिका (सिविल नंबर 3922/1985) के निर्देशों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है। शीर्ष अदालत ने 15 अक्टूबर 2012 की रिट याचिका पर अपने फैसले में बंधुआ मजदूरों की निगरानी और सर्वेक्षण के संबंध में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अगले निर्देश दिए थे।

11.12 उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 मई 2014 के निर्णय के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार बंधुआ श्रमिकों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास पर अर्धवार्षिक फीडबैक प्रस्तुत करना आवश्यक है। आयोग ने दिनांक 9 नवंबर, 2011 के अपने पत्र द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।

11.13 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने आयोग को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

घ. अनुसंधान परियोजनाएं

घ.1 जारी अनुसंधान परियोजनाएं

11.14 आयोग, विभिन्न सामाजिक रूप से प्रभावशाली और प्रासंगिक अनुसंधानों के संचालन में लगा हुआ है। इस संबंध में, प्रभाग योग्य उम्मीदवारों/संस्थानों से अनुसंधान प्रस्तावों की मांग करता है और उनकी जांच करता है। यह प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है और चयनित अध्ययनों पर आयोग द्वारा अंतिम रूप से विचार किया जाता है। आयोग में चल रहे शोध अध्ययनों का विवरण निम्नलिखित हैः

11.15 ओडिशा राज्य में प्रवासन, बंधुआ मजदूरी और तस्करी के अंतःप्रतिच्छेदन

i. डॉ. शशिमी नायक, प्रोफेसर, राष्ट्रीय सामाजिक कार्य और सामाजिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, द्वारा शोध अध्ययन।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- प्रवासन के स्वरुप और व्यापकता (अंतर और अंतः राज्य प्रवास,दोनों) तथा उन प्रवास करने वालों का प्रतिशत निर्धारित करना जो पिछले 3 वर्षों के भीतर बंधुआ और/या अवैध रूप से बेचे जा चुके हैं, इसमें तस्करी और बंधुआ मजदूरी के सबसे दोषपूर्ण अभिलक्षण और हेतु घटक शामिल हैं।
- ओडिशा से प्रवास और तस्करी की प्रकृति को समझने के लिए, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों/परिस्थितियों, प्रवासी स्वरुप, मार्गों और प्रवास करने वालों के तरीकों को समझना।
- कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं और कल्याण योजनाओं सहित ओडिशा सरकार के वर्तमान तंत्र की प्रभावकारिता, विशेष रूप से जो तस्करी और बंधुआ मजदूरी के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं उनका अनुभव कैसे किया जाता है, इसे समझना।
- एक ऐसी कार्यप्रणाली स्थापित करना, जिसे भारत के अन्य राज्यों में दोहराया जा सके।

iii. स्थानः ओडिशा के छह चुनिंदा जिले।

iv. अध्ययन की अवधिः एनएचआरसी द्वारा पहली किस्त जारी करने की तारीख से 12 महीने।

v. कुल बजटः आयोग ने 4,77,000/– (रुपये चार लाख सत्तर–सात हजार मात्र) कुल बजट के साथ परियोजना को मंजूरी दी है।

11.16 भारतीय कपड़ा उद्योग में बालिका श्रम की व्यापकता–तमिलनाडु और गुजरात में वस्त्र एवं परिधान समूहों पर एक अध्ययन

i. डॉ. एम. कार्तिक, सहायक प्रोफेसर, सार्वजनिक उद्यम संस्थान, नई दिल्ली, द्वारा शोध अध्ययन।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- तमिलनाडु और गुजरात के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में श्रमिकों के रोजगार के तरीकों का पता लगाना।

- गुजरात एवं तमिलनाडु और वस्त्र एवं परिधान उद्योग में बालिकाओं के रोजगार और कार्य स्थितियों की पहचान करना।
- यह पता लगाने के लिए कि क्या कर्मचारी, शोषणकारी रोजगार योजनाओं के तहत बाल श्रमिकों को नियोजित करने में उप दलालों, प्रतिनिधियों जैसे किसी तीसरे पक्ष से प्रभावित हो रहे हैं।

iii. स्थानः अध्ययन में दो राज्यों में से प्रत्येक में 2 जिलों को कवर किया जाएगा, अर्थात् तमिलनाडु में कोयंबटूर और तिरुपुर और गुजरात में सूरत और अहमदाबाद।

iv. अध्ययन की अवधिः एनएचआरसी द्वारा पहली किस्त जारी करने की तारीख से 12 महीने।

v. कुल बजटः आयोग ने 14,58,300/—(चौदह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) कुल बजट के साथ परियोजना को मंजूरी दी है।

11.17 स्कूलों में बाल श्रमिकों को मुख्यधारा में लानाः मुद्दे, चुनौतियाँ और विकल्प

i. डॉ. अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई द्वारा शोध अध्ययन।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- शिक्षा के क्षेत्र में, बाल श्रमिकों को मुख्यधारा में लाने की राह से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों की जांच करना।
- मुख्यधारा की प्रक्रिया में सुधार के लिए क्षेत्र स्तरीय वैकल्पिक समाधान तलाशना।
- स्थानः तीन राज्य अर्थात् बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना। प्रत्येक राज्य से एक जिला अर्थात् गया, ठाणे और हैदराबाद।

iii. अध्ययन की अवधिः एनएचआरसी द्वारा पहली किस्त जारी करने की तारीख से 12 महीने।

iv. आयोग ने, 12, 70,500/— (बारह लाख सत्तर हजार पांच सौ रुपये मात्र) कुल रुपये के बजट के साथ परियोजना को मंजूरी दी है। ।

11.18 मूक रूप से बढ़ती बहुसंख्या की अनसुनी आवाजें: राजस्थान की महिला प्रवासी श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन

i. डॉ. शाजी, सहायक प्रोफेसर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शोध अध्ययन।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- राजस्थान के चयनित जिलों में आवक प्रवास की विभिन्न प्रवृत्तियों को उजागर करना और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा लाभों और जोखिमों की जांच करना।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी महिलाओं के व्यावसायिक प्रावधानों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का आकलन करना।

- महिला प्रवासी कामगारों के अधिकारों से संबंधित आंकड़ों के लिए सांख्यिकीय कारक विश्लेषण, खनन और अन्य तकनीकों को लागू करके साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना।
- अध्ययन, उपलब्ध सरकारी योजनाओं की प्रभावकारिता और प्रवासी महिला श्रमिकों की जागरूकता का आकलन करेगा।

iii. स्थानः राजस्थान के चार जिले राजस्थान, जयपुर, अजमेर और जोधपुर

iv. अध्ययन की अवधिः एनएचआरसी द्वारा पहली किस्त जारी करने की तारीख से 12 महीने।

v. अध्ययन का बजटः रु. 7,26,000/– (रुपये सात लाख छब्बीस हजार मात्र)

11.19 प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए मानव अधिकार मुद्दों और समस्याओं की पहचान करना और नीतिगत ढांचा विकसित करना

i. डॉ. आर. कासिलिंगम, प्रोफेसर, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, द्वारा शोध अध्ययन।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- प्रवासी मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
- श्रमिकों के अंतर्राज्यीय प्रवास के लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन करना तथा प्रवास तथा नौकरी की खोज करने में सूचना संचरण प्रक्रिया की जांच करना।
- प्रवासी मजदूरों के रोजगार पैटर्न, मजदूरी दर, काम करने की स्थिति और रहने की स्थिति का अध्ययन करना।
- भारत के,असंगठित क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना की जाने वाली अंतर्निहित समस्याओं, मुद्दों और मानव अधिकारों के उल्लंघन का अध्ययन करना।
- प्रवासियों के शहर में बसने की प्रक्रिया और उनके शहरी व्यवसायों में स्थापित होने की प्रक्रिया की जांच करना।
- नियोक्ता और प्रवासी मजदूरों के बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करना।
- प्रवासी कामगारों के संदर्भ में कानूनी ढांचे का विश्लेषण करना और यह पता लगाना कि प्रवासी कामगारों को अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों (रोजगार का नियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, का लाभ किस हद तक मिल रहा है।
- प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं पर काबू पाने के तरीकों और साधनों का अध्ययन करना और प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा–उपाय प्रदान करने वाले कानूनों के प्रभावी और बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझावों की अनुशंसा करना।

iii. स्थानः तीन राज्य अर्थात् केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक।

iv. अध्ययन की अवधिः एनएचआरसी द्वारा पहली किस्त जारी करने की तारीख से 6 महीने।

v. अध्ययन का बजटः रु. 7,15,000/– (रुपये सात लाख पंद्रह हजार मात्र)।

11.20 दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व में घरेलू कामगारः गरिमा और अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से एक स्थितिपरक विश्लेषण

i. डॉ. लेख डी. भट, सहायक प्रोफेसर, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUTN), तमिलनाडु, द्वारा शोध अध्ययन।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, प्रवासन प्रारूप और युवा महिला/बालिका घरेलू कामगारों के प्रवास के कारणों का अध्ययन करना।
- युवा महिला/बालिका घरेलू कामगारों द्वारा उनकी व्यावसायिक भूमिकाओं में काम की गरिमा/अधिकारों की अवधारणा की अभिव्यक्ति को समझना और इसे जाति, लिंग और वर्ग के व्यापक सामाजिक संदर्भ में खोजना।
- यह समझना कि एसईडब्ल्यू कि सए जैसे सहकारी आंदोलनों के साथ जुड़ाव/भागीदारी के माध्यम से महिलाएं, गरिमा और मानव अधिकारों के लिए कैसे प्रयास करती हैं।
- युवामहिला/बालिका घरेलू कामगारों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा उपायों सहित कामकाजी परिस्थितियों का पता लगाना और इन महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों/रहने की स्थिति में सुधार लाने में सहकारी आंदोलनों द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाना।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के अनुभवों और मांगे गए समाधानों को रिकॉर्ड करना।
- गांवों/मूल स्थानों में जीवन की गुणवत्ता (परिवर्तन) का आकलन करना।
- युवा महिला/बालिका घरेलूकामगारों के स्वास्थ्य और व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं की व्यक्तिपरक भावनाओं को दर्ज करना।

iii. स्थानः तीन राज्य अर्थात् केरल, तमिलनाडु और मिजोरम

iv. अध्ययन की अवधिः एनएचआरसी द्वारा पहली किस्त जारी करने की तारीख से 12 महीने।

v. अध्ययन का बजटः रु. 11,99,000/– (ग्यारह लाख निन्यानवे हजार रुपये मात्र)।

घ.2 पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं

11.21 **भारत में, प्रवासी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारों पर एक अध्ययनः** आयोग ने, यह शोध अध्ययन केरल डेवलपमेंट सोसाइटी, दिल्ली को सौंपा था। उक्त शोध अध्ययन को 1 मार्च 2021 को पूर्ण आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। अध्ययन, अपने 7 उद्देश्यों के माध्यम से, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारों तक पहुंचने में प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और बाधाओं की जांच करने के उद्देश्य से किया गया थाय सामाजिक सुरक्षा और अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के स्वास्थ्य अधिकारों के संबंध में केंद्र और राज्य स्तर पर कानूनों और नीतियों का विश्लेषण; अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकार प्रदान करने में समर्थकारी कारकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण; और सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारों को मजबूत करने के लिए राज्यों की सिफारिश करना। अध्ययन मे, उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिश्रित पद्धति का उपयोग किया गया।

आँकड़े, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र इन चार राज्यों के प्रत्येक 2 जिलों से एकत्र किए गए थे। नमूनों का कुल आकार 4400 था। विभिन्न हितधारकों के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i. राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का निर्माण

ii. केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय प्रवासन परिषद् की स्थापना

iii. अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के बीच योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।

iv. एक 24×7 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण हेल्पलाइन

v. मनरेगा के तहत प्रवासी कामगारों के लिए कोटा सृजित करना

vi. प्रवासी कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तक पहुंच बढ़ाना।

vii. 'एक राष्ट्र एक राशनकार्ड' के क्रियान्वयन में तेजी लाएं

viii. राज्यों के श्रम विभागमें प्रवासी श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण

ix. श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और नियोक्ताओं को व्यापक ऑन–साइट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना

x. कार्यस्थल सुरक्षा प्रणाली, कार्यस्थल सुरक्षा प्रशिक्षण और उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करें

xi. आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत प्रवासी बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करें।

xii. प्रवासी श्रमिकों का कौशल मापन और प्रमाणन

xiii. मेजबान राज्य या गृह राज्य में प्रशिक्षण संस्थान, प्रवासी श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

xiv. प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दूरस्थ मतदान अधिकार प्रदान करें।

11.22 **घरेलू कामगारों की संवेदनशीलता, कानूनी सुरक्षा और काम करने की स्थिति:** आयोग ने यह शोध अध्ययन, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल (जेआईएमएस), नई दिल्ली को सौंपा था। उक्त शोध अध्ययन को 23 मार्च 2021 को पूर्ण आयोग, द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके 5 उद्देश्यों के माध्यम से अध्ययन का उद्देश्य जांच करना था: घरेलू कामगारों और उनके सामने आने वाली समस्याओं/असुरक्षाओं के प्रकारों को वर्गीकृत करनाय लैंगिक समानता और बाल संरक्षण के दृष्टिकोण से समस्याएं; वसंत कुंज, दक्षिण पश्चिम, दिल्ली की सभी 5 मलिन बस्तियों के विशेष संदर्भ में, मौजूदा कानून के तहत उपलब्ध सुरक्षा प्राप्त करने में उनकी अक्षमता के लिए जिम्मेदार कारक; घरेलू नौकरों के कल्याण और सुरक्षा के संबंध में न्याय का कार्यान्वयन की मौजूदा व्यवस्था में खामियां और नीति और कार्यान्वयन स्तरों पर इन श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें करना। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्ययन में मिश्रित पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का नमूना आकार, दक्षिण दिल्ली के बारह जिलों के 2000 घरेलू कामगारों का था। शोध अध्ययन की कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i. घरेलू कामगारों और उनके बच्चों के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर एक डेटाबेस बनाना ताकि उनकी आसानी से पहचान की जा सके और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके और उनके CSR फंड के माध्यम से कॉर्पोरेट घरानों के समर्थन को सूचीबद्ध किया जा सके।

ii. उनके साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।

iii. उनके कौशल को बढ़ाने के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण का आयोजन।

iv. वित्तीय और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

v. कम निवेश वाले उद्यमशील उद्यम शुरू करने के लिए सुलभ ऋण प्रदान करना।

vi. घरेलू कामगारों का समर्थन करने के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल बनाएं, जहां सरकार उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर सकती है और गैर सरकारी संगठन/निजी एजेंसियां रोजगार के अवसर प्रदान करने में उनकी मदद कर सकती हैं।

ङ. आरंभ किए गए प्रकाशन

11.23 एनएचआरसी – मार्ग पुस्तिकाएँः आयोग ने, जागरूकता के लिए मानव अधिकार के विविध विषयों पर पुस्तिकाएँ बनाने का कार्य दिल्ली स्थित संगठन, मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (मार्ग), को सौंपा है। पुस्तिकाओं को, इन विषयों (अधिकार के प्रति सम्मान), अधिकारों की व्याख्या (कानून का ज्ञान) तथा कानून का उपयोग करने के तरीके पर सुझाव (अधिकारों को सुरक्षित करने से संबद्ध ज्ञान और कौशल) के प्रति समुचित चर्चा या व्यवहार के लिए संरचित किया गया है। ऐसी ही एक पुस्तिका है 'बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और हाथ से मैला उठाने वालों के रूप में रोजगार का निषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है और प्रकाशन के अधीन है।

11.24 2011 'अपने अधिकारों को जानेंः बाल श्रम' की पुस्तिका का अद्यतनीकरणः आयोग ने 'अपने अधिकारों को जानें', पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी, जिसका उद्देश्य, बुनियादी मानव अधिकारों तथा उन अधिकार को समझाने में सहायक उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय तंत्र की एक आसान समझ बनाना है। 2011 में प्रकाशित 'अपने अधिकारों को जानेंः बाल श्रम' इस श्रृंखला की पुस्तिकाओं में से एक थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने नवीनतम घटनाओं के साथ पुस्तिका को अद्यतन करने का निर्णय लिया और वर्तमान में यह आयोग के विचाराधीन है।

च. आयोग के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर्स द्वारा क्षेत्र का दौरा

11.25 डॉ. विनोद अग्रवाल, विशेष प्रतिवेदक, एनएचआरसी, ने 17 से 20 मार्च, 2020 तक राजस्थान राज्य के भरतपुर, दौसा और जयपुर जिलों का दौरा किया और मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) के कार्यान्वयन का अध्ययन किया।उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के खेतिहर मजदूरों को कैसे लाभ हुआ है, इससे संबंधित एक सामान्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपने निरीक्षण के आधार पर, उन्होंने कुछ प्रमुख सिफारिशें कीं जैसेरू अधिक प्रभावी जॉब कार्ड वितरित करना और उन्हें आधार से जोड़ना, क्योंकि जिले की आबादी अधिक है; 100 दिनों के पूर्ण रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि करना, मनरेगा योजना के तहत काम करने के लिए एक बड़ी आबादी को आकर्षित करने हेतु न्यूनतम मजदूरी वितरण में वृद्धि और लंबित योजनाओं को कम करना। विशेष प्रतिवेदक ने सुझाव दिया कि योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए जिले में नियमित लेखा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। परियोजनाओं की जियो टैगिंग पर भी जोर दिया गया।

11.26 डॉ. विनोद अग्रवाल, विशेष प्रतिवेदक, एनएचआरसी, ने 26 सितंबर, 2019 को मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के खेतिहर मजदूरों को कैसे लाभ हुआ है, इससे संबंधित एक सामान्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपने निरीक्षण के आधार पर, उन्होंने कुछ प्रमुख सिफारिशें कीं जैसेः अधिक प्रभावी जॉब कार्ड वितरित करना और उन्हें आधार से जोड़ना, क्योंकि जिले की आबादी अधिक है; 100 दिनों का पूर्ण रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि करना, मनरेगा योजना के तहत काम करने के लिए एक बड़ी आबादी को आकर्षित करने हेतु न्यूनतम मजदूरी वितरण में वृद्धि और लंबित योजनाओं को कम करना। विशेष प्रतिवेदक ने सिफारिश की कि जिला अधिकारियों को प्रशासनिक और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व्यय और मजदूरी के विलंबित भुगतान की समीक्षा करनी चाहिए और सुझाव दिया कि योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए जिले में नियमित लेखा परीक्षा आयोजित की जा सकती है। परियोजनाओं की जियो–टैगिंग पर भी जोर दिया गया।

11.27 डॉ. विनोद अग्रवाल, विशेष प्रतिवेदक, एनएचआरसी ,ने 23 से 25 अक्टूबर, 2019 को मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा जिलों का दौरा किया और किया। उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के खेतिहर मजदूरों को कैसे लाभ हुआ है, इससे संबंधित एक सामान्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपने निरीक्षण के आधार पर उन्होंने, कुछ प्रमुख सिफारिशें कीं जैसेः अधिक प्रभावी जॉब कार्ड वितरित करना और उन्हें आधार से जोड़ना, क्योंकि जिले की आबादी अधिक है; 100 दिन का पूर्ण रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि करना, मनरेगा योजना के तहत काम करने के लिए एक बड़ी आबादी को आकर्षित करने हेतु न्यूनतम मजदूरी वितरण में वृद्धि और लंबित योजनाओं को कम करना। विशेष प्रतिवेदक ने संबंधित प्राधिकारियों को श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का सुझाव दिया और साथ ही यह भी सुझाव दिया कि प्रशासनिक और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व्यय की भी समीक्षा की जाए।

11.28 विशेष संवाददाता डॉ. विनोद अग्रवाल ने, महामारी के बीच मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों का दौरा किया। उन्होंने महामारी के प्रकोप के बाद प्रवासियों के पलायन के मद्देनजर राज्यों द्वारा की गई तैयारी की समीक्षा के लिए एक प्रोफार्मा विकसित किया। उनके दौरे का विवरण इस प्रकार हैः

i. मध्य प्रदेश 21 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक

ii. ओडिशा 24 अगस्त 2020 से 28 अगस्त 2020 तक

iii. राजस्थान 22 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020 तक

छ. प्रवासी मजदूरों की पीड़ा और दुर्दशा से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप

11.29 प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्व–प्रेरणा से 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या, 6 को लिया था। आयोग ने, इसमें शामिल मुद्दों की विवेचना के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का अनुरोध करते हुए 2020 के हस्तक्षेप–प्रार्थना पत्र संख्या 51637, को दायर किया। हस्तक्षेप की अनुमति दी गई थी।आयोग ने, सभी श्रमिकों के अनिवार्य पंजीकरण, भोजन, आश्रय, परिवहन चिकित्सकीय देखभाल और श्रमिकों को नकद राहत के रूप में तत्काल राहत, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के दृष्टिकोण से मौजूदा कानूनों की जांच और उनके कार्यान्वयन, चिकित्सकीय देखभाल, बीमा, पेंशन आदि पर भी जोर दिया है।

ज. वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले

अ) बंधुआ मजदूर

1. तेलंगाना में, हैदराबाद के पास एक ईंट भट्टे पर एक नाबालिग लड़की ममना चौहान को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया

(केस संख्या 639/36/2/2020–बीएल)

i. आयोग को, कार्यकर्ता दिलीप कुमार दास की ओर से एक शिकायत मिली जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पीड़िता ममना चौहान, एक नाबालिग लड़की, को हैदराबाद के पास एक ईंट भट्टे पर, बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था। पीड़िता की मां के बीमार पड़ने के बाद और अपने पैतृक स्थान जाने के लिए ईंट भट्ठा मालिक से अग्रिम राशि ली गयी थी, ईंट भट्ठा मालिक ने नाबालिग लड़की को बंधन में रखा।

ii. आयोग के निर्देशों के जवाब में, सहायक श्रम आयुक्त, रंगारेड्डी, हैदराबाद से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। बताया गया कि सहायक श्रम अधिकारी एवं संपर्क अधिकारी ने 07.08.2020 को ईंट भट्ठे का दौरा किया। ईंटभट्ठा बंद था। नियोक्ता का बयान लिया गया। उन्होंने कहा कि आनंदी चौहान और उनकी बेटी सागरिका पाणिग्रही, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, दिसंबर 2019 में ईंट भट्ठे पर आए थे। शिकायत में उल्लिखित, ममना चौहान, नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। आनंदी चौहान, फरवरी 2020 में, इलाज के लिए नियोक्ता से 32,000/– (बत्तीस हजार रुपये मात्र) रुपये, उधार लेकर ओडिशा गई थीं। 04.05.2020 को उनका निधन हो गया। लॉकडाउन के कारण उनकी बेटी नहीं जा सकी। मूवमेंट पास जारी होने के बाद वह 29.05.2020 को ओडिशा गई थीं। उसे अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वापसी यात्रा भत्ता के रूप में 2,000/– (रुपये दो हजार मात्र) रुपये का भुगतान किया गया था।

iii. आयोग ने आगे निम्नानुसार अवलोकन किया और निर्देश दियाः

"आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीड़िता की मां के बीमार पड़ने के बाद और ईंट भट्ठा मालिक से अपने पैतृक स्थान जाने के लिए उसने अग्रिम राशि ली थी, एवज में ईंट भट्ठा मालिक ने नाबालिग लड़की को बंधुआ बनाकर रखा। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि आनंदी चौहान की 19 वर्षीय बेटी, अस्वस्थ होने के बावजूद, उसके साथ ओडिशा क्यों नहीं गई। आयोग को यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि एक बेटी, अपनी बीमार मां को अकेला छोड़ देगी और ईंट भट्ठे पर अकेले रहेगी। अधिकारियों ने,यह पता लगाने के लिए कि नियोक्ता का बयान सही है या नहीं, पीड़ित लड़की, जो शायद ओडिशा में है, का बयान भी नहीं लिया है। इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट, हैदराबाद और जिला मजिस्ट्रेट, नबरंगपुर, ओडिशा, को इस मामले की नए सिरे से जांच करने और छह सप्ताह के भीतर आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।"

iv. प्रत्युत्तर में, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नरबांगपुर, उड़ीसा से, दिनांक 04.02.2021 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह सूचित किया गया है कि कथित पीड़िता सागरिका पाणिग्रही का बयान दर्ज किया गया है।

v. आयोग ने, रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों पर विचार किया और पाया कि रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया था कि सागरिका पाणिग्रही, अपनी माँ की मृत्यु के बावजूद अपने गांव नहीं लौट सकीं क्योंकि उसके नियोक्ता

ने उसे जाने की अनुमति नहीं दी थी। उन्हें उनके द्वारा ली गयी अग्रिम राशि के निपटान तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। वह सिर्फ, स्थानीय जन प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और राज्य श्रम मशीनरी की मददसे, जून 2020 के महीने में लौटी। इसलिए, पीड़ित सागरिका पाणिग्रही को अग्रिम राशि के निपटारे तक काम करने के लिए मजबूर होना प्रतीत होता है। अतः कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हैदराबाद जिला, को इस मामले में बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने और पीड़ित सागरिका पाणिग्रही को रिहाई प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जिला मजिस्ट्रेट, नबरंगपुर, ओडिशा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हैदराबाद के समन्वय से, बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना–2016, के तहत पीड़ित का पुनर्वास सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाए और पात्रता के अनुसार, सामाजिक कल्याण योजना का लाभ उसे दिया जाए।

vi. तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिए गए थे कि वे इस बात की जांच कराएं कि हैदराबाद के सहायक श्रम आयुक्त रंगारेड्डी ने, दिनांक 24.08.2020 को, आयोग को, रिपोर्ट भेजने से पहले शिकायतकर्ता से क्यों नहीं मिला हैं क्योंकि जिला प्रशासन, नबरंगपुर, ओडिशा और पीड़िता के बयान, जैसा कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नबरंगपुर, ओडिशा से प्राप्त हुएरिपोर्ट में प्रस्तुत था, पूरी तरह से अलग था।

vii. उपर्युक्त निर्देशों के साथ आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

2. मैसर्स डीबीएफ ईंट भट्ठा, ग्राम चिरौडी, लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में, गुलफासा और उसके साथियों, को एक ईंट भट्ठा मालिक द्वारा बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया।

(केस संख्या 31638/24/31/2019–बीएल)

i. शिकायतकर्ता श्रीमती समा, गांव गढ़ी दौलतपुर, कैराना, जिला शामली, यूपी, ने दिनांक 11.11.2019 को,आयोग को शिकायत के माध्यम से सूचित किया कि एक पीड़िता, गुलफासा और उसके सहयोगियों को, मैसर्स डीबीएफ ईंट भट्ठा ग्राम चिरौड़ी, लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,के मालिक द्वारा अपने एक ईंट भट्ठे पर ईंट बनाने के लिए लगाया गया था। शुरुआत में, उसने उसे, 510/– रुपये प्रति हजार ईंटों की सहमत मजदूरी दर से 16,000/– (16 हजार रुपये मात्र) रुपये अग्रिम राशि के रूप में दिए। इसके अलावा, मालिक ने उन्हें अपने बच्चों के लिए चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं सहित अन्य सभी सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया था। इसी के तहत उन्होंने वहां काम शुरू किया। कुछ समय बाद, उसने पाया कि ऐसी कोई सुविधा वहाँ नहीं थी। इसके बावजूद मजदूरों ने बहुत मेहनत की और अपने वेतन के रूप में उन्होंने 54,000/– (रुपये चौवन हजार मात्र) रुपये कमाए। जब उन्होंने मालिक से अपनी मजदूरी का भुगतान करने के लिए कहा, तो मालिक ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, उन्हें गलत तरीके से कारावास में डाल दिया और उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया। इसलिए, शिकायतकर्ता ने, आयोग से, उनके बचाव और उनके 38,000/– (अड़तीस हजार रुपये मात्र) अवैतनिक वेतन की वसूली और पुनर्वास हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए हस्तक्षेप की मांग की थी।

ii. इस नोटिस के जवाब में, दिनांक 14.01.2020 की एक रिपोर्ट के साथ जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) (प्रभारी), गाजियाबाद से, दिनांक 27.01.2020 को, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, जांच के

दौरान यह पाया गया कि शिकायतकर्ता, उसके सहयोगी और उनके परिवार के सदस्य ईंट भट्ठे पर अनुपस्थित थे। हालांकि, यूनिट के मालिक ने अपने बयान में कहा कि शिकायतकर्ता और उसका परिवार ईंट भट्ठे पर आया था और 23.10.2019 से 11.11.2019 तक उन्होंने वहां काम किया और उस दौरान मजदूरों ने कोई काम नहीं किया और वे अपने गांव लौट गए। हालांकि, जांच अधिकारी ने कहा कि मालिक ने आवश्यक वैधानिक रिकॉर्ड नहीं बनाए थे।

iii. आयोग ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान से विचार किया और डीएम, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री पर ध्यान दिया। शुरू में, यह संकेत दिया जा सकता है कि जांच रिपोर्ट पूरी तरह से मालिक के बयानों पर आधारित थी, जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए थे। मालिक के बयानों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेजी सबूत सत्यापित नहीं किया जा सका। बेशक, यूनिट का मालिक आवश्यक वैधानिक रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रहा। इसलिए, मालिक के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना था और शिकायतकर्ता और उसके सहयोगियों, जो काम के लिए ईंट भट्ठे पर गए थे, के पक्ष में रिहाई प्रमाण पत्र जारी किए जाने थे। डीएम, गाजियाबाद को मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के साथ मामला बन्द है।

3. डीएम संभल, उत्तर प्रदेश (9 मजदूर) और डीएम बदायूं (16 मजदूर) द्वारा 25 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास।

(केस संख्या 12603/24/31/2015–बीएल)

i. यह मामला संभल (9) और बदायूं (16) के डीएम द्वारा 25 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का था। पीड़ितों को 06.03.2017 को डीएम, गाजियाबाद द्वारा रिहाई प्रमाण पत्र जारी किया गया था। लेकिन, संबंधित डीएम की निष्क्रियता के कारण, आयोग ने, दिनांक 15.11.2019 को कार्यवाही करते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से संबंधित डीएम को आवश्यक अनुपालन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ सशर्त समन जारी किया। इसके प्रत्युत्तर में संबंधित डीएम से उत्तर प्राप्त हुए जिन्होंने सूचित किया कि डीएम, गाजियाबाद ने पुराने प्रारूप में जारी किए गए रिहाई प्रमाण पत्र पहले जारी किए थे, जो बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए नई केंद्रीय योजना के प्रावधानों के अनुसार नहीं थे। इसलिए रिहा किए गए मजदूरों के पुनर्वास की प्रक्रिया अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ सकी। डीएम, गाजियाबाद, की ओर से दिनांक 03.01.2020 की एक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी जिसमें यह सूचित किया गया था कि, उप–मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), सदर, गाजियाबाद द्वारा जारी किए गए मजदूरों का सारांश परीक्षण प्रगति पर था और इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे। संभल और बदायूं के डीएम को उसी की स्थिति के बारे में सूचित किया जाना था।

ii. आयोग ने, दिनांक 22.05.2020 की कार्यवाही के द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और डीएम गाजियाबाद की रिपोर्ट की सामग्री पर ध्यान दिया। प्रारंभ में, यह संकेत दिया जा सकता है कि रिहा किए गए मजदूरों को 06.03.2017 को रिहाई प्रमाण पत्र जारी किया गया था। रिहाई प्रमाण पत्र, जारी होने के तीन साल बाद भी मजदूरों को पुनर्वास का इंतजार है। प्रक्रिया में होने वाली देरी ने पुनर्वास के उद्देश्य को ही विफल कर दिया है। आयोग द्वारा, संबंधित लोक सेवक की स्पष्ट लापरवाही और निष्क्रियता की भर्त्सना की गई और इसे गंभीरता से लिया गया। इन

परिस्थितियों में, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार को आठ सप्ताह के भीतर निर्मुक्त गरीब बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के साथ आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

4. राजस्थान के भरतपुर में, एक इमारत में बेसमेंट का निर्माण स्थल गिरने से दो बच्चियों सहित आठ मजदूरों की मौत हो गई, जो ठेकेदार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों को मुहैया कराने में हुई विफलता के कारण हुआ था।

(केस संख्या 175/20/5/2014)

i. आयोग ने, दिनांक 31.01.2014 को, श्री आर. एच. बंसल द्वारा भेजी गयी एक शिकायत प्राप्त की जिसमें कहा गया था कि 25.07.2013 को भरतपुर, राजस्थान, के एक भवन में बेसमेंट के निर्माण के दौरान, निर्माण स्थल के गिरने के कारण दो बालिकाओं सहित 8 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दुर्घटना ठेकेदार की ओर से की गयी लापरवाही के कारण हुई, जो पर्याप्त सुरक्षा–उपाय मुहैया कराने में विफल रहा।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, इस मामले में, आयोग के जांच विभाग ने विस्तृत जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें एनएचआरसी टीम ने देखा कि आयोग के हस्तक्षेप और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज करने केविशिष्ट निर्देशों के बावजूद, राजस्थान सरकार के साथ–साथ मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने, मामले को दबाने का प्रयास किया है, और आयोग द्वारा टीम की प्रतिनियुक्ति के बाद अधिकारी हरकत में आए। और उन्होंने दिनांक 21.02.2019 कोलेबर कोर्ट, सागर, मध्य प्रदेश में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत दावे के छह मामले, मामला संख्या COC&B&08/19 WCF से COC&B&13/19 WCF दर्ज किए।

iii. इसलिए, आयोग ने पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि वह कारण बताए कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत 8 मृत व्यक्तियों और तीन गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने में संबंधित लोक सेवकों की ओर से की गई अत्यधिक देरी के कारण हुए उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए परिजनों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए पर्याप्त अंतरिम राहत की अनुशंसा क्यों नहीं की गयी। इसके अलावा, डीएम, दमोह, और डीएम, सागर, मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक–एक लाख रुपये की मौद्रिक राहत मृतक श्रीमती पार्वती के निकटतम संबंधी श्री कैलाश तथा मृतक श्रीमती बोंटी के निकटतम संबंधी श्री सुंदर को प्रदान करने की प्रक्रिया करने के लिए कहा गया था। प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत छह मृत मजदूरों के परिजनों को और 25.07.2013 को भरतपुर, राजस्थान में शेष तीन मजदूरों को उनके रोजगार के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के एवज में वैध मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। साथ ही, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, के साथ–साथ राजस्थान सरकार को, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामला दर्ज नहीं करने के लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा गया।

iv. संबंधित अधिकारियों के जवाब पर विचार करने के बाद, आयोग ने, राजस्थान सरकार को छह मृतक व्यक्तियों के परिजनों में से प्रत्येक को 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) रुपये और दो मृत नाबालिग

बच्चों के परिजनों को 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये मात्र) तथा गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों को 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की अंतरिम राहत देने की अनुशंसा की और 8 सप्ताह के भीतर, आयोग को, किए गए भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।

v. दिनांक 23.11.2020 के संचार के माध्यम से, जिला मजिस्ट्रेट, दमोह ने जवाब में प्रस्तुत किया कि भरतपुर प्रशासन ने रु. 50,000/– (रुपये पचास हजार केवल) सभी पीड़ितों को और कमलेश रेकवार को छोड़कर सभी पीड़ित मजदूरों को 1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र) की राशि प्रदान की गई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि कमलेश रेकवार के पक्ष में स्वीकृति प्रदान की गई है और भुगतान का प्रमाण प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर, भरतपुर ने दिनांक 10.12.2020 को संचार के माध्यम से प्रस्तुत किया कि लाभार्थियों को कुल रु 7,25,000/– (सात लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) उनके खातों में अंतरित किए गए।

vi. आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट दमोह, मध्य प्रदेश को, चार सप्ताह के भीतर शेष लाभार्थी श्री कमलेश रेकवार को 1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र) रुपये का भुगतान करने के निर्देश के साथ मामले को बंद कर दिया।

आ) जोखिमपूर्ण रोजगार

5. पश्चिम बंगाल के 24–परगना जिले में खानों और अन्य प्रतिष्ठानों, जहां वे कार्यरत थे, में स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण, 637 व्यक्ति सिलिकोसिस से पीड़ित थे।

(केस संख्या 1131/25/25/2019)

i. दक्षिण 24–परगना जिले, पश्चिम बंगाल के श्री बरनब चक्रवर्ती ने दिनांक 22.06.2019 को, आयोग को, एक शिकायत की, जिसमें उन्होंने 24–परगना जिले के 637 व्यक्तियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जो सिलिकोसिस से पीड़ित थे, जिनमें से 47 की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। शिकायतकर्ता ने बाद में आयोग के निर्देश पर अपने पत्र दिनांक 20.08.2019 के माध्यम से 231 लोगों की चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनकी चिकित्सकीय जांच ज्यादातर सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा की गई थी।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 70 से अधिक व्यक्तियों को सिलिकोसिस से संबंधित जटिलताओं (सिलिकोसिस, सिलिको–ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, फाइब्रोसिस, फेफड़ों के क्षेत्र में अस्पष्टता, कोच के घाव) का निदान किया गया था। हालांकि,एक बयान में उल्लेख किया गया है कि 39 मजदूरों की सिलिकोसिस से संबंधित जटिलताओं से मृत्यु हो गई थी, उनमें से केवल दस परिवारों को 4,00,000/– (रुपये चार लाख मात्र), प्रत्येक को मुआवजा देने को, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

ii. आयोग ने इस मामले पर विचार करते हुए, दिनांक 17.2.2020 की अपनी कार्यवाही में पाया कि खदानों और पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर, धूल के संपर्क में आने सेसिलिकोसिस की चपेट में आ गए। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। जीवन का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों में निहित है। सरकार की प्रवर्तन एजेंसियां, खानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को लागू करने में बुरी तरह विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप लोग सिलिकोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे थे। इसलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत

पश्चिम बंगाल सरकार को, अपने मुख्य सचिव के माध्यम से, छह सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि प्रत्येक मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 4,00,000/–(रुपये चार लाख केवल) रुपये की राशि और प्रत्येक व्यक्ति जो सिलिकोसिस के कारण बीमार पड़ते हैं उन्हें मौद्रिक मुआवजे के रूप में रु. 2,00,000/–(रुपये दो लाख मात्र) भुगतान करने की अनुशंसा, आयोग द्वारा, क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iii. पूर्वोक्त कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में, अपर सचिव, गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग, पश्चिम बंगाल, सरकार ने दो अवसरों पर दिनांक 28.7.2020 और 29.9.2020 के पत्र माध्यम से, आयोग से, अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। हालांकि, कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं मिला।

iv. उपर्युक्त के मद्देनजर, दिनांक 15.02.2021 कीकार्यवाही, कारण बताओ नोटिस को पूर्ण बनाया गया था और मुख्य सचिव के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य को, आयोग द्वारा, उनतीस मृतकों में से प्रत्येक के परिजन को रुपये 3,00,00/– (तीन लाख रुपये मात्र) और रु 1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र) प्रत्येक जीवित सिलिकोसिस रोगियों को भुगतान करने की अनुशंसा की गई थी। भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

6. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगने से 7 व्यक्तियों के साथ–साथ तीन नाबालिगों की मौत हो गई

(केस संख्या 11575/24/31/2020)

i. आयोग को 06.07.2020 को ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित एक समाचार मिला, जिसमें कहा गया था कि 05.07.2020 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक मोमबत्ती कारखाने में आग लगने से 7 व्यक्तियों सहित 3 नाबालिगों की मौत हो गई।

ii. जैसा कि समाचार रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, एक निर्माणाधीन घर में यह फैक्ट्री बिना पर्याप्त कागजी कार्रवाई के अवैध रूप से चल रही थी। बताया गया कि जब तक पुलिस, दमकल अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने इमारत में फंसे लोगों को बचाया, तब तक 7 लोगों की जलकर मौत हो चुकी थी।घायलों को मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

iii. एसपी (ग्रामीण), गाजियाबाद ने बताया कि कथित तौर पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और कहा गया था कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने कथित तौर पर कहा कि छोटी इमारत में लगभग 40 लोग काम कर रहे थे और जब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो जोरदार धमाका हुआ और चीख–पुकार मच गई। स्थानीय निवासियों द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस टीम एक बार विशेष स्थान पर छापा मारने आए थे, लेकिन उन्हें शायद कारखाने के मालिक द्वारा भुगतान किया गया था। मोदी नगर थाने में तैनात एक पुलिस अधिकारी को समाचार रिपोर्ट के अनुसार निलंबित कर दिया गया है। कारखाने के कुछ मजदूर कारखाने की दीवार तोड़कर भाग निकले, जो इमारत के दूसरे हिस्से में काम कर रहे थे।

iv. आयोग ने, समाचार रिपोर्ट की सामग्री की जांच की और पाया कि एक बार एक पुलिस दल ने कथित अवैध कारखाने पर छापा मारा था लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कारखाना डेढ़ साल की अवधि से चालू था, इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि स्थानीय अधिकारियों को

उनके अधिकार क्षेत्र में उक्त अवैध इकाई के बारे में पता नहीं था। घटना ने, नागरिक के साथ ही पुलिस अधिकारियों घोर लापरवाह रवैये का संकेत दिया जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यह मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन का मामला था।

v. आयोग ने, 06.07.2020 को मामले का स्वतरू संज्ञान लिया और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें कारखाने के मालिक और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई तथा राज्य द्वारा घायलों को प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार की स्थिति और पीड़ित को प्रदान की गई राहत/पुनर्वास की स्थिति सहित इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

vi. आयोग के निर्देश के अनुसार, पुलिस अधीक्षक, (मानव अधिकार), कार्यालय डीजीपी, लखनऊ ने, 16. 10.2020 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि बाद में, एसपी (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा की गई जांच, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। साथ ही, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने दिनांक 01.03.2021 को विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश को संबोधित एक पत्र, आयोग को, समर्थित किया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार 10 में से 9 मृतक के प्रत्येक परिजन को रु. 4,00,000/– (रुपये चार लाख मात्र) दिया गया। जबकि एक मृतक के निकटतम परिजन को, रु. 4,00,000/– (रुपये चार लाख मात्र) तथा रु. 50,000/– (रुपये पचास हजार प्रत्येक) 12 घायलों में से प्रत्येक को धन की कमी के कारण लंबित था।

vii. मामला आयोग के विचाराधीन है।

7. क्वार्टज क्रशिंग यूनिटों में काम करने वाले पिछले सत्तावन कर्मचारी, सिलिकोसिस और सिलिको ट्यूबरकोलोसिस से पीड़ित थे (सिलिकोसिस मौत)

(केस संख्या 260/6/18/2011)

i. आयोग को,दिनांक 14.03.2011 को, श्री जगदीश पटेल, पीपुल्स ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर, वडोदरा, गुजरात से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ (एनआईओएच), अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि क्वार्ट्ज क्रशिंग यूनिट के पिछले 134 श्रमिकों में से, 57 श्रमिक सिलिकोसिस और सिलिको ट्यूबरकोलोसिस (टीबी) से पीड़ित थे। शिकायतकर्ता ने, आयोग से अनुरोध किया कि वह एनआईओएच को उन 57 श्रमिकों की सूची प्रदान करने का आदेश दे, जिन्हें उन्होंने सिलिकोसिस या सिलिको टीबी से पीड़ित पाया है ताकि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

ii. आयोग ने, संज्ञान लिया और निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद को अध्ययन के विवरण के साथ–साथ सिलिकोसिस/सिलिको टीबी से पीड़ित व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

iii. निदेशक एनआईओएच, अहमदाबाद से प्राप्त उपर्युक्त रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता की टिप्पणी मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने, दिनांक 28.11.2011 केईमेल के माध्यम से सूचित किया कि 57 श्रमिकों में से 22 की मृत्यु हो गई थी और 02 बीमार पाए गए थे। हालांकि, 23 के मामले में, वे ठीक हैं और 10 श्रमिकों का पता नहीं चल सका है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि वह संबंधित अधिकारियों को आवश्यक

निर्देश जारी करें ताकि वे मृत व्यक्तियों के परिवारों को उचित मौद्रिक मुआवजा और सिलिकोसिस और सिलिको टीबी से पीड़ित सभी श्रमिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और पुनर्वास उपलब्ध करा सकें।

iv. आयोग के निर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, वडोदरा ने दिनांक 28.6.2012 के, संचार के माध्यम से प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने न तो प्रभावित श्रमिकों को कोई चिकित्सा उपचार प्रदान किया है और न ही उन मृतकों के परिजन को कोई मुआवजा या पुनर्वास पैकेज दिया है, जिनकी सिलिकोसिस और सिलिको टीबी से मौत हुई है। इसके बाद, शिकायतकर्ता से, उनके चिकित्सा और रोजगार रिकॉर्ड के साथ पीड़ितों का विवरण प्राप्त होने पर, आयोग ने, दिनांक 17.07.2014 की कार्यवाही के अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, गुजरात सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि वह कारण बताए कि मृतक के परिजनों को अंतरिम राहत की अनुशंसा, आयोग क्यों न करे।

v. कारण बताओ नोटिस के जवाब में, उप सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, गुजरात सरकार ने दिनांक 6.3.2019 और 13.2.2020 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि 31 मृत श्रमिकों में से 29 मृतकों के प्रत्येक परिजन को 4,00,000/– (चार लाख रुपये मात्र) रुपये का मुआवजा (दो लाख रुपये आदाता खाता और दो लाख रुपये सावधि जमा के रूप में) का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि, शेष दो मामलों में, कानूनी वारिस संबंधी मुद्दों के कारण मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका।

vi. आयोग ने, दिनांक 23.12.2020 की अपनी कार्यवाही के दौरान पाया कि चूंकि राज्य सरकार ने 29 मृतक कामगारों के परिजनों को उचित मौद्रिक मुआवजा वितरित किया है तब शेष दो मामलों में भी मुआवजे का भुगतान, कानूनी वारिस के मुद्दों का समाधान होते ही कर दिया जाना चाहिए। इस निर्देश के साथ ही यह मामला बंद कर दिया गया।

अध्याय 12

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला ढोने के मुद्दे

12.1 अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और हाशिए के लोग भारत में सबसे अधिक वंचित समूहों में से हैं। उनकी भेद्यता और प्रभावहीनता, अक्सर उन्हें शिक्षा, रोजगार और जीवन के अन्य अवसरों को प्राप्त करने के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल देती है। प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप, इन श्रेणियों के लोग अक्सर बंधुआ मजदूरी, तस्करी और हाथ से मैला ढोने के शिकार पाए जाते हैं।

12.2 भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) कुछ समुदायों के व्यवस्थित बहिष्कार को मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानता है। यह एससी, एसटी और अन्य कमजोर समूहों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में काम करने और हाथ से मैला ढोने की अमानवीय और अपमानजनक प्रथा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हाथ से मैला ढोने वालों के मुद्दों के साथ आयोग की प्रतिबद्धता निम्नलिखित है।

क. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार

12.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्यों द्वारा नागरिक अधिकारों के संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की निगरानी में अग्रसक्रिय रहा है। आयोग ने भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ दंडात्मक उपायों की भी जोरदार सिफारिश की है। इसके आगे, आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्षों से भी जानकारियां प्राप्त करता है।

12.4 आयोग के अन्वेषण प्रभाग को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में, आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अनुसार मुआवजे से संबंधित मामले, पुलिस की भूमिका और भेदभाव के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न नियमों और अधिसूचनाओं का विश्लेषण, नियमित रूप से किया जाता है।

12.5 आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या समाज के किसी अन्य कमजोर वर्ग पर किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। आयोग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का उद्देश्य कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों को संवेदनशील बनाना है। जिलों के दौरे के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मुद्दों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

ख. हाथ से मैला ढोने के मुद्दे

12.6 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2 (जी) में 'हाथ से मैला ढोने वाले' की विस्तृत परिभाषा दी गई है, ''इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् किसी भी समय किसी अस्वच्छ' शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालय से मानव मल–मूत्र को डाला जाता है, या रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मलमूत्र को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतः विघटित होने से पूर्व, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यक्तिगत या स्थाानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा किसी व्यक्ति को लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है तो ''हाथ से मैला ढोने'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।''

12.7 भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा अवैध है। परवर्ती पैराओं में उल्लिखित विभिन्न कानूनों के द्वारा पिछले 60 वर्षों से इस प्रथा को अवैध घोषित किया गया हैः

i. पीसीआर अधिनियम (1955) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर करना अपराध है।

ii. हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, (1993) में हाथ से मैला ढोने वालों को काम पर रखने या शुष्क शौचालयों के निर्माण पर एक साल तक की कैद और/या 2000 रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, जिसने 1993 के अधिनियम का अधिक्रमण किया है, हाथ से मैला ढोने के सभी रूपों (शुष्क शौचालयों से परे) को गैरकानूनी घोषित करता है, जो इस प्रथा को जारी रखने वालों के लिए दंड निर्धारित करता है और जो इसमें संलग्न हैं उनकी रक्षा करता है।

12.8 एनएचआरसी उस अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है, जिसमें मानव मल को एक अस्वच्छ शौचालय या एक खुले नाले, गड्ढों, रेलवे ट्रैक, निजी घरों और नगर निगमों द्वारा बनाए गए शौचालय आदि में मानव मल के मैनुअल हैंडलिंग या मैनुअल सफाई, उसे ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरीके से हैंडलिंग के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित किया गया हो। भारतीय संविधान और अन्य लागू कानूनों के तहत हाथ से मैला ढोने वालों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना आयोग की एक वैधानिक जिम्मेदारी है।

12.9 आयोग, हाथ से मैला उठाने के मुद्दे को सरकार में उच्चतम स्तर पर उठाता रहा है। अध्यक्ष, एनएचआरसी ने अक्टूबर 1996 में संबंधित मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि सूखे शौचालयों, जहां भी वे मौजूद हैं, को फ्लश शौचालयों में बदलने के लिए कदम उठाए जाएं और हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया जाए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जनवरी, 1997 में एनएचआरसी के अध्यक्ष ने फिर से संबोधित किया और उन्हें राज्यों में हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को अपनाने और उसके सख्त कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी। अगस्त, 2001 में, अध्यक्ष ने फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार दोनों को पत्र लिखकर प्रस्ताव किया कि दोनों संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें कि 2 अक्टूबर, 2002 तक देश में कोई शुष्क शौचालय न बचे।

12.10 आयोग ने हाथ से मैला ढोने वालों के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ सम्मेलनों और कई बैठकों का आयोजन किया है। बैठकों में जो सिफारिशें सामने आईं, उन्हें अनुपालन के लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्यों को भेजा गया।

ग. हाथ से मैला ढोने और मानव अधिकारों के मुद्दों और चुनौतियों पर क्षेत्रीय कार्यशाला

चित्र 12.1: 'हाथ से मैला ढोने और मानव अधिकारों के मुद्दे और चुनौतियां' पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन

12.11 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हाथ से मैला ढोने के मुद्दे तथा चुनौतियां और मानवाधिकार पर 18 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत की अध्यक्षता में दक्षिणी राज्यों में एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्देश्य निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श करना था:

i. हाथ से मैला ढोने और पुनर्वास अधिनियम के कार्यान्वयन में कमियों/बाधाओं की पहचान।

ii. हाथ से मैला ढोने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान।

iii. हाथ से मैला ढोने की समस्या के उन्मूलन में सिविल सोसायटी और प्रौद्योगिकी की भूमिका।

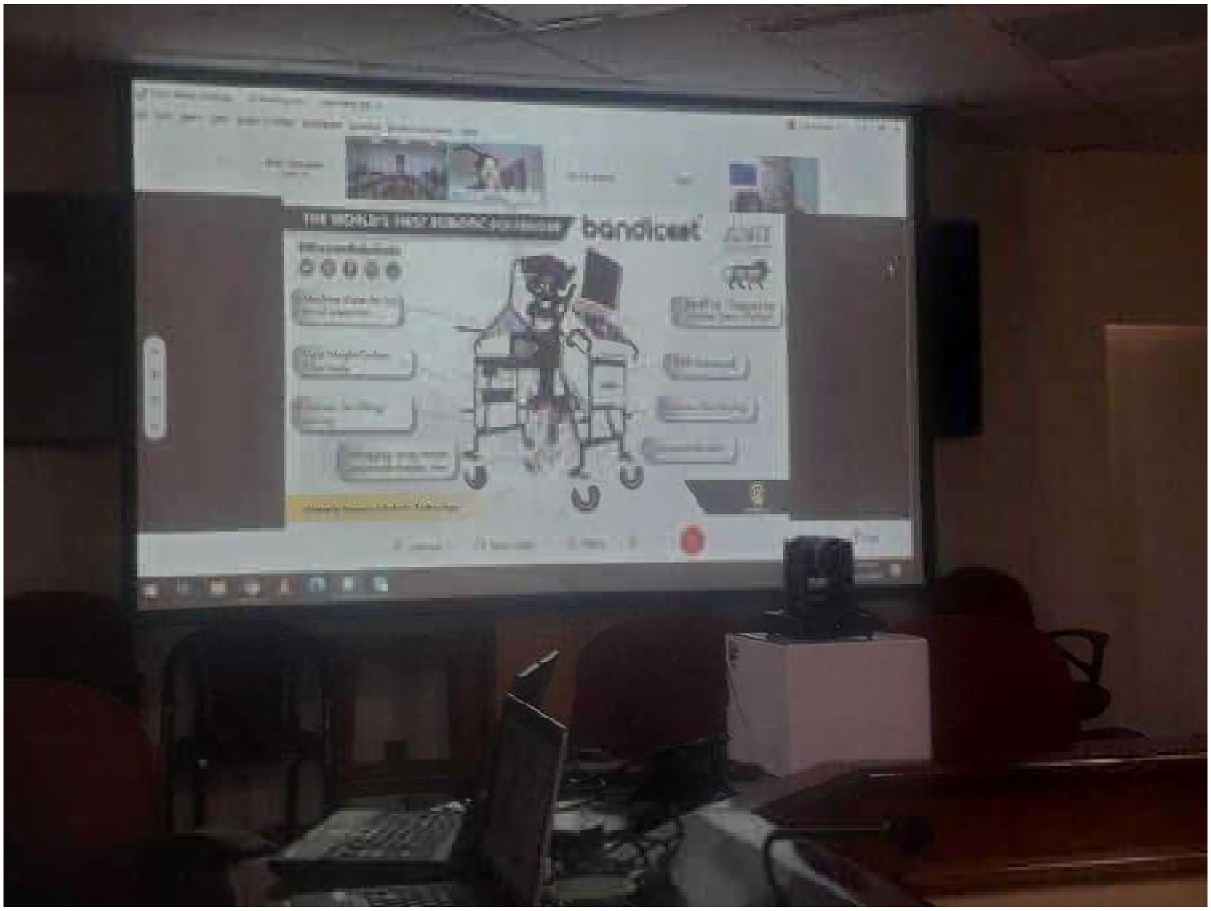

चित्र 12.2: मशीन से सीवर सफाई के तरीके पर तकनीकी नवाचार प्रस्तुत करते हुए
क्षेत्रीय कार्यशाला के एक पैनलिस्ट

12.12 क्षेत्रीय कार्यशाला की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:

i. हाथ से मैला ढोने को वर्गीकृत करना।

ii. हाथ से मैला ढोने की परिभाषा को व्यापक बनाना।

iii. खतरनाक सफाई के लिए एक नया अधिनियम बनाने के बारे में सोचना या पहले से मौजूद अधिनियम में कुछ प्रावधान शामिल करना।

iv. यह परिभाषित करना कि 'सुरक्षात्मक गियर' शब्द के अंतर्गत क्या आता है और सकिंग और जेटिंग मशीनों जैसे उपकरणों का उपयोग करते समय इसे अनिवार्य बनाना।

v. किसी भी क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वालों की संख्या के बारे में गलत रिपोर्टिंग के मामलों में जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

vi. डीबीटी जैसे प्रावधान करके या एनजीओ के सहयोग से बिचौलिए की भूमिका को हटाना सुनिश्चित करना।

vii. पुनर्वासन प्रक्रिया को मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़ा जा सकता है जिसके तहत वे तुरंत कमाई शुरू कर सकें।

viii. उनके पुनर्वास के लिए एकमुश्त नकद सहायता के रूप में भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। ऐसे मुआवजे का खर्च वहन करने वाले नोडल प्राधिकरण/विभाग को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाए।

ix. मैला ढोने वालों के रूप में काम करने के लिए लोगों को नियोजित करने वाले स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

x. शिकायतों के पंजीकरण के लिए एक ऐप और एक टोल–फ्री नंबर।

xi. हाथ से मैला ढोने वालों के बच्चों और हाथ से मैला ढोने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के लिए एक दंडात्मक धारा को कानून में शामिल किया जा सकता है।

xii. पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारी या क्षेत्र के प्रभारी को संबंधित नागरिक निकाय को इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के सीवर/सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने से पहले आवश्यक सुरक्षा गियर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

xiii. पीईएमएसआरए, 2013 की धारा 24 के तहत निगरानी तंत्र और एक उपयुक्त एसओपी के साथ एक सतर्कता समिति की स्थापना की जानी चाहिए। पीईएमएसआरए, 2013 की धारा 24 के तहत गठित सतर्कता समिति में सिविल सोसायटी/समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

xiv. जबकि कई हाथ से मैला ढोने वालो का पुनर्वासन किया गया है, यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि वे और उनके परिवार कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

xv. पहचान उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण करते समय सफाई कर्मचारी संघ को शामिल किया जा सकता है।

xvi. उन कॉलोनियों पर विशेष ध्या्न दिया जाना चाहिए जहां हाथ से मैला ढोने वाले लोग रहते हैं।

xvii. स्थानीय निकायों को प्लास्टिक का उचित निपटान सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सीवर जाम से बचा जा सके।

xviii. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रख्यापित/की शुरूआत कर सकता है। एनएसकेएफडीसी द्वारा प्रशिक्षण खर्च और प्रशिक्षुओं को स्टिपेंड के भुगतान का वहन किया जा सकता है।

xix. महिला केंद्रित पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

xx. एनएसकेएफडीसी स्वच्छता के क्षेत्र में काम शुरू करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है और बदले में कंपनियों को उन तकनीकों को संचालित करने के तरीके पर हाथ से मैला ढोने वालो को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।

xxi. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निषेध) अधिनियम, 1989, पीईएमएसआर अधिनियम, 2013 और उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2014 के फैसले के तहत विशेष प्रशिक्षण के साथ पुलिस जांच अधिकारियों की आवश्यकता है।

xxii. राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा सीवर मौतों की निगरानी की जानी चाहिए और आंकड़ों को अपनी रिपोर्ट में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

xxiii. भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, हाथ से मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण देने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए, एक विशेष राष्ट्रीयकृत बैंक नामित कर सकता है।

xxiv. हाथ से मैला उठाने वालों को या तो व्यक्तिगत या सामूहिक बीमा प्रदान किया जाना चाहिए और संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाए।

xxv. एनएचआरसी को छह महीने में कम से कम एक बार समीक्षा बैठकें आयोजित करके मैला ढोने की प्रथा की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है।

xxvi. किसी भी क्षेत्र में हाथ से मैला ढोने की घटना की जांच के लिए एक विशेष प्रतिवेदक की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।

घ. अनुसंधान परियोजनाएं

घ.1 जारी अनुसंधान परियोजनाएं

12.13 हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में हाथ से मैला ढोने वाले और सीवरेज वाटर वर्कर्स की स्थिति – नीति और व्यवहार

i. आयोग ने दिनांक 11.10.2018 को डॉ. मोहन दास के., एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान अध्ययन विभाग, विजयनगर श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, बल्लारी, कर्नाटक द्वारा **'हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में हाथ से मैला ढोने वाले और सीवरेज वाटर वर्कर्स की स्थिति– नीति और व्यदवहार'** शीर्षक से एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुसंधान परियोजना को पूरा करने की अवधि 4,00,000/– रुपये की वित्तीय सहायता के साथ छह महीने है।

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- मानव अधिकार के परिप्रेक्ष्य में हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वालों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति जानना।
- अमानवीय प्रथा के उन्मूलन के लिए विभिन्न कानूनों और नीतिगत विधानों को समझना।
- अध्ययन क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वालों की समस्या की प्रकृति और परिमाण का आकलन करना।
- हाथ से मैला उठाने वालों के वित्तीय और गैर–वित्तीय हिस्से सहित परिवार की आजीविका की स्थिति का आकलन करना।
- काम पर हाथ से मैला उठाने वालों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के प्रभाव का पता लगाना।
- अपेक्षित सामाजिक संबंधों और स्वास्थ्य खतरों का पता लगाना।
- उनकी सामाजिक स्थिति और पेशेवर पहचान का आकलन करना।
- हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्रों में मैला ढोने वालों के सामाजिक विकार को दूर करने के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव देना।

घ.2 नव स्वीकृत अनुसंधान परियोजना

12.14 वन अधिकार अधिनियम, 2006 – जमीनी हकीकत का आकलन

i. शोध अध्ययनः डॉ. गदाधर महापात्र, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा

ii. अध्ययन का उद्देश्यः

- अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों पर वन अधिकार मान्यता (आरओएफआर) अधिनियम, 2006 के प्रभाव का आकलन करना।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के जेंडर परिप्रेक्ष्य का आकलन करना।
- अधिनियम के मापन योग्य परिणामों का पता लगाना (आदिवासी महिलाओं के संबंध में समुदाय पर एफआरए का आजीविका/आर्थिक प्रभाव)
- आरओएफआर अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन पर सफलता की कहानियों का पता लगाने के लिए

iii. अध्ययन की अवधिः एनएचआरसी द्वारा पहली किस्त जारी करने की तारीख से 12 महीने।

iv. आयोग ने कुल 10,56,000/– रुपये (दस लाख छप्पन–छह हजार रुपये) के बजट के साथ परियोजना को मंजूरी दी है।

ङ. वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले

1. 2020 में दिल्ली दंगों के मामले की जांच (अन्वेषण विभाग)

(केस संख्या 1085/30/5/2020)

दिल्ली के उत्तर–पूर्वी जिले में व्याप्ती दंगों की घटना पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया और यह पता लगाने के लिए तत्काल जांच के आदेश दिए गए कि उस क्षेत्र के लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना स्थिति से निपटने में पुलिस की भूमिका निष्पक्ष, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण थी या नहीं। अन्वेषण प्रभाग द्वारा मौके पर जांच करने के बाद, आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दंगों के पीड़ितों (मृत और घायल दोनों) के मुआवजे और पुनर्वास की सिफारिश की। इसने दिल्ली पुलिस आयुक्त को गुण–दोष के आधार पर आपराधिक मामलों की जांच तेजी से करने का निर्देश दिया और दिल्ली के उत्तर–पूर्वी हिस्से में बढ़ रहे अवैध हथियारों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने का प्रस्ताव दिया। अन्य सिफारिशों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने और खुफिया जानकारी को मजबूत करना शामिल है।

2. वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हाथ से मैला ढोने का अवैध मामला (अन्वेषण प्रभाग)

(केस संख्या 47213/24/72/2015)

आयोग को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से सुरक्षा उपकरणों और उचित उपकरणों के बिना सीवर में हाथ से मैला ढोने की शिकायत प्राप्त हुई, जिससे वाराणसी के जल निगम द्वारा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न की गईं और शोषण किया गया। तदनुसार, एनएचआरसी की जांच टीम द्वारा मौके का दौरा किया गया था, जिसके दौरान यह पाया गया कि वाराणसी का जल निगम ऐसे ठेकेदारों को ठेका दे रहा था, जो आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के बिना खतरनाक सीवरों की सफाई में गरीब, अनपढ़ श्रमिकों को लगा रहे थे। सीवर का सफाई कार्य पूर्ण यंत्रीकृत तरीके से करने का जल निगम का दावा सही नहीं था। मजदूरों को

सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवर में उतरने के लिए मजबूर किया जाता था और सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो स्पष्ट रूप से हाथ से मैला ढोने वाले और पुनर्वास अधिनियम के साथ–साथ श्रम कानूनों का उल्लंघन था। तद्नुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ वाराणसी जिले में मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 के कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

3. थाना समेजा, बीकानेर, राजस्थान में अनुसूचित जाति की एक महिला से सामूहिक बलात्कार (केस संख्या 2514/20/26/2015–डब्ल्यूसी)

i. एक मानव अधिकार रक्षक, पी. एल. मिमरोथ द्वारा आयोग के संज्ञान में लाया गया कि एक दलित महिला, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, गर्भवती हो गई और बाद में प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

ii. नोटिस के जवाब में, पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर रेंज, राजस्थान ने यह जानकारी दी कि इस मामले में पुलिस स्टेशन समेजा में आईपीसी की धारा 376जी, 323 और एससीध्एसटी एक्ट की धारा 3(i) (xii), 3(2)(फ) के अंतर्गत दिनांक 23.03.2015 को एफआईआर संख्याए 51/2015 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। जांच अधिकारी ने तीसरे आरोपी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।

iii. इसके अलावा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), श्रीगंगानगर ने बताया कि एससी/एसटी अधिनियम के अनुसार, 1,80,000/– रुपये (एक लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) मृतक के परिवार को दो किश्तों में, एक आरोप पत्र दाखिल करने पर और दूसरी आरोपी के दोषसिद्धि के बाद भुगतान किया जाना था। तदनुसार, चार्जशीट दाखिल करने के बाद मृतक के माता–पिता को 90,000/– (नब्बे हजार रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया गया। दो आरोपियों को अदालत ने धारा 342/376(घ) आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था, न कि धारा 3(i)(xii), 3(2)(फ) एससीध्एसटी अधिनियम के तहत, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अनुसार अन्य वित्तीय सहायता का भुगतान करना संभव नहीं था। पुलिस अधीक्षक (एसपी), श्रीगंगानगर की एक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि मामले में सीआईडी/सीबी द्वारा जांच के बाद, तीसरे आरोपी के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 342, 323, 376(2)(ज)(ढ़), 376(घ) के तहत आरोप पाए गए और एससीध्एसटी एक्ट 3(1)(xii), 3(2)(5) के तहत आरोप को सही पाया गया। तीसरे आरोपी चेत राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर मृतक के परिवार को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जायेगी। आरोपी चेत राम ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में सीआरएलएमपी 3976/2018 दायर किया थ जो कि विचाराधीन है।

iv. एसपी, सीआईडी (मानव अधिकार), राजस्थान, जयपुर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 को प्रस्तुत की कि विभाग ने इस मामले के जांच अधिकारी (आईओ) अतर सिंह पुनिया पर नियम 17, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत उनकी अनियमितताओं के लिए उनकी निंदा की है। एक अन्य आईओ ओनाद सिंह के खिलाफ नियम 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी की गई है। अपराध शाखा ने तीसरे आईओ रामप्रताप के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं किया और उनकी सेवानिवृत्ति के कारण उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 6 के अनुसार सेवानिवृत्त आईपीएस, तत्कालीन एसपी, श्रीगंगानगर के खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं है क्योंकि ऐसी घटना के लिए कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है जो 4 साल पहले संस्थित की गई हो।

v. आयोग ने अपनी कार्यवाही के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया कि वह कारण बताएं कि आयोग को मृतक के निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत के रूप में 2,00,000/— (रुपये दो लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। साथ ही एसपी, श्रीगंगानगर, राजस्थान को भी छह सप्ताह के भीतर मामले की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

vi. आयोग के आगे के निर्देशों के जवाब में, संयुक्त सचिव के दिनांक 06.03.20 की एक रिपोर्ट के साथ राजस्थान सरकार के अपर सचिव द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक 06.08.2020 को प्रस्तुत की गई। बताया गया है कि विचारण के बाद आरोपियों को धारा 342 और 376 घ के तहत अपराध के लिए बीस साल के कठोर कारावास और 20,000/— (बीस हजार रुपये मात्र) रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया गया था। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि, अपने फैसले में, अदालत ने अपने निष्कर्ष को दर्ज किया कि परिवार को और मुआवजा देना न्यासयोचित नहीं है। यह भी बताया गया कि भले ही परिवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है और स्वीकृत राशि 1,80,000/— रुपये (एक लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) के 50 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है, वे शेष राशि के लिए पात्र नहीं हैं। रिपोर्ट में आगे निष्कर्ष दिया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर पीड़ित के परिवार को और वित्तीय सहायता देना उचित नहीं था। पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.08.2020 की रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में रखा गया है, जिसमें पहले बताए गए समान तथ्यों को दोहराया गया था।

vii. आयोग ने दी गई रिपोर्टों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उनका अवलोकन किया। इस मामले में पहले से ही पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, राजस्थान द्वारा की गई गहन जांच में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर, पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर और 3 उप पुलिस अधीक्षकों, जो इस मामले में जांच अधिकारी थे, की ओर से कृत्यों/चूक के कृत्यों को स्पष्ट रूप से सामने लाया गया। इस प्रकार, पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से निष्क्रियता के आरोप सही पाए गए हैं। कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं करने वाले आरोपित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी, जैसा कि आरोप लगाया गया था, पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने में विफल रहे थे। इसके परिणामस्वरूप मृतक सामूहिक बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, रिकॉर्ड में रखी रिपोर्ट से पता चला कि आरोपी को भी दोषी ठहराया गया था। इसलिए, दिनांक 06.08.2020 की रिपोर्ट में, इस आयोग की दिनांक 10.04.2019 की कार्यवाही के निष्कर्षों को खारिज करने के कोई ठोस कारण नहीं थे। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य और दस्तावेज भी इसका समर्थन करते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कारण बताओ नोटिस के उत्तर को अस्वीकार किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को पीड़ित को 2,00,000/— रुपये (दो लाख रुपये मात्र) का मुआवजा देने तथा भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी अनुपालन रिपोर्ट का इंतजार है।

4. ओडिशा के क्योंझर जिले में एक आवासीय विद्यालय के 45 छात्र, जो अनुसूचित जाति के थे, स्कूल के प्रधानाध्यापक और रसोइए द्वारा यौन शोषण का शिकार हुए।

(केस संख्या 4550/18/7/2017—डब्ल्यूसी)

i. मानव अधिकार कार्यकर्ता डॉ. सुभाष महापात्र ने आयोग से शिकायत की कि ओडिशा के क्योंझर जिले के एक आवासीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक और रसोइए द्वारा महीनों तक अनुसूचित जाति

और अनुसूचित जनजाति समुदायों के 45 छात्रों का यौन शोषण किया गया। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि अपराधी आदिवासी छात्राओं को नहाते हुए देखते थे। वे समूहों में बच्चों का यौन शोषण करते थे।

ii. आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए, संबंधित अधिकारियों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। जवाब में, ओडिशा सरकार में संयुक्त सचिव, स्कूल और जन शिक्षा, ने बताया कि मामले की जांच विभिन्न अधिकारियों यथा जिला शिक्षा अधिकारी, क्योंझर, पुलिस अधीक्षक, क्योंझर और बाल कल्याण समिति, क्योंझर द्वारा की गई थी। निष्कर्षों के आधार पर स्कूल के कुक–कम–अटेंडेंट और महिला शिक्षा सहायक (एसएस) को उनकी सेवाओं से हटा दिया गया, सीआरसीसी को निलंबित कर दिया गया, स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

iii. रिपोर्ट का अवलोकन करने पर, आयोग ने पाया कि चूंकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित लड़कियों और लड़कों को प्रधानाध्यापक और रसोइया द्वारा महीनों तक स्कूल में यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, इसलिए छात्रों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था और वे उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के लिए हकदार हैं। राज्य अपने कर्मचारियों की कार्रवाई और निष्क्रियता के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी था। आयोग ने प्रत्येक पीड़ित छात्र को उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये मात्र) के मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की। इसके अलावा, एसपी, क्योंझर से आयोग में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि आरोपी प्रधानाध्यापक और स्कूल के रसोइया के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और नौ छात्रों को उनके बैंक खातों में 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मुआवजा दिया गया था।

iv. मामले में राज्य द्वारा आयोग की सिफारिशों के अनुपालन को देखते हुए, मामले को बंद कर दिया गया था।

5. एन. जय कुमार, उम्र 41 साल, अनुसूचित जाति के एक ऑटो चालक को पुलिस स्टेशन वोरैयूर, त्रिची, तमिलनाडु की पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया

(केस संख्या. 1767/22/36/2019)

i. एक शिकायत, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु के त्रिची के थाना वोरियायूर की पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति के एक ऑटो चालक, एन. जय कुमार, उम्र 41 साल को बेरहमी से पीटा गया, पर आयोग ने 12.9.2019 को चेन्नई में हुई जन सुनवाई में श्री के. के. सेंथिल कुमार, डीएसपी, मुसिरी सब डिवीजन, त्रिची जिला, के. एम. मनिराज, पुलिस निरीक्षक, वोरैयूर थाना, त्रिची जिले की उपस्थिति में सुनवाई की। बताया गया कि शिकायतकर्ता नशे की हालत में दोपहिया वाहन चला रहा था और रोके जाने पर वह वाहन से नीचे गिर गया और घायल हो गया। आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला संख्या 289/19 यू/एस 294(बी)/353/506 आईपीसी दर्ज किया गया था।

ii. आयोग ने तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया और क्रॉस केस दर्ज किए जाने के आरोपों के गुण–दोष पर ध्यान दिए बिना, यह पाया कि घायल शिकायतकर्ता को तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं देने में पुलिस की ओर से लापरवाही की गई थी।

iii. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत दिनांक 12.9.2019 की कार्यवाही द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया गया कि वह कारण बताए कि शिकायतकर्ता को 50,000/– रुपये के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की यह राशि उस मुआवजे, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी जिसका शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के तहत हकदार है।

iv. अनुस्मारक के बावजूद मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आयोग ने माना कि तमिलनाडु राज्य को आयोग के निष्कर्षों और कारण बताओ नोटिस के प्रत्युगत्तार में कुछ भी नहीं कहना है। आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से तमिलनाडु सरकार को शिकायतकर्ता को 50,000/– रुपये का मुआवजा देने और राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की सिफारिश की। अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है। मामला आयोग के विचाराधीन है।

6. बी. सी. बाल छात्रावास, चल्लापल्ली, आंध्र प्रदेश में एक आठ वर्षीय आदिवासी लड़के की गला काटकर हत्या करने का मामला

(केस संख्या 928/1/10/2019)

i. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 05.08.2019 को बी. सी. बाल छात्रावास (बीसीबीएच), चल्लापल्ली में एक आठ वर्षीय आदिवासी लड़के की मृत्यु हो गई, जब उसका गला 15 वर्षीय लड़के द्वारा काट दिया गया था।

ii. आयोग को निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार से दिनांक 19.02.2020 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। बताया गया कि उक्त मामले में थाना चल्लापल्ली में आईपीसी की धारा 302 के तहत प्राथमिकी संख्या 205/2019 दर्ज की गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जिला कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरे होने तक शासकीय बी. सी. बाल छात्रावास, चल्लापल्ली के छात्रावास कल्याण अधिकारी (एफएसी) को निलंबित कर दिया। इसके अलावा बीसीबीएच, चल्लापल्ली के चौकीदार (आउटसोर्स) को भी छात्रावास से बर्खास्त कर दिया गया। जांच लंबित थी।

iii. रिपोर्टों के अवलोकन पर, आयोग ने पाया कि छात्रावास के प्राधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही कर रहे थे और तदनुसार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (क) (i) के तहत मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि चार सप्ताह के भीतर कारण बताएं कि आयोग को मृतक के निकटतम संबंधी को 2,00,000/– रुपये (रुपये दो लाख मात्र) का मुआवजे देने की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

iv. चूंकि आंध्र प्रदेश सरकार से नोटिस का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आयोग ने माना कि आंध्र प्रदेश सरकार के पास आयोग के निष्कर्षों का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृष्णा जिले के जिला कलेक्टर ने छात्रावास कल्याण अधिकारी के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किए थे और आउटसोर्स चौकीदार की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, आयोग की सिफारिशों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। तदनुसार, आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक के निकटतम संबंधी को 2,00,000/– रुपये (रुपये दो

लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की और मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार छह सप्ताह की अवधि में राशि का संवितरण सुनिश्चित करें और आयोग को अनुपालन की सूचना दें।

v. अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है और मामला आयोग के विचाराधीन है।

7. एसटी समुदाय के जितेन लोहार की मनमानी और अवैध गिरफ्तारी, जिसे पुलिस कस्टडी में बेरहमी से पीटा गया

(केस संख्या 1703/25/22/2019)

i. पश्चिम बंगाल राज्य के पांच संसद सदस्यों, नामतः श्री सौमित्र खान, श्री निसिथ प्रमाणिक, श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो, डॉ सुकांत मजूमदार और डॉ जयंत कुमार रॉय ने आयोग से शिकायत की कि जितेन लोहार को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के जोगरडांगा में गोलटोर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस निरीक्षक सुजान रॉय द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और बेरहमी से पीटा गया। वह एसटी समुदाय से था और उसे कथित तौर पर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में बेरहमी से पीटा गया था।

ii. आयोग के निर्देशों के जवाब में, अतिरिक्त महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल ने प्रस्तुत किया कि पीड़ितों की गिरफ्तारी के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को सही नहीं कहा जा सकता है।

iii. मामले के अभिलेखों के अवलोकन पर, आयोग ने पाया कि आयोग द्वारा बिंदुवार सूचना मांगने के बावजूद, पुलिस से प्राप्त प्रतिक्रिया (i) मामले में एक रिपोर्ट, (ii) पीड़ित के स्वास्थ्य की स्थिति, (iii) दोषी अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई, (iv) आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम की धाराएं, जिनके तहत इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी क्योंकि व्यक्ति एसटी से संबंधित था और उक्त प्राथमिकी की स्थिति, (v) प्राथमिकी की प्रति और इस मामले में किया गया एमएलसी, (vi) क्या पीड़ित को कोई मुआवजा दिया गया है, बिंदुओं पर मौन थी।

iv. इसके अलावा, वर्तमान शिकायत में, यह पाया गया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जिन्होंने तथाकथित गिरफ्तारी के लिए पीड़ित को पीटा था और अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया था। दिलचस्प बात यह है कि यद्यपि निरीक्षण और गिरफ्तारी ज्ञापन संलग्न थे, एमएलसी की कोई प्रति संलग्न नहीं की गई थी। पीड़ित की तस्वीर में सूजे हुए नितंबों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, हालांकि, उन निशानों/चोटों के बारे में कोई टिप्पणी/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। गिरफ्तारी के वक्त पीड़ित की मेडिकल जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

v. हालांकि एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए, पुलिस दल को कुछ बल प्रयोग करना पड़ा और गिरफ्तारी के दौरान झगड़े के कारण उसके नितंबों पर चोट लग गई। यदि उक्त रिपोर्ट को सही मान भी लिया जाए तो भी जिस तरह से पीड़िता की गिरफ्तारी की गई, बल प्रयोग से उसके नितंबों पर चोट के निशान नहीं हो सकते, जैसा कि रिपोर्ट में ही स्वीकार किया गया है। अगर पीड़ित को गिरफ्तार करने के लिए बल प्रयोग किया गया तो भी उसके नितंबों में चोट लगने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा, हालांकि रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 01 के पैरा नंबर 03 में कहा गया है कि केवाकोले ग्रामीण अस्पताल, ग्वालटोर पुलिस स्टेशन, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल में मेडिकल जांच की गई थी और मेडिकल रिपोर्ट की प्रति संलग्न है, ऐसी कोई प्रति या रिपोर्ट नहीं मिली। आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, असत्य या गलत तरीके से दावा करना अधिकारी की

ओर से बहुत ही अशोभनीय कार्य है। मेडिकल रिपोर्ट को संलग्न न करने का कारण यह संदेह पैदा करता है कि पीड़ित पर अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया था, जिसे देश के कानून द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

vi. यह स्थापित किया गया है कि पुलिस कर्मियों द्वारा शक्ति के क्रूर और अमानवीय दुरुपयोग से पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। आयोग ने पीड़ित के मानव अधिकारों के गंभीर और घोर उल्लंघन को गंभीरता से लिया और पश्चिम बंगाल सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ित को 2,00,000/– (दो लाख रुपये मात्र) रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। अनुपालन रिपोर्ट मिलने पर आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

8. मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के थाना नानपुर में पुलिस हिरासत में आदिवासी समुदाय के पांच युवकों को पेशाब पिलाया जाना।

(केस संख्या 1572/12/53/2019)

i. आयोग ने ''द इंडियन एक्सप्रेस'' के दिनांक 13.08.2019 के संस्करण में ''आदिवासियों को हिरासत में मूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया, चार एमपी पुलिसकर्मी निलंबित'' शीर्षक के तहत प्रकाशित एक चौंकाने वाली समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया। समाचार रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के नानपुर थाने में तैनात प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गयी है। उन पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस हिरासत में आदिवासी समुदाय के पांच युवकों के साथ मारपीट की और पानी मांगने पर उन्हें पेशाब पिलाया। पीड़ितों के शरीर पर चोट के निशान के साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोप लगाया कि उन्हें थाने में प्रताड़ित किया गया और मारपीट की गई।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट के साथ उप सचिव (गृह), मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है। यह भी कहा गया कि यद्यपि यह प्रमाणित किया गया था कि पीड़ितों पर पुलिस हिरासत में शारीरिक आघात किया गया था, उन्हें पेशाब पीने के लिए मजबूर करने के आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकती। बताया गया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आगे यह भी कहा गया कि पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

iii. आयोग ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़ितों पर किए गए अमानवीय कृत्य पर ध्यान दिया, जो उनके मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन था और इसलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि प्रत्येक पीड़ित को 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) रुपये का मौद्रिक मुआवजा क्यों न दिया जाए।

iv. कारण बताओ नोटिस के जवाब में, अवर सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया कि आठ दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि, एक अपराधी पुलिस अधिकारी, सब–इंस्पेक्टर दिनेश चांगौद ने माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच में एक रिट

याचिका दायर की और कोर्ट ने अगले आदेश तक विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अतः, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में, सभी दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रोक दिया गया है और उच्च न्यायालय के अगले आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि सहायक आयुक्त, जनजातीय कल्याण विभाग, जिला अलीराजपुर के आदेश के अनुसार, पांच पीड़ितों में से प्रत्येक को मौद्रिक मुआवजे के रूप में 50,000/— (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया गया था। उपरोक्त को देखते हुए, आयोग से मामले को बंद करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पीड़ित को मुआवजे का भुगतान पहले ही कर दिया गया था।

v. आयोग ने उक्त प्रतिक्रिया के अवलोकन पर कहा कि जहां तक दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही का संबंध है, रिट याचिका के पक्षकार उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे क्योंकि आठ पीड़ित पुलिस अधिकारियों में से एक ने पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही की राज्य कार्रवाई को चुनौती दी थी और मामला लंबित था जिसमें स्टे दिया गया था। आयोग ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि भले ही राज्य सरकार ने पांच पीड़ितों को प्रत्येक को 50,000/— रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) का भुगतान किया था, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और सिफारिश की कि पांच पीड़ितों को पुलिस द्वारा उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 1,00,000/— रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का भुगतान प्रत्येक को करें। मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार को पांच पीड़ितों में से प्रत्येक को 50,000/— (पचास हजार रुपये मात्र) की शेष राशि का भुगतान करने और चार सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस निर्देश के साथ मामला 12.01.2021 को बंद कर दिया गया।

9. शिकायतकर्ता, जिसका परिवार असम कृषि केंद्र से मेघालय के रीसा कॉलोनी में स्थानांतरित हो गया था, के साथ अल्पसंख्यक समुदाय से होने के कारण भेदभाव किया गया और मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया तथा वे दूषित पानी प्राप्त कर रहे थे।

(केस संख्या 19/15/0/2018)

i. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को उनकी सहमति के बिना असम कृषि केंद्र से मेघालय के रीसा कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन, उनके स्थानांतरण के बाद, अल्पसंख्यक समुदाय से होने के कारण, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था और उन्हें मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था, दूषित पानी मिल रहा था, और वे महामारी की बीमारी के खतरे में जी रहे थे।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी खासी हिल, शिलांग से दिनांक 09.07.2020 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता एक निजी श्रमिक ठेकेदार है और 9 अन्य परिवारों के साथ धोबी कंपाउंड में रहता है। उनका दावा है कि धोबी परिसर में उनका अपना प्लॉट है, जहां उन्होंने कुछ घर बनाए थे और एक नई इमारत भी बना रहे थे। हालांकि, रीसा कॉलोनी मोहल्ले के कुछ सदस्यों द्वारा की गई आपत्ति के कारण उक्त निर्माण को रोक दिया गया था। शिकायतकर्ता भूमि के स्वामित्व के किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफल रहा और दावा किया कि वे 1951 से यहां रह रहे हैं। उनके बीच हुई बहस के कारण, पुलिस को बुलाया गया, और दोनों पक्षकारों को क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कहा गया।

iii. शिकायतकर्ता ने दिनांक 05.11.2020 और 06.11.2020 के ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया कि उनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ आए और दशकों तक भूमि के इस हिस्से में रहते हुए धोबी के रूप में स्वतंत्र रूप से सेवा की और वही जमीन उनकी थी, क्योंकि वे किसी भी सरकार के गठन से पहले आए थे और वे इलाके में सबसे पुराने थे।

iv. इसके अलावा, उपायुक्त (राजस्व), पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग से प्राप्त दिनांक 08.12.2020 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि जांच के दौरान कोई भी पक्षकार ''असम क्रिस्टी केंद्र'' या ''धोबी कंपाउंड'' के रूप में जानी जाने वाली भूमि के स्वामित्व का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। पक्षकारों की घोषणा के आधार पर, यह सिफारिश की गई थी किः

- स्वर्गीय श्री देवी राम के पहले दो परिवारों को रीसा कॉलोनी में ''धोबी कंपाउंड'' के 604.47 वर्ग मीटर भूमि को दो बराबर हिस्सों में आवंटित किया जाएगा, जो कि 302.23 वर्ग मीटर बनता है।
- 604.47 वर्ग मीटर के एक हिस्से को अब ''असम क्रिस्टी केंद्र'' के कब्जे वाले भूखंड से अलग किया जाना चाहिए, और इसे स्वर्गीय श्री देवी राम के अन्य दो परिवारों को 302.23 वर्ग मीटर के बराबर भागों में आवंटित किया जाना चाहिए।
- ''असम क्रिस्टी केंद्र'' को शेष 3117.96 वर्ग मीटर आवंटित किया जा सकता है और उसमें बसाया जा सकता है।
- आबंटन, भूमि के मूल्य के 10ः प्रीमियम के भुगतान पर किया जा सकता है।

v. उपायुक्त (राजस्व), पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग से प्राप्त् दिनांक 08.12.2020 की रिपोर्ट की एक प्रति, संलग्नक के साथ शिकायतकर्ता को टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। जवाब में, शिकायतकर्ता ने दिनांक 04.03.2021 के ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार पीड़ितों को टूटे हुए घर में झुग्गी जैसी स्थिति में पीड़ित के रूप में रहने के लिए मजबूर कर रही है। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि पीड़ित परिवार को वर्तमान स्थान से किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।

vi. आयोग ने रिकॉर्ड पर रखी सामग्री पर विचार किया और पाया कि उपायुक्त (राजस्व), पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग, ने भूमि के मूल्य के 10ः प्रीमियम के भुगतान पर रीसा कॉलोनी में ''धोबी कंपाउंड'' में स्वर्गीय श्री देवी राम के पहले दो परिवारों को 302.23 वर्गमीटर प्रत्येक को भूमि आबंटित करने और शेष दो परिवारों को ''असम क्रिस्टी केंद्र'' में 302.23 वर्ग मीटर के बराबर भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव दिया। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने दिनांक 04.03.2021 के ईमेल के माध्यम से उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे और विवाद पैदा होगा। शिकायतकर्ता ने वर्तमान स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। ऐसा अनुरोध किए जाने पर, आयोग को संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही कि उपायुक्त (राजस्व), पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सामने आने वाले मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, संभावना का पता लगाएगा कि किसी कानून, अधिनियम, आदेश अधिसूचना में, यदि कोई प्रावधान हो, जिसके तहत पीड़ित का परिवार वर्तमान स्थान से किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार, आयोग ने उपायुक्त (राजस्व), पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग को चार सप्ताह के भीतर आयोग के उपरोक्त निर्देश के आलोक में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अध्याय 13

महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यू आई के अधिकार

13.1 भारत में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, अस्तित्व, विकास, सहभागिता और सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का भेदभाव और उल्लंघन दुखद रूप से उच्च दर पर होता रहता है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुकअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स (एलजीबीटीक्यू आई) समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की स्थिति भी अधिक नहीं तो समान रूप से असुरक्षित रही है। इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, एनएचआरसी, भारत तीनों समूहों, अर्थात् महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यू आई के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और अपने कामकाज और कार्यवाहियों में इन विषयगत क्षेत्रों को बहुत महत्व देता है।

13.2 इसके अलावा, भारत महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों का पक्षकार है। महिलाओं के अधिकारों पर सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू), 1979 है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह, बच्चों के अधिकारों पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय करार बाल अधिकारों पर अभिसमय (सीआरसी), 1989 है। सीईडीएडब्ल्यू की 1993 में भारत सरकार द्वारा अभिपुष्टि की गई थी, जबकि सीआरसी की 1992 में अभिपुष्टि की गई थी। सीआरसी और सीईडीएडब्ल्यू की मंजूरी के बाद, इसके प्रावधान भारत सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए लागू की जा रही कई नीतियों, कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों में परिलक्षित होते हैं।

13.3 इन कानूनों और प्रावधानों के बावजूद, इन समूहों के सदस्यों द्वारा सामना किए जाने वाले कई अभावों और हिंसा का अंतर–पीढ़ीगत चक्र प्रतिकूल ही रहा है। इसलिए, महिलाओं, बच्चों के साथ–साथ एलजीबीटीक्यू–आई समुदाय के लोगों के लिए, विशेष रूप से उनकी भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक पहचान के कारण हाशिए पर रहने वाले ऐसे लोगों के लिए, एक सुरक्षात्मक और विश्वसनीय वातावरण प्रदान करने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है।

13.4 प्रमुख क्षेत्रों/मुद्दों पर केंद्रित प्रयासों और पर्याप्त कवरेज की सुविधा के लिए, अवैध व्यापार, महिलाओं और बच्चों पर आयोग के कोर ग्रुप को दो अलग–अलग कोर समूहों में एक महिलाओं के लिए और दूसरा बच्चों के लिए विभाजित किया गया। बाद में एलजीबीटीक्यूआई पर भी एक कोर ग्रुप बनाया गया। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के विषयों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा तस्करी का है, जो एक संगठित अपराध है। महिलाओं और बच्चों की तस्करी बढ़ती वैश्विक चिंता का विषय है। मानव तस्करी का शिकार मानव तस्करी के सभी चरणों में निरंतर और कई अपराधों का शिकार होता है। भारतीय कानून प्रणाली में, मान्यता प्राप्त शब्द 'मानव तस्करी' या 'मानव का अवैध व्यांपार' है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत निषिद्ध है। नीचे दिए गए पैराग्राफ महिलाओं, बच्चों, एलजीबीटीक्यूआई और मानव तस्करी के अधिकारों पर आयोग द्वारा विशेष रूप से नीति अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग, संक्षेप में, एनएचआरसी के अनुसंधान प्रभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं।

I. महिलाओं के अधिकार

क. महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय पर उप–समिति का गठन (सीईडीएडब्ल्यू)

13.5 महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1979 में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। भारत ने 9 जुलाई, 1993 को सीईडीएडब्ल्यू की अभिपुष्टि की और अभिसमय को स्वीकार करते हुए, सभी रूपों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के कई उपाय शुरू करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है, जिनमें शामिल हैं:

i. पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को उनकी कानून प्रणाली में शामिल करना, सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करना और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले उपयुक्त कानूनों को अपनाना

ii. भेदभाव से महिलाओं की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण और अन्य सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना करना; तथा

iii. व्यक्तियों, संगठनों या उद्यमों द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी कृत्यों को समाप्त करना सुनिश्चित करना।

13.6 इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्या, एनएचआरसी की अध्यक्षता में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव (सीईडीएडब्ल्यू) के उन्मूलन संबंधी अभिसमय पर एक उप–समिति का गठन किया। इस उप–समिति का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या घरेलू कानून, नीतिगत ढांचे और योजनाएं सीईडीएडब्ल्यू के अनुच्छेददों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, और उसके बाद यह समिति पहचान की गई कमियों, यदि कोई हो, को समाप्त करने की सिफारिशें करेगी। उप–समिति में क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं जो तैयार किए जा रहे दस्तावेज पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैंय इस दस्तावेज पर काम करने के लिए 31 मार्च, 2021 तक उप–समिति की आठ बैठकें हो चुकी हैं। सीईडीएडब्ल्यू के जिन विभिन्न अनुच्छेदों पर अब तक चर्चा हुई है उनमें विवाह और परिवार से संबंधित अनुच्छेद 9 और 16; शिक्षा और रोजगार से संबंधित अनुच्छेद 10 और 11; अवैध व्यापार और यौन शोषण से संबंधित अनुच्छेद 6; राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से संबंधित अनुच्छेद 7; स्वास्थ्य से संबंधित अनुच्छेद 12य और ग्रामीण महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद 14, शामिल हैं ।

चित्र 13.1: महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव (सीईडीएडब्ल्यू) के उन्मूलन के अभिसमय पर आयोग की उप–समिति की बैठक

ख. कोविड–19 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी

13.7 आयोग ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 7 अक्टूबर, 2020 को 'कोविड–19 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी कार्यान्व्यन के लिए जारी की थी। उक्त परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

ग. महिलाओं पर कोर समूह की बैठक

13.8 श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में कमी और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कार्य–जीवन संतुलन की समस्या से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 17 नवंबर, 2020 को महिलाओं पर कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी, और सह–अध्यक्षता, महासचिव, एनएचआरसी ने की। बैठक में कोर ग्रुप के सदस्योंय विशेष आमंत्रित; महिला और बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, आईएलओ के प्रतिनिधिय क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ और एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

चित्र 13.2: श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी, आयोग के अन्य अधिकारियों के साथ 17 जनवरी, 2020 को आयोजित महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेते हुए

13.9 बैठक की प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

i. 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, जैसा कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा प्रदान किया गया है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के अधिकार का मामला है, इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

ii. पुरुषों को बच्चे की परवरिश और घर के प्रबंधन की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पितृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए।

iii. भूमिकाओं की लैंगिक रूढ़िवादिता, विशेष रूप से घर के अंदर महिलाओं की भूमिका और घर के बाहर पुरुषों की भूमिका को शिक्षा और जागरूकता सृजन के माध्यम से रोका जाना चाहिए।

iv. पुरुषों को यह समझाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए कि घर के काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है।

v. पशुपालन और मुर्गी पालन जैसी संबद्ध कृषि गतिविधियों के अलावा, ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि कार्य से परे गुणवत्ता और कौशलपूर्ण कार्यों का सृजन किया जाना चाहिए।

vi. ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और मशीनीकरण को समझने में मदद करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए जैसे कि छोटे ऋण कैसे लेना है, कुछ मशीनरी का उपयोग कैसे करना है, आदि।

vii. मनरेगा की तर्ज पर महिलाओं को आरक्षण के साथ शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए।

viii. विशेष रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के कौशल में वृद्धि की आवश्यकता है।

ix. पूरे देश में बेहतर सुविधाओं के साथ अधिक संख्या में कामकाजी महिला छात्रावासों की आवश्यकता है ताकि काम करने वाली और परिवारों से दूर रहने वाली महिलाओं को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल सके।

x. हिंसा और उत्पीड़न से कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें दिव्यांग महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना भी शामिल है।

xi. सार्वजनिक परिवहन का सुरक्षित और बेहतर कवरेज ताकि अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो सकें, भले ही उनका कार्यस्थल बहुत निकट न हो।

xii. नेपाल जैसे कुछ देशों में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए अपनाए जा रहे समुदाय आधारित दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव दिया गया, जब मां/बेटियां/बहू काम पर हों, कुछ महिलाएं एक साथ आ सकती हैं और शिफ्ट में कार्य कर सकती हैं।

xiii. जनगणना के आंकड़े और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आंकड़ों द्वारा काम को परिभाषित किया जाना चाहिए और बेहतर सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि महिलाओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, के कार्यों की बेहतर पहचान और गणना की जा सके। किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण में घर के कामगारों की गिनती विरले ही की जाती है। अवैतनिक कार्यों का भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उनके योगदान को मान्यता मिल सके।

xiv. यह सुनिश्चित करना कि कोई लिंग आधारित वेतन–अंतर नहीं हो। भेदभाव और असमानता बड़े पैमाने

पर हो रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किए गए कानूनों की आवश्यकता है कि इस तरह की प्रथाओं का श्रम बाजार से उन्मूलन हो जाए।

13.10 सभी अनुशंसाओं को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है।

घ. वन–स्टॉप सेंटरों पर बैठक

13.11 श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 29 दिसंबर, 2020 को वन स्टॉप सेंटर की योजना के कार्यान्वयन और कामकाज की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। वर्चुअल मीटिंग में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूज   सीडी), दिल्ली के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रोफेसर राज काचरू ने वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की योजना पर एक प्रस्तुति दी, इसके कार्यान्वयन के प्रमुख मुद्दों और कमियों पर प्रकाश डाला और ओएससी के कामकाज में सुधार के लिए सिफारिशें भी सुझाईं।

13.12 बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि ओएससी की योजना महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, अनूठी और लाभकारी है। नीति का मसौदा बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है और अगर योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार होता है, तो यह अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। प्रोफेसर राज काचरू ने प्रचलनात्माक ओएससी के मूल्यांकन और विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि यह एनएचआरसी द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा किया जा सकता है।

चित्र 13.3: श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी, 29 दिसंबर, 2020 को वन स्टॉप सेंटर की योजना के कार्यान्वयन और कामकाज की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

13.13 बैठक की कुछ सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

i. द्वितीयक उत्पीड़न का उन्मूलन आवश्यक है और इसमें 'सखी' की भूमिका आवश्यक है क्योंकि यह ओएससी ही है जो यह सुनिश्चित करती है कि हिंसा की शिकार कोई भी महिला अकेले किसी चिकित्सा या कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरे।

ii. पुलिस अधिकारियों, चिकित्सा और कानूनी पेशेवरों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण की आवश्यकता है। हिंसा के शिकार लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत बयान देने जैसे पहलुओं के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि गलतियों और देरी से बचा जा सके।

iii. कौशल प्रशिक्षण या अन्य योजनाओं के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता का एक पहलु ओएससी से जुड़ा होना चाहिए क्योंकि ओएससी से संपर्क करने वाली ज्यादातर महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं और अपने पति के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाने से डरती हैं क्योंकि उनके पास खुद वित्तीय स्थिरता की कमी होती है।

iv. दिल्ली में, संपर्क योजना को एक उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए कि ओएससी को कैसे कार्य करना चाहिए। इस योजना के तहत, हर बार भारतीय दंड संहिता (बलात्कार) की पॉक्सो की धारा 376 के तहत या लापता बच्चों के संबंध में पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को तुरंत सूचित किया जाता है ताकि वे पीड़ित की मदद कर सकें। ओएससी के तंत्र को भी इसी तरह काम करने की जरूरत है।

v. ओएससी पर योजना के तहत दिए गए टास्क फोर्स को सभी स्तरों पर निगरानी के लिए जल्द से जल्द गठित करने की आवश्यकता है। तेलंगाना ने अपनी राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।

ङ. महिलाओं पर यौन हमले के मामले में वैज्ञानिक/फोरेंसिक साक्ष्यों के संग्रहण और प्रसंस्करण पर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

13.14 हर साल, आयोग को महिलाओं के खिलाफ अपराध के सैकड़ों मामले मिलते हैं, जिनमें विभिन्न चरणों में कई त्रुटियां और दोष पाए जाते हैं जैसे कि देरी से दर्ज की गई एफआईआर, खराब जांच, गैर–पेशेवर और अवैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह आदि। यौन हिंसा ऐसे सभी अपराधों में सबसे जघन्य अपराध है, जिसका पीड़ितों/उत्तरजीवियों पर विनाशकारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, कई कारणों से ऐसे मामलों में दोषसिद्धि बहुत कम होती है – जिसका कारण खराब फोरेंसिक चिकित्सा साक्ष्य संग्रह, प्रलेखन के साथ–साथ साक्ष्य की हिरासत की श्रृंखला का रखरखाव आदि है।

13.15 इस अवलोकन के साथ, आयोग ने माननीय सदस्य श्रीमती ज्योतिका कालरा की पहल के तहत डॉक्टरों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं की एक टीम का गठन किया और कई दौर के विचार–विमर्श के बाद, महिलाओं पर यौन हमले के मामलों में वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और प्रसंस्करण पर एक मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की। एसओपी का उद्देश्य सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और अन्य हितधारकों को एक समान दिशानिर्देश देना है ताकि उन्हें प्रक्रियाओं की बेहतर समझ हो सके और गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित करना है ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने में मदद मिल सके और ऐसे मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिल सके।

13.16 व्यापक एसओपी पीड़ित की देखभाल और प्रक्रिया की गोपनीयता पर प्रकाश डालता है (धारा 228ए आईपीसीय धारा 23, 24(5), 33(7) पोक्सो अधिनियमय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ 2018), चिकित्सा परीक्षा की तत्परता , 72 घंटों के भीतर जैविक साक्ष्य का संग्रह, फोरेंसिक

प्रयोगशालाओं और पुलिस स्टेशनों में यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट का उपयोग और शरीर से एकत्र किए गए सबूतों की उचित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। एसओपी पीड़ित के रक्त और मूत्र के नमूनों के महत्व पर भी बल देता है, जननांग और गुदा साक्ष्य के रूप में ये साक्ष्यम मजबूत जैविक साक्ष्य (संदिग्ध के साथ डीएनए मिलान आदि) के संग्रह में मदद कर सकते हैं और मुकदमे के दौरान अभियोजन के लिए मामले को मजबूत बना सकते हैं। एसओपी जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी साक्ष्यों की कस्टडी की श्रृंखला के सुरक्षित संचालन, उचित संरक्षण, लेबलिंग और रखरखाव पर भी जोर देता है। यह परिकल्पना की गई है कि यह मानक संचालन प्रक्रिया जब अक्षरशः लागू की जाएगी, तो निश्चित रूप से महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामलों में विभिन्न साक्ष्यों के बेहतर संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से हमारी चिकित्सा–कानूनी जांच की प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

च. अनुसंधान परियोजनाएं

च.1 जारी अनुसंधान परियोजनाएं

13.17 एसिड अटैक पीड़ितों का पुनः एकीकरण और पुनर्वासः

i. एनएचआरसी द्वारा वर्ष 2019–20 में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ भारत यूनिवर्सिटी, बैंगलोर को 'एसिड अटैक विक्टिम्स के पुनःएकीकरण और पुनर्वासन' शीर्षक से एक शोध परियोजना को मंजूरी दी गई थी, अनुसंधान परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ. सरसु एस्थर थॉमस, विधि के प्रोफेसर थे। अध्ययन के उद्देश्य हैं:

- भारत में एसिड अटैक के पीड़ितों से संबंधित कानूनी और नीतिगत ढांचे का अध्ययन करना।
- जमीनी स्तर पर यह कैसे काम करता है, इसकी जांच करना।
- पीड़ितों के व्यक्तिगत अनुभवों और कहानियों को देखना।
- अन्य देशों के उदाहरणों या भारत में अच्छी प्रथाओं का उपयोग करके इस ढांचे में अंतराल की पहचान करना।
- ऐसे तरीके और साधन सुझाना जिससे तेजाब हमले के पीड़ितों का पुनर्वास और पुनर्एकीकरण सार्थक तरीके से किया जा सके (दिव्यांगता कोटा सहित)।

ii. यह अध्ययन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है।

13.18 कार्यस्थल पर दैनिक वेतन भोगी और कम वेतन पाने वाली महिला श्रमिकों द्वारा सामना किया जाने वाला यौन उत्पीड़नः

i. एनएचआरसी ने डॉ वैभवी कुलकर्णी को प्रधान अन्वेषक के रूप में स्वीरकृति देते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद को 'कार्यस्थल पर दैनिक वेतन भोगी महिला श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न' नामक शोध परियोजना को मंजूरी दी है। शोध अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं:

- यौन उत्पीड़न के कारणों को समझना।

- यौन उत्पीड़न के मुद्दों को हल करने के लिए अनुबंध पर काम करने वालों और उनके नियोक्ता द्वारा किए गए औपचारिक और अनौपचारिक निवारण तंत्र को समझना।
- कामगारों पर इस तरह के उत्पीड़न के आर्थिक परिणामों को समझना।
- मौजूदा मुद्दों के समाधान के लिए संगठनात्मक और सामाजिक स्तर पर कार्य करने का प्रस्ताव करना।

ii. अध्ययन अहमदाबाद और मुंबई में आयोजित किया गया था। मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आयोग के विचाराधीन है।

13.19 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: दिल्ली में सरकारी विभागों / अर्ध–सरकारी / पीएसयू / निजी क्षेत्रों में इसके प्रभाव, कार्यान्वयन के मुद्दों और चिंताओं का आकलन करने के लिए एक अध्ययन:

i. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 शीर्षक वाली शोध परियोजनाः राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली को सरकारी विभागों / अर्ध–सरकारी / पीएसयू / निजी क्षेत्रों में इसके प्रभाव, कार्यान्वयन के मुद्दों और चिंताओं का आकलन करने के लिए एक अध्ययन की मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रधान अन्वेषक के रूप में डॉ. रितु गुप्ता हैं। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे:

- परियोजना के दायरे में उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की धारणा को समझना।
- ऐसे मामलों में अपनी महिला कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा अपनाए गए उपायों और निवारक कदमों को जानना।
- विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्थानों में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी, अब आईसी) के गठन और कामकाज का आकलन करना और यदि नहीं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है।
- अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, की पहचान करना।
- यह पता लगाना कि क्या अधिनियम में प्रदान किए गए प्रावधान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त हैं।
- यह निर्धारित करने के लिए कि मौजूदा कानूनी ढांचा पीड़ित के कितना अनुकूल है, और क्या अपराधियों के लिए प्रावधानों को सख्त बनाने की कोई गुंजाइश है।
- 2013 के अधिनियम के अनुरूप एक प्रचालन प्रक्रिया का सुझाव देना जो सभी के लिए बोधगम्य हो।

ii. यह अध्ययन दिल्ली एनसीआर में किया गया था। मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आयोग के विचाराधीन है।

च.2 पूर्ण परियोजनाएं

13.20 अन्य पक्ष से महिलाओं के खिलाफ पूछताछ हिंसाः अपराधियों की दुनिया में एक खोजपूर्ण अध्ययनः

i. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने महिला विकास अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूडीएस) को 'अन्य पक्ष से महिलाओं के खिलाफ पूछताछ हिंसाः अपराधियों की दुनिया में एक खोजपूर्ण अध्ययन' शीर्षक से एक शोध अध्ययन को मंजूरी दी, जिसमें डॉ रेणु अदलखा प्रमुख अन्वेषक थे। इस परियोजना का उद्देश्य पुरुष अपराधियों की धारणा और समाज में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा करने के उनके कारणों के बारे में जानकारी हासिल करना था। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थेः

- भारत के विषय में अंतःविषयी दृष्टिकोण से महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अपराधियों पर मौजूदा साहित्य का विश्लेषण। चूंकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अपराधियों के अध्ययन पर कोई व्यवस्थित दस्तावेज नहीं है (राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एनसीआरबी) डेटा में सीमित जानकारी के अलावा), एनसीआरबी डेटा के विश्लेषण को इस विषय पर जानकारी के अन्य उपलब्ध स्रोतों के साथ संयोजित करने का प्रयास किया जाना था।;

- महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अपराधियों के नमूने की रूपरेखा तैयार करना और संस्थागत रिकॉर्ड के माध्यम से मुखबिरों के नमूने तैयार करना;

- दिल्ली की तिहाड़ जेल और लड़कों के लिए संप्रेक्षण गृहों और लड़कों के लिए विशेष गृहों में बंद चुने गए अपराधियों (किशोरों और वयस्कों), विचाराधीन कैदियों, दोषसिद्ध अपराधियों के साथ परिस्थिति पर उनके नजरिए से कथात्मक साक्षात्कार आयोजित करना;

- हिंसा के विशेष कृत्यों, जिनके लिए अपराधियों को दंडित किया जा रहा है, के विभिन्न आयामों की जानकारी के लिए, विशिष्ट पीड़ितों के दृष्टिकोण को जानने के लिए विशिष्ट मामलों पर नजर रखने का प्रयास किया जाना;

- आपराधिक न्याय प्रणाली में विभिन्न हितधारकों जैसे जेल अधिकारियों, वकीलों और न्यायाधीशों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, अपराधियों और पीड़ितों के मौजूदा और बदलते स्वरूप की समझ विकसित करना;

- न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से बल्कि कुछ अनुशंसाओं के लिए भी लैंगिक हिंसा, अपराध और सामाजिक परिवर्तन से उपजे निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करना और इस आशा के साथ एक अधिक लिंग—संवेदनशील समझ के लिए अपराधियों को फिर से संगठित करना कि अंततोगत्वाद अपराध में कमी होगी।

ii. शोध स्थल दिल्ली था। चूंकि मुखबिर कैद किए गए व्यक्ति थे, इसलिए अनुसंधान स्थल दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में लड़कों के लिए संप्रेक्षण गृह, मजनू का टीला में लड़कों के लिए विशेष गृह 'सेवा

कुटीर' और तिहाड़ जेल थे। पूर्व दो स्थानों में 50 किशोर अपराधियों और तिहाड़ जेल में 20 दोषसिद्ध वयस्कों के साक्षात्कार के लिए कथात्मक साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया था। इस नमूने में विचाराधीन और सजायाफ्ता अपराधियों दोनों को शामिल किया गया था।

iii. शोध अध्ययन की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- अपराधी को मानव अधिकार के नजरिए से देखते हुए अपराध दर को कम करने के तौर–तरीकों के रूप में सजा और कारावास से ऊपर उठने की मांग की जाती है।
- व्यक्तियों, पारस्परिक रूप से और सामूहिक प्रक्रियाओं के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने की आवश्यकता है जो विशेष रूप से कानून प्रवर्तन के संदर्भ में व्यवहार को ढालेगा।
- कारावास के दुष्परिणामों को उजागर करते हुए कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि किशोर अपराधियों के प्रति बाल–केंद्रित दृष्टिकोण और वयस्क अपराधियों के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- अपराधियों को समाज के बदलते लिंग मानदंडों में फिर से शामिल करने का एक तरीका दंड संस्थानों में सुधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बाहरी विशेषज्ञों द्वारा लिंग संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन कराना है।
- प्रवासी कामगारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार से अपराध कम करने में मदद मिलेगी।
- किशोर गृहों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि किशोर गृहों में कोई रचनात्मक गतिविधि नहीं होती है, परामर्शदाताओं को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, कर्मचारियों को बहुत संवेदनशील नहीं किया जाता है और उनकी काम करने की स्थिति और शर्तें खराब होती हैं, जिससे उन्हें संस्था में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

iv. अनुसंधान परियोजना पूरी हो चुकी है और पूरी रिपोर्ट एनएचआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

च.3 नई स्वीकृत परियोजनाएं

13.21 प्रत्येक वर्ष, आयोग विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों/विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, मानव अधिकारों के समर्थन के लिए समर्पित गैर सरकारी संगठनों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। इस वर्ष, महिलाओं के अधिकारों के विषयगत क्षेत्र से संबंधित, आयोग ने 'श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में कमी के कारणों' के प्रमुख क्षेत्रों के तहत अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए। उपर्युक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों की संवीक्षा की गई और विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) की सहायता से एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी के लिए चुना गया।

13.22 'भारत में श्रम बल में महिलाओं की गिरती भागीदारी' शीर्षक वाली शोध परियोजना : आयोग द्वारा 23 मार्च, 2021 को बिट्स पिलानी, हैदराबाद को 'भारत में श्रम बल में महिलाओं की गिरती भागीदारी: बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कारकों और बाधाओं की जमीनी स्तर की जांच' नामक शोध परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें डॉ. ऋषि कुमार, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र और वित्त विभाग, प्रधान अन्वेषक के रूप में और डॉ. सुदत्त बनर्जी, सहायक प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर, डॉ. स्वाति आलोक, सहायक प्रोफेसर, परियोजना के सह–प्रधान अन्वेषक के रूप में हैं।

i. अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- उन कारकों को समझना जो उन्हें देश में श्रम बल में शामिल होने से रोकने के लिए जिम्मेदार हैं।
- उन महिलाओं, जो पहले काम कर रहे थे लेकिन बाद में श्रम से बाहर हो गईं, को शामिल करके उन कारकों को समझना जो महिलाओं को श्रम से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार संबंधी पहलुओं की तुलना करना और उनमें अंतर बताना।

ii. परियोजना को 12 महीने की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। शोध अध्ययन का स्थान बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य हैं, जहां दो ग्रामीण और दो शहरी जिलों को क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए चुना गया है।

छ. प्रकाशन

13.23 एनएचआरसी और मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (मार्ग) ने विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए आपस में सहयोग किया है। आयोग ने 27 पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला का प्रकाशन शुरू किया है। पुस्तिकाओं को मुद्दे के प्रति उचित दृष्टिकोण (अधिकार के लिए सम्मान), अधिकारों की व्याख्या (कानून का ज्ञान) और कानून का उपयोग करने के तरीके (अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ज्ञान और कौशल) के सुझावों के साथ संरचित किया गया है। इनमें यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और समान पारिश्रमिक, और प्रजनन अधिकार (गर्भावस्था, सरोगेसी, पीसीपीएनडीटी, गर्भपात) जैसे महिलाओं के अधिकारों पर पुस्तिकाएं शामिल हैं, जो वर्तमान में प्रकाशन के अधीन हैं।

II. बच्चों के अधिकार

ज. गुमशुदा बच्चों के मुद्दे पर आंतरिक बैठक

13.24 श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्या, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 'गुमशुदा बच्चों' के मुद्दे पर एक आंतरिक बैठक 9 जून, 2020 को आयोग में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य गुमशुदा बच्चों के मुद्दे पर चर्चा करना और खतरे को दूर करने के लिए प्रभावी उपायों पर मंथन करना था।

चित्र 13.4: श्रीमती ज्योतिका कालरा की अध्यक्षता में गुमशुदा बच्चों के मुद्दे पर आयोजित आंतरिक बैठक

13.25 बैठक से जो प्रमुख कार्रवाई योग्य बिंदु सामने आए, वे इस प्रकार हैं:

i. चयनित गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण प्राप्त करने के लिए एक विशेष राज्य, दिल्ली या उत्तर प्रदेश का चयन किया जा सकता हैः गैर सरकारी संगठनों द्वारा लापता बच्चों पर काम की स्थिति, लापता बच्चों के संबंध में राज्य में दर्ज प्राथमिकी की संख्या, वापस खोजे गए बच्चों की संख्या, पुलिस द्वारा अपनाए गए बच्चों का पता लगाने की प्रक्रिया और बच्चों के लापता होने के कारण की जांच पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो सकती है। इस अनुभवजन्य डेटा के अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर, आयोग चिह्नित कमियों पर सिफारिशें कर सकता है। आयोग गुमशुदा बच्चों से संबंधित सभी शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करे और मामले को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन करे।

ii. गुमशुदा बच्चों के अनुभवजन्य आंकड़ों को जिलेवार एकत्र किया जाना चाहिए और केंद्रीय स्तर पर एक डेटाबेस बनाया जाना चाहिए, जिसे आधार डेटा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस डेटाबेस में बच्चों की वापसी या बरामदगी के संबंध में जानकारी भी नियमित रूप से अपडेट की जानी चाहिए। पुलिस और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा लापता बच्चों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। लापता बच्चों के मुद्दे से निपटने के लिए एक एसओपी बनाया जाए।

iii. पुलिस और गैर सरकारी संगठनों को चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर आदि के साथ लापता बच्चों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करते समय तकनीकी रूप से अधिक सुसज्जित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चेहरे की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर को प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए।

iv. मौजूदा ट्रैकिंग और निवारण तंत्र जैसे गुमशुदा बच्चों के लिए राष्ट्रीय ट्रैकिंग सिस्टम, एंटी–ट्रैफिकिंग यूनिट, और चाइल्डलाइन हेल्पलाइन (1098) का मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता के लिए किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की गई है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने बच्चे लापता हुए हैं, कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई है, कितने बच्चे बरामद हुए हैं, बच्चों को बरामद करने के लिए किन प्रक्रियाओं या तौर–तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। इस मुद्दे के समाधान के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों पर विचार–मंथन करने के लिए बच्चों पर कोर ग्रुप की एक बैठक बुलाई जाए; उस पर एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाए।

v. लापता बच्चों के मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी समूहों, पुलिस, राज्य प्रशासन और विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

झ. 'ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री' पर वर्चुअल सम्मेलन

13.26 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 21 जुलाई, 2020 को 'ऑनलाइन–बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)' पर एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय

चित्र 13.5: 'ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री' पर वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेते आयोग के अधिकारी।

सदस्या, एनएचआरसी ने की। एनएचआरसी टीम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे सरकारी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, सिविल सोसायटी संगठनों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, अभिभावक संघों, राज्य पुलिस विभागों, राष्ट्रीय और राज्य आयोग (बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए) के प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों, शिक्षा, और स्वतंत्र साइबर विशेषज्ञों ने सम्मेलन में भाग लिया।

13.27 सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैः

i. सीएसएएम और अन्य ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ प्रयासों को बढ़ाने और चैनलबद्ध करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्मार्ट साइबर केंद्रों की स्थापना।

ii. बच्चों के साथ काम करने के लिए संवेदीकरण सहित सीएसएएम से संबंधित मामलों को संभालने के तरीके पर पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को विस्तृत और प्रभावी प्रशिक्षण।

iii. बार–बार अपराध करने वालों और उन बिचौलियों, जो सीएसएएम की रिपोर्ट नहीं करते हैं, का रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीय रिपॉजिटरी का गठन।

iv. स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा पर अध्याय शामिल किया जाना।

v. रिपोर्टिंग और निवारण के मौजूदा तंत्र को फुलप्रूफ बनाया जाना चाहिए। इसके लिए, बिचौलियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आईटी अधिनियम, 2000 को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और पीड़ित की पहचान का खुलासा करने से संबंधित साइबर अपराध पोर्टल की खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

vi. सीएसएएम से निपटने के लिए विभिन्न राज्य पुलिस की साइबर इकाइयों के साथ तालमेल बिठाते हुए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया जाना जिन्हें क्षेत्रीय सीमाओं से परे जांच करने का अधिकार हो।

vii. विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, बच्चों के मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और एनसीपीसीआर, एनएचआरसी, आदि जैसे विभिन्न आयोगों के माध्यम से और अधिक शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

viii. सीएसएएम के खतरे के प्रति फर्स्टा हैंड रिस्पांसडर के रूप में माता–पिता और शिक्षकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण और स्कूलों में यौन शोषण के प्रति शून्य–सहनशीलता की नीति अपनाना।

ix. न केवल सीएसएएम बल्कि अन्य संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक परामर्शदाता की उपस्थिति और सेवाएं सुनिश्चित करना।

x. सीएसएएम/सीएसए पीड़ित के पुनर्वास के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित चाइल्ड केयर फंड का सृजन।

xi. केवल सीएसएएम और बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए पुलिस थाने में एक अलग डेस्क स्थापित करके रिपोर्टिंग तंत्र को उन्नत किया जा सकता है।

xii. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में जागरूकता पैदा करना।

ञ. कोविड–19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मानव अधिकार परामर्शी

13.28 आयोग ने 29 सितंबर, 2020 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यान्वयन के लिए 'कोविड–19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर परामर्शी' जारी की थी। उक्त परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

ट. बच्चों पर कोर ग्रुप की बैठक

13.29 श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्या, एनएचआरसी की अध्यक्षता में गुमशुदा बच्चों के एजेंडे पर 21 जनवरी, 2021 को बच्चों पर कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई थी। कोर ग्रुप मीटिंग के प्रतिभागियों में स्वतंत्र बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों और बच्चों पर एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, यूनिसेफ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर), गैर सरकारी संगठन, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (हैदराबाद), चाइल्डलाइन, के प्रतिनिधि शामिल थे।

चित्र 13.6: श्रीमती ज्योतिका कालरा की अध्यक्षता में बच्चों पर आयोजित एनएचआरसी कोर ग्रुप की बैठक

13.30 बैठक की प्रमुख सिफारिशों में निम्न शामिल हैं:–

i. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

- एक एकल और एकीकृत एमआईएस स्थापित करना जो सुसंगत हो और जिसकी विभिन्न हितधारकों द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती हो ताकि अतिव्यापी जानकारी को कम किया जा सके।
- एमआईएस के उपयोग और लापता बच्चों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करना।
- डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और निजी ऐप्स के लिए नियामक तंत्र स्थापित करने हेतु कदम उठाना।
- पोर्टल पर उपलब्ध डेटा को, फोटोग्राफ, एफआरएस, आधार की जानकारी आदि सहित नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। अवांछित और अनावश्यक विवरणों को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

ii. अन्वेषण

- अमेरिका में एम्बर अलर्ट जैसे स्वचालित कॉल, टेक्स्ट आदि के माध्यम से एक प्रारंभिक चेतावनी या चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- पतों का सत्यापन और पीड़ितों के प्रत्यावर्तन के लिए पुलिस द्वारा आधार की जानकारी का उपयोग किया जा सकता है।
- गुमशुदा बच्चों के मुद्दे की अग्र सक्रिय जांच के लिए पुलिस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के 'असाधारण कार्य पुरस्कार' को अन्य राज्यों में भी चलाया जा सकता है।
- गुम हुए बच्चों का पता लगाने और बेहतर समन्वय के लिए जिपनेट (जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क) का उपयोग किया जा सकता है।
- 2015–17 से गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन स्माइल' को पुनः चलाए जाने की आवश्यकता है।

iii. विभिन्न एसओपी से संबंधितः एक व्यापक एसओपी तैयार करना, अन्य अतिव्यापी एसओपी को हटाकर एकरूपता सुनिश्चित करना और इस एसओपी में प्रत्येक हितधारक, विशेष रूप से डीसीपीयू की भूमिका की रूपरेखा तैयार करना, जिसे सभी हितधारकों द्वारा आसानी से पढ़ा और समझा जा सके।

iv. किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम का कार्यान्वयनः

- आदर्श जेजे नियमावली के नियम 92 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, अर्थात प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा डीएलएसए को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना।

- जेजे अधिनियम के तहत सीडब्ल्यूपीओ और एसजेपीयू की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना।
- जेजे अधिनियम के तहत एसजेपीयू के विशिष्ट कार्यों को परिभाषित करना।
- इस मुद्दे की रोकथाम, निगरानी और जांच में उनकी भूमिका को समझने के लिए पुलिस और बाल संरक्षण प्रणाली की क्षमता को मजबूत करना और इस तरह, सभी आदेशों और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- जिला स्तर से शुरू करके समन्वय को मजबूत करने के लिए समय–समय पर बहु–हितधारक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

v. एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का कार्यान्वयनः

- आईसीपीएस के अधिदेश के अनुरूप ग्राम, प्रखंड और जिला बाल संरक्षण समितियों की स्थापना करना और उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना।
- आईसीपीएस की समीक्षा करते समय, पर्याप्त मानव संसाधन, विशेष रूप से सीडब्ल्यूपीओ की नियुक्ति के लिए बजट आवंटित करना।

vi. मानव तस्करी रोधी इकाई (एएचटीयू) का कार्यान्वयन

- प्रत्येक जिले में एक एएचटीयू की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ–साथ इसकी निगरानी भी सुनिश्चित करना।
- पर्याप्त मानव संसाधन, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक तक पहुंच, वित्तीय संसाधनों आदि के माध्य म से एएचटीयू और जिला गुमशुदा व्यक्ति दस्ते को सुदृढ़ करना।
- गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर सभी एएचटीयू के पते और संपर्क नंबर की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना।
- यदि बच्चा लंबे समय तक लापता रहता है तो लापता बच्चे के मामले को एएचटीयू में स्थानांतरित करने का प्रावधान सुनिश्चित करना।

vii. जागरूकता सृजन, ज्ञान और कौशल वृद्धि

- सभी हितधारकों, विशेषकर पुलिस के लिए क्षमता और जागरूकता निर्माण का संचालन करना।
- बाल सुरक्षा के लिए बच्चों, माता–पिता, अभिभावकों, समुदायों और स्कूलों को लक्षित करते हुए एक लक्ष्य केन्द्रित अभियान चलाना।

viii. अनुसंधान

- बाल शोषण और उत्पीड़न पर एमडब्ल्यूसीडी द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का शोध किया जा सकता है।

- एनएचआरसी के पायलट अध्ययन के लिए, अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने और अध्ययन के लिए सौंपे गए कार्य की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करने की आवश्यकता है।
- जांच की गुणवत्ता, डेटा का वर्गीकरण, जांच एजेंसी द्वारा ऐप्स पर निर्भरता, बच्चों का पता लगाने के लिए उपलब्ध सामग्री के पर्याप्त उपयोग आदि पर विशेष ध्यान देते हुए गुमशुदा बच्चों पर दर्ज शिकायतों पर एनएचआरसी में अनुसंधान किया जाना चाहिए।
- अनुसंधान के आधार पर, लापता बच्चों की जांच के लिए एक मॉडल प्रक्रिया विकसित की जा सकती है, जिसमें सभी अच्छी प्रथाओं को शामिल किया जा सकता है और अनावश्यक प्रथाओं को दूर किया जा सकता है।

ix. एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर/प्रतिवेदक द्वारा क्षेत्र का दौराः आयोग के विशेष मॉनिटर और प्रतिवेदक जमीनी स्तर पर स्थिति का अध्ययन करने के लिए संवेदनशील राज्यों और जिलों का दौरा कर सकते हैं और कार्रवाई योग्य सिफारिशों का सुझाव दे सकते हैं, जिस पर एनएचआरसी इस मुद्दे के संबंध में ठोस नीति तैयार करने के लिए सरकारों को लिख सकता है।

ठ. किए गए प्रकाशनः यूएनसीआरसी और भारतीय विधान, अभिनिर्णय और योजनाएं – एनएचआरसी द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन

13.31 आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की संधियों और मानव अधिकारों पर अन्य अंतरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करने के उद्देश्य से दस सदस्यीय समिति का गठन किया ताकि घरेलू कानूनों, कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें की जा सकें। इसके बाद, दस सदस्यीय समिति ने आयोग के विषय–विशेषज्ञों और अनुसंधान सलाहकारों को मिलाकर श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंरशन (यूएनसीआरसी) पर एक उप–समिति का गठन किया।

13.32 उप–समिति ने यूएनसीआरसी और भारतीय विधानों, अभिनिर्णयों और योजनाओं के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। परिणामी तुलनात्मक विश्लेषण को छह उप–शीर्षकों में विभाजित किया गया हैः पारिवारिक वातावरण में बच्चाय पारिवारिक वातावरण से वंचित बच्चे/वैकल्पिक देखभाल; बाल श्रम; शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक और आर्थिक अधिकार; अपहरण, तस्करी और बच्चों के खिलाफ हिंसा; और गैर–भेदभाव।

13.33 दिनांक 21 जुलाई 2020 को 'ऑनलाइन–बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)' पर वर्चुअल सम्मेलन के दौरान माननीय सदस्य श्रीमती ज्योतिका कालरा द्वारा 'यूएनसीआरसी और भारतीय विधान, अभिनिर्णय और योजनाएं– एनएचआरसी द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन' शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया।

चित्र 13.7: 'यूएनसीआरसी और भारतीय विधान, अभिनिर्णय और योजनाएं– एनएचआरसी द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन' प्रकाशन का विमोचन।

ङ. प्रस्तुतियाँ

13.34 एमडब्ल्यूसीडी को यूएनसीआरसी की आवधिक कंट्री रिपोर्ट प्रस्तुत करना: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूएनसीआरसी की पिछली आवधिक कंट्री रिपोर्ट के समापन टिप्पणियों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को प्रश्नावली भेजी थी। तदनुसार, आयोग के इनपुट भी मई और नवंबर, 2020 में प्रस्तुत किए गए थे।

13.35 ओएचसीएचआर को कोविड–19 महामारी के संदर्भ में बाल अधिकार और एसडीजी का प्रस्तुतीकरण: मानव अधिकार परिषद के अनुरोध के बाद, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय, सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की 2021 की वैश्विक समीक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट समीक्षा विषय ''सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को बढ़ावा देने के लिए कोविड–19 महामारी से सतत और प्रतिरोधक्षमतापूर्ण प्रतिलाभ: सतत विकास के लिए कार्रवाई और सुपुर्दगी के दशक के संदर्भ में 2030 एजेंडा की उपलब्धि के लिए एक समावेशी और प्रभावी मार्ग का निर्माण'' के संबंध में बच्चों की स्थिति का निराकरण करेगी। तदनुसार, बाल अधिकारों और एसडीजी पर संयुक्त राष्ट्र

मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इनपुटः नवंबर, 2020 में कोविड–19 महामारी से सतत और प्रतिरोधक्षमतापूर्ण रिकवरी विषय पर तैयार की गई और मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को प्रस्तुत की गई।

ढ. अनुसंधान परियोजनाएं

ढ.1 जारी परियोजनाएं

13.36 आयोग ने राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), दिल्ली के लिए ''बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) और बच्चों के पुनर्वास में सीसीआई की भूमिका'' नामक एक शोध परियोजना को मंजूरी दी थी जिसके प्रधान अन्वेषक डॉ. के. सी. जॉर्ज, संयुक्त निदेशक, एनआईपीसीसीडी थे। मोटे तौर पर, अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पुनर्वास में सीसीआई द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की स्थिति का आकलन करना, सीसीआई में किशोर न्याय अधिनियम के अनुपालन में उपलब्ध सेवाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना, सीसीआई में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जांच करना, सुधार के लिए सुझाव देना, और बाल देखभाल सेवाओं की बेहतरी के लिए नीति/संशोधन (यदि कोई हो) के उपाय सुझाना है। मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आयोग के विचाराधीन है।

ढ.2 नव स्वीकृत परियोजनाएं

13.37 बच्चों के अधिकारों के विषयगत क्षेत्र के संबंध में, आयोग ने इस वर्ष 'पीडोफिलिया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड साइबर सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन' जैसे प्रमुख क्षेत्र के तहत शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए। उपर्युक्त प्रमुख क्षेत्रों पर प्राप्त ग्यारह शोध प्रस्तावों की जांच की गई और बच्चों पर एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर की मदद से एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी के लिए चुना गया।

13.38 'केरल में साइबर शोषण का विस्तार और बच्चों की सुरक्षा पर अध्ययन' शीर्षक वाली शोध परियोजना को आयोग द्वारा 23 मार्च, 2021 को भारत माता कॉलेज, कोच्चि को स्वीकृत किया गया जिसमें परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ. एल्सा मैरी जैकब, सहायक प्रोफेसर थे।

i. शोध अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैंः

- केरल में बच्चों और किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले ऑनलाइन उपयोग, दुर्व्यवहार और शोषण के प्रकार और विस्तार क्षेत्र का पता लगाना।
- बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूदा इंटरनेट सुरक्षा उपायों और इसके अनुप्रयोग का अध्ययन करना।
- केरल में बच्चों और किशोरों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में माता–पिता और अन्य महत्वपूर्ण लोगों की धारणा का अध्ययन करना।
- ऑनलाइन शोषण के शिकार बच्चों/किशोरों के व्यक्तिपरक अनुभवों और उनके जीवन पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना।

- साइबर दुरुपयोग को रोकने और बच्चों और किशोरों के बीच साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर सिफारिशें करना।

ii. परियोजना को 12 महीने की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। शोध अध्ययन का स्थान केरल राज्य है, जिसे अध्ययन के उद्देश्य के लिए तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात, दक्षिण, मध्य और उत्तरय जिसमें से दो–दो जिलों का चयन किया जाएगा, अर्थात् तिरुवनंतपुरम और पथानमथिट्टा, एर्नाकुलम और इडुक्की, और कोझीकोड और वायनाड।

III. एलजीबीटीक्यूआई के अधिकार

ण. एलजीबीटीक्यूआई मुद्दों पर कोर ग्रुप की बैठक

चित्र 13.8: श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी, एलजीबीटीक्यू आई मुद्दों पर एनएचआरसी कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

13.39 एलजीबीटीक्यूआई से संबंधित मुद्दों पर कोर ग्रुप की बैठक 11 नवंबर, 2020 को श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में कोर ग्रुप के सदस्य, विशेष आमंत्रित लोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि और एनएचआरसी के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए।

13.40 कोर ग्रुप मीटिंग का एजेंडा इस प्रकार थाः

i. एलजीबीटीक्यूपआई समुदाय के लिए यौन अपराधों के मामले में असमान संरक्षण।

ii. जबरन जेंडर और सेक्सुयअलिटी रूपांतरण का मुद्दा।

iii. स्व–कथित लिंग पहचान का अधिकार।

iv. विशेष रूप से इंटरसेक्स समुदाय के लिए मुद्दों और चिंताओं का दृष्टिगोचर नहीं होना।

13.41 बैठक के दौरान चर्चा से निकली प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैंः

i. एलजीबीटीक्यूरआई के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना

- समाज में एलजीबीटीक्यूयआई समुदाय के कलंक को कम करने और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए मीडिया का उपयोग करके नाल्सा और नवतेज सिंह जौहर के फैसले में दिए गए निर्देशों को लोकप्रिय बनाना।
- एलजीबीटीक्यूआई समुदाय से संबंधित लोगों के प्रति कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाना
- राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोगों को इस समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों की बेहतर समझ रखनी होगीय केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रालयों में उचित समर्थन और सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

ii. क्षमता निर्माण और बढ़ती समावेशिता

- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और उनके लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाने चाहिए।
- कार्यस्थल पर एलजीबीटीक्यूएआई समुदाय की समावेशिता और भागीदारी प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

iii. कानून और कल्याण योजनाएं

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को बाहर और समुदाय के भीतर होने वाले अत्याचारों से अवश्य बचाया जाना चाहिए। इस संबंध में, अधिनियम को केवल मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों का ही सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 में उल्लिखित विशिष्ट और समान दंड के साथ उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों को परिभाषित भी करना चाहिए।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 में कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप से शामिल किया जाना चाहिए जिनका लाभ ट्रांसजेंडर व्यक्ति उठा सकें।

- जबरन सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी और कन्वर्जन थेरेपी के खिलाफ सख्त और अनिवार्य कानून बनाए जाने चाहिए।
- नाल्सा के फैसले को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जाति, जनजाति और आरक्षण की अन्य श्रेणियों के भीतर क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान हो।

iv. हेल्थकेयर सिस्टम और सुविधाएं

- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। सेक्स, जेंडर, सेक्सुकअलिटी और स्वयं की पहचान के बारे में चिकित्सा समुदाय को संवेदनशील बनाना।
- सभी मेडिकल छात्रों और इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को इस समुदाय के लोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य के मुद्दों और आवश्यकताओं के बारे में प्रशिक्षित करने और जेंडर विसंगति के कारण किए गए चिकित्सीय हस्तक्षेप को हतोत्साहित करने के लिए एक परामर्शी भी जारी की जाए।

v. आश्रय गृह और आवासन

- इस समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए अलग आश्रय गृह और भोजन तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के मुद्दे को हल करने के लिए महिलाओं के लिए बने वन स्टॉप सेंटर की तरह विशेष रूप से एलजीबीटीक्यूलआई समुदाय के प्रतिनिधित्व के साथ इस समुदाय के लिए भी वन–स्टॉप शिकायत निवारण केंद्रों की शुरुआत की जाए।
- ट्रांसजेंडर लोगों और समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाले आवास संबंधी भेदभाव की समस्याल उनके रहने के स्थान और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, एलजीबीटीक्यू आई समुदाय के लिए उचित और समान आवास अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।

vi. इंटर–सेक्स समुदाय से प्रतिनिधित्वः इंटरसेक्स समुदाय के मुद्दों को ट्रांसजेंडर समुदाय से अलग निपटाया जाना चाहिए। एलजीबीटीक्यूसआई पर कोर ग्रुप में इंटरसेक्स समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि उनके मुद्दों को भी समान प्रतिनिधित्व मिल सके।

त. कोविड–19 के संदर्भ में एलजीबीटीक्यूंआई समुदाय के अधिकारों पर मानव अधिकार परामर्शी

13.42 आयोग ने 16 अक्टूबर, 2020 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों को 'कोविड–19 के संदर्भ में एलजीबीटीक्यू आई़ समुदाय के अधिकारों पर कार्यान्वयन के लिए मानव अधिकार परामर्शी' जारी की थी। उक्त परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

थ. अनुसंधान परियोजनाएं

थ.1 जारी परियोजनाएं

13.43 वर्तमान में आयोग के पास ट्रांसजेंडर विषय पर दो शोध परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना, प्रधान अन्वेषक, डॉ. रजनी सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, आईआईटी (आई.एस.एम.) धनबाद, झारखंड द्वारा 'ट्रांसजेंडर इनक्लूसिविटीः ए रियलिटी चेक' (कोलकाता) शीर्षक से है। दूसरी परियोजना प्रधान अन्वेषक, डॉ एम. एल. कालीचरण, निदेशक, स्कूल ऑफ लीगल स्टिडीज, रेवा विश्वविद्यालय, कर्नाटक द्वारा 'सामाजिक मुद्दों और ट्रांसजेंडर की कानूनी चुनौतियों पर एक अनुभवजन्य अध्ययनः दक्षिण भारतीय राज्यों के विशेष संदर्भ में' (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना), है। दोनों परियोजनाओं की मसौदा अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आयोग के विचाराधीन है।

थ.2 नई स्वीकृत परियोजनाएं

13.44 एलजीबीटीक्यूआई के अधिकारों के विषयगत क्षेत्र के संबंध में, आयोग ने 'कार्यस्थल पर एलजीबीटीआई द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों' के प्रमुख क्षेत्रों के तहत अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए। उपर्युक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों की संवीक्षा की गई और एक शोध प्रस्ताव को विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) की सहायता से मंजूरी के लिए चुना गया।

13.45 'भारत में एलजीबीटी समुदाय के बीच मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्देः मानसिक स्वास्थ्य विकारों और तनाव, मुकाबला, कथित सामाजिक समर्थन, व्यवसाय और धार्मिकता के बीच अंतर–संबंध पर एक अध्ययन' शीर्षक वाली शोध परियोजना को आयोग द्वारा 23 मार्च, 2021 को एम्स, भुवनेश्वर को मंजूरी दी गई, परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ. सुशांत कुमार पाढ़ी, अतिरिक्त प्रोफेसर और विभाग प्रमुख थे।

i. शोध अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- भारत के एलजीबीटी समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को समझना।
- भारत के एलजीबीटी समुदाय में आत्मघाती जोखिम का आकलन करना।
- एलजीबीटी द्वारा सामना किए जाने वाले कार्यस्थल संबंधी मुद्दों का आकलन करना।
- एलजीबीटी समुदाय में मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों की जांच करना।
- भारत में एलजीबीटी समुदाय के व्यक्तियों के तनाव, मुकाबला, कथित सामाजिक समर्थन, व्यवसाय और धार्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे कारकों के बीच अंतर–संबंध का आकलन करना।

ii. परियोजना को 12 महीने की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए चार क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक शहर का चयन किया गया हैय यानी, उत्तरी क्षेत्र से लखनऊ, दक्षिणी क्षेत्र से पुडुचेरी, पूर्वी क्षेत्र से भुवनेश्वर और पश्चिमी क्षेत्र से मुंबई। प्रत्येक शहर से एलजीबीटी समुदाय के 250 व्यक्तियों को चुना जाएगा, जिससे अध्यलयन के लिए कुल संख्या 1000 होगी।

द. प्रकाशन कार्य

13.46 वर्ष के दौरान, मानव इम्यूनोडिफीसिअन्सी वायरस (एचआईवी)/एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) से पीड़ित लोगों के अधिकार और लैस्बियन, गे, बाईसेक्सुफल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) व्यक्तियों के अधिकारों के शीर्षक वाली एक मार्ग (एमएआरजी) पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया और यह प्रक़ाशित होने वाली है।

ध. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक

13.47 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक 15 अक्टूबर, 2020 को माननीय मंत्री (एसजे एंड ई) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में आयोग का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव ने किया जो परिषद के पदेन सदस्य भी हैं। बैठक में कई सुझावों के बीच यह सिफारिश की गई कि ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस प्रशासन को परामर्शी जारी कर सकता है।

IV. मानव तस्करी

न. मणिपुर में तस्करी रैकेट पर श्री अजीत सिंह, स्पेशल मॉनीटर की जांच रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक

13.48 फरवरी, 2019 में मणिपुर में अंतरराष्ट्रीय तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ होने के सिलसिले में श्री अजीत सिंह की 6–10 अगस्त, 2019 तक मणिपुर यात्रा के संदर्भ में जांच रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 17 जुलाई, 2020 को प्रशासनिक कमियों की पहचान करने और पुलिस जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता माननीय सदस्या, श्रीमती ज्योतिका कालरा ने की, और इसमें गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों, एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों और सीएसओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

13.49 इस बैठक से निकली प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैंः–

i. एनएचआरसी द्वारा तैयार मानव तस्करी पर एसओपी केंद्र और राज्य सरकार, पुलिस कर्मियों, एनआईए और कई गैर सरकारी संगठनों में सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो तस्करी के मुद्दों से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इसे एनएचआरसी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना चाहिए।

ii. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीड़ितों के बयान दर्ज किए जाने की जरूरत है। हालांकि, पीड़ितों के बयान एकत्र करने में 3 दिन का विलंब हो गया है। इस तरह के मामलों में जहां 100 से अधिक तस्करी पीड़ितों को बचाया हो, मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करने के कार्य के लिए अधिक लोगों को नियुक्त करना चाहिए और जल्द से जल्द तारीख देनी चाहिए।

iii. चूंकि मणिपुर पुलिस मानव तस्करी के मामले में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाई है, इसलिए मणिपुर सरकार को मामले की जांच एनआईए/सीबीआई को सौंपने का सुझाव दिया जा सकता है।

iv. भारत सरकार एक बहुत व्यापक 'व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018' लेकर आई, जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जो हालांकि, राज्यसभा में व्यआपगत हो गया। संसद द्वारा विधेयक को पारित कराने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की जा सकती है क्योंकि इसमें तस्करी के खुलासे के दौरान सामने आए सभी प्रशासनिक कमियों को दूर करने की क्षमता है।

v. चूंकि मणिपुर सरकार ने मानव तस्करी से संबंधित मुद्दे को दूर करने के लिए अभी तक कोई एसओपी तैयार नहीं की है, इसलिए वे पर्याप्त इनपुट के लिए असम सरकार द्वारा तैयार मानव तस्करी पर एसओपी का पालन कर सकते हैं।

vi. मणिपुर मानव तस्करी से संबंधित मामलों की सुनवाई अनैतिक तस्करी अधिनियम, 1956 के तहत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है। इसके विपरीत धारा, 370 आईपीसी के साथ 371 आईपीसी यह निर्धारित करती है कि इस तरह की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 और आईपीसी की धारा 370 के तहत मानव तस्करी रोकथाम के मुकदमे में अंतर है, जिसे भारतीय विधायिका द्वारा हल करने की आवश्यकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि इन परिस्थितियों में धारा 370 आईपीसी के प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी आदि के मामले में तस्करी पीड़ितों के अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे का काफी हद तक निराकरण करता है।

vii. यह भी सिफारिश की जाती है कि मानव तस्करी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाए। जेजे अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम और अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 जैसे कई अधिनियम हैं, जो त्वरित न्याय के लिए मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों के निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं।

viii. अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर सीमा सुरक्षा बल को सीमा पार मानव तस्करी की रोकथाम में उनकी भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए।

ix. श्री अजीत सिंह की यात्रा रिपोर्ट को इंपल्स एनजीओ नेटवर्क द्वारा तैयार की गई मणिपुर तस्करी की रिपोर्ट के साथ मिलाकर देखा जा सकता है ताकि पहचाने गए मुद्दों और अंतराल की पूरी तस्वीर मिल सके।

x. मणिपुर राज्य सरकार को तस्करी के लिए एसओपी इस तरह से तैयार करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई कानूनी प्रक्रिया तेजी से प्रत्यावर्तन में बाधा न बने।

xi. पीड़ितों के प्रत्यावर्तन और बचाव में शामिल गैर सरकारी संगठनों को मणिपुर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

xii. यह देखा गया है कि तस्करी के शिकार मुक्त कराए गए पुरुषों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं

थी। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि महिला पीड़ितों के साथ–साथ पुरुष पीड़ितों के लिए भी आश्रय गृहों का निर्माण किया जाए।

xiii. अंतर्देशीय तस्करी के मामले में, पीड़ितों के बयानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वदेश में दर्ज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

xiv. श्री अजीत सिंह की मणिपुर तस्करी की कांड पर रिपोर्ट आयोग के समक्ष शिकायत के रूप में दर्ज की जाए।

प. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में मानव तस्करी का मुकाबला करने पर परामर्शी

13.50 आयोग ने 8 दिसंबर, 2020 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 'कोविड –19 महामारी के संदर्भ में मानव तस्करी का मुकाबला' पर परामर्शी कार्यान्वयन के लिए जारी की। उक्त परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

फ. अनुसंधान परियोजनाएं

फ.1 जारी परियोजनाएं

13.51 भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (बीआईआरडी), गाजियाबाद को 2019 में 'महिलाओं और बच्चों की तस्करी – चुनौतियां और उपचार' नामक एक शोध परियोजना को मंजूरी दी गई थी जिसके प्रधान अन्वेषक डॉ. अवधेश कुमार सिंह थे।

i. अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी के मूल कारणों और कार्यप्रणाली की पहचान करना।
- भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी के परिमाण, कारणों, प्रकृति और आयामों का अध्ययन करना।
- भारत में सरकारी हस्तक्षेपों और महिलाओं और बच्चों की तस्करी के मुद्दों के बीच संबंधों को समझना और तस्करी के रुझान और पैटर्न तथा संरचनात्मक और कार्यात्मक तंत्र जो इस घटना को बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को पुनः उत्पन्न और सुदृढ़ करते हैं, को समझना।
- महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम और उसका मुकाबला करने से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन की जांच करना।

फ.2 पूर्ण हुई परियोजनाएं

13.52 आयोग ने 'मानव तस्करी के पीड़ितों का पुनर्वासः पीड़ित मुआवजा योजनाओं की प्रभावशीलता, दक्षता और स्थिरता का अध्ययन' शीर्षक से एक शोध परियोजना पूरी की। यह शोध प्रधान अन्वेषक डॉ. अनिल कुमार दास, ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा किया गया। अध्ययन के उद्देश्य पीड़ित मुआवजा योजना (वीसीएस) की प्रभावशीलता, दक्षता और स्थिरता की जांच करना और मानव तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास

के लिए एक उपकरण के रूप में योजनाओं को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देना था। यह अध्ययन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया गया।

13.53 अध्ययन वीसीएस की प्रभावशीलता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए और मानव तस्करी के पीड़ितों, जो अपनी अक्षम और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के लिए हाशिए पर जाने जाते हैं, के लिए सहायता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करता है। प्रत्येक सिफारिश उस कमी या समस्या के आलोक में की गई है जिसे वह दूर करना चाहता है। प्रत्येक सिफारिश को लागू करने वाली एजेंसियों को भी नीचे नोट किया गया है:

तालिका 13.1: कमियों, पीड़ित मुआवजा योजना (वीसीएस) और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रभावशीलता, दक्षता और स्थिरता के लिए सिफारिशें

पाई गई कमियां या समस्याएं	कमियों या समस्याओं को दूर करने के लिए सिफारिशें	एजेंसियां जिन्हें सिफारिशों को लागू करना चाहिए
वीसीएस के प्रमुख हितधारकों के पास सही दृष्टिकोण या अभिविन्यास का अभाव है, जिसने योजना की कम पहुंच और परिणामी प्रभावशीलता और दक्षता की कमी में योगदान दिया है।	दृष्टिकोंण में बदलावः पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एसएलएसए, डीएलएसए, पुलिस, वकीलों और न्यायाधीशों को वीसीएस के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने की तत्काल आवश्यकता है। इन हितधारकों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि मानव तस्करी के शिकार लोगों तक पहुंचने में यह योजना इतनी बुरी तरह विफल क्यों है।	एसएलएसए, डीएलएसए, राज्य पुलिस, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय (वकील और न्यायाधीश)
पीड़ितों में वीसीएस के बारे में जागरूकता की कमी	जानकारी का प्रसारः लाभ प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं सहित योजना के विवरण का प्रसार करके पीड़ितों को वीसीएस के बारे में जागरूक करने की अत्यधिक आवश्यकता है। संबंधित एजेंसियों को इस संबंध में अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना चाहिए और सूचना प्रसार के लिए सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों के उपयोग का पता लगाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि संभावित लाभार्थी अपनी पात्रता से वंचित न रहें।	एसएलएसए, डीएलएसए, पुलिस, वकील, न्यायाधीश, सीएसओ, एनजीओ (पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा देने में उनकी अनिवार्य भूमिका को देखते हुए एसएलएसए और डीएलएसए द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जानी चाहिए।)
पीड़ितों के पास निम्न स्तर की शिक्षा और जागरूकता है,	पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन : पीडितो को मुआवजे के सार्थक उपयोग के लिये उचित मार्गदर्शन	राज्यों के समाज कल्याण विभाग, गैर सरकारी संगठन,

पाई गई कमियां या समस्याएं	कमियों या समस्या ओं को दूर करने के लिए सिफारिशें	एजेंसियां जिन्हें सिफारिशों को लागू करना चाहिए
और कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के अवसरों और पुनर्वास के साधनों तक उनकी पहुंच अपर्याप्त है	प्रदान किया जा सकता है। संपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुआवजे के पैसे के सार्थक उपयोग के लिए पीड़ितों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। पीड़ितों या उनके रिश्तेदारों को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल पर प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है जो उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाए और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करे। बीज धन, मशीनरी, बाजार और अन्य सहायता सेवाओं के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें वित्तीय और गैर–वित्तीय संगठनों से भी जोड़ा जाना चाहिए।	सीएसओ और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान
अंतरिम मुआवजे के रूप में अल्प राशि जो पुनर्वास की प्रक्रिया में मुश्किल से योगदान दे पाती है	मुआवजे की मात्राः मुआवजे के अंतिम भुगतान के लिए राज्य के वीसीएस के निर्देशों का पालन करने के अलावा, अंतरिम मुआवजे की राशि ऐसी होनी चाहिए कि यह पीड़ितों के पुनर्वास की प्रक्रिया में योगदान दे।	एसएलएसए और डीएलएसए
प्रक्रियात्मक दक्षताः		
1. पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा मुआवजे के लिए अदालत की सिफारिश या आवेदन की प्राप्ति के बाद जांच में देरी।	1. जैसा कि सीआरपीसी की धारा 357ए की उप–धारा 5 के तहत अनिवार्य है, एसएलएसए और डीएलएसए को धारा 357ए की उप–धारा 4 के तहत अदालत की सिफारिश या इस उद्देश्य के लिए आवेदन प्राप्त होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी करके मुआवजे की राशि सुनिश्चित करना चाहिए।	1. एसएलएसए और डीएलएसए
2. मुआवजे के लिए आवेदन जमा करने और प्रसंस्करण के लिए बोझिल प्रक्रिया।	2. कम शिक्षित, अनपढ़, गरीब और अनजान पीड़ितों को बिना किसी कठिनाई के इसका पालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवेदन जमा करने और उसके प्रसंस्करण की प्रक्रिया सरल और परेशानी मुक्त होनी चाहिए।	2. एसएलएसए और डीएलएसए

पाई गई कमियां या समस्याएं	कमियों या समस्या ओं को दूर करने के लिए सिफारिशें	एजेंसियां जिन्हें सिफारिशों को लागू करना चाहिए
3. डीएलएसए के साथ पुलिस द्वारा सूचना साझा करने में देरी	3. पुलिस को एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद अपराध और पीड़ित के बारे में डीएलएसए के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए।	3. पुलिस
डेटा और सूचना तक पहुंच, और प्रणालीगत प्रतिक्रियाः		
1. विभिन्न अपराध श्रेणियों के लिए वीसीएस पर अलग–अलग डेटा की अनुपलब्धता	1. एसएलएसए को विभिन्न अपराध श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वीसीएस पर सार्वजनिक रूप से अलग–अलग राज्य डेटा तैयार करने और बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें पीड़ितों और अदालतों से मुआवजे के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या, पीड़ितों की संख्या, मुआवजे के लिए खर्च की गई राशि और ऐसे अन्य विवरणों पर प्रकाश डाला गया हो।	1. एसएलएसए
2. जनता की वास्तविक जरूरतों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से अपर्याप्त प्रतिक्रिया	2. एसएलएसए और डीएलएसए को जनता की वास्तविक जरूरतों और विभिन्न सेवाओं के लिए उनसे संपर्क करने वाले सभी लोगों के प्रति उत्तरदायी होने की आवश्यकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए वीसीएस पर डेटा साझा करने में एसएलएसए की अक्षमता या पूर्ण चुप्पी और मुआवजे की अपर्याप्त पहुंच अपर्याप्त प्रणालीगत प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। उत्तरदायी एसएलएसए और डीएलएसए उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होंगे जो उनकी सेवाओं पर निर्भर हैं और जो सामान्य रूप से वंचित लोगों और विशेष रूप से मानव तस्करी के शिकार लोगों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में लगे हुए हैं।	2. एसएलएसए और डीएलएसए
वीसीएस के अंतर्गत निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए स्वतंत्र तंत्र का अभाव	निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए स्वतंत्र तंत्रः एनएचआरसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वीसीएस के तहत धन के उपयोग पर डेटा प्राप्त करने और विश्लेषण करने के उद्देश्य से	एनएचआरसी और राज्य मानव अधिकार आयोग

पाई गई कमियां या समस्याएं	कमियों या समस्या ओं को दूर करने के लिए सिफारिशें	एजेंसियां जिन्हें सिफारिशों को लागू करना चाहिए
	राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ समन्वय में एक निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है, और योजनाओं को प्रभावी, कुशल, प्रभावशाली और टिकाऊ बनाने के लिए समय—समय पर बाध्यकारी और गैर—बाध्यकारी परामर्शी जारी कर सकता है।	

ब. प्रकाशन कार्य

13.54 मार्ग पुस्तिका, जो विशेष रूप से अवैध व्यापार के विषय पर आधारित है, का शीर्षक 'अपहरण, अपावर्तन और तस्करी (आईटीपीए और आईपीसी / गलत कारावास)' है। इसे अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रकाशन के अधीन है।

ट. विविध

भ. अनुसंधान परियोजनाएं

13.55 'ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर मानवाधिकार पर चर्चा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पता लगाना' शीर्षक से एक शोध परियोजना को एनएचआरसी द्वारा सामाजिक कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रायोजित किया गया था, जिसमें डॉ सीमा शर्मा पी.आई. के रूप में थीं। अध्ययन में मानव अधिकारों के अर्थ को समझने की कोशिश की गई, और जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों और मानवाधिकार संस्थानों के बारे में जागरूकता के स्तर की पहचान की गई।

i. अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थे:

- जमीनी स्तर पर लोगों के नजरिए से मानवाधिकारों के अर्थ को समझना।
- अनुसंधान क्षेत्र के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की प्रकृति को समझना।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में जमीनी स्तर पर लोगों द्वारा नियोजित शिकायत निवारण की औपचारिक और अनौपचारिक प्रणालियों को चित्रित करना।
- जमीनी स्तर पर लोगों के बीच एनएचआरसी के बारे में जागरूकता के स्तर की पहचान करना।
- मानवाधिकारों के उल्लंघनों का निराकरण करने में राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों की भूमिका और जमीनी स्तर पर लोगों के दृष्टिकोण से इस तरह के उल्लंघन के संदर्भ का पता लगाना।

- जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यकलापों और तंत्र का प्रस्ताव करना।

ii. इस अध्ययन के माध्यम से, एनएचआरसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर अपने अस्तित्व और कार्यों के बारे में जागरूकता स्तर जानने का लक्ष्य रखा था। भारत के तीन अलग–अलग राज्यों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के पांच गांवों को अध्ययन के लिए चुना गया था।

iii. इस शोध परियोजना से निकली कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- एनएचआरसी का एक प्रतिनिधि पंचायत स्तर पर या पंचायतों के समूह के स्तर पर नियुक्त किया जाए, जो जमीनी स्तर पर हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का दस्तावेजीकरण करे, और जिला स्तर पर मानव अधिकार के मुद्दे पर समान विभागों की प्रगति और समामेलन की निगरानी करे। ये दस्तावेज एनएचआरसी और एसएचआरसी को भविष्य में इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने में मदद कर सकते हैं। इस प्रतिनिधि को इन पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जा सकता है या वह क्षेत्र में काम कर रहे किसी गैर सरकारी संगठन से भी हो सकता है।

- ग्राम सभा, स्थानीय पंचायत, स्वयं सहायता समूहों आदि की बैठकों के माध्यम से, एनएचआरसी के टोल–फ्री नंबरों को ग्राम स्तर पर विज्ञापित किया जाना चाहिए।

- स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जमीनी स्तर पर स्वच्छ भारत प्रेरक जैसे संवर्ग स्थापित किए गए हैं।

- अध्ययन में यह भी पाया गया है कि अध्ययनगत परिवारों के पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जागरूकता का स्तर तुलनात्मक रूप से कम है। इसलिए, 'मानव अधिकारों के व्यापक विषय के तहत व्यापक लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम' को जमीनी स्तर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों को आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायतों और मानवाधिकारों के नियुक्त संवर्ग द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है।

- एनएचआरसी और मानवाधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और जागरूक करने के लिए स्कूलों, ग्राम पंचायत कार्यालयों से लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों तक हर संभव स्तर पर सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानवाधिकार मेला आयोजित किया जाना चाहिए।

- एनएचआरसी, इसकी भूमिकाओं और कार्यों, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में एनएचआरसी से संपर्क करने की व्यवस्था, मानवाधिकारों, मौलिक अधिकारों और संविधान की समझ विकसित करने के बारे में जानकारी को स्कूल से ही शिक्षा प्रणाली के भीतर शामिल किया जाए। इसके लिए एनएचआरसी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग कर सकता है।

- संविधान, मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित विषयों को अनिवार्य रूप से स्कूल में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यह शिक्षकों और सामाजिक वैज्ञानिकों के परामर्श से संरचनात्मक रूप से किया जाना चाहिए।

- पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका पर जोर देना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को आवश्यकता को समझना चाहिए और विषय को पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से उन्मुख और प्रशिक्षित होना चाहिए। यदि शिक्षक इन तरीकों का बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं तो पाठ्यक्रम बदलना व्यर्थ होगा। साथ ही, मानव अधिकार और एनएचआरसी की भूमिका को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा स्नातक कार्यक्रम के साथ–साथ विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

- राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का उपयोग मानव अधिकारों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

- एनएचआरसी भी अधिकारों, कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्यों, किए गए मामलों और न्याय वितरण तंत्र पर विभिन्न सोशल मीडिया अभियानों की योजना और क्रियान्वयन कर सकता है। यह न केवल जागरूकता फैलाने में सहायक होगा बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर विश्वास विकसित करने में भी सहायक होगा।

- एनएचआरसी और सिविल सोसायटी के बीच एक मजबूत सहयोग की आवश्यकता है। एनएचआरसी ऐसे समूहों को अपना दावा करने के लिए प्रभावी माध्यम दे सकता है। प्रभावी और सर्व सुलभ बनने के लिए एनएचआरसी को सिविल सोसायटी से स्वतंत्र इनपुट की आवश्यकता होती है।

- पदानुक्रम के निचले पायदान वाले इस प्रकार लोगों के संपर्क में अधिक रहने वाले पुलिसकर्मियों की मानवाधिकारों और एनएचआरसी के बारे में जागरूकता का स्तर कम था। मानव अधिकारों के कुशल संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए सभी पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है। यह कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है।

- एनएचआरसी को भेजी गई शिकायतों की जांच के मामलों में पुलिस की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। विशेषकर उन मामलों में जहां शिकायत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ होती है, पुलिस की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे शिकायतों और मामलों में हेरफेर हो सकती है और वह कमजोर पड़ता है और न्याय प्रणाली में बाधा आती है। बल्कि, एनएचआरसी को एसएचआरसी के साथ शिकायतों की जांच के लिए कुछ स्वतंत्र और स्वायत्त समितियों के गठन की संभावना पर गौर करना चाहिए।

- मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अदालती कार्यवाही में अदालत के अनुमोदन से हस्तक्षेप करने का अधिकार एनएचआरसी के पास है। इसे और अधिक सख्ती से करने की जरूरत है ताकि गरीबों, हाशिए पर पड़े और कमजोर समूहों के रक्षक होने की एक मजबूत छवि विकसित हो सके। यह एनएचआरसी और इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता भी फैलाएगा क्योंकि एनएचआरसी के हस्तक्षेप के लाभार्थी इसके कार्यों और भूमिकाओं के साथ–साथ इसके कार्यकलापों के बारे में सकारात्मक प्रचार करेंगे।

VI. वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले

1. महिला थाना धनबाद, झारखंड के अंतर्गत करीब एक माह तक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म व प्रताड़ित किया गया तथा उसके शरीर के अंग जलाए गए

(केस संख्या 1285/34/4/2019–डब्ल्यूसी)

i. यह मामला, शिकायत में नामजद आरोपितों द्वारा पीड़िता के शरीर के अंगों को जलाने सहित करीब एक महीने तक सामूहिक दुष्कर्म और प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली एक शिकायत से संबंधित है। यह भी आरोप लगाया गया कि लापता लड़की की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद, पुलिस द्वारा लड़की का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से भाग निकली तो महिला थाना प्रभारी, धनबाद, झारखंड ने मामले की सूचना दी और पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के साथ–साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज करने का अनुरोध किया गया। लेकिन महिला थाने के थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई, क्योंकि पीड़िता ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी।

ii. आयोग ने असहाय पीड़िता के कथित मानवाधिकारों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मामले में मौके पर जांच के लिए अपने जांच प्रभाग की एक टीम को प्रतिनियुक्त किया। आयोग ने आयोग के जांच प्रभाग द्वारा मोके पर जांच रिपोर्ट और निष्कर्षों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार किया और मुख्य सचिव के माध्यम से झारखंड सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों आयोग को पीड़ित लड़की को 2,00,000/– (दो लाख रुपये मात्र) रुपये के मुआवजे की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया है, जो मामले के पंजीकरण के लिए पीड़िता और उसके परिवार में विश्वास पैदा करे और अपराधी/अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए, पुलिस द्वारा समझौता करने के लिए प्रेरित करने, संवेदनहीनता, उदासीनता और मामले में पुलिस की लापरवाही के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई हो और आर्थिक मदद मिले।

iii. इसके अलावा, झारखंड के पुलिस महानिदेशक को भी तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, धनबाद और तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (एल एंड डब्ल्यू), धनबाद के खिलाफ उनकी असंवेदनशीलता और उदासीन रवैये के लिए कानूनी कार्रवाई करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही, 154 सीआर.पी.सी के तहत परिकल्पित कानून और शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन न करने के लिए, सब–इंस्पेक्टर (एसआई) एम गुड़िया और तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), महिला थाना, धनबाद के खिलाफ 166 ए आईपीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (यदि लागू हो) के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और गुमशुदगी की रिपोर्ट के मामले में उल्लिखित उचित कानूनी प्रक्रिया को अपनाने में विफल रहने के कारण तत्कालीन एसएचओ सुरेंद्र कुमार सिंह, पुलिस स्टेशन बैंक मोड़, धनबाद और सहायक उप–निरीक्षक (एएसआई) आमोद कुमार, जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई (आईओ) करने के निर्देश दिए गए।

2. साहिबगंज, झारखंड से महिला का अपहरण और तस्करी कर दिल्ली लाया जाना

(केस संख्या 648/34/17/2016–डब्ल्यूसी)

i. शिकायतकर्ता श्रीमती सुषमा ने अपनी बेटी यशोदा कुमारी के अपहरण और तस्करी के मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपने अन्वेषण प्रभाग को फोन पर मामले में तथ्य एकत्र करने के लिए कहा। आयोग ने पुलिस अधीक्षक (एसपी), साहिबगंज, झारखंड और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को मामले की तुरंत जांच कराने और आयोग को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तद्नुसार, थाना जीरवाडी, जिला साहेबगंज, झारखंड के थाना प्रभारी से अन्वेषण प्रभाग द्वारा दूरभाष पर संपर्क किया गया और संभवतः उसके बाद 20 मई 2016 को आईपीसी की धारा 366 और 363 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से दबाव बनाए जाने पर अभियोक्त्ता को आरोपी व्यक्तियों द्वारा रिहा कर दिया गया। पुलिस ने उससे संपर्क किया और अपने बयान में उसने अपनी मां द्वारा शिकायत में सामने लाए गए तथ्यों की पुष्टि की। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

ii. आयोग ने रिकॉर्ड पर रखी गई सभी रिपोर्टों पर विचार करने के बाद पाया कि पुलिस ने 11 महीने से अधिक के लंबे अंतराल के बाद मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने में देरी से शिकायतकर्ता/पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तदनुसार, उपायुक्त, साहिबगंज, झारखंड को यह बताने के लिए कहा गया कि क्या पीड़ित को कोई मुआवजा प्रदान किया गया था, जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तदनुसार, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (i) के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसमें मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को कारण बताने के लिए कहा गया कि पीड़ित को 3,00,000/– रुपये (रुपये तीन लाख मात्र) का मुआवजा क्यों प्रदान नहीं किया जाए।

iii. आयोग ने प्राप्त प्रतिक्रिया के साथ–साथ रिकॉर्ड पर प्रस्तुरत सामग्री की जांच की। चूंकि मुख्य सचिव, झारखंड सरकार से कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आयोग ने पाया कि सरकार इस मामले में पीड़ित को 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये मात्र) के मुआवजे की सिफारिश का विरोध नहीं कर रही है। चूंकि, इस मामले में, प्राथमिकी दर्ज करने में ग्यारह महीने की स्पष्ट रूप से विलम्ब हुआ है, इसलिए यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए आयोग ने झारखंड राज्य को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(ए)(i) के तहत पीड़ित को 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की और भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। हालांकि, इस संबंध में अभी अनुपालन रिपोर्ट का इंतजार है।

3. मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय से एक 18 वर्षीय उत्तरजीवी बालिका, जहां कई कैदियों को वर्षों से प्रताड़ित किया जाता रहा, के साथ कथित तौर पर चलती कार में सामूहिक बलात्कार किया गया था

(केस 2465/4/9/2019–डब्ल्यूसी)

i. मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय की एक 18 वर्षीय उत्तरजीवी, जहां कई कैदियों को सालों तक प्रताड़ित किया गया था, का एक स्थानीय अदालत के आदेश पर परिवार के साथ फिर से मिलाए जाने तथा

पुनर्वास होने के 14 महीने से भी कम समय के भीतर चलती कार में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। लड़की ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी कि एक रिश्तेदार के घर जाते समय एक कार में उसका अपहरण कर लिया गया। उसने कहा कि कार बेतिया–पखनाहा रोड पर आ गई और एक बार भी नहीं रुकी और चार लोगों ने उसके साथ बारी–बारी से बलात्कार किया। इस वीभत्स घटना को ''टाइम्स ऑफ भारत'' ने अपने 16.09.2019 संस्करण में ''बिहार आश्रयगृह से बची दुर्व्यवहार पीड़िता के साथ कार में सामूहिक बलात्कार'' शीर्षक के तहत रिपोर्ट किया गया था। उक्त समाचार रिपोर्ट के आधार पर, आयोग ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, बिहार से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

ii. आयोग के निर्देशानुसार मांगी गई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। आयोग ने निदेशक, समाज कल्याण, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट पर विचार करते हुए अपनी दिनांक 27.01.2020 की कार्यवाही के तहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि बिहार सरकार अपने मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताए कि क्यों न पीड़िता को यौन उत्पीड़न के कारण हुए आघात और पीड़ा के लिए पांच लाख रुपये की राशि के मुआवजे की सिफारिश की जाए।

iii. कारण बताओ नोटिस के जवाब में, विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) ने दिनांक 29.12.2020 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पश्चिम चंपारण, बेतिया ने पीड़ित को 3,00,000 / – (तीन लाख रुपये मात्र) रुपये के मुआवजे के भुगतान के लिए एक आदेश जारी किया था। जिसका भुगतान किया जाना है। हालांकि, पीड़ित को मुआवजे की राशि के भुगतान का सबूत आयोग को नहीं भेजा गया था।

iv. आयोग ने दिनांक 22.02.2021 की अपनी कार्यवाही के तहत विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार से प्राप्त पूर्वोक्त पत्र पर विचार किया। यह देखा गया कि देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह जिम्मेदारी राज्य की है। आयोग ने अपने–अपने राज्यों में अपराध के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा और बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए फिर से राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित किया। यदि पुलिस तंत्र अपने कर्तव्य के प्रति सावधान और सतर्क होता तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचा जा सकता था। निःसंदेह, इस घटना ने पीड़िता को अत्यधिक पीड़ा, मानसिक यातना और कष्ट दिया और उसके साथ हुए यौन हमले के कारण पीड़िता को हुए आघात और पीड़ा को कम करने के लिए कोई भी मौद्रिक मुआवजा पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए, आयोग का विचार था कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता को 3,00,000 / – (तीन लाख रुपये मात्र) रुपये का भुगतान करने का आदेश पीड़िता को हुए आघात, मानसिक पीड़ा और घोर यातना के लिए अपर्याप्त था। इसलिए, आयोग ने अपने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और मुख्य सचिव, बिहार सरकार को 2,00,000 / – (रुपये दो लाख मात्र) रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की सिफारिश की और पीड़िता को 5,00,000 / – (पांच लाख रुपये मात्र) रुपये के भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अनुपालन रिपोर्ट का अभी प्रतीक्षित है।

4. हरियाणा के जीआरपी, पानीपत के पुलिस कर्मियों द्वारा दो लड़कियों का बलात्कार

(केस संख्या 2056/7/15/2019–डब्ल्यूसी)

i. आयोग को एक कार्यकर्ता आर एच बंसल से जीआरपी पानीपत में तैनात एसआई और एएसआई के पुलिस अधिकारियों द्वारा दो लड़कियों के साथ बलात्कार का आरोप लगाने की शिकायत मिली। उक्त मामले में महिला थाना भिवानी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई व पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है।

ii. आयोग के निर्देशों के जवाब में, पुलिस अधीक्षक, भिवानी से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। यह बताया गया कि केस क्राइम नंबर 124/19 यू/एस 365/328/354 ए(1)/354–डी(2)/342/376(डी)/506/120बी आईपीसी और पोक्सो एक्ट, 2012 की धारा 6 के तहत आरोपी अनूप गिल, आर्यन लांबा, रविंदर, मंजीत, दीपक पांचाल, अंकुश और रेलवे स्टेशन पानीपत के दो अज्ञात आरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ सरिता पुत्री सुभाष चंद्र, निवासी धनी भाकरान, थाना सिवानी, जिला भिवानी की शिकायत पर महिला थाना भिवानी में मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी के दो पुलिस अधिकारियों की पहचान धर्म सिंह और हरि किशन के रूप में हुई है। दोनों को गिरफ्तार कर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

iii. रिपोर्ट के अवलोकन पर, आयोग ने पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18ए (i) के तहत मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को चार सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि उन दो नाबालिग पीड़ितों, जिनके मानवाधिकारों का उल्लंघन जीआरपी अधिकारियों द्वारा किया गया, में से प्रत्येक को 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) रुपये के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। आयोग के निर्देश के जवाब में, एसपी भिवानी से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह बताया गया कि, 13.01.2020 को, माननीय न्यायालय ने पीड़ितों में से एक का बयान दर्ज किया जहां वह उक्त आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने में विफल रही और उसे घोषित कर दिया गया। डीएलएसए से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगे प्रस्तुत किया गया कि उस तिथि तक पीड़िता को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए आयोग न्याय के हित में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उचित समझे।

iv. उक्त प्रतिक्रिया पर विचार करने पर, आयोग ने पाया कि राज्य अपने कर्मचारियों के कृत्य के लिए उत्तरदायी था। इसलिए आयोग ने दो पीड़ितों में से प्रत्येक को मुआवजे के रूप में 1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र) रुपये के भुगतान की सिफारिश की। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजने का निर्देश। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण को बंद कर दिया गया है।

5. एसजीटी मेडिकल कॉलेज बुढेरा, गुरुग्राम की छात्रा का मेडिकल कॉलेज में परीक्षा नियंत्रक ने यौन उत्पीड़न किया

(केस संख्या 96/7/17/2018–डब्ल्यूसी)

i. आयोग को हरियाणा के गुड़गांव की सुश्री यामिनी से दिनांक 2.1.2018 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि वह एसजीटी मेडिकल कॉलेज बुढेरा, गुरुग्राम की छात्रा थी। परीक्षा नियंत्रक

द्वारा कथित तौर पर उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। उन्होंने अधिकारियों को मामले की सूचना दी, लेकिन दोषी लोक सेवक के खिलाफ कानून के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार शिकायतकर्ता ने आवश्यक कार्रवाई के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की।

ii. इस आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रोहतक रेंज, रोहतक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। यह सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता की लिखित रिपोर्ट पर, दिनांक 23.1.2018 को आईपीसी की धारा 354 डी के तहत राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक प्राथमिकी संख्या 18 दर्ज की गई थी और एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था और आरोपी को 16.2.2018 को गिरफ्तार किया गया था और अदालत के समक्ष पेश किया गया था लेकिन अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इसी तरह पंडित भागवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक से भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। आगे यह भी सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर एक आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की गई थी और शिकायतकर्ता को उसकी टिप्पणियों के लिए दिनांक 6.6.2018 के पत्र के माध्यम से रिपोर्ट भेजी गई थी और संबंधित प्राधिकारी शिकायतकर्ता के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे।

iii. इसके बाद, आयोग ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर ध्यान से विचार किया और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान दिया। इस आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में सच्चाई थी। शिकायतकर्ता के प्रति संबंधित लोक सेवक का आचरण उसके मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। तदनुसार, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(ए)(1) के तहत मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि शिकायतकर्ता को 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) रुपये के मुआवजा का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके प्रत्युत्तर में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की ओर से अधीक्षक, गृह का दिनांक 01.07.2020 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें स्वास्थ्य विज्ञान, रोहतक, हरियाणा के रजिस्ट्रार पंडित भागवत दयाल शर्मा को उचित कार्रवाई करने और आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। आयोग को स्वास्थ्य विज्ञान, रोहतक, हरियाणा के रजिस्ट्रार, पंडित भागवत दयाल शर्मा से दिनांक 16/21.07.2020 का एक पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और माननीय न्या यालय द्वारा तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओई) के खिलाफ प्राथमिकी में अंतिम निर्णय भी लिया जाना है, इसलिए न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था।

iv. आयोग ने रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि, प्रथम दृष्टया, पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसमें आरोपी विश्वविद्यालय का सीओई था। गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में मामले की प्राथमिकी संख्या 18 दिनांक 23.01.2018 में उनके खिलाफ एक आरोप पत्र पीड़िता शिकायतकर्ता को भी प्रस्तुत किया गया था, इसलिए, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को मुआवजे के रूप में रु.1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र) की अंतरिम राहत प्रदान करने की सिफारिश की और छह सप्ताह के भीतर पीड़िता शिकायतकर्ता को रु.1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र) के भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। हालांकि, अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

अध्याय 14

बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार

14.1 वैश्विक जनसांख्यिकीय रुझानों से संकेत मिलता है कि प्रत्येक देश समय के साथ आबादी की उम्र बढ़ने का साक्षी बनता है। यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें बुजुर्गों का अनुपात और जनसंख्या बढ़ जाती है। भारत अपेक्षाकृत युवा राष्ट्र होने के बावजूद, जनसंख्या की उम्र बढ़ने जैसे महत्वपूर्ण प्रभाव का सामना करना शुरू कर चुका है।

14.2 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 10.38 करोड़ बुजुर्ग (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के) हैं, जिनमें 5.27 करोड़ महिलाएं और 5.11 करोड़ पुरुष शामिल हैं। साक्ष्य से पता चलता है कि बुजुर्ग आबादी का हिस्सा और आकार बढ़ रहा है और इस प्रवृत्ति के लिए बढ़ती उम्र, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, आर्थिक कल्याण आदि जैसे कारक जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, कुल जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात 1961 में 5.6% से बढ़कर 2011 में 8.56% हो गया है। इस वृद्धि के साथ, वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात, यानी 15–59 वर्ष के आयु वर्ग के प्रति 100 व्यक्तियों पर 60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट 'भारत में बुजुर्ग (2016)' के अनुसार, 2011 तक भारत में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 14.2% था। इसके अलावा, जनसंख्या के अनुसार अनुमान है कि 2021 तक भारत में बुजुर्गों का अनुपात बढ़कर 14.3 करोड़ हो जाएगा, जो कुल जनसंख्या का 10.7% होगा।

14.3 बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात का गहरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है और यह बुजुर्गों के जीवन को लाचार बनाता है। जबकि कुछ बुजुर्ग नियमित रूप से अपना जीवन जीते हैं, वहीं कई अन्य बेघर, पर्याप्त देखभाल और अलगाव की कमी का सामना करते हैं। उनमें से अधिकांश भेदभाव के कई रूपों के शिकार होते हैं, इनमें से प्रमुख हैं – गरीबी, हिंसा, दुर्व्यवहार, असुरक्षा, खराब स्वास्थ्य, कमाई की कम क्षमता, वृद्धावस्था पेंशन की सीमित उपलब्धता, धन एवं जायदाद पर संकट और सीमित नियंत्रण, और निजी एवं सार्वजनिक निर्णय लेने में असमान भागीदारी। चुनौती यह है कि उनकी भलाई सुनिश्चित की जाए और वे सुरक्षित, स्वस्थ और आरामदायक जीवन जीने में सक्षम हों।

14.4 भारत के संविधान में अनुच्छेद 41 के तहत वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण अधिदेशित है, जिसमें कहा गया है कि "राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, वृद्धावस्था के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।" इसके अनुसरण में, भारत सरकार ने 1992 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी) शुरू किया बाद में इसका नाम बदलकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीसीआरसी) कर दिया गया एवं 2018 में संशोधित किया गया, और बुजुर्गों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2007 में माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, अधिनियमित किया गया।

14.5 जबकि संवैधानिक, विधायी और नीतिगत ढांचे बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तथापि, मानव अधिकारों के उल्लंघन की दर, विशेष रूप से उनके खिलाफ

होने वाले अपराध, में वृद्धि हुई है। बुजुर्ग व्यक्तियों में उनके अधिकारों और पात्रता के प्रति जागरूकता की कमी अक्सर उन्हें भेदभाव के गंभीर रूपों के प्रति भेद्य बनाती है।

14.6 बुजुर्गों के सामने आने वाली समस्या ओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) बुजुर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। यह नियमित रूप से बुजुर्गों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है, मौजूदा विधायी ढांचे और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, उनसे संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करता है और बुजुर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सिफारिशें करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्सा हित करता है। इसके अलावा, आयोग बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से पुस्तिकाएं, मैनुअल और जर्नल इत्यादि प्रकाशित करता है।

क. कोविड–19 महामारी के संदर्भ में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों पर एनएचआरसी की परामर्शी

14.7 आयोग ने 5 नवंबर, 2020 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यान्वयन के लिए 'कोविड–19 के विशेष संदर्भ में बुजुर्गों के अधिकार' पर एक परामर्शी जारी की थी। उक्त परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

ख. निःशक्तता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की बैठक

चित्र 14.1: 12 जनवरी, 2021 को निःशक्तता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की बैठक के दौरान विचार–विमर्श

14.8 आयोग ने डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 12 जनवरी, 2021 को निःशक्तता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की। बैठक में कोर ग्रुप के सदस्यों, पांच केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षा संस्थासनों आदि के विशेष आमंत्रितों ने भाग लिया।

14.9 बैठक में तीन एजेंडा मदों पर विचार–विमर्श किया गया, अर्थात समावेशी सार्वजनिक स्थान, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 और कोविड –19 महामारी के समय में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार। बैठक ने कोविड–19 महामारी के समय में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित स्थितियों की समीक्षा करने और तदनुसार रोकथाम/उपचार के लिए सुझाव/सिफारिशें देने के लिए एक मंच प्रदान किया।

14.10 बुजुर्ग व्यक्तियों से संबंधित बैठक की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. वरिष्ठ नागरिक संगठनों, जो देश के अधिकांश हिस्सों में हैं, को बुजुर्गों के लिए समर्थन को मजबूत करने और एक मजबूत डेटाबेस बनाने के लिए एक साथ जोड़ने की जरूरत है।

2. बुजुर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की तत्काल सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएं।

3. वृद्धावस्था सुविधाओं की तैयारियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें देखभाल के न्यूनतम मानक जैसे कर्मचारियों का प्रशिक्षण और वृद्ध व्यक्तियों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल हो।

4. वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने और उनकी समस्याओ से सीधे निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए कार्य करे। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर एक 24"7 हेल्पलाइन बनाई जाए ताकि बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा मदद और आवश्यक सहायता मांगे जाने पर तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

5. वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। साथ ही, राज्य को वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने और आगे की कार्रवाई के लिए अधिकरण से शिकायतें प्राप्त करने और अग्रेषित करने के लिए एक पोर्टल बनाना चाहिए।

6. एनएचआरसी को एक दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए जिसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, सीएसआर फंड जुटाने के लिए दिशानिर्देश, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपचार और अवसर शामिल होने चाहिए।

7. गैर–सरकारी संस्थाकओं से सेवानिवृत्त हुए वृद्ध व्यक्तियों को केवल 1000/– रुपये की पेंशन दी जाती है जो कि एक व्यक्ति के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस पेंशन योजना में संशोधन की जरूरत है।

14.11 कोर ग्रुप की सिफारिशें, आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई हैं।

ग. वर्ष 2020–21 में दृष्टांत मामले

1. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को धन की कमी के कारण अंतिम बकाया राशि का भुगतान न करना

(केस संख्या 3451/30/2/2017)

i. यह मामला पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के स्वास्थ्य विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री विनोद कुमार खुराना से प्राप्त शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन राशि जारी नहीं की गई है।

ii. आयोग के निर्देशों के जवाब में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (चिकित्सा) स्वास्थ्य विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि 13,37,261 रुपये पेंशन का कम्यूटेशन और 11,44,440/– रुपये की मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) का भुगतान पास किया गया था, लेकिन भुगतान जारी नहीं किया जा सका क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

iii. मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर आयोग ने पाया कि पेंशन के कम्यूटेशन और डीसीआरजी से संबंधित शिकायतकर्ता के बिलों का भुगतान पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा बिल के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के बाद भी धन की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया गया था। प्रथम दृष्टया, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद की वैध बकाया राशि का भुगतान नहीं करके उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। इस तरह के मानव अधिकार उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 ए (i) के तहत मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि शिकायतकर्ता को 25,000/– रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के मौद्रिक मुआवजे की अंतरिम राहत क्यों न दी जाए।

iv. इसके अलावा, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, निदेशक, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम को भी शिकायतकर्ता के सभी वैध बकाया का भुगतान उचित ब्याज के साथ दो सप्ताह के भीतर करने तथा भुगतान के प्रमाण के साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

v. आयोग ने मामले पर आगे विचार किया और देखा कि राज्य के प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि न केवल याचिकाकर्ता को बल्कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों (लगभग 1885) को उनके सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं किया गया था। कर्मचारियों को मार्च, 2018 के बाद उनके वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया था और गहरे वित्तीय संकट के कारण सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान भी नहीं किया गया था। आयोग ने राज्य प्राधिकारियों को मामले में पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

vi. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, उप लेखा नियंत्रक, मुख्यालय, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि धन की कमी के कारण वेतन, बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी हो रही है।

ईडीएमसी से जुड़े कर्मचारियों की लगभग 1700 करोड़ रुपये की देनदारी है, जिसके लिए एनसीटी, दिल्ली सरकार से बार–बार धनराशि जारी करने का अनुरोध किया गया है।

vii. इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से वित्तीय रिलीज, दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णयों के कानूनी तंत्र के अध्यनधीन है। सरकार दिल्ली वित्त आयोग के निर्णयों से अधिक भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों को हल करने के लिए बाध्य नहीं है और आयुक्त, ईडीएमसी के पास शिकायतकर्ता की शिकायतों को हल करने की कार्यकारी शक्तियां हैं। ईडीएमसी को सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है और ईडीएमसी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी ईडीएमसी की ही है।

viii. रिकॉर्ड के अवलोकन पर आयोग ने पाया कि उक्त दोनों रिपोर्टें एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार द्वारा धनराशि जारी नहीं की गई है, जबकि दूसरी ओर सरकार ने उल्लेख किया है कि नगर निगम के प्राधिकारियों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। जाहिर है, वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता की शिकायतों का निवारण राज्य के प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता को उसकी वैध देय राशि जारी करने में देरी के कारण कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और काफी समय बीत जाने के बावजूद उसका भुगतान नहीं किया गया है। लोक सेवकों की ओर से भूल–चूक के कारण, शिकायतकर्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने वर्तमान मामले में राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए ऐसे मानव अधिकार उल्लंघनों को गंभीरता से लिया और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को शिकायतकर्ता को 25,000/– रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के मौद्रिक मुआवजे की अंतरिम राहत का भुगतान करने का निर्देश दिया। भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए। साथ ही, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को भी शिकायतकर्ता की सभी वैध बकाया भुगतान लागू ब्याज राशि के साथ करने का निर्देश दिया गया। भुगतान के प्रमाण के साथ रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।

अध्याय 15

दिव्यांगजनों के अधिकार

15.1 विश्व स्तर पर, एक अरब से अधिक लोग, अर्थात विश्व जनसंख्या का 15**%** किसी न किसी रूप में विकलांगता के साथ जी रहे हैं। भारत में, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति हैं जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं। हालाँकि, यह आंकड़ा दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम (पीडब्ल्यूडी), 1995 के अनुरूप था, जब अधिनियम के तहत विकलांगों की केवल 7 श्रेणियों को मान्यता दी गई थी। तब से, भारत ने दिव्यांवगजनों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 को लागू करके दिव्यांगता की अपनी समझ को एक चिकित्सा मॉडल से अधिकार–आधारित मॉडल में स्थानांतरित कर दिया है। नया अधिनियम अब दिव्यांगों की 21 श्रेणियों को मान्यता देता है।

15.2 यह सर्वविदित है कि दुनिया भर में दिव्यांग लोग खराब स्वास्थ्य, कम शैक्षिक उपलब्धियां, कम आर्थिक भागीदारी और बिना दिव्यांग लोगों की तुलना में गरीबी की उच्च दर के शिकार होते हैं। यह आंशिक रूप से दुर्गम भौतिक वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, परिवहन और सूचना के कारण है। इसके अलावा, निःशक्तता और लिंग, उम्र, कामुकता, वर्ग, जाति जैसे अन्य कारकों के बीच अंतरसंबंध, अक्सर नुकसान और हाशिए को बढ़ा देता है।

15.3 यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिव्यांगजनों के बारे में समाज की धारणा, उनके हाशिए पर जाने की सीमा को भी प्रभावित करती है। जबकि पहले, दिव्यांगजनों को दान और दया का पात्र माना जाता था, अब यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि अवसर की समानता और उचित शिक्षा और प्रशिक्षण को देखते हुए, दिव्यांगजनों में भी समाज में उत्पादक व्यक्ति होने की क्षमता होती है। निःशक्तता को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'विकास और मानव अधिकारों के मुद्दे' के रूप में स्वीकार किया जाता है, न कि एक चिकित्सा मुद्दे के रूप में दान देने के लिए।

15.4 दिव्यांगजनों के मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर निःशक्तता की समझ में बदलाव के माध्यम से कई सकारात्मक विकास हुए हैं। उनमें से एक दिसंबर, 2006 में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) को अपनाना है, जिसने दिव्यांगजनों के संदर्भ में एक बहुत ही मजबूत, प्रगतिशील और दूरदर्शी मानव अधिकार व्यवस्था की नींव रखी है। इसके बाद, भारत ने अक्टूबर 2007 में उक्त अभिसमय की पुष्टि करते हुए, दिव्यांगजनों के अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्यूके डी) अधिनियम (2016) को पूर्ववर्ती दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के स्थान पर अधिनियमित किया।

15.5 आयोग इस तथ्य में विश्वास करता है कि दिव्यांगजनों को अन्य लोगों के साथ समान आधार पर सभी मानव अधिकारों का उपभोग करना चाहिए। इस दिशा में, आयोग ने एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें यह नियमित रूप से मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है, मौजूदा विधायी ढांचे की समीक्षा करता है और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, विभिन्न हितधारकों के साथ उनसे

संबंधित मुद्दों पर बैठक करता है और अनुसंधान परियोजनाओं को सौंपता है, ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिफारिशें की जा सके। इसके अलावा, आयोग निःशक्तता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से पुस्तिकाएं, मैनुअल, जर्नल आदि प्रकाशित करता है। आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान दिव्यांगजनों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां कीं।

क. ''दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोविड –19 का प्रभाव'' पर वर्चुअल सम्मेलन

15.6 आयोग ने 1 सितंबर, 2020 को डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुले, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 'दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोविड –19 के प्रभाव' पर एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों, कोर ग्रुप के सदस्यों, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटरों (दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय ट्रस्ट, दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद और सिविल सोसायटी संगठनों के विशेष आमंत्रितों ने भाग लिया और उन्होंने अपने विचार और अनुभव साझा किए। यह सम्मेलन महामारी के दौरान दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की समीक्षा करने और 'केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों पर मसौदा परामर्शी' पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई।

चित्र 15.1: 1 सितंबर 2020 को ''दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोविड –19 के प्रभाव'' पर वर्चुअल सम्मेलन के दौरान विचार–विमर्श

15.7 सम्मेलन से निकले विचारों/सुझावों को शामिल करने के बाद, 28 सितंबर, 2020 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों/संघ राज्यि क्षेत्रों को ''कोविड–19 के संदर्भ में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर मानव अधिकार संबंधी परामर्शी'' जारी की गई थी। उक्त परामर्शी का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

ख. निःशक्तता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की बैठक

15.8 आयोग ने 12 जनवरी, 2021 को डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में निःशक्तता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की। बैठक में एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी, कोर ग्रुप के सदस्य, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर (दिव्यांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक), पांच केंद्रीय

मंत्रालयों/विभागों, सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र के संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों के विशेष आमंत्रितों ने भाग लिया।

15.9 बैठक के विचार–विमर्श कार्यवृत्त के तीन मदों अर्थात समावेशी सार्वजनिक स्थानों, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 और कोविड–19 महामारी के समय में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे पर थे। बैठक ने समावेशी सार्वजनिक स्थानों के साथ–साथ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 से संबंधित मौजूदा सरकारी नीतियों, कानूनों, नियमों, आदेशों आदि की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान किया और तदनुसार एक समावेशी समाज के लिए उन्हें बढ़ावा देने के लिए सुझाव/सिफारिशें दीं।

15.10 दिव्यांगजनों से संबंधित बैठक में सामने आई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैः

i. समावेशी सार्वजनिक स्थान

- एक सुलभ भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में सफल होने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की नियमित उपलब्धिता समीक्षा और आकलन करने की आवश्यकता है।
- वैश्विक डिजाइन के मानदंडों के अनुसार भवनों के दिव्यांगों के अनुकूल होने का समय–समय पर निरीक्षण।
- दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक विभाग में एक अलग समर्पित बजट की आवश्यकता है।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के संदर्भ में एक पर्याप्त तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- परिवहन सुगमता के क्षेत्र में लक्ष्यों की असंतोषजनक उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, हवाई अड्डों, रेलवे और सड़क परिवहन के बुनियादी ढांचे को और अधिक सार्वभौमिक बनाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- लोगों को सांकेतिक भाषा में बातचीत के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही, भारतीय पुनर्वास परिषद को दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल करने वाले की सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की पहल करनी चाहिए।
- निःशक्तता की प्रकृति का आकलन करने और विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं और बौद्धिक दुर्बलता के बीच अंतर करने के लिए अस्पतालों को नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के पदों को भरना चाहिए।
- जागरूकता कार्यक्रमों के लिए, एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार और प्रसारित किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीधे दिव्यांगजनों के घरों तक पहुंचता है और इसलिए यह कुछ बेहतर कर सकता है
- परीक्षा फॉर्म, रोजगार के अवसर, आवश्यक पहचान और आधिकारिक दस्तावेज भरते समय सरलीकृत तंत्र का उपयोग। सभी सार्वजनिक वेबसाइटों, विशेष रूप से सरकारी सेवाओं की आधिकारिक वेबसाइटों को अद्यतन और सुलभ बनाया जाना चाहिए (यदि वे नहीं हैं)।

- निःशक्तजनों के लिए पहले से उपलब्ध सेवाओं के लिए उन्हें यहां–वहां भटकना पड़ता है, इसे कम किया जाना चाहिए।
- सिफारिशः माननीय सदस्य ने कहा कि आयोग को दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के स्तर को देखने के लिए राज्यवार संपरीक्षा करनी चाहिए। चूंकि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम कहता है कि सभी सार्वजनिक भवनों को 2022 तक दिव्यांग सुलभ बनाया जाना चाहिए, राज्यों को स्थिति की रिपोर्ट जमा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों और भवनों को दिव्यांग सुलभ बनाया जाए।

ii. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 को निरस्त करने का प्रस्ताव

- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 निःशक्तता के क्षेत्र में सबसे कमजोर लोगों, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अक्षमता और बहु–निःशक्तता वाले व्यक्ति हैं, के लिए एक बड़ा समर्थनकारी रहा है।
- राष्ट्रीय न्यास के प्रतिनिधि ने बैठक के दौरान बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय न्यास के कार्यों का समर्थन करते हुए तथ्यों और आंकड़ों के साथ माननीय प्रधानमंत्री को अनुशंसा पत्र भेजा गया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि इस वर्ष ट्रस्ट का बजट दोगुना कर दिया गया है और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के विलय या समापन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसलिए, राष्ट्रीय ट्रस्ट अपनी संपूर्णता में कार्य करना जारी रखेगा। भले ही अधिनियम को निरस्त कर दिया जाता है, तब भी दिव्यांगजनों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे संशोधित किया जाएगा।
- प्रमुख सिफारिशेः राष्ट्रीय न्यास को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है। राष्ट्रीय न्यास में महत्वापूर्ण पद बहुत लंबे समय से रिक्त हैं। दिव्यांगजनों की संरक्षकता के मुद्दों से संबंधित मामलों को देखने हेतु राष्ट्रीय न्यास की आवश्यकता है और राष्ट्रीय न्यास के तहत कानूनी और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को देखने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

15.11 संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सिफारिशें भेजी गई हैं।

ग. नव स्वीकृत अनुसंधान परियोजना

15.12 ''पंजाब में दिव्यांगजनों की समावेशी शिक्षाः संभावनाएं और चुनौतियां'' पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला (पंजाब) को प्रायोजित किया गया था, जिसमें प्रधान अन्वेषक के रूप में डॉ. किरण कुमारी, सहायक प्रोफेसर थीं।

i. अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य हैंः

- समावेशी शिक्षा से संबंधित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना।
- दिव्यांग छात्रों के सामने आने वाली शैक्षणिक चुनौतियों का पता लगाना।
- दिव्यांग छात्रों के सामने आने वाली ढांचागत और मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं की पहचान करना।
- माता–पिता, शिक्षकों और प्रबंधन के सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यात्मक और निष्क्रिय पहलुओं की जांच करना जैसा कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा माना जाता है।

- समावेशी शिक्षा नीतियों और रणनीतियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

ii. शोध अध्ययन का स्थान पंजाब राज्य है जिसके 3 जिलों को कवर करता है।

iii. परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित अनुसंधान परियोजना की कुल अवधि 9 माह है।

iv. अनुसंधान का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करेगा।

घ. वर्ष 2020–21 में दृष्टांत मामले

1. स्पिनो सेरेब्रल एटाक्सिया से पीड़ित होने के कारण 70% निःशक्त एक भूतपूर्व सैनिक को चिकित्सा परिचारक और भत्तों से वंचित करना।

(केस संख्या 5231/30/3/2016)

i. एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी ने आयोग से शिकायत की कि वह सैन्य कर्तव्यों के लिए अयोग्य पाए जाने के बावजूद, क्योंकि वह स्पिनो सेरेब्रल अटैक्सिया से पीड़ित था, जो 70% की निःशक्तता थी, और मेडिकल बोर्ड ने उसे एक चिकित्सा परिचारक की सिफारिश की, न ही कोई चिकित्सा परिचारक नियुक्तल किया गया और न ही उसके एवज में कोई भत्ता स्वीकृत किया गया।

ii. आयोग के निर्देशों के जवाब में, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि निःशक्तता की डिग्री 100% होने पर निरंतर परिचारक भत्ता दिया जाता है। चूंकि वर्तमान मामले में निःशक्तता की डिग्री 70% थी, इसलिए, अधिकारी निरंतर परिचारक भत्ते का पात्र नहीं था।

iii. आयोग ने रिपोर्ट का अवलोकन करने पर निर्देश दिया कि निःशक्त अधिकारी के मामले पर आर्मी मेडिकल बोर्ड की स्पष्ट सिफारिशों के आधार पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाए और सेना अधिकारी की बिगड़ती स्थिति को भी ध्यान रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

iv. जवाब में एजी के मेजर एएजी, एमपी 5 (बी) ने प्रस्तुत किया कि मेडिकल अटेंडेंट भत्ते के अनुदान के लिए आईसी–38782 एल मेजर जनरल सरबजीत सिंह (सेवानिवृत्त) के संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों वाली फाइल को एजी/पीएस –4 (आईएमपी–आई) को सक्षम प्राधिकारी के अवलोकन हेतु प्रस्तुति किया गया है। मामले में आगे कोई नतीजा नहीं निकल सका। आयोग ने सचिव, रक्षा मंत्रालय को सशर्त सम्मन जारी किया कि यदि निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले आयोग को रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो वे 22.04.2021 को आयोग के समक्ष आवश्यक रिपोर्ट के साथ पूर्वाह्न 11 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

2. दिव्यांग बच्चों को कलबुर्गी, जिला ताज–सुल्तानपुर, कर्नाटक में खाद के गड्ढों में गर्दन तक इस विश्वास के तहत दबा दिया गया कि सूर्य ग्रहण के दौरान तेज किरणों के संपर्क में आने से उनकी विकृति ठीक हो जाएगी

(केस संख्या 427/10/11/2020)

i. आयोग को टाइम्स ऑफ भारत में ''एक्लिप्स शॉकर : डिसेबल्ड चिल्ड्रन बरीड अप टू नेक इन होप ऑफ क्योर'' शीर्षक के तहत प्रकाशित एक समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि दिव्यांग बच्चों को

कलबुर्गी में खाद के गड्ढों में इस विश्वास के तहत गर्दन तक गाड़ा गया था कि सूर्य ग्रहण के दौरान तेज किरणों के संपर्क में आने से उनकी विकृति दूर हो जाएगी। आगे यह उल्लेख किया गया है कि एक गुप्त सूचना के बाद, जिला बाल संरक्षण कार्य बल ने बच्चों को बचाया और मेडिकल जांच के बाद उन्हें उनके परिवारों के सौंप दिया गया। ये घटनाएं ताज सुल्तानपुर जिले के तीन गांवों– कलबुर्गी शहर के बाहरी इलाके और कर्नाटक के चिंचोली तालुक के ऐनोली और गाडी–लिंगदल्ली गांवों में हुई।

ii. आगे यह भी बताया गया कि एक दशक पहले की इसी तरह की घटना की यह पुनरावृत्ति थी और गरीब बच्चे सूर्य ग्रहण की पूरी अवधि के लिए गड्ढों में दबे रहे। बाल कल्याण समिति ने कथित तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप किया था और उसके अध्यक्ष ने कहा था कि बचाए गए बच्चों को परामर्श सत्र के बाद उनके माता–पिता को सौंप दिया गया। समाचार रिपोर्ट से यह भी पता चला कि कलाबुरगी शहर के एक आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. एस. कामारेड्डी ने बिना किसी खर्च के बच्चों की सर्जरी करने की पेशकश की थी।

iii. निर्दोष, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की दुर्दशा और अधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए, आयोग ने इस मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाना उचित समझा। यह प्रथा अजीब, अनैतिक और असहाय बच्चों के प्रति क्रूर थी, जिनके साथ आस्था के नाम पर अपमानजनक का व्यवहार किया जा रहा था। आज, जब चिकित्सा विज्ञान प्रगति कर रहा है और देश में ही जटिल से जटिल सर्जरी की जा रही है, विकृति वाले छोटे बच्चों को चिकित्सा देखभाल और उपचार की आवश्यकता होती है, न कि इस तरह की अमानवीय प्रथा जो न केवल उन्हें अपमानित करती है, बल्कि उनमें एक तरह की हीन भावना भी विकसित करती है। एक बच्चा जो इस तरह के आघात को झेलेगा, उसके लिए इसके प्रतिकूल प्रभाव को दूर करना निश्चित रूप से बहुत कठिन होगा। यह उसके लिए जीवन भर एक बुरा सपना रहेगा। इस तरह की रस्में बच्चों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के समान हैं। ऐसे बच्चों के माता–पिता के साथ–साथ अधिकारियों को भी जागरूक करने की आवश्यकता थी कि वे अंध विश्वास के नाम पर बच्चों पर अत्याचार न करें।

iv. इसलिए, आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने कलबुर्गी के अलावा इस बारे में भी जानकारी भेजने का निर्देश दिया कि क्या यह अमानवीय प्रथा राज्य के अन्य जिलों में प्रचलित है, यदि हां, तो प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है।

v. आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, अवर सचिव, गृह मंत्रालय, कर्नाटक सरकार ने प्रस्तुत किया था कि उपरोक्त बच्चों को उचित प्रक्रिया के बाद, ग्रहण के दौरान बच्चों को खाद के गड्ढों में गाड़ने की अंध धारणा का पालन न करने की चेतावनी देते हुए, उनके माता–पिता को सौंप दिया गया था।

vi. सरकारी प्राधिकारियों ने इन गांवों में ग्राम पंचायत सदस्यों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों और माताओं के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए थे।

vii. उपायुक्त, कलबुर्गी ने 19.06.2020 को सीआरपीसी अधिनियम 1973 की धारा 133 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें विकृति वाले बच्चों को गर्दन तक खाद के गड्ढों में गाड़ने पर रोक लगाई गई थी।

viii. मामला आयोग के विचाराधीन है।

अध्याय 16

व्यापार, पर्यावरण और मानवाधिकार

16.1 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने 16 जून 2011 के अपने संकल्प संख्या् 17/4 के माध्यम से ''व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांतः संयुक्त राष्ट्र की 'संरक्षण, सम्मान और उपाय' रूपरेखा के कार्यान्वयन'' का समर्थन किया। ये सिद्धांत व्यापार और मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि प्रोफेसर जॉन जेरार्ड रग्गी द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। उसी प्रस्ताव में, यूएनएचआरसी ने व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह (यूएनडब्ल्यूजी–बीएचआर) की स्थापना की। इसी ढांचे में मानव अधिकारों के हनन से बचाव के लिए राज्य का कर्तव्य मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए कॉर्पोरेट जिम्मेदारीय और व्यापार से संबंधित दुरुपयोग के शिकार लोगों के लिए उपाय तक अधिक पहुंच शामिल है। मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रमुख योगदान मानव अधिकारों की रक्षा करना और उनका उल्लंघन होने पर एक उपाय तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से राज्यों के कर्तव्य निर्धारित करना, और आकार, क्षेत्र, स्थान, स्वामित्व और संरचना की परवाह किए बिना, मानव अधिकारों का सम्मान करना सभी व्यवसायों की जिम्मेदारी रहा है।

16.2 आयोग का विचार है कि अन्य बातों के अलावा, व्यापार क्षेत्र में मानव अधिकारों के हनन पर निगरानी और रिपोर्टिंग, कानूनी और प्रशासनिक सुधार, और सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के उद्यमों का क्षमता निर्माण करके राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एनएचआरआई) कॉर्पोरेट क्षेत्र के भीतर मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में योगदान दे सकते हैं ताकि वे क्रमशः मानव अधिकारों का संरक्षण और सम्मान कर सकें। यूएनजीपी–बीएचआर के संदर्भ में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत संबद्ध पहलों के संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए देश में विशिष्ट रूप से स्थापित है।

16.3 आयोग, व्यापार और मानव अधिकारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएचआर डोमेन में इसकी प्रतिबद्धता को निम्नलिखित पैराग्राफों में देखा जा सकता है।

क. व्यवसाय और मानव अधिकारों पर मुख्य सलाहकार समूह का पुनर्गठन

16.4 आयोग ने 16.02.2021 को व्यापार और मानव अधिकारों पर अपने मुख्य सलाहकार समूह का पुनर्गठन किया है। मुख्य सलाहकार समूह में पहली बार कुछ नए पदेन सदस्यों को जोड़ा गया है। इनमें केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रतिनिधि, भारत और एशिया प्रशांत व्यापार और मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के प्रतिनिधि शामिल हैं।

ख. ''कोविड –19 महामारी का प्रभावः व्यापार और मानव अधिकार और भविष्य की प्रतिक्रिया'' पर परामर्शी

16.5 आयोग ने व्यापार आपूर्ति श्रृंखला में सभी के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 5 अक्टूबर 2021 को ''कोविड –19 महामारी का प्रभावः व्यापार और मानव अधिकार और

भविष्य की प्रतिक्रिया'' शीर्षक से एक परामर्शी जारी की। उक्त परामर्शी का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

ग. अनुसंधान परियोजनाएं

ग.1 जारी अनुसंधान परियोजनाएं

16.6 आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर को **''कॉर्पोरेट भारत द्वारा व्यवसाय और मानव अधिकार रिपोर्टिंग का निर्धारण और मूल्यांकन''** पर एक शोध अध्ययन/परियोजना सौंपी थी। परियोजना की प्रमुख अन्वेषक (पीआई) प्रोफेसर वसंती श्रीनिवासन (संगठन व्यवहार और मानव संसाधन प्रबंधन) हैं। अनुसंधान परियोजना को जनवरी 2019 में 6,00,000/– रुपये (छह लाख रुपये मात्र) के कुल बजट अनुमान और 12 महीने की समय अवधि के साथ स्वीकृत किया गया था।

i. अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग (एनएसई सूचीबद्ध 100 कंपनियों में से) के माध्यम से श्रम/कर्मचारी अधिकारों पर कॉर्पोरेट की प्रतिबद्धता का व्यापक मूल्यांकन करना, जो कर्मचारी अधिकारों के आयामों का विश्लेषण करती है और रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक और सार्थक हैं;
- चयनित क्षेत्रों (फार्मास्युटिकल, आईटी सेवाएं, लॉजिस्टिक और निर्माण) की मूल्य श्रृंखला में प्रमुख अधिकारों को समझना;
- अन्य उत्तरदायित्व ढांचे के साथ एनएचआरसी के स्व–मूल्यांकन उपकरण का मूल्यांकन करना; तथा
- व्यापार और मानव अधिकारों के संबंध में नीति और व्यवहार के लिए सिफारिश प्रदान करना

16.7 आयोग ने 'पार्टनर्स इन चेंज', नई दिल्ली को **''मानव अधिकारों के प्रमुख उल्लंघनों के साथ–साथ कंपनियों की प्रतिक्रिया प्रणाली के कार्यकरण को समझने के लिए अध्ययन''** पर एक शोध अध्ययन सौंपा था। परियोजना के प्रधान अन्वेषक श्री प्रदीप नारायणन, निदेशक, 'पार्टनर्स इन चेंज' थे। अक्टूबर 2018 में 3.50 लाख रुपये के कुल बजट अनुमान के साथ अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी गई थी।

i. अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

- व्यापार से संबंधित प्रतिकूल मानव अधिकार प्रभावों और सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों के मामलों में उपचार तक पहुंच बढ़ाने के तरीके के रूप में कंपनी आधारित शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) के कामकाज की समझ हासिल करना।
- अनुसंधान–आधारित साक्ष्य सृजन के साथ केस स्टडी तैयार करना, जिसका उपयोग राज्य, गैर–राज्य कारकों और कॉर्पोरेट द्वारा कंपनियों के कार्यक्षेत्र के भीतर और बाहर आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए सिस्टम को संस्थागत बनाने के प्रयासों के लिए किया जा सकता है।
- संचालन के दौरान हो सकने वाले उल्लंघनों का पता लगाने, उनका आकलन करने, उनका निराकरण करने और उन्हें दूर करने के लिए कंपनी स्तर पर स्थापित ड्यू–डिलिजेंस तंत्र का पता लगाना और उसका विश्लेषण करना।

- उल्लंघनों को रोकने में राज्य और अन्य गैर–राज्य तंत्र की भूमिका को समझना, और कम्प्लीसिटी के साक्ष्य, यदि कोई हो, का विश्लेषण करना।

16.8 आयोग ने सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आईपीई), उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद को **''मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखला पर एक अध्ययन''** नामक एक शोध अध्ययन सौंपा था। परियोजना के प्रमुख अन्वेषक डॉ. आनंद अकुंडी, वरिष्ठ संकाय सदस्य, आईपीई, हैदराबाद हैं। अनुसंधान परियोजना को अक्टूबर 2019 में 13.30 लाख रुपये के कुल बजट अनुमान के साथ मंजूरी दी गई थी।

i. अध्ययन के मुख्य शोध उद्देश्य इस प्रकार थेः

- आपूर्ति श्रृंखला कार्यों में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के बीच सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना।
- यह जांच करना कि कंपनियों द्वारा सामाजिक आपूर्ति श्रृंखला के प्रदर्शन को उत्तरोत्तर कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है।
- आपूर्ति श्रृंखला कार्यों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

ग.2 पूर्ण हुई अनुसंधान परियोजना

16.9 आयोग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे को **''भारत में मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए कॉर्पोरेट कर्तव्यः भारत में व्यावसायिक फर्मों द्वारा मानव अधिकार प्रथाओं की स्थिति पर एक अनुभवजन्य अध्ययन''** पर एक शोध अध्ययन सौंपा था। परियोजना के प्रधान अन्वेषक प्रोफेसर दिनेश शर्मा (विपणन डोमेन) थे।

i. अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थेः

- प्रबंधन, कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं जैसे हितधारकों द्वारा आयोजित व्यावसायिक फर्मों की मौजूदा प्रथाओं की धारणा का अनुभवपूर्वक अध्ययन करना।
- ''फर्म क्या कहती हैं'', ''क्या है'' और ''क्या होना चाहिए'' के बीच अंतराल का अध्ययन करना।
- विश्लेषण करना कि क्या फर्मों के स्वामित्व की स्थिति के आधार पर प्रथा और अंतराल भिन्न हैं।

ii. परियोजना से निकलने वाली प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं।

- फर्मों को आपूर्ति श्रृंखला में उचित सावधानी बरतने के लिए कहना। (कंपनियों को मानवाधिकारों/सामाजिक मुद्दों पर प्रतिबद्धता के लिए सभी प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, उप आपूर्तिकर्ताओं, संयुक्त उद्यम भागीदारों और अन्य प्रमुख व्यावसायिक सहयोगियों की स्क्रीनिंग और निगरानी करनी चाहिए)।
- फर्मों में कमजोर तबकों–अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति से उचित प्रतिनिधित्व (और भर्ती) सुनिश्चित करने के लिए निजी उद्यमों को समझाना। यह समाज के ''कमजोर'' वर्गों के लिए सम्मान सुनिश्चित करेगा।
- यह देखना कि क्या कंपनी के पास स्थानीय समुदाय (जिसमें वे काम करते हैं) की शिकायतों को सुनने, उन्हें दूर करने और निपटाने के लिए तंत्र हैं।

घ. वर्ष 2020—21 में दृष्टांगत मामले

1. तेलंगाना के नचाराम, मल्लापुरम और बोड्डुप्पल में औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम में अधिकारियों द्वारा कथित निष्क्रियता

(केस संख्या 1286/36/2/2019)

i. शिकायतकर्ता मोहम्मद हुमायूं अहमद खान ने तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम पर नचाराम, मल्लापुरम और बोदुप्पल में उन उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था, जो क्षेत्र में दुर्गंध और प्रदूषण पैदा कर रहे थे।

ii. आयोग के निर्देशों के जवाब में, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता ने बताया कि नचाराम, मल्लापुरम और बोडुप्पल के क्षेत्र में, रेड़ श्रेणी के तहत 87 उद्योग, ऑरेंज श्रेणी में 83 और ग्रीन श्रेणी के तहत 22 उद्योग थे। 87 रेड़ श्रेणियों में से केवल 15 रासायनिक उद्योगों की पहचान की गई थी जो गंभीर प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। हालांकि सभी उद्योगों को समय—समय पर खतरनाक कचरे पर नियंत्रण रखने और किसी भी प्रकार का वायु/जल प्रदूषण न करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। टीएसपीसी बोर्ड ने भी समय—समय पर इन उद्योगों का निरीक्षण किया और यदि कहीं कोई उल्लंघन पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई की गई।

iii. आयोग ने शिकायतकर्ता से टिप्पणी, यदि कोई हो, की मांग की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया गया और मामला बंद कर दिया गया।

2. मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड की इकाई से कार्बाइड गैस के रिसाव की दुखद घटना के पीड़ितों की असहाय विधवा लाभार्थियों को पेंशन से वंचित किया जाना।

(केस संख्या 1556/12/8/2020)

i. शिकायतकर्ता सुश्री हमीदा बाई, भोपाल गैस पीड़ित उद्योग संगठन (बीजीपीएमयूएस), भोपाल की पदाधिकारी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24.06.2010 को गैस पीड़ितों की 5000 विधवाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिश को मंजूरी दी थी। प्रारंभ में, प्रत्येक विधवा को 500/— रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 1000/— रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जिसके लिए 30 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट 2013—14 से संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकार वर्ष 2019—20 तक कुल 25.43 करोड़ रुपये पेंशन के रूप में 4995 लाभार्थियों को वितरित किए गए और 4.57 करोड़ रुपये की राशि अभी भी केंद्र सरकार के पास पड़ी है। हालांकि, अब असहाय विधवा लाभार्थियों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत संघ द्वारा 7,728/— करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि बढ़ाने के लिए 2010 की एक क्यूरेटिव याचिका संख्या 345—347 दायर की गई थी, जो पिछले दस वर्षों से भारत के उच्चकतम न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार, अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान में अत्यधिक देरी के कारण हजारों गैस पीड़ितों की विधवाएं दयनीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, उप सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार ने सूचित किया है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की विधवाओं को पेंशन के संबंध में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कुल 982.75 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तुत किया गया

था, जिसमें 5 साल के लिए 5,000 विधवाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन के भुगतान के लिए 30 करोड़ रुपये निर्धारित करने का प्रस्ताव शामिल था, जो सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम का हिस्सा था। 272.75 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव वाली नई कार्य योजना को भारत सरकार द्वारा जून 2010 में अनुमोदित किया गया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 75% की सीमा तक वित्त पोषित किया जाना था, जिसमें विधवाओं को पेंशन का भुगतान शामिल था। इसके बाद, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई में केंद्र सरकार के 75% हिस्से के लिए 204.56 करोड़ (75%) की राशि जारी की, जिसमें शेष 25% मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में भोपाल गैस पीड़ितों की विधवाओं को सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत पेंशन योजना को आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने का प्रस्ताव भेजा था। जहां तक क्यूरेटिव पिटीशन के मुद्दे का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, भारत संघ बनाम (i) यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (यूसीसी), यूएसए (ii) डॉव केमिकल कंपनी, यूएसए (iii) मैकलियोड रसेल भारत लिमिटेडय और (iv)एवरेडी इंडस्ट्रीज भारत लिमिटेड द्वारा 2010 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले को जनवरी 2020 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जहां अदालत ने मामले को 11.02.2020 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, लेकिन मामला अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

iii. चूंकि अपेक्षित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, आयोग ने दिनांक 31.03.2021 की कार्यवाही के माध्यम से मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार को ऑनलाइन मोड के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अनुस्मारक जारी किया है, जिसके विफल होने पर आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

3. बंगलौर, कर्नाटक में प्रकाश नगर के अयप्पा स्वामी मंदिर में पावरलूम फैक्ट्री और हाइड्रोलिक पावर प्रेस इंडस्ट्रीज के कारण शोर और रासायनिक प्रदूषण

(केस संख्या 519/10/1/2018)

i. शिकायतकर्ता श्री गंगाधर के और अन्य लोगों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अन्य घरों के साथ–साथ उनका घर पावरलूम फैक्ट्री और हाइड्रोलिक पावर प्रेस इंडस्ट्रीज से घिरा हुआ है, जो बहुत अधिक शोर और रासायनिक प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ii. आयोग के पत्र के जवाब में सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बेंगलुरु ने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मेसर्स अश्विनी इंडस्ट्रीज, मेसर्स आरएस सिल्क्स और साड़ी तथा मेसर्स एसएस फैबकॉम भारत प्राइवेट लिमिटेड ने अपना संचालन बंद कर दिया है और उन्हें नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है और पावरलूम कंपनियों ने नियंत्रण के उपाय किए हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम किया है।

iii. शिकायतकर्ता ने एक लिखित पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि उसकी शिकायत का पूरी तरह से समाधान कर दिया गया है। इसलिए, आयोग ने रिकॉर्ड में रखी गई सभी सामग्री पर विचार किया और शिकायतकर्ता की शिकायतों का समाधान होने के कारण मामले को बंद कर दिया।

4. केरल के मीनाक्षीपुरम के प्लाचीमाडा में कोका कोला कंपनी के बॉटलिंग प्लांट से भूजल दूषित

(केस संख्या 644/11/10/2019)

i. आयोग को डॉ. एस. फैजी से एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोका कोला कंपनी ने प्लाचीमाडा में एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया था, जिसने भूजल को दूषित किया और ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रभावित किया। इस संबंध में, दिनांक 09.06.2016 को थाना मीनाक्षीपुरम में एक सीआर संख्या 308/2016, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत पंजीकृत किया गया था। इसके बाद, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया, जिसने 216 करोड़ रुपये के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश की, लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है।

ii. इस संबंध में, आयोग को पुलिस प्रमुख, पलक्कड़ से दिनांक 15.07.2020 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि सीआर संख्या 308/2016, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत मामले की जांच के दौरान क्षेत्र के कुओं से पानी के नमूने एकत्र किए गए और रासायनिक विश्लेषण के लिए प्रदूषण बोर्ड को भेजे गए। जल विश्लेषण की रिपोर्ट से, यह देखा गया कि क्रोमियम को छोड़कर, जिसका पानी में स्वीकार्य स्तर 0.05 मिलीग्राम/लीटर क्रोमियम है और जो पंचायत कॉमन वेल में 0.01 मिलीग्राम/लीटर और कुछ अन्य कुओं में 0.07 मिलीग्राम/लीटर था, पानी के सभी घटक स्वीकार्य स्तर के भीतर थे। क्रोमियम के अलावा, यहां तक कि कोलीफॉर्म भी स्वीकार्य स्तर से ऊपर पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इंजीनियरों ने बताया कि कुएं से क्रोमियम का अंतर क्षेत्र की भूवैज्ञानिक विशेषता के कारण भी हो सकता है, और यह स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं था कि कंपनी के कारण ही पानी प्रदूषित हो गया था, क्योंकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। मुआवजे के वितरण के संबंध में, यह कहा गया कि केरल सरकार ने मामले के निरीक्षण के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मुआवजे के सवाल पर निर्णय लेने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की सिफारिश की। केरल सरकार ने प्लाचीमाडा पीड़ित मुआवजा न्यायाधिकरण नामक एक विधेयक पारित किया और उसे अनुमोदन के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। विधेयक विचाराधीन था और भारत के माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन की प्रतीक्षा थी। इसलिए यह कहा गया कि किसी भी पीड़ित को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

iii. आयोग ने रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर विचार किया और निर्देश दिया कि दिनांक 15.07.2020 को पलक्कड़ के पुलिस प्रमुख से प्राप्त रिपोर्ट संलग्नकों के साथ शिकायतकर्ता को चार सप्ताह के भीतर उसकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए अग्रेषित किया जाए, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

5. मॉडल टाउन, रोहतक, हरियाणा में लोक प्राधिकरणों की मिलीभगत से शिकायतकर्ता के घर के सामने और बगल के आवासीय भूखंडों पर एक एपेक्स प्लस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चलाया जा रहा था।

(केस संख्या 645/7/17/2019)

i. यह मामला रोहतक, हरियाणा के श्री नरेंद्र सिंह की एक शिकायत से संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी डॉ. पवन शर्मा द्वारा आयुक्त, नगर निगम रोहतक, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) मॉडल टाउन और डीसी, रोहतक की मिलीभगत से उनके घर के सामने और बगल के आवासीय भूखंडों पर एक एपेक्स प्लस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चलाया जा रहा था।

ii. आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपने अन्वेषण प्रभाग को घटनास्थील की जांच हेतु एक टीम नियुक्त करने को कहा।

iii. आयोग ने पाया कि मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक प्रथम दृष्टया मामला सामने आया था क्योंकि प्राधिकारियों के कृत्य और अकृत्य के कारण पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार, आयोग ने मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि शिकायतकर्ता को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। लेकिन, संबंधित अधिकारियों से कोई अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली।

iv. जवाब में डीसी, रोहतक और आयुक्त, नगर निगम, रोहतक को संबोधित पत्र की एक प्रति, जिसमें आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन रिपोर्ट की मांग की गई थी, हरियाणा सरकार से प्राप्त हुआ था। इस मामले पर आगे विचार करते हुए आयोग ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

"मामले के मद्देनजर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को एक और मौका दिया जाता है कि वह कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करें कि इस मामले में शिकायतकर्ता को छह सप्ताह के भीतर एक लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि हरियाणा राज्य को इस मामले में शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाने की सिफारिश से कोई आपत्ति नहीं है।"

v. हालांकि, कारण बताओ का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

vi. आयोग ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है। चूंकि पर्याप्त समय और अवसर मिलने के बावजूद आयोग को कारण बताओ का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए यह माना गया कि हरियाणा सरकार को कोई आपत्ति नहीं है आयोग ने हरियाणा सरकार को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 1,00,000/– रुपये (केवल एक लाख रुपये) का भुगतान करने की सिफारिश इस टिप्पणी के साथ की कि संबंधित प्राधिकारियों की ओर से चूक के कृत्य, शिकायतकर्ता के मानव अधिकारों के उल्लंघन के बराबर हैं। अनुपालन रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है, मामला आयोग के विचाराधीन है।

6. आंध्र प्रदेश राज्य के विजाग जिले में स्टाइरीन गैस के रिसाव के कारण आठ लोगों की मौत हो गई और 5000 से अधिक बीमार हो गए।

(केस संख्या 1023/1/21/2020)

i. आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य के विजाग जिले में 07.05.2020 को हुई एक दुखद घटना के बारे में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें स्टाइरीन गैस के रिसाव के कारण आठ लोगों की मौत हो गई और 5000 से अधिक बीमार पड़ गए। जैसा कि "टाइम्स ऑफ भारत" द्वारा रिपोर्ट किया गया है, यह घटना 07.05.2020 की सुबह लगभग 3:00 बजे एलजी पॉलिमर उद्योग के एक रासायनिक संयंत्र में हुई, जो जिले के नायडूथोटा क्षेत्र के पास आरआर वेंकटपुरम में पॉलीस्टाइरिन और इसके कॉपोलिमर बनाती है। गैस के रिसाव ने कथित तौर पर लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों को प्रभावित किया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई लोग सांस लेने में कठिनाई और शरीर पर चकत्ते की शिकायत करते हुए सड़कों पर लेट गए।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, पुलिस महानिदेशक, आंध्र प्रदेश ने दिनांक 06.08.2019 के पत्र द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर बल देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की:

- निकासीः घटना के बाद, प्रशासन ने आरआरवी पुरम, नंदामुरी नगर, कम्पारापलेम, पद्मनाभ नगर, एससी/बीसी कॉलोनी मेघाद्रीपेटा कॉलोनी के 17,000 घरों से लगभग 20,000 लोगों को निकाला और उन्हें जीवीएमसी के साथ–साथ सिंहचलम देवस्थानम अधिकारियों द्वारा बनाए गए 23 पुनर्वास केंद्रों में रखा गया।
- राहतः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घटना के पीड़ितों को मुआवजे/अनुग्रह के भुगतान के लिए दिए गए आश्वासन के अनुसार, दिनांक 08.05.2020 का स्वीकृति आदेश जारी किया गया। सभी पीड़ितों की सूची बनाने के लिए घर–घर जाकर सत्यापन करने के लिए विशेष गणना दल गठित किए गए थे। इसी तरह विभिन्न श्रेणियों के तहत अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों के दावों को सत्यारपित करने के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया था। पात्र पीड़ितों की सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था:

तालिका 16.1: भुगतान की गई अनुग्रह राशि का विवरण (मामला संख्या 1023/1/21/2020)

क्रम सं.	विवरण	स्वीकृत राशि	पीड़ित	राशि का भुगतान
1.	मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि	1 करोड़ रुपये	(प्रत्येक) 12	12 करोड़ रुपये
2.	वेंटिलेटर वाले व्यक्ति	10 लाख रुपये	1	10 लाख रुपये
3.	2–3 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती	1 लाख रुपये	(प्रत्येक) 485	485 लाख रुपये
4.	प्राथमिक उपचार वाले व्यक्ति	25,000/– रुपये	(प्रत्येक) 99	24,75,000/– रुपये
5.	प्रभावित ग्रामीण	10,000/– रुपये	(प्रत्येक) 19893	19,89,30,000 /–रुपये
6.	मृत पशु		25 पशु (8 मालिक)	8,75,000/– रुपये

iii. घटना का संज्ञान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा भी लिया गया था और अपने दिनांक 8.5.2020 के आदेश के तहत एलजी पॉलिमर भारत प्राइवेट लिमिटेड को जिला मजिस्ट्रेट विशाखापत्तनम के पास 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जमा कराने का निर्देश दिया था, जो ट्रिब्यूनल के अगले आदेशों का पालन करेंगे। उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में, एलजी पॉलीमर्स भारत प्राइवेट लिमिटेड ने 50 करोड़ रुपये की राशि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, विशाखापत्तनम के पास जमा की।

iv. यह भी बताया गया कि पाला वेंकय्याम्मा, येलमंचिली कनक राजू और कदली सत्यनारायण नाम के तीन और व्यक्तियों की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।

v. पुलिस द्वारा दर्ज मामले की स्थिति की जांच के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि एलजी पॉलिमर कंपनी में काम कर रहे 16 अधिकारियों सुरक्षा और तकनीकी व्यक्तियों के बयान सहित 437 गवाहों से

पूछताछ की गई थी। आगे की जांच के दौरान, सबूतों के आधार पर, गवाहों और अन्य दस्तावेजी/विशेषज्ञों की राय के आधार पर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एएमएम कोर्ट, विशाखापत्तनम के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस द्वारा एलजी पॉलीमर्स, आर आर वेंकटपुरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशकों/वरिष्ठ कर्मचारियों के पासपोर्ट भी अपनी हिरासत में रखे जाने की सूचना है। अपराध स्थल पर जब्त की गई सामग्री को भी रासायनिक विश्लेषण और राय के लिए निदेशक, एफएसएल, मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश को भेजा गया था।

vi. इसके अलावा उद्योग उप मुख्य निरीक्षक, जिला अग्निशमन अधिकारी, विशाखापत्तनम, उप मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक विभाग और निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एलजी पॉलिमर में एम 6 टैंक से स्टाइरीन वाष्प के रिसाव के तकनीकी पहलुओं के बारे में सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया। कारखाने के निदेशक, उप मुख्य नियंत्रक विस्फोटक विभाग, निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार था।

vii. कारपोरेट कार्य महानिदेशक, नई दिल्ली ने दिनांक 26.5.2020 के पत्र द्वारा निम्नलिखित सूचना दी हैः

- मेसर्स एलजी पॉलीमर्स भारत (पी) लिमिटेड की स्थापना 10 दिसंबर 1996 को हुई थी और इसका पंजीकृत कार्यालय आरआरवी वेंकटपुरम, विशाखापत्तनम में है। कंपनी रसायन और रासायनिक उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और यांत्रिक उत्पादों के निर्माण के कारोबार में शामिल है।

- कंपनी को आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 19 जनवरी 2017 को मंजूरी मिली थी, जो 31 दिसंबर 2021 तक वैध है और विस्तार के लिए आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 20 जून 2018 को आदेश जारी किए गए थे जो 30 अप्रैल 2023 तक वैध है।

- जहां तक सुरक्षा उपायों की बात है, यह कारखाना अधिनियम, 1948 और अन्य संबद्ध विधियों, जो केंद्रीय अधिनियम हैं, द्वारा शासित होती है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित हैं।

- जो कंपनियां विनिर्माण कार्य से संबंधित हैं, उन्हें संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।

viii. आयोग ने दिनांक 25.01.2021 की कार्यवाही द्वारा संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों पर विचार किया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें गैस रिसाव के कारण 12 लोगों की जान चली गई थी, हालांकि राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को एक–एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देकर शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा दिया था, बीमार और अस्पताल में भर्ती 2000 से अधिक पीड़ितों को पर्याप्त आर्थिक मुआवजा देने के अलावा आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने भी एनजीटी नई दिल्ली के आदेश के अनुसार कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट विशाखापत्तनम के पास पर्यावरण की बहाली और गैस रिसाव के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे के भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि जमा की, इसमें आयोग द्वारा आगे हस्तक्षेप नहीं किया गया और मामला बंद कर दिया गया।

अध्याय 17

मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता

17.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अधिदेश प्राप्त है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ज), आयोग को यह दायित्व सौंपता है कि आयोग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार शिक्षा का संवर्धन करेगा तथा प्रकाशन, संगोष्ठी और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, विद्यार्थियों, एन.जी.ओ. एवं आम जनमानस के अलावा सरकारी तंत्रों, खासकर पुलिसकर्मियों में मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए काफी सक्रिय रहा है।

17.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने देश में मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियां कीं। एनएचआरसी का प्रशिक्षण प्रभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों (पीटीआई), न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोगध्अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों और नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मानवाधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानवाधिकार साक्षरता का संवर्धन करता है। इनके अलावा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयोंध्महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अपने भवन में वर्ष में दो बार अर्थात्, ग्रीष्म एवं शीतकाल में एक माह का इंटर्नशिप कार्यक्रम और मानव अधिकारों के क्षेत्र में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ष पर्यन्त 15 दिवसीय अल्पावधि के इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन करता है।

क. एनएचआरसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

17.3 वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग ने अपने अधिदेश के तहत, मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 20 संस्थानों के 20 (17 ऑफलाइन और 3 ऑनलाइन) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी। इनमें से, एनएचआरसी ने 8 संस्थानों को मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धनराशि जारी की। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए पूरे भारत में विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पीटीआई, एटीआई, गैर सरकारी संगठनों द्वारा 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन/संचालन किया गया और इनमें 791 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ख. इंटर्नशिप कार्यक्रम

17.4 इस वर्ष, कोविड–19 महामारी के कारण और गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोग में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम–2020 का आयोजन नहीं किया जा सका। हालाँकि, एनएचआरसी ने जुलाई, 2020 माह में 16 से 30 जुलाई, 2020 तक पहली बार ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें 86 प्रशिक्षुओं ने एनएचआरसी के साथ इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर 2020 और फरवरी, 2021 के महीनों में भी आयोग ने ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप

कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें क्रमशः 99, 110, 89, 129 और 128 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ अपनी ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा किया।।

17.5 आयोग ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों, भारत सरकार के सचिव/अपर सचिव स्तर के अतिवरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय सेना/वायु सेना/भारतीय नौसेना के शीर्ष रैंक के अफसरों, सीएपीएफ के प्रमुखों, विशेष प्रतिवेदकों, विशेष मॉनिटरों, प्रख्यात गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, प्रसिद्ध गांधीवादियों आदि को सभी ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप कार्यक्रमों में गूगल मीट/वेबेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षुओं को संबोधित करने और विचार–विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया।

17.6 इंटर्नशिप कार्यक्रम का मैट्रिक्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें व्यावहारिक गतिविधियां शामिल हों। प्रशिक्षुओं को मानव अधिकार के मुद्दों से संबंधित एक किताब पढ़ने के लिए कहा जाता है और उसके बाद एक लिखित और मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए कहा जाता है, जिसका मूल्यांकन प्रख्यात बाहरी निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। छात्र प्रशिक्षुओं को समकालीन महत्व के प्रासंगिक मानव अधिकार विषय पर एक समूह अनुसंधान परियोजना सौंपी जाती है। एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुति दी जाती है और सर्वश्रेष्ठ तीन को क्रमशः 15,000/– रुपये, 10,000/– रुपये और 5000/– रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष कुछ शोध परियोजनाओं के विषय निम्नलिखित थेः

i. भारत में जलवायु परिवर्तनः पृष्ठभूमि, प्रभाव, प्रासंगिकता और पर्यावरण संबंधी अधिकार के मामले में आगे के कार्यकलाप

ii. मैनुअल स्कैवेंजिंगः द बिग पिक्चर एंड वे फॉरवर्ड

iii. भारत में लिंग के आधार पर समान अधिकार के रूप में ट्रांसजेंडर के अधिकारः मुद्दे और आगे के कार्यकलाप

iv. भारत में जराचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्यः अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और आगे के कार्यकलाप

v. भारत में खेलः मानव अधिकार, मुद्दे और आगे के कार्यकलाप

vi. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः भारतीय सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर इसका प्रभाव और आगे के कार्यकलाप

vii. वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंगः सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में सुधार के कारण और संभावनाएं

viii. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसः भारत में मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य से लाभ और हानि

ix. भारत में टेलीमेडिसिनः चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच

x. भारत में लंबित न्यायिक मामलेः कारक और आगे के कार्यकलाप

17.7 समापन के दिन एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका मूल्यांकन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया तथा इसमें शीर्ष तीन नकद पुरस्कार विजेता प्रशिक्षुओं सहित कुल 10 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

17.8 उपरोक्त के अलावा, प्रत्येक प्रशिक्षु को सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरा करने के बाद, इंटरनेट, पेन ड्राइव आदि जैसे विविध खर्चों की पूर्ति करने के लिए 2000/– रुपये का स्टिपेंड दिया जाता है।

17.9 इंटर्नशिप कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अनुभव देने की दृष्टि से उन्हें तिहाड़ जेल, पुलिस थानों और गैर सरकारी संगठनों में वर्चुअल फील्ड विजिट के लिए ले जाया गया। पुलिस स्टेशन पर फिल्म एनएचआरसी द्वारा शामिल की गई है जिसमें डीआईजी (अन्वेषण) द्वारा बाइट्स शामिल हैं।

ग. जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम

17.10 जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमः उपरोक्त के अलावा, वार्षिक कार्य योजना 2020–21 के अनुसार, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोग में 4 जून 2020, 4 सितंबर 2020, 14 दिसंबर 2020 और 25 मार्च 2021 को चार बार ऑनलाइन जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें क्रमशः 54,74,55 और 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

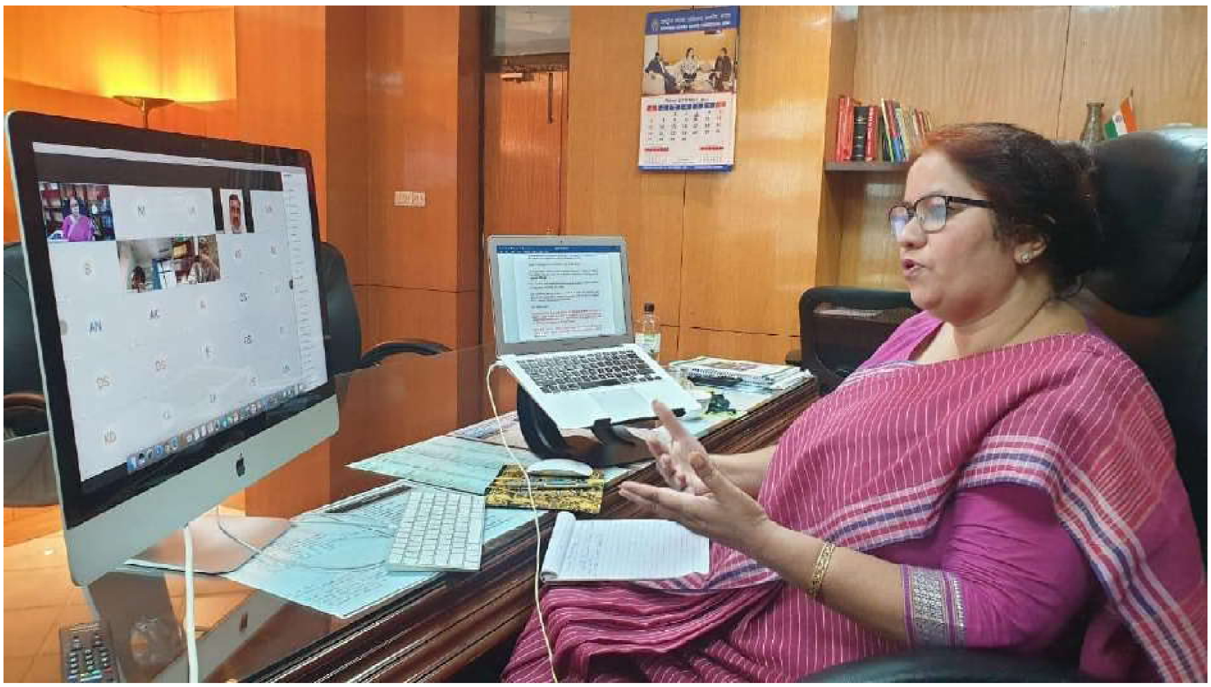

चित्र 17.1 श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमों में से एक में संबोधित करते हुए

घ. मानवाधिकारों पर संवेदीकरण कार्यक्रम

17.11 जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ के परिवीक्षाधीन आरपीएफ जवानों एवं अन्य अधिकारियों के लिए वेबेक्स मंच पर एक एकदिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अधिकारियों को मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना था।

ङ. अन्य गतिविधियां

17.12 मूट कोर्ट प्रतियोगिता : आयोग द्वारा 12–14 मार्च, 2021 को पुडुचेरी में डॉ. अम्बेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, पुडुचेरी के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर की मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 12 मार्च 2021 को

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता माननीय सदस्य, एनएचआरसी, डॉ. डी. एम. मुले ने की। विजेता प्रतिभागियों को 65,000/– रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

17.13 स्वयं पोर्टल पर व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमः एनएचआरसी ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ भारत यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के सहयोग से एक व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। यह 20 घंटे का वीडियो और 20 घंटे का अध्ययन/अध्यापन का पाठ्यक्रम 12 सप्ताह की अवधि के लिए है, जो 4 क्रेडिट वाले कानून की पृष्ठभूमि के स्नातक छात्रों के लिए 4 चतुर्थांशों में उपलब्ध है। यह एनसीईआरटी द्वारा स्वयं (एसडब्यूर एवाईएएम) नाम के एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किया जा रहा है, जिसका एक बैच 15 जनवरी 2021 को 1546 छात्रों के नामांकन के साथ शुरू हुआ है। उक्त पाठ्यक्रम दिन–प्रति–दिन लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है।

17.14 ई–पाठशालाः स्कूली बच्चों के बीच मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, एनएचआरसी द्वारा मार्ग (मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप) के सहयोग से तैयार की गई निम्न पुस्तिकाओं के रूप में सामग्री को एनसीईआरटी के ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भेज दिया गया हैः

i. एनआरओईआरः जहां पुस्तिकाएं पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं।

ii. ई–पाठशाला : दीक्षा के ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म पर 8 पुस्तिकाएं अपलोड की गई हैं।

17.15 कोविड–19 के प्रसार के कारण प्रभाग की गतिविधियों को भारी झटका लगा। आयोग द्वारा वर्ष 2020–21 के एक माह तक चलने वाले शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विभाग एक औरध्या आधे दिन के लिए प्रशिक्षुओं की मेजबानी करने में असमर्थ था। सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अध्याय 18

मानव अधिकार संरक्षक

18.1 भारत अपने सबसे चहेते और प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था ''तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'' (1944 में बर्मा में उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्यों को दिया गया)। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाता है अर्थात जीने की स्वतंत्रता, अभिव्यंक्ति की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में गरिमा के साथ जीने की आजादी जो मानव अधिकार संरक्षकों (एचआरडी) पर भी लागू होती है।

18.2 इस मुद्दे पर कि एचआरडी कौन हैं, यह उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मानव अधिकार संरक्षक कौन है या हो सकता है, इसकी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। संयुक्ति राष्ट्र महासभा द्वारा अपने दिनांक 8.3.1999 के संकल्प संख्याम 53/144 द्वारा मानव अधिकार संरक्षकों पर घोषणा, जिसका नाम ''सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए व्यक्तियों, समूहों और समाज के अंगों के अधिकार और जिम्मेदारी पर घोषणा'' में इसका अर्थ उन ''व्यक्तियों, समूहों और संघों से है जो मानव अधिकारों और लोगों और व्यक्तियों की मौलिक स्वतंत्रता के सभी उल्लंघनों के प्रभावी उन्मूलन में योगदान दें'' (प्रस्तावना में चौथा पैराग्राफ)।

18.3 इस संदर्भ में, मानव उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के कार्यालय का एक लेख, कि मानव अधिकार संरक्षक कौन है, पढ़ने योग्य है। जिसमें यह कहा गया है कि मोटेतौर पर, मानव अधिकार संरक्षक मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। संरक्षक किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, अलग–अलग उम्र के और विभिन्न पेशेवर या अन्य पृष्ठभूमि से हो सकते हैं। विशेष रूप से, मानव अधिकार संरक्षक न केवल गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अंतर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, बल्कि कुछ मामलों में, सरकारी अधिकारी, सिविल सेवक या निजी क्षेत्र के सदस्य भी हो सकते हैं।

18.4 मानव अधिकार संरक्षक की भूमिका को स्वीकार करते हुए, मानव अधिकार संरक्षकों से संबंधित घोषणा में सदस्य राज्यों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि राज्यों को:

i. शांति, सतत विकास और मानवाधिकारों के लिए मानव अधिकार संरक्षकों के मूल्य और महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना;

ii. मानव अधिकार संरक्षकों का निष्पाक्षतापूर्वक सम्मान करना, घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों के वैध प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी भी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उनकी रक्षा करना और मानव अधिकारों के उल्लंघनों के मामलों में प्रभावी उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करना और कथित उल्लंघनों की त्वरित और निष्पक्ष जांच करना;

iii. विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपायों के माध्यम से, मानव अधिकारों की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने, मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थानों का सृजन और मानव अधिकारों की शिक्षा को बढ़ावा देने के माध्यम से एक सक्षम वातावरण बनाकर उनके काम को सुदृढ़ करना।

18.5 उपरोक्त घोषणा के साथ–साथ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(i) के अनुपालन में, जिसने मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग पर एक कार्य अधिरोपित किया है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 12 अक्टूबर, 2009 को मानवाधिकार संरक्षकों से संबंधित सिफारिशें की थीं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एनएचआरसी में मानवाधिकार संरक्षकों के लिए एक फोकल प्वाइंट स्थापित करने की आवश्यकता भी शामिल है, ताकि मानवाधिकार संरक्षक सहायता के लिए उसके पास पहुंच सकें। उस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, एनएचआरसी के विधि प्रभाग से एक अधिकारी को विशिष्ट मोबाइल नंबर (09868013903) (ii) टेलीफोन नंबर 24663299 और ईमेल पते–hrd-nhrc@nic.in. के साथ एचआरडी के लिए फोकल प्वाइंट के रूप में मनोनीत किया गया था। वर्तमान में सहायक रजिस्ट्रार (विधि) स्तर के अधिकारी श्री सी. एस. मावरी इस पद पर तैनात हैं।

18.6 राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एचआरडी के लिए फोकल प्वाइंट को महत्व दिया गया है। एशिया पैसिफिक फोरम के मानव अधिकार संरक्षकों पर क्षेत्रीय कार्य योजना का उद्घाटन समारोह 17.03.2021 को आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि एचआरडी के लिए फोकल प्वाइंट एनएचआरआई के आयुक्तों या सदस्यों में से एक होना चाहिए ताकि संकटग्रस्त एचआरडी को, खासकर दूर–दराज के इलाकों में उचित सुरक्षा दी जा सके। एनएचआरसी–एसएचआरसी की वार्षिक बैठक 17.03.2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें देश के प्रत्येक एसएचआरसी में एचआरडी के लिए एक फोकल प्वाइंट की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था।

18.7 इसके अलावा, अपने स्थापना काल से ही एचआरडी को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ देश में मानव अधिकार की स्थिति में सुधार के लिए एनएचआरसी ने कई संगठनों और व्यक्तियों, सरकारी और गैर–सरकारी दोनों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया गया है और देश भर में एचआरडी के लिए सुरक्षात्मक तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आयोग ने 13 सदस्यों के साथ 23.9.2016 को ''एनजीओ और मानव अधिकार संरक्षकों के कोर समूह'' के रूप में गैर सरकारी संगठनों के एक कोर समूह का पुनर्गठन किया है।

18.8 सिविल सोसायटी समूहों/मानव संसाधन विकास के साथ घनिष्ठ विचार–विमर्श करने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, एनएचआरसी में वर्ष 2020–21 में, एनजीओ और एचआरडी पर कोर समूह की एक बैठक 13.6.2020 को आयोजित की गई थी जिसमें 9 प्रमुख मानवाधिकार संरक्षकों/गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया था।

क. वर्ष 2020–21 के दृष्टांत मामले

1. पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से साइबर हैकिंग गिरोहों द्वारा मानव अधिकार संरक्षक श्री आर. एच. बंसल का उत्पीड़न और उनका व्हाट्सएप हैकिंग

(केस संख्या 11900/24/31/2020)

i. मानव अधिकार संरक्षक श्री आर. एच. बंसल ने आयोग से शिकायत की कि उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है और साइबर हैकिंग गिरोहों द्वारा महत्वपूर्ण आंकड़े और संपर्क चुरा लिए गए हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से उनकी जासूसी कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी हत्या की योजना बना रहे थे।

ii. आयोग ने आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, अपने अन्वेषण प्रभाग को मामले में तथ्य एकत्र करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। अन्वेषण प्रभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने

पर, आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को मामले की सीबी–सीआईडी के माध्यम से जांच कराने और मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को आयोग द्वारा (i) पुलिस सुरक्षा प्रदान करके शिकायतकर्ता श्री आर. एच. बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने,(ii) मामले में सीबी–सीआईडी जांच लंबित रहने तक स्थानीय पुलिस द्वारा श्री आर. एच. बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी सुनिश्चित करने और (iii) सीबी–सीआईडी जांच के लिए लंबित दर्ज प्राथमिकी, यदि कोई हो, के संबंध में किसी भी जांच की आड़ में उसे परेशान करने से बचने के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देश देने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

iii. इस मामले पर आगे विचार करते हुए, आयोग ने पाया कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही थी, जबकि शिकायतकर्ता श्री बंसल बार–बार आयोग से संपर्क कर रहे थे कि उन्हें और उनकी पत्नी को भी जान का खतरा है।

iv. इसलिए आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि आयोग को शिकायतकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि श्री आर. एच. बंसल और उनके परिवार के खिलाफ उन्हें परेशान करने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

v. जवाब में, पुलिस अधीक्षक (यातायात) और मानव अधिकार (एचआर), गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता की पत्नी ने जांच में भाग नहीं लिया, उन्हें जिला पुलिस पर विश्वास नहीं है और परिवार के प्रति पुलिस का व्यवहार बहुत रूक्ष है, इसलिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) एचआर के नोडल अधिकारी ने मामले की जांच किसी अन्य जिले के अधिकारी से कराने का अनुरोध किया। रिपोर्ट को रिकार्ड में ले लिया गया है।

vi. अनुस्मारक के बावजूद, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

vii. आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के प्रावधानों को लागू करते हुए गैर–प्रतिक्रियात्मक रवैये पर गंभीरता से विचार करते हुए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अपेक्षित कार्रवाई रिपोर्ट के साथ आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए इस शर्त पर समन जारी किया कि नियत तारीख से पहले अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त होने पर व्यक्तिगत उपस्थिति की शर्त को समाप्त कर दिया जाएगा।

viii. जवाब में, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से एसपी (एचआर) ने दिनांक 11.01.2021 के एक पत्र के माध्यम से एसएसपी, गाजियाबाद की दिनांक 28.12.2020 और एसपी, गाजियाबाद की दिनांक 24.12.2020 की रिपोर्ट आयोग द्वारा दिए गए तीन निर्देशों का अनुपालन करते हुए अग्रेषित की और कहा है कि राज्य सरकार ने सीबी–सीआईडी के मेरठ डिवीजन को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है, संबंधित पुलिस स्टेशन और गाजियाबाद जिला के पुलिस अधिकारियों को एचआरडी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है और सीओ सिटी –3 इंदिरापुरम थाने के प्रभारी को एचआरडी शिकायतकर्ता के परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है।

ix. रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।

2. नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 14 सप्ताह की गर्भवती महिला एचआरडी सुश्री सफूरा जरगर की गिरफ्तारी

(केस संख्या 1672 / 30 / 0 / 2020)

i. नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सीलमपुर, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में कथित संलिप्तता के लिए एक महिला मानवाधिकार संरक्षक सुश्री सफूरा जरगर की गिरफ्तारी का आरोप था। आरोप था कि उसके वकील या उसके पति को बिना बताए महिला कैदी को मंडोली जेल की जगह तिहाड़ जेल ले जाया गया। जेल में उसे कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई और उसे आइसोलेशन में रखा गया।

ii. आयोग ने 30.04.2020 को मामले में संज्ञान लिया और महानिदेशक (कारागार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विचाराधीन कैदी, गर्भवती महिला का न्यायिक हिरासत में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न हो।

iii. इस बीच, शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के विधि प्रभाग के प्रजेंटिंग ऑफिसर और अन्य संबंधित कर्मचारियों ने इस मामले में अपना दिमाग ही नहीं लगाया क्योंकि प्रक्रियात्मक गैर–अनुपालन, अवैधता और पुलिस द्वारा डराने–धमकाने के गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके अलावा सुश्री सफूरा जरगर की स्थिति (एक गर्भवती महिला होने के कारण) पर तत्काल विचार नहीं किया गया। उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि आयोग अपने सदस्य या जेल मॉनिटर को जेल के अंदर पीड़िता की स्थिति का पता लगाने के लिए दौरा करने के लिए भेजे।

iv. आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुति सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की और मामले को अत्यंत खेदजनक पाया। आयोग ने आगे व्यक्त किया कि इस मामले पर महामारी और लॉकडाउन की स्थिति में भी तुरंत कार्यवाही की गई थी, जब आयोग सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था और यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने विशेष मॉनिटरों, विशेष प्रतिवेदकों और आवश्यकता पड़ने पर इसके संज्ञान में आई घटनाओं पर भी स्वतः संज्ञान लेकर मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों के मुद्दों को देख रहा है।

v. आयोग ने आगे यह स्पष्ट किया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ए) सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, लोक सेवकों की ओर से लापरवाही या किसी भी अधिकता के प्रयोग के कारण व्यक्ति के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संज्ञान लेने का अधिकार देती है। यह स्वयंसिद्ध है कि किसी संज्ञेय अपराध में, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसलिए, सुश्री सफूरा जरगर की गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा कथित प्रक्रियात्मक गैर–अनुपालन, अवैधता और धमकी, उस सक्षम न्यासयालय के क्षेत्राधिकार द्वारा न्यायिक समीक्षा का विषय है, जिसके आदेश के तहत कैदी हिरासत में है। आयोग, एक मानव अधिकार निकाय होने के नाते, उस सीमा तक सीमित है जहां वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है या ऐसे मामले में जहां वैधानिक निकाय किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करने वाले अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है। इसलिए आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए महानिदेशक कारागार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए उचित सावधानी बरती है और अन्य बातों के साथ–साथ निर्देश दिया है कि गर्भवती महिला कैदी का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए आयोग मानवाधिकार संरक्षकों से प्राप्त पत्रों के प्रति बहुत संवेदनशील था, इसलिए

उनकी ओर से यह भी अनिवार्य है कि वे कार्यवाही और आयोग के कामकाज के संबंध में अनुचित टिप्पणियों से बचें। आयोग ने पहले ही की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को प्रस्तुत किया जाए।

vi. आयोग के निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि शिकायत में लगाए गए आरोप बिना मेरिट के हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि सुश्री सफूरा जरगर के खिलाफ आईपीसी, आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्राथमिकी संख्या 48/20 और 59/20 दर्ज की गई थी। उसे 15.04.2020 को सेंट्रल जेल नंबर 6 में रखा गया था और उसकी पसंद के दो अंतरंगों के साथ वार्ड नंबर 8 में स्थानांतरित कर दिया गया था। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। उसके वकील ने उससे मिलने का अनुरोध किया था, लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण इसकी अनुमति नहीं दी गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित डॉक्टरों द्वारा उसकी जाँच की गई और उसे विशेष आहार प्रदान किया गया। रिपोर्ट, शिकायतकर्ता को टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी, लेकिन कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। प्राधिकारियों की रिपोर्ट और शिकायतकर्ता द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं करने के मद्देनजर, मामला बंद कर दिया गया।

3. राजस्थान के बीकानेर निवासी मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री विजय दीक्षित को आरोपियों ने झूठे मामले में फंसाकर, उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया।

(केस संख्या 987/20/7/2020)

i. श्री विजय दीक्षित ने दिनांक 25.05.2020 की एक शिकायत के माध्यम से आरोप लगाया कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान के प्रधानाचार्य और नियामक के खिलाफ बिजली चोरी और भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की थी। लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की निष्क्रियता के कारण आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। उसे झूठे मामले में फंसाया गया। प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया गया। घटना की तारीख पर कुछ आरोपितों ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। शिकायतकर्ता ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई, लेकिन वह व्यर्थ गया।

ii. आयोग ने 07.07.2020 को मामले में संज्ञान लिया और एसपी बीकानेर, राजस्थान को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

iii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, एसपी, बीकानेर, राजस्थान ने दिनांक 21.08.2020 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट से पता चला कि शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और बेटी के बयान सीआरपीसी की धारा 161/164 के तहत पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए। सीसीटीवी फुटेज वाले पेन ड्राइव को धारा 65बी प्रमाण पत्र के साथ स्वीकार किया गया। घटना की तारीख को शिकायतकर्ता के घर पहुंचने के लिए आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई कार का पता लगा लिया गया है। मालिक का बयान दर्ज किया गया था और प्रारंभिक जांच में एक आरोपी अभिजीत द्वारा पॉक्सो अधिनियम के साथ पठित आईपीसी की धारा 354ए/509 के तहत अपराध के संकेत मिले। हालांकि, आईपीसी की धारा 458/427/120बी के तहत अपराध किया गया नहीं तय हो सका। आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि, धारा 3458/427/120बी आईपीसी के तहत एक अन्य आरोपी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना पाया गया जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य एवं नियामक की संलिप्तता संदिग्ध है। हालांकि एक और आरोपी फरार है।

iv. आयोग ने 29.01.2021 को रिपोर्ट का अवलोकन किया और पाया कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। हालांकि, एसपी, बीकानेर, राजस्थान को जल्द से जल्द जांच पूरी करने और उसके बाद आयोग के रिकॉर्ड के लिए एक प्रति भेजने का निर्देश दिया गया है।

4. मणिपुर के इंफाल में मानव अधिकार कार्यकर्ता डॉ. रॉय लाईफंगबाम/बॉबी को अवैध रूप से 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस स्टेशन में बंद रखा गया।

(केस संख्या 8/14/4/2020)

i. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मानव अधिकार संरक्षक को इम्फाल पुलिस स्टेशन की स्थानीय पुलिस ने 03.04.2020 को शाम लगभग 5.30 बजे उनके आवास से उठाया था। गिरफ्तारी के स्थान पर न तो गिरफ्तारी का ज्ञापन दिया गया और न ही निरीक्षण मेमो तैयार किया गया। आरोपी को अपने फेसबुक पेज पर कुछ संदेश पोस्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत, गिरफ्तार किया गया था, जो विशुद्ध रूप से एक जमानती अपराध था, लेकिन उसे कोई जमानत नहीं दी गई और उसे 24 घंटे के बाद ही पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया।

ii. आयोग ने 28.04.2020 को मामले में संज्ञान लिया और शिकायत की एक प्रति पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), मणिपुर को भेजने का निर्देश दिया, जिसमें चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। डीजीपी, मणिपुर को मानव अधिकार संरक्षक को जमानत नहीं देने के कारणों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया था, जबकि उन्हें सीआरपीसी की धारा 436 के प्रावधानों के तहत जमानती अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

iii. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, अपर डीजीपी (मानव अधिकार), मणिपुर, इम्फाल ने दिनांक 03.09.2020 की एक रिपोर्ट के माध्यम से एसपी, इम्फाल, मणिपुर की दिनांक 02.09.2020 की एक रिपोर्ट अग्रेषित की। रिपोर्ट से पता चलता है कि 03.04.2020 को फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट, जिसपर आईपीसी की गैर–जमानती धाराओं और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, के बाद इम्फाल पुलिस स्टेशन की एक सशस्त्र पुलिस टीम को कथित पीड़ित को बुलाने तथा सत्यापन और पूछताछ के लिए कि क्या कथित फेसबुक पोस्ट स्टेटमेंट को संदिग्ध फेसबुक अकाउंट का उपयोग करके जानबूझकर पोस्ट किया गया था, उसी दिन एक वाहन से भेजा गया था।। उन्हें पुलिस स्टेशन आने की सूचना दी गई और वह अपनी कार, जिसे पुलिस टीम द्वारा कोविड–19 महामारी और लॉक डाउन के दौरान संरक्षित किया जा रहा था, में अपने एक पुरुष रिश्तेदार के साथ शाम 6.00 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनसे रात 8.30 बजे से 9.30 बजे तक पूछताछ की गई और उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रयासों को बदनाम करने और आम जनता को उकसाने के लिए जानबूझकर 'लैफुंगबाम खोंगनांगथाबा रॉय' मिथ्या नाम का उपयोग करके फेसबुक पोस्ट डालने की बात स्वीकार की ताकि सरकार राजनीतिक फायदों के बजाय लोक कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर सके। रात करीब साढ़े दस बजे उन्हें खाना खिलाया गया और उन्हें घर जाने के लिए कहा गया। लेकिन कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन के कारण, उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही रहने का अनुरोध किया। अगले दिन उन्हें कोविड–19 के कारण स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें न तो लॉक–अप में रखा गया और न ही किसी एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया। उनका वकील अपराह्न लगभग 3.00 बजे आया और पक्षकारों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के बाद इस मामले को बंद कर दिया गया।

iv. आयोग ने रिपोर्ट का अवलोकन किया और पाया कि पुलिस द्वारा जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी। इसलिए, आयोग ने शिकायतकर्ता की टिप्पणियां मंगाना उचित समझा। शिकायतकर्ता ने टिप्पणी जमा करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा है।

5. एनआईए अधिकारियों द्वारा रांची में 83 वर्षीय जेसुइट पुजारी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की अवैध गिरफ्तारी और अपहरण

(केस संख्या 1036/34/16/2020)

i. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पीड़ित को भीमा–कोरेगांव मामले में रांची से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया और अपहरण कर लिया। पीड़ित कथित तौर पर पार्किंसंस रोग से पीड़ित था, इसलिए उसे हिरासत में लेकर, वह भी कोविड–19 महामारी के दौरान पूछताछ के लिए नहीं ले जाना चाहिए था।

ii. आयोग ने 09.10.2020 को मामले में संज्ञान लिया और आयोग के अन्वेषण प्रभाग को आरोपों की टेलीफोन पर जांच करने और एक सप्ताह के भीतर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

iii. आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने एक नोट प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि एनआईए ने लगाए गए आरोपों को अस्वीकार कर दिया है और एजेंसी ने बताया कि फादर स्टेन स्वामी को कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार किया गया थाय व्यक्ति के किसी भी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया; और यह पता लगाने के लिए कि क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता है, फादर स्टेन स्वामी से अनौपचारिक हिरासत के अलावा और पूछताछ की जा सकती थी और क्या उनके स्वास्थ्य की स्थिति में मुंबई की यात्रा की अनुमति थी, यह केवल एनआईए द्वारा ही बताई जा सकती है। इसलिए, डीजी, एनआईए, नई दिल्ली से एक रिपोर्ट मांगी गई।

iv. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, महानिरीक्षक (अन्वेषण–I), एनआईए मुख्यालय, नई दिल्ली ने दिनांक 26.10.2020 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित पीड़ित की गिरफ्तारी के दौरान आईओ ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया। वह वर्ष 2020 के विशेष मामला संख्या 414 और मुंबई में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित आरसी–01/2020/एनआईए/एमयूएम में आरोपी व्यक्तियों (अभियुक्त संख्या 16) में से एक था।

v. आयोग ने अन्वेषण प्रभाग को रिपोर्टों का विश्लेषण करने का निर्देश दिया और यह पाया कि कथित पीड़ित फादर स्टेन स्वामी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (यूएपी) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) का सदस्य था और इसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। वह आपराधिक साजिश का हिस्सा था और इसलिए यूएपी अधिनियम की धारा 13/16/18/20/38/39 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(बी)/121/121 (ए)/34 तहत आरोप पत्र दायर किया गया। उन्हें सबूतों और अपराधों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था जो प्रकृति में संज्ञेय थे और जो एनआईए अधिनियम की अपराधों की अनुसूची के अंतर्गत आते थे। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसी दिन उसके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किए गए और उसके बाद उसे जेल में बंद किया गया। विशेष अदालत ने आरोपी/पीड़ित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके अलावा, आवेदक यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़ित को प्रदान किया गया चिकित्सा उपचार पर्याप्त नहीं था। दरअसल वृद्धावस्था के कारण उन्हें अस्पताल के सेक्शन में अलग सेल में रखा गया था। रिपोर्ट में निष्कर्ष के रूप में कहा गया कि शिकायतकर्ता मानवाधिकारों के उल्लंघन के नाम पर कोई सुरक्षा या कवर नहीं मांग सकता क्योंकि उसका कार्य स्वयं राज्य और कानून की सुरक्षा के खिलाफ था और उसकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया था।

vi. आयोग ने रिकॉर्ड में रखी गई सभी सामग्री पर विचार किया। चूंकि आरोपी न्यायिक हिरासत में था, इसलिए वह अपने कमजोर और नाजुक स्वास्थ्य के आधार पर और राहत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकता था। चूंकि मामला निर्णयाधीन था, इसलिए आयोग द्वारा मामले को बंद कर दिया गया।

6. श्री आदित्य दास, प्रेरक वक्ता और मानवाधिकार संरक्षक की जान को खतरा होने की शिकायत किए जाने के बावजूद, भुवनेश्वर, ओडिशा में उनकी हत्या

(केस संख्या 2014/18/28/2020)

i. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रेरक वक्ता और मानव अधिकार संरक्षक आदित्य दास की 07.07.2020 को भुवनेश्वर, ओडिशा में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की।

ii. आयोग ने 27.07.2020 को मामले में संज्ञान लिया और पुलिस आयुक्त, खुर्दा, ओडिशा से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी।

iii. आयोग ने 29.10.2020 को रिकॉर्ड का अवलोकन किया और पाया कि 30.07.2020 और 10.08.2020 को अनुस्माकरक भेजे जाने के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी। तदनुसार, अंतिम अनुस्मारक भी जारी किया गया।

iv. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, पुलिस आयुक्त, भुवनेश्वर, ओडिशा ने दिनांक 10.11.2020 के एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अपराध शाखा, कटक, ओडिशा ने पहले ही मामले में जांच का प्रभार ले लिया है।

v. अतिरिक्त डीजीपी, सीआईडी अपराध शाखा, ओडिशा, कटक ने दिनांक 26.08.2020 के पत्र के माध्यम से एसपी, सीआईडी–सीबी, ओडिशा, कटक की दिनांक 25.08.2020 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतक की मौत 'सदमे और शरीर पर चोट' के कारण हुई थी। सुसाइड नोट हस्तलेखन विशेषज्ञ को राय के लिए दिया गया था जो अभी भी लंबित है; घटना स्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया गया है; वरिष्ठ अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर, ओडिशा ने सूचित किया कि उस तारीख को किसी भी व्यक्ति के ट्रेन से गिरने की कोई सूचना नहीं मिली थी; संबंधित व्यक्तियों के कॉल विवरण प्राप्त किए गए थे; मुखबिर का बयान दर्ज किया गया; सीआईडी–सीबी टीम ने घटना स्थल का फिर से दौरा किया और मृतक के फेसबुक अकाउंट के संबंध में फेसबुक मुख्यालय से दस्तावेज मांगे गए हैं। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य सीआईडी–सीबी, मामले में सभी संभावित कोणों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रहा है। रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।

7. मानव अधिकार संरक्षक और तमिलियन टीवी के पत्रकार श्री इस्रेवेल मूसा की तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में बेरहमी से हत्या।

(केस संख्या 7454/22/2/2020)

i. एचआरडी ने क्षेत्र में सरकारी भूमि के अवैध अतिक्रमण और नशीले पदार्थों की बिक्री और दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला था। उन्होंने स्थानीय पुलिस को पड़ोस में चल रही इन अवैध गतिविधियों के बारे में सूचित किया और जान से मारने की धमकी के बारे में भी पुलिस को सूचित

किया। 08.11.2020 को एक ड्रग गिरोह के सदस्यों द्वारा उनकी बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण व्हिसलब्लोअर पत्रकार की जान चली गई।

ii. आयोग ने 09.12.2020 को इस मामले में संज्ञान लिया और डीजीपी, तमिलनाडु को निर्देश दिया कि वह मामले की जांच कांचीपुरम जिले के अलावा अन्य जिले के अपनी पसंद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाएं और छह सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, डीजीपी, तमिलनाडु को मृतक पत्रकार के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।

8. मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री इशराफुल हक को भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने से रोकने के लिए उन्हें झूठा फंसाया गया।

(केस संख्या 14/15/0/2020)

क. श्री इशराफुल हक एक मानव अधिकार संरक्षक हैं, जो वंचित नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वह समाज के गरीब और वंचित, कमजोर और जरूरतमंद वर्ग के लिए आवाज उठाते रहे हैं। इसलिए झूठी शिकायतों पर झूठे मामले दर्ज कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। अब वह पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे थे।

ख. आयोग ने इस मामले में 08.10.2020 को संज्ञान लिया और आयोग के अन्वेषण प्रभाग को दो दिनों के भीतर टेलीफोन पर तथ्य एकत्र करने का निर्देश दिया।

ग. आयोग के निर्देशों पर, अन्वेषण प्रभाग ने तुरा महिला थाने की प्रभारी से उसके मोबाइल पर संपर्क किया। उन्होंने बताया कि इशराफुल हक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत, दिनांक 21.09.2020 को प्राथमिकी संख्या 41/2020 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने 07.10.2020 को आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने इस मामले में और जानकारी देने के लिए लिखित संचार का अनुरोध किया।

घ. आयोग ने 19.10.2020 को रिपोर्ट पर विचार किया और एसपी, जिला वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय को चार सप्ताह के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अभी तक आयोग को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

अध्याय 19

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

19.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एन.एच.आर.आई.), राष्ट्रीय संस्थानों की स्थिति से संबंधित सिद्धांतों, जिसे साधारणतया पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, का पालन करता है। राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, संधि अनुवीक्षण निकायों एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संभार तंत्रों द्वारा प्रत्येक राष्ट्र को पेरिस सिद्धांतो का पालन करने वाला एक प्रभावी, स्वतंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का गठन करने तथा जहां यह कार्यरत है, उसे और मजबूती प्रदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। एन.एच. आर.आई., कई तंत्रों के साथ सहयोग को प्रोत्सांहन देता है जिनमें से संयुक्त राष्ट्र एवं विशेष रूप से, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एशिया पेसिफिक फोरम (ए.पी.एफ.) के अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) का कार्यालय महत्वपूर्ण हैं।

क. यूपीआर–III सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मध्यावधि रिपोर्ट

19.2 यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर), संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) का एक अनूठा तंत्र है, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र में सावधानीपूर्वक समीक्षा करके मानवाधिकारों की स्थिति की जांच और आकलन करने की एक प्रक्रिया है। इसने मानव अधिकारों की उन्नति और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरे यूपीआर चक्र के तहत भारत की समीक्षा 4 मई, 2017 को हुई थी और बाद में, भारत सरकार की रिपोर्ट का परिणाम 21 सितंबर, 2017 को अपनाया गया था। भारत के संबंध में यूपीआर वर्किंग ग्रुप द्वारा कुल 250 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 152 सिफारिशों को स्वीकार किया गया और 98 को भारत सरकार द्वारा नोट कर लिया गया।

19.3 स्वीकृत की गई 152 सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, जनवरी, 2020 में एनएचआरसी द्वारा 18 मंत्रालयों से की गई कार्रवाई संबंधी लिखित सूचना मांगी गई थी। चूंकि यूपीआर–III की सिफारिशें कई मंत्रालयों पर लागू होती हैं, यह निर्णय लिया गया था कि आयोग के माननीय पूर्व अध्यक्ष/आयोग के संबंधित सदस्य की निगरानी में 3–4 मंत्रालयों के समूहों के साथ बैठकें की जाएं। सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोग द्वारा 4, 11, 17 और 18 फरवरी 2020 को 18 मंत्रालयों के साथ पांच बैठकें की गईं। इसके बाद, आयोग ने 4 मार्च, 2020 को सिविल सोसायटी संगठन (सीएसओ) के साथ एक बैठक की, जिसमें यूपीआर–III की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अपने विचार साझा करने के लिए 10 सिविल सोसायटी संगठनों के 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

19.4 28 अप्रैल, 2020 को फुल कमीशन का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने 13 मई, 2020 को देश में मानव अधिकार की स्थिति की यूपीआर के तीसरे चक्र की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मध्यावधि रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के यूपीआर वर्किंग ग्रुप को प्रस्तुत की। रिपोर्ट की एक–एक प्रति भारत सरकार के 18 संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भी भेजी गई।

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच के साथ सहयोग

19.5 एशिया पैसिफिक फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (एपीएफ), 1996 में स्थापित एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एक अग्रणी क्षेत्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह एक सदस्य–आधारित संगठन है जो इस क्षेत्र में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य सदस्य संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। यह वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के समय तक, एपीएफ में 15 पूर्ण सदस्य और 7 सहयोगी सदस्य थे। ये सदस्य पूरे क्षेत्र में विविध देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) के साथ सहयोग

19.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (गनहरी), राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के सृजन और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हों। यह, इन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच संयुक्त गतिविधियों और सहयोग के अंतरराष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करने, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करने, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क करने और जहां अनुरोध किया जाता हो, एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने में सरकारों की सहायता के माध्यम से अपनी इस भूमिका को निभाता है। यह राष्ट्रीय संस्थानों का सृजन और सुदृढ़ीकरण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि वे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हों। एनएचआरसी, भारत 1999, 2006, 2011 और 2017 के पांच वर्षों की अवधि के लिए लगातार चौथी बार 'ए' दर्जा प्राप्त गनहरी का सदस्य है।

घ. अंतरराष्ट्रीय बैठकों और संगोष्ठियों में एनएचआरसी की भागीदारी इस वर्ष, कोविड–19 महामारी के कारण, सभी अंतरराष्ट्रीय बैठकें, सेमिनार, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल मोड में आयोजित किए गए। आयोग ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जो इस प्रकार हैं:

19.7 श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), श्री आर. के. खंडेलवाल, संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं अनुसंधान), श्रीमती मंजिल सैनी, उप महानिरीक्षक, डॉ. एम. डी. एस. त्यागी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), श्री संजय कुमार, अवर सचिव (स्थापना), और मो. आलम अंसारी, अनुसंधान अधिकारी ने 9–11 जून 2020 तक 'संयुक्त राष्ट्र वर्चुअल फोरम ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स एशिया पैसिफिक' में भाग लिया।

19.8 श्रीमती अनिता सिन्हा, संयुक्त सचिव (योजना एवं प्रशिक्षण), श्री डी. एम. त्रिपाठी, अवर सचिव (समन्वय), श्री एम. डी. एस. त्यागी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), सुश्री राधिका कौल बत्रा, चीफ ऑफ स्टाफ, यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस (यूएनआरसीओ), श्री दिग्विजय सिंह, सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ, यूएनडीपी और सुश्री रुबीता नाइक, सामाजिक समावेश विशेषज्ञ, यूएनआरसीओ ने 14 जुलाई, 2020 को आयोजित एनएचआरसी–यूएन सहयोग पर वर्चुअल बैठक और 15 जुलाई, 2020 को संयुक्त राष्ट्र–भारत और एनएचआरसी सहयोग प्रस्ताव में भाग लिया।

19.9 सुश्री सिघ्मी आजम, अनुसंधान अधिकारी ने 31 जुलाई, 2020 को आयोजित ''राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा आयोजित राष्ट्रमंडल में जातिवाद'' पर वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

19.10 सुश्री मंजिल सैनी, डीआईजी और मो. आलम अंसारी, अनुसंधान अधिकारी ने 6 अगस्त 2020 को एनएचआरआई के लिए निगरानी, मूल्यांकन, जवाबदेही और लर्निंग (एमईएएल)–संसाधन पर संदर्भ समूह (रेफरेंस ग्रुप) में भाग लिया।

19.11 श्री आर. के. खंडेलवाल, संयुक्त सचिव (ए एंड आर), सुश्री अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी), श्रीमती मंजिल सैनी, उप महानिरीक्षक, श्री एम.डी.एस. त्यागी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) और श्री डी.एम. त्रिपाठी, अवर सचिव (समन्वय) ने समरकंद में 12–13 अगस्त, 2020 को उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रीय मानव अधिकार केंद्र के निदेशक प्रोफेसर अकमल सैदोव द्वारा आयोजित ''यूथ 2020: वर्किंग विद एंड फॉर यंग पीपल'' पर ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया।

19.12 श्री आर. के. खंडेलवाल, संयुक्त सचिव (ए एंड आर) और श्री एम.डी.एस. त्यागी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ने 19 अगस्त, 2020 को गनहरी के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी समिति द्वारा आयोजित, ''दिव्यांकग व्यक्ति और कोविड–19'' पर बैठक में भाग लिया।

19.13 श्री सुदेश कुमार, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ने 26 अगस्त, 2020, 28 अक्टूबर, 2020 और 19 नवंबर 2020 को ऑनलाइन आयोजित, ''सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक समझौते के कार्यान्वयन की एशिया–प्रशांत क्षेत्रीय समीक्षा पर हितधारकों की ब्रीफिंग'' में भाग लिया।

19.14 श्री जयदीप गोविंद, तत्कालीन महासचिव, श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), श्री आर. के. खंडेलवाल, संयुक्त सचिव (ए एंड आर), श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) और श्रीमती मंजिल सैनी, उप महानिरीक्षक ने 9 सितंबर 2020 को ऑनलाइन आयोजित एपीएफ की 25 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लिया। एजेंडा विषय थे: एपीएफ प्रदर्शन रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखों, एपीएफ शासन समिति का चुनाव, गनहरी ब्यूरो के लिए एक एपीएफ प्रतिनिधि का चुनाव और बैठक के दौरान एपीएफ एजीएम, की 26 वीं वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन के विकल्प और स्थान चर्चा की गई।

19.15 श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), श्री सी. एस. मावरी, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) और श्री दुष्यंत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, नफरत और भेदभाव का मुकाबला करने पर आयोजित सम्मेलन, 2020 में शामिल हुए। सम्मेलन की मेजबानी कोरिया के एनएचआरसी, यूरोपीय संघ और एपीएफ द्वारा की गई थी और सम्मेलन का विषय ''नफरत और भेदभाव को दूर करने के लिए रणनीति और कार्य योजना को लागू करना'' था।

19.16 श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) और श्री एम.डी.एस. त्यागी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ने 28– 29 सितंबर, 2020 को 'एनएचआरआई, 2030 एजेंडा के साथ कैसे काम करते हैं' पर आयोजित क्षेत्रीय वेबिनार में भाग लिया।

19.17 श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव, श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), श्री आर.के. खंडेलवाल, संयुक्त सचिव (ए एंड आर), सुश्री अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) और श्री एम.डी.एस. त्यागी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ने 15 अक्टूबर, 2020 को व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी वर्किंग ग्रुप की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। चर्चा में शामिल मुद्दे थे: (i) संधि बैठक पर कार्यकलाप, (ii) संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के सहयोग से प्रस्तुतीकरण और (iii) संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानव अधिकार मंच।

19.18 नए अध्यक्ष का चुनाव करने और ब्यूरो के नियुक्त सदस्यों की पुष्टि करने के लिए 19 से 26 अक्टूबर, 2020 तक आयोजित गनहरी की असाधारण आम सभा (ईजीए) में एनएचआरसी की भागीदारी।

19.19 न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, माननीय सदस्य, श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव और श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि) ने गनहरी 2020 की वार्षिक ऑनलाइन बैठक में 30 नवंबर, 2020 से 4 दिसंबर, 2020 तक भाग लिया, जिसमें 3 और 4 दिसंबर, 2020 को दो लाइव स्ट्रीम के कार्यक्रम शामिल थे। सत्रों में: (i) 3 दिसंबर, 2020 को अच्छी प्रथाओं के ज्ञान का आदान–प्रदानः एनएचआरआई अधिदेश का कार्यान्वयन और कोविड–19 संदर्भ में कार्यय और (ii) 4 दिसंबर 2020 को जलवायु परिवर्तनः राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका पर वार्षिक सम्मेलन शामिल थे।

19.20 श्री श्रीनिवास कामथ, उप रजिस्ट्रार (विधि) ने 2 दिसंबर 2020 को ''संयुक्त राष्ट्र भागीदारी दिशानिर्देश'', पर एनएचआरआई के लिए ओएचसीएचआर और यूरोपियन सेंटर फॉर नॉट–फॉर–प्रॉफिट लॉ स्टिचिंग (ईएनसीएल) द्वारा सह–आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

19.21 श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव और श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) ने 14 जनवरी 2021 को आयोजित मानव अधिकारों पर संवाद और सहयोग और सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 की तीसरी वर्चुअल इंटरसेशनल बैठक में भाग लिया। बैठक का विषय ''बिल्डिंग बैक बेटरः इंटीग्रेटिंग ह्यूमन राइट्स इन सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट रिकवरी फ्रॉम कोविड–19 पैण्डेंमिक'' था।

19.22 डॉ. सिमी आजम, अनुसंधान अधिकारी ने डॉ. चिरंजीव भट्टाचार्य, यूएन प्रोग्राम मैनेजर, यूएनडीपी, भारत द्वारा आयोजित ''ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के उपायों पर वर्चुअल परामर्श'' में भाग लिया। यह 29 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था।

19.23 श्री श्रीनिवास कामथ, उप रजिस्ट्रार (विधि) ने 11 फरवरी, 2021 को एनएचआरआई के निदेशक, एपीएफ द्वारा आयोजित, ''मानव अधिकार शिक्षा संबंधी ऑनलाइन कार्यक्रम पर नजर रखना और उसके आयोजन'' में भाग लिया।

19.24 न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत ने ''सभी मानवाधिकारों, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण'', जिसमें विकास का अधिकार भी शामिल है, के एजेंडा आइटम के तहत 22 फरवरी से 24 मार्च 2021 तक हुए मानव अधिकार परिषद के 46वें सत्र में एक प्री–रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट दिया।

19.25 न्यायमूर्ति श्री पी.सी. पंत, माननीय सदस्य, श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव और श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) ने 18 मार्च 2021 को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच (सीएफएनएचआरआई) की वर्चुअली आयोजित वार्षिक बैठक में भाग लिया।

19.26 श्री डी. एम. त्रिपाठी, अवर सचिव (समन्वय) ने जूम (ऑनलाइन) के माध्यम से 2–4 मार्च, 2021 तक आयोजित, सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यान्वयन पर एशिया–प्रशांत क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में भाग लिया।

19.27 श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव ने 1 मार्च 2021 को ऑनलाइन आयोजित यूएनडीपी बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम– प्रोजेक्ट पार्टनर मीटिंग में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

19.28 श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव, एनएचआरसी ने 16 मार्च 2021 को प्री फोरम सत्रोंः सुरक्षित स्थानः राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान (2021 व्यापार और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र दक्षिण एशिया फोरम) में एनएचआरसी टीम, जिसमें श्री श्रीनिवास कामथ, उप रजिस्ट्रार (विधि) और अन्य शामिल थे, के साथ एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

चित्र 19.1ः श्री बिम्बाधर प्रधान, महासचिव, एनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण एशिया फोरम ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, 2021 में भाग लेते हुए

19.29 श्री आर. के. खंडेलवाल, संयुक्त सचिव (ए एंड आर) ने 18 मार्च 2021 को यूएनजीओ+10 को लागू करने में एनएचआरआई की भूमिका पर बीएचआर पर गनहरी वर्किंग ग्रुप में भाग लिया (वर्चुअल)।

चित्र 19.2: श्री आर. के. खंडेलवाल, अपर सचिव, एनएचआरसी, यूएनजीओ +10 को लागू करने में एनएचआरआई की भूमिका पर बीएचआर पर गनहरी वर्किंग ग्रुप में एनएचआरआई के अन्य प्रतिनिधियों के साथ

19.30 श्री एम. डी. एस. त्यागी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ने 22 और 24 मार्च, 2021 को दिव्यांगजनों के काम करने और रोजगार के अधिकार पर सामान्य चर्चा में भाग लिया।

19.31 श्री इंद्रजीत कुमार, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) और डॉ. सिमी आजम, अनुसंधान अधिकारी ने 30 मार्च 2021 और 1 अप्रैल, 2021 को विकास के अधिकार पर विशेषज्ञ तंत्र के तीसरे सत्र में भाग लिया।

ङ. आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

19.32 आयोग ने, 8 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली के श्री ग्राहम मेयर, राजनीतिक मामलों के मंत्री काउंसलर और श्री जॉन फाजिया, राजनीतिक अधिकारी के साथ बातचीत की और आयोग के कामकाज को समझने के लिए सदस्य (डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुले, माननीय सदस्य), एनएचआरसी के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

अध्याय 20

राज्य सरकारों द्वारा एनएचआरसी की सिफारिशों को अस्वीकार करना

20.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(i)(ii) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिकायतकर्ता या परिवार के सदस्यों या पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने या हर्जाना देने और/या अभियोजन के लिए कार्यवाही शुरू करने या ऐसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई, जो आयोग संबंधित लोक सेवक के खिलाफ उचित समझे, के लिए सिफारिशें करता है।

20.2 वर्ष 2020–2021 के दौरान, आयोग द्वारा मौद्रिक राहत प्रदान करने के लिए की गई सिफारिशों के कुछ मामलों को न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई थी। ऐसे मामलों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 20.1: वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के निम्न मामलों को न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई।

1.	दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2020 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 625; रणधीर सिंह बनाम एनएचआरसी और अन्य	पुलिस उत्पीड़न	दिल्ली के श्री राजेश बहादुर सिंह को 5,00,000/– रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की आर्थिक राहत की अनुशंसा एवं पुलिस अधिकारी से वसूली को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी।
2.	औरंगाबाद में मुंबई बेंच के उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 की रिट याचिका संख्या 5709; अध्यक्ष रेलवे बोर्ड बनाम यूओआई और अन्य।	हिरासत में मौत	जिला परमनी, महाराष्ट्र में आरपीएफ पोस्ट पूर्णा पर दुर्गा प्रसाद माणिक कांचीवरम की मृत्यु के लिए 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) के अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश।
3.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका संख्याज 28091/2019; एमपीपी केवी कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचआरसी	इलेक्ट्रोक्यूशन केस	काम सिंह व कामद सिंह के निकटतम संबंधी को दो–दो लाख रुपये (2,00,000/–) (दो लाख रुपये मात्र) के भुगतान की सिफारिश को चुनौती

4. नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के समक्ष 2021 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या; 172; उत्तराखंड राज्य बनाम एनएचआरसी	सवर्णों के हमले से जितेंद्र दास (एससी) की मौत	अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत परिवार को 8.25 लाख रुपये की राहत राशि के अलावा 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये मात्र) के भुगतान की सिफारिश को चुनौती दी गई थी।
5. बॉम्बे के उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (स्टाकम्पर) संख्या 3161/2020; मोहम्मद लेनि एंथोनी बनाम एनएचआरसी	पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग	7.9.2020 को 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के भुगतान की अनुशंसा एवं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई को अधिकारी द्वारा चुनौती दी गई
6. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की रिट याचिका (अपील) संख्या 6962; राज कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य	पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग	पीड़ित बिजेंद्र सिंह को 50,000/– रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) के भुगतान एवं पुलिस अधिकारी से वसूली के लिए दिनांक 27.01.2020 को की गई सिफारिश को चुनौती दी गई थी।
7. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2021 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 504; नरेश कुमार बनाम एनएचआरसी और अन्य	पुलिस द्वारा सत्ता का दुरुपयोग	पीड़ित दीपा आर्य को 3,00,000/– रुपये (तीन लाख रुपये मात्र) की मुआवजा राशि का भुगतान वसूली को पुलिस अधिकारी द्वारा चुनौती दी गई।

अध्याय 21

प्रमुख सिफारिशों और टिप्पणियों का सारांश

क. 21 जुलाई, 2020 को आयोजित 'ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री' पर वर्चुअल सम्मेलन

i. सीएसएएम और अन्य ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ प्रयासों को बढ़ाने और चैनलबद्ध करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्मार्ट साइबर केंद्रों की स्थापना।

ii. बच्चों के साथ काम करने के लिए संवेदीकरण सहित सीएसएएम से संबंधित मामलों को संभालने के तरीके पर पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को विस्तृत और प्रभावी प्रशिक्षण।

iii. बार–बार अपराध करने वालों और उन बिचौलियों, जो सीएसएएम की रिपोर्ट नहीं करते हैं, का रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीय रिपॉजिटरी का गठन।

iv. स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा पर अध्याय शामिल किया जाना।

v. रिपोर्टिंग और निवारण के मौजूदा तंत्र को फुलप्रूफ बनाया जाना चाहिए। इसके लिए, बिचौलियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आईटी अधिनियम, 2000 को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और पीड़ित की पहचान का खुलासा करने से संबंधित साइबर अपराध पोर्टल की खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

vi. सीएसएएम से निपटने के लिए विभिन्न राज्य पुलिस की साइबर इकाइयों के साथ तालमेल बिठाते हुए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया जाना जिन्हें क्षेत्रीय सीमाओं से परे जांच करने का अधिकार हो।

vii. विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, बच्चों के मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और एनसीपीसीआर, एनएचआरसी, आदि जैसे विभिन्न आयोगों के माध्यम से और अधिक शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

viii. सीएसएएम के खतरे के प्रति फर्स्टा हैंड रिस्पांसडर के रूप में माता–पिता और शिक्षकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण और स्कूलों में यौन शोषण के प्रति शून्य–सहनशीलता की नीति अपनाना।

ix. न केवल सीएसएएम बल्कि अन्य संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक परामर्शदाता की उपस्थिति और सेवाएं सुनिश्चित करना।

x. सीएसएएम/सीएसए पीड़ित के पुनर्वास के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित चाइल्ड केयर फंड का सृजन।

xi. केवल सीएसएएम और बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए पुलिस थाने में एक अलग डेस्क स्थापित करके रिपोर्टिंग तंत्र को उन्नत किया जा सकता है।

xii. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में जागरूकता पैदा करना।

ख. 14 अगस्त, 2020 को आयोजित बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप की बैठक

i. बंधुआ मजदूरी की पुर्नपरिभाषाः बदलते संदर्भों के साथ बंधुआ मजदूरी का स्वरूप भी बदला है। इस प्रकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से, बंधुआ मजदूरी की प्रकृति में ऐसे परिवर्तनों के दायरे का आकलन और अध्ययन कर सकता है और फिर संशोधन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

ii. कार्यान्वयन प्राधिकरणों का क्षमता निर्माण : श्रम और रोजगार मंत्रालय, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थाान के सहयोग से बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (बीएलएसएए), 1976 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार राज्य प्राधिकरणों के लिए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस), 2016, बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव के लिए केन्द्रीय मानक प्रचालन प्रक्रिया और अपराधी का अभियोजन, 2017 और अन्यी आदेशों जैसे कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में, संवेदीकरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू कर सकता है।

iii. प्रावधानों के बारे में जागरुकता पैदा करना : बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (बीएलएसएए), 1976 और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्य् प्रावधानों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हुए सरल सूचना पत्रक निकालकर जागरुकता पैदा करने की पहल की जानी चाहिए। इसे स्थानीय भाषाओं में निकाला जा सकता है और व्यापक रूप से वितरित किया जा सकता है।

iv. कॉरपस फंड बनाने/भरने और संक्षिप्ता विचारण के त्वरित निपटान के लिए निर्देश : मंत्रालय, राज्यों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस), 2016 के तहत कॉरपस फंड बनाने/फरने और संक्षिप्तर विचारण का तेजी से निपटान करने का निर्देश दे सकता है। पिछले अनुभव बताते हैं कि इस तरह की बातें राज्य के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को तेजी से पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।

v. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस), 2016 के तहत कॉरपस फंड प्राप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया का सरलीकरण : चूंकि राज्यों को सही स्वरूप में प्रस्ताव भेजने में कई तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, निधि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और प्रारूप को सरल बनाने पर विचार कर सकता है।

vi. मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मंत्रालयों और उनकी योजनाओं के बीच समामेलनः महामारी को देखते हुए जहां भेद्यता काफी बढ़ी है वहां श्रम और रोजगार मंत्रालय, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए विकास कार्यक्रमों और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विभिन्न लाभों के बीच समामेलन के दायरे का आकलन कर सकता है और उसके बाद समामेलन के क्षेत्रों को इंगित करने वाले आवश्यक निर्देश तैयार कर सकता है।

vii. डेटा साझा करना : श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2016 से 2020 तक की संशोधित योजना के बाद से पुनर्वास (नकद सहायता और गैर–नकद पुनर्वास) और अभियोजन पर आंकड़ों का राज्यव–वार ब्यौरा साझा करेगा।

viii. केन्द्रीय एसओपी का प्रसार : बंधुआ मजदूर की पहचान एवं बचाव और अपराधी के अभियोजन, 2017 के लिए केन्द्रीय मानक प्रचालन प्रक्रिया को व्यावपक रूप से प्रसारित करने की आवश्यकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि वह राज्य सरकार को इसे, सभी संबंधित राज्य प्राधिकरणों के बीच प्रसारित करने का निर्देश दे और उन्हें स्थानीय भाषाओं मे अनुवाद कराने का भी निर्देश दे।

ix. बंधुआ मजदूरी की पहचान के लिए अघोषित निरीक्षण : राज्य के अधिकारियों द्वारा अघोषित/औचक निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है ताकि नियोक्ताओं द्वारा बंधुआ मजदूरी को छुपाए जाने की गुंजाइश न हो।

x. बचाव दल में सिविल सोसायटी या सामाजिक कार्यकर्ता के एक सदस्य को शामिल करना : बंधुआ मजदूर की पहचान एवं बचाव और अपराधों के अभियोजन, 2017 के लिए केन्द्रीय मानक प्रचालन प्रक्रिया के बिंदु 2.2(i) में कहा गया है कि बचाव दल में सिविल सोसायटी संगठन का एक प्रतिनिधि या एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होना चाहिए। राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि हर बार इस दिशानिर्देश का पूर्णतः पालन किया जाए।

xi. केन्द्रीय एसओपी पर दोबारा गौर करना : बंधुआ मजदूर की पहचान एवं बचाव और अपराधों के अभियोजन के लिए केन्द्रीय मानक प्रचालन प्रक्रिया, 2017 पर, बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों की सुरक्षा, रिहाई और पुनर्वासन पर जोर देने के साथ फिर से विचार किया जा सकता है। 3 महीने की अवधि के दौरान रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश होने चाहिए, जिसके भीतर एक संक्षिप्त विचारण पूरा किया जाए। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि परीक्षण अवधि के दौरान मजदूर को कहां रखा जाना है।

xii. उद्योगों में श्रमिकों के लिए कोविड–19 बीमा : श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रमिकों के बीच कोविड–19 के डर को दूर करने और प्रवासी श्रमिकों को शहरों में काम हेतु लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोविड –19 स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के संदर्भ में नियोक्ताओं को निर्देश जारी करने की संभावनाओं की तलाश कर सकता है।

xiii. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना : संबंधित मंत्रालय, राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएम–पीडीएस) के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस योजना के लागू होने से प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा, खासकर इस महामारी के समय में सुनिश्चित होगी।

xiv. प्रवासी कामगारों के डेटाबेस का रख–रखाव : संबंधित मंत्रालय को, पंचायत स्तर पर प्रवासी कामगारों के रजिस्टर के रख–रखाव के लिए राज्यों को बढ़ावा देना और उनका अनुकरण करना चाहिए क्योंकि यही प्रवासी मजदूरों की तस्करी के मामले में एक डेटा पूल के रूप में कार्य करेगा। ये आंकड़े, अधिकारियों द्वारा प्रवासी परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर, पर्याप्त मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, उचित आवास सुविधाएं, सुरक्षित पेयजल, स्वरच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किए जाने को सुकर बनाएंगे। यह 6 जुलाई, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई परामर्शी (सं. 24013/4/2020–एटीसी) के अनुरूप भी है।

xv. श्रमिकों के अधिकारों का चार्टर : श्रमिकों की आजीविका, भोजन, सुरक्षा और श्रम की गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करने में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करने के लिए कामकाजी आबादी के अधिकारों का एक चार्टर तैयार किया जाना चाहिए।

ग. 8 अक्टूबर, 2020 को आयोजित ''मरीजों के अधिकार और निजी अस्पतालों की सामाजिक जवाबदेही'' पर ओपनहाउस चर्चा

i. मानव अधिकार परामर्शी पर की गई कार्रवाई रिपोर्टः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, क्रमशः 28 सितंबर 2020 और 8 अक्टूबर, 2020 को एनएचआरसी द्वारा जारी की गई, स्वास्थ्य के अधिकार पर मानवाधिकार परामर्शी तथा मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार

पर मानवाधिकार परामर्शी के कार्यान्वयन की स्थिति पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही, इस संबंध में एनएचआरसी द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा सकती है।

ii. नैदानिक स्थापना अधिनियम :

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उन 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्तस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिन्होंने अब तक उक्त अधिनियम को अपना लिया है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों पर नैदानिक स्थापना अधिनियम को अपनाने और इसे लागू करने के लिए दबाव डाल सकता है।

iii. मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र :

- एनएचआरसी द्वारा तैयार मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र को ध्यान में रखते हुए, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2 जून 2019 को सभी मुख्य सचिवों को एक डीओ पत्र लिखा था, जिसमें मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र को अपनाने और लागू करने का अनुरोध करते हुए एक अ. शा. पत्र लिखा था। इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट एनएचआरसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और इस संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा सकती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत सभी अस्पतालों में मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र का पालन सुनिश्चित कर सकता है, जिसमें पीएमजेएवाई और इसी तरह की अन्य योजनाओं के तहत आने वाले निजी अस्पताल भी शामिल हैं।

iv. मरीजों के अधिकारों का प्रचार करना :

- नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट द्वारा अनुशंसित मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र और मरीजों के अधिकारों के तहत क्या करें और क्या न करें, को व्यापक प्रचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनसंचार माध्यमों से प्रचारित किया जाना चाहिए।
- सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों/क्लीनिकों/नर्सिंग होम में मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र का प्रदर्शन अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- निजी अस्पतालों के मामले में लाइसेंस का नवीनीकरण मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र के अनुपालन के अध्यनधीन जारी किया जा सकता है।

v. प्रशिक्षण और पाठ्यचर्चा: डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए, मरीजों के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र को सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न पाठ्यचर्चाओं में शामिल किया जा सकता है।

vi. शिकायत निवारण तंत्र:

- यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि, मरीजों के घोषणा–पत्र को अक्षरशः लागू किया जाता है।
- घोषणा–पत्र के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती तंत्र के लिए एक समय–सीमा निर्धारित की जा सकती है। यह अनुवर्ती कार्रवाई हर 3 महीने में की जा सकती है।

- आईटी का उपयोगः रोगी के अधिकार संबंधी घोषणा–पत्र में उल्लिखित अधिकारों के संबंध में रोगी के अनुभव का पता लगाने के लिए एक रोगी प्रतिक्रिया ऐप विकसित किया जा सकता है।

vii. दरों की पारदर्शिताः सभी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपनी वेबसाइट पर रेट कार्ड प्रदर्शित करें, जिसमें सभी दरें स्पष्ट रूप से वर्णित हों तथा छिपी हुई लागत की कोई गुंजाइश न हो।

viii. स्व–घोषणाः सभी अस्पतालों को रोगी की शिकायतों का रिकॉर्ड रखने और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख करने के लिए स्व–घोषणा की आवश्यकता का सुझाव दिया जा सकता है।

घ. 11 नवंबर, 2020 को आयोजित एलजीबीटीक्यूआई पर कोर ग्रुप की बैठक

i. एलजीबीटीक्यूरआई के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना

- समाज में एलजीबीटीक्यूयआई समुदाय के कलंक को कम करने और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए मीडिया का उपयोग करके नाल्सा और नवतेज सिंह जौहर के फैसले में दिए गए निर्देशों को लोकप्रिय बनाना।
- एलजीबीटीक्यूआई समुदाय से संबंधित लोगों के प्रति कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाना
- राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोगों को इस समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों की बेहतर समझ रखनी होगी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रालयों में उचित समर्थन और सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

ii. क्षमता निर्माण और बढ़ती समावेशिता

- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और उनके लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाने चाहिए।
- कार्यस्थल पर एलजीबीटीक्यूएआई समुदाय की समावेशिता और भागीदारी प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

iii. कानून और कल्याण योजनाएं

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को बाहर और समुदाय के भीतर होने वाले अत्याचारों से बचाया जाना चाहिए। इस संबंध में, अधिनियम को केवल मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों का ही सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 में उल्लिखित विशिष्ट और समान दंड के साथ उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों को परिभाषित भी करना चाहिए।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 में कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप से शामिल किया जाना चाहिए जिनका लाभ ट्रांसजेंडर व्यक्ति उठा सकें।
- जबरन सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी और कन्वर्जन थेरेपी के खिलाफ सख्त और अनिवार्य कानून बनाए जाने चाहिए।
- नाल्सा के फैसले को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जाति, जनजाति और आरक्षण की अन्य श्रेणियों के भीतर क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान हो।

iv. हेल्थकेयर सिस्टम और सुविधाएं

- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। सेक्स, जेंडर, सेक्सुकअलिटी और स्वयं की पहचान के बारे में चिकित्सा समुदाय को संवेदनशील बनाना।
- सभी मेडिकल छात्रों और इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को इस समुदाय के लोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य के मुद्दों और आवश्यकताओं के बारे में प्रशिक्षित करने और जेंडर विसंगति के कारण किए गए चिकित्सीय हस्तक्षेप को हतोत्साहित करने के लिए एक परामर्शी भी जारी की जाए।

v. आश्रय गृह और आवासन

- इस समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए अलग आश्रय गृह और भोजन तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- यौन हिंसा और द्रुर्व्यवहार के मुद्दे को हल करने के लिए महिलाओं के लिए बने वन स्टॉप सेंटर की तरह विशेष रूप से एलजीबीटीक्यूलआई समुदाय के प्रतिनिधित्व के साथ इस समुदाय के लिए भी वन–स्टॉप शिकायत निवारण केंद्रों की शुरुआत की जाए।
- ट्रांसजेंडर लोगों और समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाले आवास संबंधी भेदभाव की समस्या उनके रहने के स्थान और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, एलजीबीटीक्यू आई समुदाय के लिए उचित और समान आवास अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।

vi. इंटर–सेक्स समुदाय से प्रतिनिधित्वः इंटरसेक्स समुदाय के मुद्दों को ट्रांसजेंडर समुदाय से अलग निपटाया जाना चाहिए। एलजीबीटीक्यूसआई पर कोर ग्रुप में इंटरसेक्स समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि उनके मुद्दों को भी समान प्रतिनिधित्व मिल सके।

ङ. 18 दिसंबर, 2020 को ''हाथ से मैला ढोने और मानव अधिकारों के मुद्दे और चुनौतियां'' पर दक्षिण भारत में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला।

i. हाथ से मैला ढोने को वर्गीकृत करना।

ii. हाथ से मैला ढोने की परिभाषा को व्यापक बनाना।

iii. खतरनाक सफाई के लिए एक नया अधिनियम बनाने के बारे में सोचना या पहले से मौजूद अधिनियम में कुछ प्रावधान शामिल करना।

iv. यह परिभाषित करना कि 'सुरक्षात्मक गियर' शब्द के अंतर्गत क्या आता है और सकिंग और जेटिंग मशीनों जैसे उपकरणों का उपयोग करते समय इसे अनिवार्य बनाना।

v. किसी भी क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वालों की संख्या के बारे में गलत रिपोर्टिंग के मामलों में जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

vi. डीबीटी जैसे प्रावधान करके या एनजीओ के सहयोग से बिचौलिए की भूमिका को हटाना सुनिश्चित करना।

vii. पुनर्वासन प्रक्रिया को मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़ा जा सकता है जिसके तहत वे तुरंत कमाई शुरू कर सकें।

viii. उनके पुनर्वास के लिए एकमुश्त नकद सहायता के रूप में भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। ऐसे मुआवजे का खर्च वहन करने वाले नोडल प्राधिकरण/विभाग को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाए।

ix. मैला ढोने वालों के रूप में काम करने के लिए लोगों को नियोजित करने वाले स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

x. शिकायतों के पंजीकरण के लिए एक ऐप और एक टोल–फ्री नंबर।

xi. हाथ से मैला ढोने वालों के बच्चों और हाथ से मैला ढोने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के लिए एक दंडात्मक धारा को कानून में शामिल किया जा सकता है।

xii. पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारी या क्षेत्र के प्रभारी को संबंधित नागरिक निकाय को इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के सीवर/सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने से पहले आवश्यक सुरक्षा गियर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

xiii. पीईएमएसआरए, 2013 की धारा 24 के तहत निगरानी तंत्र और एक उपयुक्त एसओपी के साथ एक सतर्कता समिति की स्थापना की जानी चाहिए। पीईएमएसआरए, 2013 की धारा 24 के तहत गठित सतर्कता समिति में सिविल सोसायटी/समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

xiv. जबकि कई हाथ से मैला ढोने वालो का पुनर्वासन किया गया है, यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि वे और उनके परिवार कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

xv. पहचान उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण करते समय सफाई कर्मचारी संघ को शामिल किया जा सकता है।

xvi. उन कॉलोनियों पर विशेष ध्या्न दिया जाना चाहिए जहां हाथ से मैला ढोने वाले लोग रहते हैं।

xvii. स्थानीय निकायों को प्लास्टिक का उचित निपटान सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सीवर जाम से बचा जा सके।

xviii. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रख्यापित/की शुरूआत कर सकता है। एनएसकेएफडीसी द्वारा प्रशिक्षण खर्च और प्रशिक्षुओं को स्टिपेंड के भुगतान का वहन किया जा सकता है।

xix. महिला केंद्रित पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

xx. एनएसकेएफडीसी स्वच्छता के क्षेत्र में काम शुरू करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है और बदले में कंपनियों को उन तकनीकों को संचालित करने के तरीके पर हाथ से मैला ढोने वालो को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।

xxi. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निषेध) अधिनियम, 1989, पीईएमएसआर अधिनियम, 2013 और उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2014 के फैसले के तहत विशेष प्रशिक्षण के साथ पुलिस जांच अधिकारियों की आवश्यकता है।

xxii. राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा सीवर मौतों की निगरानी की जानी चाहिए और आंकड़ों को अपनी रिपोर्ट में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

xxiii. भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, हाथ से मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण देने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए, एक विशेष राष्ट्रीयकृत बैंक नामित कर सकता है।

xxiv. हाथ से मैला उठाने वालों को या तो व्यक्तिगत या सामूहिक बीमा प्रदान किया जाना चाहिए और संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाए।

xxv. एनएचआरसी को छह महीने में कम से कम एक बार समीक्षा बैठकें आयोजित करके मैला ढोने की प्रथा की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है।

xxvi. किसी भी क्षेत्र में हाथ से मैला ढोने की घटना की जांच के लिए एक विशेष प्रतिवेदक की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।

च. 12 जनवरी, 2021 को निःशक्तता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर आयोजित कोर ग्रुप की बैठक

i. बुजुर्ग व्यक्ति

- वरिष्ठ नागरिक संगठन देश के अधिकांश हिस्सों में हैं। इसलिए, बुजुर्गों के लिए समर्थन को और मजबूत करने और एक सुदृढ़ डेटाबेस बनाने के लिए देश के सभी वरिष्ठ नागरिक संगठनों के बीच परस्पर संबंध बनाने की जरूरत है।
- बुजुर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की तत्काल सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएं।
- वृद्धावस्था सुविधाओं की तैयारियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें देखभाल के न्यूनतम मानक जैसे कर्मचारियों का प्रशिक्षण और बुजुर्गों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल हो।
- वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने और उनकी समस्याओं से सीधे निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए कार्य करे।
- वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।
- साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर एक 24X7 हेल्पलाइन बनाई जाए ताकि बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा मदद और आवश्यक सहायता मांगे जाने पर तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।
- राज्य को वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने और आगे की कार्रवाई के लिए अधिकरण से शिकायतें प्राप्त करने और अग्रेषित करने के लिए एक पोर्टल बनाना चाहिए।
- एनएचआरसी को एक दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए जिसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, सीएसआर फंड जुटाने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपचार और अवसर के लिए दिशानिर्देश शामिल होने चाहिए।
- गैर–सरकारी संस्थालओं से सेवानिवृत्त हुए वृद्ध व्यक्तियों को केवल 1000/– रुपये की पेंशन दी जाती है जो कि एक व्यक्ति के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः गैर–सरकारी संगठनों से सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

ii. समावेशी सार्वजनिक स्थान

- एक सुलभ भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के नियमित उपलब्धता, लेखा–परीक्षा और आकलन करने की आवश्यकता है।

- भवनों और संस्थानों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाकर वैश्विक डिजाइन के मानदंडों के अनुसार भवनों का समय–समय पर निरीक्षण।
- दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक विभाग में एक अलग समर्पित बजट की आवश्यकता है।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के संदर्भ में एक पर्याप्त तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- परिवहन सुगमता के क्षेत्र में लक्ष्यों की असंतोषजनक उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, हवाई अड्डों, रेलवे और सड़क परिवहन के बुनियादी ढांचे को और अधिक सार्वभौमिक बनाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- लोगों को सांकेतिक भाषा में बातचीत के लिए प्रशिक्षित करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- निःशक्तता की प्रकृति का आकलन करने और विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं और बौद्धिक दुर्बलता के बीच अंतर करने के लिए अस्पतालों को नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के पदों को भरना चाहिए।
- भारतीय पुनर्वास परिषद को दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल की सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की पहल करनी चाहिए।
- जागरूकता कार्यक्रमों के लिए, एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार और प्रसारित किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीधे दिव्यांगजनों के घरों तक पहुंचता है और इसलिए यह कुछ बेहतर कर सकता है।
- परीक्षा फॉर्म, रोजगार के अवसर, आवश्यक पहचान और आधिकारिक दस्तावेज भरते समय सरलीकृत तंत्र का उपयोग।
- निःशक्तजनों के लिए पहले से उपलब्ध सेवाओं के लिए उन्हें यहां–वहां भटकना पड़ता है, इसे कम किया जाना चाहिए।
- सभी सार्वजनिक वेबसाइटों, विशेष रूप से सरकारी सेवाओं की आधिकारिक वेबसाइटों को अद्यतन और सुलभ बनाया जाना चाहिए (यदि वे ऐसे नहीं हैं)।
- सिफारिशः माननीय सदस्य ने कहा कि आयोग को दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के स्तर को देखने के लिए राज्यवार संपरीक्षा करनी चाहिए। चूंकि, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम कहता है कि सभी सार्वजनिक भवनों को 2022 तक दिव्यांग सुलभ बनाया जाना चाहिए, राज्यों को स्थिति की रिपोर्ट जमा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों और भवनों को दिव्यांग सुलभ बनाया जाए।

iii. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 को निरस्त करने का प्रस्ताव

- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 निःशक्तता के क्षेत्र में सबसे कमजोर लोगों, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अक्षमता और बहु–निःशक्तता वाले व्यक्ति हैं, के लिए एक बड़ा समर्थनकारी रहा है।
- राष्ट्रीय न्यास के प्रतिनिधि ने बैठक के दौरान बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय न्यास के कार्यों का समर्थन करते हुए तथ्यों और आंकड़ों के साथ माननीय प्रधानमंत्री को अनुशंसा पत्र भेजा गया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि इस वर्ष ट्रस्ट का

बजट दोगुना कर दिया गया है और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के विलय या समापन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसलिए, राष्ट्रीय ट्रस्ट अपनी संपूर्णता में कार्य करना जारी रखेगा। भले ही अधिनियम को निरस्त कर दिया जाता है, तब भी दिव्यांगजनों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे संशोधित किया जाएगा।

- प्रमुख सिफारिशें:— राष्ट्रीय न्यास को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है। राष्ट्रीय न्यास में महत्वपूर्ण पद बहुत लंबे समय से रिक्त हैं। दिव्यांगजनों की संरक्षकता के मुद्दों से संबंधित मामलों को देखने हेतु राष्ट्रीय न्यास की आवश्यकता है और राष्ट्रीय न्यास के तहत कानूनी और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को देखने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

छ. 17 जनवरी, 2021 को आयोजित महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक

i. 26 सप्ताह का संवैतनिक मातृत्व अवकाश, जैसा कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा प्रदान किया गया है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के अधिकार का मामला है, इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

ii. पुरुषों को बच्चे की परवरिश और घर के प्रबंधन की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पितृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए।

iii. भूमिकाओं की लैंगिक रूढ़िवादिता, विशेष रूप से घर के अंदर महिलाओं की भूमिका और घर के बाहर पुरुषों की भूमिका, को शिक्षा के माध्यम से रोका जाना चाहिए।

iv. पुरुषों को यह समझाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए कि घर के काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है।

v. पशुपालन और मुर्गी पालन जैसी संबद्ध कृषि गतिविधियों के अलावा, ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि कार्य से परे गुणवत्ता और कौशलपूर्ण कार्यों का सृजन किया जाना चाहिए।

vi. ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और मशीनीकरण को समझने में मदद करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए जैसे कि छोटे ऋण कैसे लेना है, कुछ मशीनरी का उपयोग कैसे करना है, आदि।

vii. मनरेगा की तर्ज पर महिलाओं को आरक्षण के साथ शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए।

viii. विशेष रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के कौशल में वृद्धि की आवश्यकता है।

ix. पूरे देश में बेहतर सुविधाओं के साथ अधिक संख्या में कामकाजी महिला छात्रावासों की आवश्यकता है ताकि काम करने वाली और परिवारों से दूर रहने वाली महिलाओं को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल सके।

x. हिंसा और उत्पीड़न से कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें दिव्यांग महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना भी शामिल है।

xi. सार्वजनिक परिवहन का सुरक्षित और बेहतर कवरेज ताकि अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो सकें, भले ही उनका कार्यस्थल बहुत निकट न हो।

xii. नेपाल जैसे कुछ देशों में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए अपनाए जा रहे समुदाय आधारित दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव दिया गया, जब मां/बेटियां/बहू काम पर हों, कुछ महिलाएं एक साथ आ सकती हैं और शिफ्ट में कार्य कर सकती हैं।

xiii. जनगणना के आंकड़े और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आंकड़ों द्वारा काम को परिभाषित किया जाना चाहिए और बेहतर सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि महिलाओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, के कार्यों की बेहतर पहचान और गणना की जा सके। किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण में घर के कामगारों की गिनती विरले ही की जाती है। अवैतनिक कार्यों का भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उनके योगदान को मान्यता मिल सके।

xiv. यह सुनिश्चित करना कि कोई जेंडर आधारित वेतन–अंतर नहीं हो। भेदभाव और असमानता बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किए गए कानूनों की आवश्यकता है कि इस तरह की प्रथाओं का श्रम बाजार से उन्मूलन हो जाए।

ज. 21 जनवरी, 2021 को आयोजित बच्चों पर कोर ग्रुप की बैठक

i. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

- एक एकल और एकीकृत एमआईएस स्थापित करना जो सुसंगत हो और जिसकी विभिन्न हितधारकों द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती हो ताकि अतिव्यापी जानकारी को कम किया जा सके।
- एमआईएस के उपयोग और लापता बच्चों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करना।
- डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और निजी ऐप्स के लिए नियामक तंत्र स्थापित करने हेतु कदम उठाना।
- पोर्टल पर उपलब्ध डेटा को, फोटोग्राफ, एफआरएस, आधार की जानकारी आदि सहित नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। अवांछित और अनावश्यक विवरणों को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

ii. अन्वेषण

- अमेरिका में एम्बर अलर्ट जैसे स्वचालित कॉल, टेक्स्ट आदि के माध्यम से एक प्रारंभिक चेतावनी या चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- पतों का सत्यापन और पीड़ितों के प्रत्यावर्तन के लिए पुलिस द्वारा आधार की जानकारी का उपयोग किया जा सकता है।
- गुमशुदा बच्चों के मुद्दे की अग्र सक्रिय जांच के लिए पुलिस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; दिल्ली पुलिस के 'असाधारण कार्य पुरस्कार' को अन्य राज्यों में भी चलाया जा सकता है।
- गुम हुए बच्चों का पता लगाने और बेहतर समन्वय के लिए जिपनेट (जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क) का उपयोग किया जा सकता है।
- 2015–17 से गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन स्माइल' को पुनः चलाए जाने की आवश्यकता है।

iii. विभिन्न एसओपी से संबंधितः एक व्यापक एसओपी तैयार करना, अन्य अतिव्यापी एसओपी को हटाकर एकरूपता सुनिश्चित करना और इस एसओपी में प्रत्येक हितधारक, विशेष रूप से डीसीपीयू की भूमिका की रूपरेखा तैयार करना, जिसे सभी हितधारकों द्वारा आसानी से पढ़ा और समझा जा सके।

किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम का कार्यान्वयनः

- आदर्श जेजे नियमावली के नियम 92 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, अर्थात प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा डीएलएसए को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- जेजे अधिनियम के तहत सीडब्ल्यूपीओ और एसजेपीयू की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना।
- जेजे अधिनियम के तहत एसजेपीयू के विशिष्ट कार्यों को परिभाषित करना।
- इस मुद्दे की रोकथाम, निगरानी और जांच में उनकी भूमिका को समझने के लिए पुलिस और बाल संरक्षण प्रणाली की क्षमता को मजबूत करना और इस तरह, सभी आदेशों और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- जिला स्तर से शुरू करके समन्वय को मजबूत करने के लिए समय–समय पर बहु–हितधारक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

iv. एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का कार्यान्वयनः

- आईसीपीएस के अधिदेश के अनुरूप ग्राम, प्रखंड और जिला बाल संरक्षण समितियों की स्थापना करना और उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना।
- आईसीपीएस की समीक्षा करते समय, पर्याप्त मानव संसाधन, विशेष रूप से सीडब्ल्यूपीओ की नियुक्ति के लिए बजट आवंटित करना।

v. मानव तस्करी रोधी इकाई (एएचटीयू) का कार्यान्वयन

- प्रत्येक जिले में एक एएचटीयू की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ–साथ इसकी निगरानी भी सुनिश्चित करना।
- पर्याप्त मानव संसाधन, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक तक पहुंच, वित्तीय संसाधनों आदि के माध्याम से एएचटीयू और जिला गुमशुदा व्यक्ति दस्ते को सुदृढ़ करना।
- गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर सभी एएचटीयू के पते और संपर्क नंबर की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना।
- यदि बच्चा लंबे समय तक लापता रहता है तो लापता बच्चे के मामले को एएचटीयू में स्थानांतरित करने का प्रावधान सुनिश्चित करना।

vi. जागरूकता सृजन, ज्ञान और कौशल वृद्धि

- सभी हितधारकों, विशेषकर पुलिस के लिए क्षमता और जागरूकता निर्माण का संचालन करना।
- बाल सुरक्षा के लिए बच्चों, माता–पिता, अभिभावकों, समुदायों और स्कूलों को लक्षित करते हुए एक लक्ष्य् केन्द्रित अभियान चलाना।

vii. अनुसंधान

- बाल शोषण और उत्पीड़न पर एमडब्ल्यूसीडी द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का शोध किया जा सकता है।
- एनएचआरसी के पायलट अध्ययन के लिए, अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने और अध्ययन के लिए सौंपे गए कार्य की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करने की आवश्यकता है।

- जांच की गुणवत्ता, डेटा का वर्गीकरण, जांच एजेंसी द्वारा ऐप्स पर निर्भरता, बच्चों का पता लगाने के लिए उपलब्ध सामग्री के पर्याप्त उपयोग आदि पर विशेष ध्यान देते हुए गुमशुदा बच्चों पर दर्ज शिकायतों पर एनएचआरसी में अनुसंधान किया जाना चाहिए।
- अनुसंधान के आधार पर, लापता बच्चों की जांच के लिए एक मॉडल प्रक्रिया विकसित की जा सकती है, जिसमें सभी अच्छी प्रथाओं को शामिल किया जा सकता है और अनावश्यक प्रथाओं को दूर किया जा सकता है।

viii. एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर/प्रतिवेदक द्वारा क्षेत्र का दौराः आयोग के विशेष मॉनिटर और प्रतिवेदक जमीनी स्तर पर स्थिति का अध्ययन करने के लिए संवेदनशील राज्यों और जिलों का दौरा कर सकते हैं और कार्रवाई योग्य सिफारिशों का सुझाव दे सकते हैं, जिस पर एनएचआरसी इस मुद्दे के संबंध में ठोस नीति तैयार करने के लिए सरकारों को लिख सकता है।

झ. 19 मार्च, 2021 को आयोजित एनएचआरसी–एसएचआरसी की बैठक

i. मानव अधिकार संरक्षकों के समक्ष आने वाले किसी भी मानव अधिकार उल्लंसघन की शिकायतों को प्राप्तर करने के लिए एक फोकल प्वाीइंट स्थाि‍पित करना।

ii. एसएचआरसी में आवश्यक रिक्त पदों को भरना और एसएचआरसी को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्तक संसाधन, वित्त और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। (पर्याप्त संसाधन, वित्ति और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के संदर्भ में जस्टिस माथुर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया जा सकता है)

iii. मानव अधिकार शिक्षा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करना।

iv. एनएचआरसी और एसएचआरसी की सिफारिशों को सरकार पर बाध्यकारी बनाने के लिए केन्द्र सरकार को पीएचआर अधिनियम में संशोधन के लिए कहा जा सकता है। (मद्रास उच्च न्यामयालय के फुल कोर्ट की रिट याचिका (सी) संख्या 41971, दिनांक 05.02.2021 के अभिनिर्णय के आलोक में)

v. वे सभी एसएचआरसी, जो एचआरसीनेट पोर्टल के बोर्ड में नहीं हैं, वे जल्दा से जल्द इस प्रणाली को अपना सकते हैं ताकि शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके और पहले से प्राप्तं आंकड़े एचआरसीनेट पोर्टल का हिस्सा बन सकें।

vi. एसएचआरसी को भौतिक शिकायतों को ऑनलाइन प्रणाली में स्थनान्तरित करना चाहिए ताकि उन शिकायतों पर भी तुरन्त कार्रवाई की जा सके।

vii. राज्य मानव अधिकार आयोग में कम से कम एक महिला सदस्या की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसके लिए पीएचआर अधिनियम में संशोधन के लिए मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया जा सकता है।

viii. निम्नलखित पर मानव अधिकार न्यायालयों की स्थायपना और कामकाज से संबंधित मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाया जाए।

- मानव अधिकार न्यायालयों द्वारा किस प्रकार के मामलों/अपराधों की सुनवाई की जा सकती है।
- ऐसे मामलों/अपराधों के लिए सजा और मानव अधिकार न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

अनुलग्नक

अनुलग्नक – 1

दिनांक 01/04/2020 से 31/03/2021 तक पंजीकृत मामलों की राज्य–वार संख्या दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौतों/बलात्कार के संबंध में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	कुल योग
			पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत/बलात्कार	अर्द्ध सैनिक बलों/रक्षा की हिरासत में मौत/बलात्कार		
अखिल भारत	3274	2	1	0	0	0	**3277**
अंडमान और निकोबार	12	0	0	0	0	0	**12**
आंध्र प्रदेश	2049	1	3	47	0	1	**2101**
अरुणाचल प्रदेश	52	0	1	2	0	4	**59**
असम	232	0	1	18	0	5	**256**
बिहार	3716	2	3	156	0	3	**3880**
चंडीगढ़	108	0	0	2	0	0	**110**
छत्तीसगढ	448	0	3	64	0	24	**539**
दादरा और नगर हवेली	13	0	0	0	0	0	**13**
दमन और दीव	6	0	0	0	0	0	**6**
दिल्ली	6020	1	5	41	0	0	**6067**
विदेश	218	1	0	0	0	0	**219**
गोवा	41	0	0	1	0	0	**42**
गुजरात	1103	1	17	82	0	0	**1203**
हरियाणा	2122	2	3	47	0	3	**2177**
हिमाचल प्रदेश	155	0	0	8	0	0	**163**
जम्मू और कश्मीर	267	1	2	7	0	5	**282**
झारखंड	1475	1	5	49	0	5	**1535**
कर्नाटक	922	1	5	3	0	0	**931**
केरल	687	0	1	34	0	0	**722**
लद्दाख	1	0	0	0	0	0	**1**
लक्षद्वीप	3	0	0	0	0	0	**3**
मध्य प्रदेश	2734	3	8	155	0	6	**2906**
महाराष्ट्र	1887	3	13	130	0	1	**2034**
मणिपुर	44	0	0	1	0	0	**45**
मेघालय	27	0	2	5	0	0	**34**
मिजोरम	13	0	0	3	0	0	**16**
नगालैंड	9	0	0	2	0	1	**12**
ओडिशा	2772	0	4	89	0	3	**2868**
पुदुचेरी	112	0	0	0	0	0	**112**
पंजाब	797	0	2	70	0	1	**870**
राजस्थान	2124	0	3	71	0	0	**2198**
सिक्किम	6	0	0	4	0	0	**10**
तमिलनाडु	4438	0	2	61	0	3	**4504**
तेलंगाना	2092	0	1	22	0	5	**2120**
त्रिपुरा	38	0	0	1	0	0	**39**
उत्तर प्रदेश	29674	22	9	443	0	16	**30164**
उत्तराखंड	1068	0	1	46	0	0	**1115**
पश्चिम बंगाल	2136	0	8	177	1	1	**2323**
कुल	**72895**	**41**	**103**	**1841**	**1**	**87**	**74968**

अनुलग्नक – 2

वर्ष 2020–2021 के दौरान राज्य–वार निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाली तालिका

राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भ में खारिज	निर्देश सहित निपटान	राज्य मानव अधिकार आयोग को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्ति के बाद समाप्त			कुल योग
				शिकायतें / स्वतः संज्ञान के मामले	हिरासतीय मौतें / बलात्कार	मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	
अखिल भारत	3132	233	0	17	0	0	**3382**
अंडमान और निकोबार	5	4	0	4	1	0	**14**
आंध्र प्रदेश	1060	881	77	168	49	5	**2240**
अरुणाचल प्रदेश	12	25	0	14	10	5	**66**
असम	92	64	48	58	27	58	**347**
बिहार	1560	1124	831	451	114	6	**4086**
चंडीगढ़	66	38	0	19	1	0	**124**
छत्तीसगढ	222	123	88	80	57	106	**676**
दादरा और नगर हवेली	9	3	0	2	0	0	**14**
दमन और दीव	2	4	0	4	0	0	**10**
दिल्ली	3279	2442	0	740	51	2	**6514**
विदेश	147	79	0	14	0	0	**240**
गोवा	20	14	5	7	0	0	**46**
गुजरात	645	259	169	163	40	1	**1277**
हरियाणा	840	706	386	480	71	12	**2495**
हिमाचल प्रदेश	72	46	24	35	7	1	**185**
जम्मू और कश्मीर	98	131	0	30	2	0	**261**
झारखंड	646	408	292	257	52	12	**1667**
कर्नाटक	541	186	193	84	3	0	**1007**
केरल	435	142	119	55	31	0	**782**
लद्दाख	0	1	0	1	0	0	**2**
लक्षद्वीप	2	3	0	1	0	0	**6**
मध्य प्रदेश	1458	617	537	305	126	4	**3047**
महाराष्ट्र	1130	348	416	167	103	8	**2172**
मणिपुर	15	12	2	25	1	8	**63**
मेघालय	16	5	4	10	3	20	58
मिजोरम	5	7	0	2	2	0	**16**
नगालैंड	5	4	0	4	0	0	**13**
उड़ीसा	1607	536	450	381	36	4	**3014**
पुदुचेरी	59	47	0	12	0	0	**118**
पंजाब	367	238	204	178	87	0	**1074**
राजस्थान	886	654	338	467	81	2	**2428**
सिक्किम	3	2	0	2	0	0	**7**
तमिलनाडु	3882	1053	749	220	39	0	**5943**
तेलंगाना	1085	569	429	137	25	1	**2246**
त्रिपुरा	8	11	6	15	6	0	**46**
उत्तर प्रदेश	11194	9517	6315	4584	370	35	**32015**
उत्तराखंड	488	278	245	129	21	0	**1161**
पश्चिम बंगाल	1087	617	424	199	127	12	**2466**
कुल	**36180**	**21431**	**12351**	**9521**	**1543**	**302**	**81328**

अनुलग्नक – 3

31 / 03 / 2021 तक लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाली तालिका (दिनांक 29 / 05 / 2021 तक सीएमएस डेटा के अनुसार)

राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भिक विचारण हेतु लंबित मामले				वे लम्बित मामले जिनकी प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है या फिर रिपोर्ट की प्रतीक्षा है				कुल योग
	शिकायतें / स्वतः संज्ञान के मामले	हिरासतीय मौत / बलात्कार के मामले	मुठभेड़ में मौत के मामले	योग	शिकायतें / स्वतः संज्ञान के मामले के मामले	हिरासतीय मौत / बलात्कार मामले	मुठभेड़ में मौत के	योग	
अखिल भारत	4	0	0	4	38	0	0	38	**42**
अंडमान और निकोबार	1	0	0	1	4	2	1	7	**8**
आंध्र प्रदेश	6	0	0	6	178	80	4	262	**268**
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1	24	7	12	43	**44**
असम	1	0	1	2	66	46	27	139	**141**
बिहार	12	1	1	14	585	251	16	852	**866**
चंडीगढ़	0	0	0	0	9	7	0	16	**16**
छत्तीसगढ	1	0	0	1	93	77	151	321	**322**
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
दमन और दीव	0	0	0	0	0	1	0	1	**1**
दिल्ली	16	0	0	16	748	134	6	888	**904**
विदेश	0	0	0	0	10	0	0	10	**10**
गोवा	0	0	0	0	2	4	0	6	**6**
गुजरात	6	3	0	9	136	103	1	240	**249**
हरियाणा	7	3	0	10	298	139	10	447	**457**
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	23	19	0	42	**42**
जम्मू और कश्मीर	1	0	1	2	64	13	6	83	**85**
झारखंड	8	3	0	11	253	107	43	403	**414**
कर्नाटक	5	0	0	5	79	7	2	88	**93**
केरल	2	1	0	3	57	45	3	105	**108**
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
लक्षद्वीप	0	0	0	0	2	0	0	2	**2**
मध्य प्रदेश	4	3	0	7	324	71	9	404	**411**
महाराष्ट्र	11	4	0	15	190	249	15	454	**469**
मणिपुर	0	0	0	0	24	8	10	42	**42**
मेघालय	0	0	0	0	5	8	5	18	**18**
मिजोरम	0	0	0	0	3	5	0	8	**8**
नगालैंड	0	0	0	0	8	8	2	18	**18**
उड़ीसा	11	2	0	13	524	155	18	697	**710**
पुदुचेरी	2	0	0	2	12	1	0	13	**15**
पंजाब	6	3	0	9	108	94	4	206	**215**
राजस्थान	11	3	0	14	347	145	3	495	**509**
सिक्किम	0	0	0	0	3	5	0	8	**8**
तमिलनाडु	5	0	1	6	281	123	6	410	**416**
तेलंगाना	13	0	1	14	115	39	8	162	**176**
त्रिपुरा	0	0	0	0	19	7	0	26	**26**
उत्तर प्रदेश	80	5	0	85	3360	993	60	4413	**4498**
उत्तराखंड	0	0	0	0	132	44	0	176	**176**
पश्चिम बंगाल	14	2	0	16	214	267	8	489	**505**
कुल	**227**	**33**	**6**	**266**	**8338**	**3264**	**430**	**12032**	**12298**

अनुलग्नक – 4

वर्ष 2020–21 के दौरान वित्तीय राहत के लिए एनएचआरसी द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या

राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुतियां की गई	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुति का अनुपालन हुआ	भुगतान की गई राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामले	अनुपालन हेतु लम्बित मामलों में संस्तुत राशि
अखिल भारत	0	0	0	0	0	0
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	11	2600000	1	10000	10	2500000
अरुणाचल प्रदेश	5	1150000	2	40000	3	750000
असम	19	8650000	3	15500	16	7100000
बिहार	48	13900000	6	15000	42	12400000
चंडीगढ़	3	800000	1	20000	2	600000
छत्तीसगढ	17	6100000	7	20000	10	4100000
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	2	400000	1	10000	1	300000
दिल्ली	28	5970000	9	12700	19	4700000
विदेश	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	7	1500000	1	20000	6	1300000
हरियाणा	26	7402972	7	2077972	19	5325000
हिमाचल प्रदेश	2	450000	1	25000	1	200000
जम्मू और कश्मीर	2	3700000	0	0	2	3700000
झारखंड	23	5700000	5	97500	18	4725000
कर्नाटक	2	350000	0	0	2	350000
केरल	7	2250000	2	80000	5	1450000
लद्दाख	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	1	50000	0	0	1	50000
मध्य प्रदेश	19	6200000	5	13000	14	4900000
महाराष्ट्र	11	5050000	3	70000	8	4350000
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
मेघालय	2	800000	1	30000	1	500000
मिजोरम	1	500000	0	0	1	500000
नगालैंड	3	950000	0	0	3	950000
उड़ीसा	24	6100000	5	14000	19	4700000
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
पंजाब	13	3300000	3	60000	10	2700000
राजस्थान	18	5775000	6	10750	12	4700000
सिक्किम	1	300000	0	0	1	300000
तमिलनाडु	9	1950000	2	50000	7	1450000
तेलंगाना	3	1300000	2	80000	1	500000
त्रिपुरा	1	300000	0	0	1	300000
उत्तर प्रदेश	128	30270000	51	11325000	77	18945000
उत्तराखंड	4	800000	1	20000	3	600000
पश्चिम बंगाल	19	17150000	8	23000	11	14850000
कुल	459	141717972	133	31922972	326	109795000

अनुलग्नक – 5

वर्ष 2020–21 के दौरान वित्तीय राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	847/1/21/2019	205	राज्य में उचित चिकित्सा सुविधाओं का अभाव	500000	22–02–2021
2	आंध्र प्रदेश	1004/1/20/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11–03–2021
3	आंध्र प्रदेश	1126/1/17/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	01–03–2021
4	आंध्र प्रदेश	217/1/4/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	23–02–2021
5	आंध्र प्रदेश	276/1/24/2014–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	16–10–2020
6	आंध्र प्रदेश	939/1/5/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	28–05–2020
7	आंध्र प्रदेश	943/1/5/2014–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	11–01–2021
8	आंध्र प्रदेश	608/1/3/2017	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	30–12–2020
9	आंध्र प्रदेश	1066/1/17/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	09–09–2020
10	आंध्र प्रदेश	928/1/10/2019	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	04–03–2021
11	अरुणाचल प्रदेश	20/2/7/2014–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	15–01–2021
12	अरुणाचल प्रदेश	56/2/18/2018–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	16–09–2020

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
13	अरुणाचल प्रदेश	66/2/17/2018	1604	अधिकार का दुरुपयोग	50000	26–05–2020
14	असम	152/3/14/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	06–11–2020
15	असम	199/3/20/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	26–02–2021
16	असम	295/3/8/2019–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	05–03–2021
17	असम	83/3/24/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	18–09–2020
18	असम	115/3/0/2018–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	18–05–2020
19	असम	405/3/6/2015–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	17–02–2021
20	असम	42/3/9/2015–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	05–01–2021
21	असम	490/3/14/2014–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	05–01–2021
22	असम	113/3/3/2014–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	20–08–2020
23	असम	161/3/3/2014–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	300000	09–03–2021
24	असम	369/3/13/2015–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	600000	15–03–2021
25	असम	41/3/14/2014–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	600000	20–01–2021
26	असम	579/3/8/2014–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	200000	29–07–2020
27	असम	70/3/4/2013–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1500000	14–01–2021
28	असम	134/3/22/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	700000	21–07–2020

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
29	असम	89/3/26/2019	1519	मॉब लिंचिंग	100000	09–09–2020
30	बिहार	3028/4/27/2018–डीएच	110	किशोर गृह में हिरासत में मौत	300000	02–03–2021
31	बिहार	844/4/37/2019	117	नवजात मृत्यु	100000	05–05–2020
32	बिहार	3915/4/10/2018	206	अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सहायता की कमी	100000	18–02–2021
33	बिहार	1353/4/9/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	350000	30–03–2021
34	बिहार	1357/4/35/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	400000	15–05–2020
35	बिहार	1381/4/26/2019–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	07–10–2020
36	बिहार	1556/4/1/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	12–06–2020
37	बिहार	1581/4/27/2015–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	23–02–2021
38	बिहार	1612/4/30/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	03–03–2021
39	बिहार	1688/4/23/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11–09–2020
40	बिहार	1766/4/6/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	27–02–2021
41	बिहार	1791/4/8/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	29–12–2020
42	बिहार	2054/4/18/2015–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	24–02–2021
43	बिहार	21/4/27/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	03–02–2021
44	बिहार	2120/4/32/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	13–07–2020
45	बिहार	2398/4/8/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	11–03–2021

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
46	बिहार	291/4/26/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	250000	15–01–2021
47	बिहार	3073/4/27/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	01–03–2021
48	बिहार	3201/4/23/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	02–03–2021
49	बिहार	4055/4/26/2013–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	28–05–2020
50	बिहार	551/4/26/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	11–03–2021
51	बिहार	151/4/38/2018–जेसीडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	200000	22–02–2021
52	बिहार	2153/4/28/2017–एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	300000	06–08–2020
53	बिहार	1473/4/19/2016–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	16–09–2020
54	बिहार	2867/4/8/2015–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	14–01–2021
55	बिहार	3712/4/11/2015–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	14–07–2020
56	बिहार	651/4/22/2015–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	14–01–2021
57	बिहार	951/4/26/2017–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	22–09–2020
58	बिहार	390/4/10/2013	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	100000	20–01–2021
59	बिहार	4157/4/25/2012	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	450000	31–07–2020
60	बिहार	465/4/23/2014–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	11–01–2021
61	बिहार	2213/4/6/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	300000	14–01–2021
62	बिहार	58/4/26/2018	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	200000	17–07–2020

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
63	बिहार	2544/4/16/2017	815	झूठे मामले में फंसाना	200000	11–03–2021
64	बिहार	2465/4/9/2019–डब्ल्यूसी	1307	सामूहिक बलात्कार	500000	22–02–2021
65	बिहार	2544/4/6/2018–डब्ल्यूसी	1309	महिलाओं का तिरस्कार	200000	10–11–2020
66	बिहार	1497/4/15/2019–डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	100000	20–01–2021
67	बिहार	165/4/12/2018	1505	राज्य / केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	400000	10–02–2021
68	बिहार	1827/4/0/2019	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	27–07–2020
69	बिहार	3895/4/11/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	05–02–2021
70	बिहार	788/4/32/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	24–02–2021
71	बिहार	789/4/17/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	50000	21–09–2020
72	चंडीगढ़	12/27/0/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	08–03–2021
73	चंडीगढ़	87/27/0/2018	809	हिरासतीय उत्पीड़न	300000	23–02–2021
74	छत्तीसगढ	582/33/11/2018	117	नवजात मृत्यु	100000	03–03–2021
75	छत्तीसगढ	260/33/16/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	22–02–2021
76	छत्तीसगढ	742/33/10/2016–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	15–03–2021
77	छत्तीसगढ	1/33/1/2016–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	200000	18–03–2021

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरुप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
78	छत्तीसगढ	259/33/17/2013–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	17–12–2020
79	छत्तीसगढ	587/33/3/2015–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	27–07–2020
80	छत्तीसगढ	629/33/20/2016–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	17–12–2020
81	छत्तीसगढ	736/33/17/2016–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	400000	17–12–2020
82	छत्तीसगढ	406/33/17/2012–एएफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	300000	09–07–2020
83	छत्तीसगढ	433/33/18/2013–एएफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	400000	03–02–2021
84	दमन और दीव	9/29/1/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	26–02–2021
85	दिल्ली	3061/30/4/2017–डीएच	110	किशोर गृह में हिरासत में मौत	200000	17–11–2020
86	दिल्ली	4251/30/5/2019	123	बाल बलात्कार	300000	11–02–2021
87	दिल्ली	2186/30/0/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	15–10–2020
88	दिल्ली	2991/30/0/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	18–05–2020
89	दिल्ली	3677/30/9/2014–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	09–03–2021
90	दिल्ली	7234/30/0/2015	801	सत्ता का मनमाना उपयोग	300000	18–02–2021
91	दिल्ली	2030/30/9/2019	804	अधिकार का दुरुपयोग	50000	05–06–2020
92	दिल्ली	514/30/3/2018	804	अधिकार का दुरुपयोग	100000	30–07–2020
93	दिल्ली	1827/30/2/2015–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	18–12–2020
94	दिल्ली	3870/30/10/2017–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	22–07–2020
95	दिल्ली	1287/30/1/2019	809	हिरासतीय उत्पीड़न	200000	28–10–2020
96	दिल्ली	4461/30/6/2019	809	हिरासतीय उत्पीड़न	600000	14–12–2020

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
97	दिल्ली	3167/30/7/2015	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	200000	04–11–2020
98	दिल्ली	6953/30/2/2015	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	50000	17–07–2020
99	दिल्ली	784/30/8/2017	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	200000	22–03–2021
100	दिल्ली	13/30/0/2017–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	300000	09–03–2021
101	दिल्ली	5677/30/5/2015–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	200000	17–12–2020
102	दिल्ली	839/30/1/2019–डब्ल्यूसी	1315	हत्या	300000	27–08–2020
103	दिल्ली	2914/30/0/2017	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	01–06–2020
104	गुजरात	1362/6/21/2018	205	राज्य में उचित चिकित्सा सुविधाओं का अभाव	200000	06–10–2020
105	गुजरात	597/6/2/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	26–11–2020
106	गुजरात	47/6/9/2018–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	17–12–2020
107	गुजरात	53/6/3/2014–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	25–01–2021
108	गुजरात	971/6/1/2019	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	01–12–2020
109	गुजरात	1465/6/2/2015–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	200000	05–01–2021
110	हरियाणा	1029/7/22/2017	106	यौन उत्पीड़न / अप्राकृतिक अपराध	300000	11–03–2021
111	हरियाणा	1049/7/7/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	04–05–2020
112	हरियाणा	1857/7/6/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11–03–2021

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
113	हरियाणा	2157/7/9/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	08–03–2021
114	हरियाणा	2650/7/10/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	01–03–2021
115	हरियाणा	2918/7/3/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	475000	11–01–2021
116	हरियाणा	5244/7/5/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	15–10–2020
117	हरियाणा	5373/7/17/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	08–06–2020
118	हरियाणा	81/7/11/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	24–08–2020
119	हरियाणा	1193/7/19/2019	809	हिरासतीय उत्पीड़न	200000	11–05–2020
120	हरियाणा	6059/7/21/2012–एएफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	200000	20–08–2020
121	हरियाणा	1945/7/19/2018	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	300000	25–01–2021
122	हरियाणा	367/7/3/2017	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	50000	06–01–2021
123	हरियाणा	11770/7/3/2014	815	झूठे मामले में फंसाना	300000	03–11–2020
124	हरियाणा	2914/7/17/2011–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	400000	26–02–2021
125	हरियाणा	2056/7/15/2019–डब्ल्यूसी	1307	सामूहिक बलात्कार	200000	05–10–2020
126	हरियाणा	1584/7/15/2019–डब्ल्यूसी	1311	बलात्का1र	500000	25–01–2021
127	हरियाणा	96/7/17/2018–डब्ल्यूसी	1312	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	100000	15–09–2020
128	हरियाणा	2108/7/16/2017	1508	केन्द्र एवं राज्य सरकार के कस्टम/एक्साइज/प्रवर्तन/वन/आयकर विभाग इत्यादि द्वारा नृशंसता	200000	08–03–2021
129	हिमाचल प्रदेश	173/8/9/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	26–02–2021

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
130	जम्मू और कश्मीर	80/9/14/2020	117	नवजात मृत्यु	3600000	18–01–2021
131	जम्मू और कश्मीर	232/9/7/2016	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	100000	04–09–2020
132	झारखंड	678/34/18/2018–डीएच	108	न्यायिक हिरासत में महिला कैदी के साथ रहने वाले बच्चे की मौत	100000	28–09–2020
133	झारखंड	1524/34/17/2017	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	01–10–2020
134	झारखंड	120/34/16/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	23–02–2021
135	झारखंड	1301/34/4/2015	801	सत्ता का मनमाना उपयोग	500000	11–02–2021
136	झारखंड	358/34/12/2017	804	अधिकार का दुरुपयोग	300000	07–09–2020
137	झारखंड	1164/34/17/2017–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	07–10–2020
138	झारखंड	6/34/6/2016–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	30–06–2020
139	झारखंड	1481/34/20/2017	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	22–02–2021
140	झारखंड	1232/34/23/2016	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	500000	18–11–2020
141	झारखंड	1757/34/5/2014–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	300000	27–07–2020
142	झारखंड	980/34/16/2013–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	300000	05–01–2021
143	झारखंड	1347/34/4/2017	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	200000	21–09–2020
144	झारखंड	877/34/23/2017–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	300000	18–03–2021
145	झारखंड	1294/34/8/2018–डब्ल्यूसी	1313	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (सरकारी कार्यालय)	150000	17–03–2021

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
146	झारखंड	293/34/3/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	17–08–2020
147	झारखंड	413/34/18/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	400000	10–02–2021
148	झारखंड	605/34/4/2017	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	22–05–2020
149	झारखंड	1295/34/23/2017	1901	अनुसूचित जाति पर अत्याचार	50000	27–04–2020
150	कर्नाटक	651/10/28/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	08–03–2021
151	कर्नाटक	165/10/1/2017	809	हिरासतीय उत्पीड़न	50000	14–08–2020
152	केरल	525/11/12/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	27–08–2020
153	केरल	543/11/8/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	01–03–2021
154	केरल	605/11/12/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11–09–2020
155	केरल	441/11/13/2019	1510	राजस्व अधिकारियों के लॉक अप में मौत	300000	28–09–2020
156	केरल	514/11/3/2017	1901	अनुसूचित जाति पर अत्याचार	250000	18–03–2021
157	लक्षद्वीप	7/31/0/2016	804	अधिकार का दुरुपयोग	50000	26–11–2020
158	मध्य प्रदेश	1806/12/29/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	03–02–2021
159	मध्य प्रदेश	1806/12/8/2018	804	अधिकार का दुरुपयोग	100000	01–12–2020
160	मध्य प्रदेश	1572/12/53/2019	806	एससी/एसटी पर अत्याचार (पुलिस द्वारा)	250000	12–01–2021
161	मध्य प्रदेश	1236/12/20/2017–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	16–09–2020
162	मध्य प्रदेश	3069/12/28/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	300000	21–12–2020

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
163	मध्य प्रदेश	1296/12/18/2013–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1500000	31–07–2020
164	मध्य प्रदेश	158/12/17/2016	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	200000	04–01–2021
165	मध्य प्रदेश	2298/12/28/2015	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	200000	18–02–2021
166	मध्य प्रदेश	243/12/35/2014	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	450000	07–09–2020
167	मध्य प्रदेश	837/12/10/2017	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	300000	14–07–2020
168	मध्य प्रदेश	1779/12/7/2018–डब्ल्यूसी	1304	दहेज हत्या या उसका प्रयास	200000	30–12–2020
169	मध्य प्रदेश	491/12/38/2017–डब्ल्यूसी	1304	दहेज हत्या या उसका प्रयास	200000	01–12–2020
170	मध्य प्रदेश	1249/12/44/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	19–02–2021
171	मध्य प्रदेश	763/12/8/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	08–03–2021
172	महाराष्ट्र	1096/13/14/2019–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	05–03–2021
173	महाराष्ट्र	1704/13/17/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	02–03–2021
174	महाराष्ट्र	497/13/30/2014–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	450000	18–08–2020
175	महाराष्ट्र	618/13/28/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	09–07–2020
176	महाराष्ट्र	1324/13/1/2015–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	25–06–2020
177	महाराष्ट्र	810/13/23/2017–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	20–08–2020
178	महाराष्ट्र	393/13/34/2014–एएफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	2100000	03–02–2021

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
179	महाराष्ट्र	2083/13/16/2017	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	31–03–2021
180	मेघालय	43/15/5/2012–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	27–08–2020
181	मिजोरम	12/16/8/2018–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	20–01–2021
182	नगालैंड	26/17/1/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	01–03–2021
183	नगालैंड	5/17/1/2016–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	350000	18–03–2021
184	नगालैंड	12/17/5/2018	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	300000	03–03–2021
185	उड़ीसा	2721/18/32/2019	104	बच्चों का उत्पीड़न	300000	04–01–2021
186	उड़ीसा	2725/18/32/2019	104	बच्चों का उत्पीड़न	200000	19–01–2021
187	उड़ीसा	4082/18/7/2017	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	200000	09–09–2020
188	उड़ीसा	4237/18/9/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	01–06–2020
189	उड़ीसा	4335/18/13/2016	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	200000	08–02–2021
190	उड़ीसा	4722/18/2/2017	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	22–07–2020
191	उड़ीसा	4591/18/13/2016	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	24–08–2020
192	उड़ीसा	4768/18/7/2018	207	चिकित्सा लापरवाही	50000	14–08–2020
193	उड़ीसा	4921/18/11/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	02–03–2021

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
194	उड़ीसा	5006/18/12/2014–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	20–05–2020
195	उड़ीसा	1868/18/31/2018–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	16–09–2020
196	उड़ीसा	2549/18/17/2019	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	16–03–2021
197	उड़ीसा	2968/18/32/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	400000	06–07–2020
198	उड़ीसा	4719/18/12/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	11–02–2021
199	उड़ीसा	4072/18/5/2017	1508	केन्द्र एवं राज्य सरकार के कस्टम/एक्साइज/प्रवर्तन/वन/आयकर विभाग इत्यादि द्वारा नृशंसता	300000	09–07–2020
200	उड़ीसा	198/18/31/2019	1514	बिजली के कारण मौत	200000	16–12–2020
201	उड़ीसा	199/18/33/2019	1514	बिजली के कारण मौत	300000	07–08–2020
202	उड़ीसा	3542/18/30/2019	1514	बिजली के कारण मौत	350000	22–03–2021
203	उड़ीसा	965/18/24/2019	1514	बिजली के कारण मौत	300000	17–08–2020
204	पंजाब	1066/19/1/2015–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	19–08–2020
205	पंजाब	284/19/3/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	450000	30–08–2020
206	पंजाब	291/19/10/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	350000	12–05–2020
207	पंजाब	338/19/9/2019–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	29–06–2020

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
208	पंजाब	483/19/19/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	22–05–2020
209	पंजाब	913/19/10/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	350000	06–11–2020
210	पंजाब	922/19/7/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	19–02–2021
211	पंजाब	11/19/10/2019	804	अधिकार का दुरुपयोग	300000	03–12–2020
212	पंजाब	881/19/19/2018	817	अवैध नजरबंदी	50000	08–03–2021
213	पंजाब	134/19/10/2017	1117	बलात्कार	100000	17–08–2020
214	राजस्थान	296/20/19/2019	104	बच्चों का उत्पीड़न	300000	27–10–2020
215	राजस्थान	3142/20/21/2017	104	बच्चों का उत्पीड़न	200000	06–01–2021
216	राजस्थान	996/20/14/2016	202	सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा	1800000	09–03–2021
217	राजस्थान	78/20/15/2019	207	चिकित्सा लापरवाही	200000	18–01–2021
218	राजस्थान	1055/20/1/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	20–08–2020
219	राजस्थान	1314/20/1/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	28–09–2020
220	राजस्थान	2831/20/7/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	400000	12–03–2021
221	राजस्थान	3014/20/29/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	19–02–2021
222	राजस्थान	3263/20/19/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	04–01–2021
223	राजस्थान	1793/20/2/2017	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	11–03–2021
224	राजस्थान	2177/20/9/2018	809	हिरासतीय उत्पीड़न	200000	08–03–2021
225	राजस्थान	2514/20/26/2015–डब्ल्यूसी	1903	अनुसूचित जाति का बलात्कार	200000	23–09–2020
226	सिक्किम	6/21/3/2017	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	300000	26–02–2021
227	तमिलनाडु	1505/22/15/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	26–11–2020

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
228	तमिलनाडु	1774/22/13/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	04–03–2021
229	तमिलनाडु	37/22/5/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	24–02–2021
230	तमिलनाडु	1767/22/36/2019	806	एससी / एसटी पर अत्याचार (पुलिस द्वारा)	50000	04–03–2021
231	तमिलनाडु	1216/22/48/2017–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	22–09–2020
232	तमिलनाडु	1008/22/13/2014–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	200000	23–12–2020
233	तमिलनाडु	386/22/30/2018	1505	राज्य / केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	12–05–2020
234	तेलंगाना	1412/1/7/2014–एएफ	1601	सत्ता का मनमाना उपयोग	500000	15–03–2021
235	त्रिपुरा	39/23/0/2017–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	18–03–2021
236	उत्तर प्रदेश	45738/24/31/2014	100	बच्चे	200000	15–05–2020
237	उत्तर प्रदेश	19155/24/40/2019	106	यौन उत्पीड़न/अप्राकृतिक अपराध	100000	20–01–2021
238	उत्तर प्रदेश	20977/24/52/2019–डब्ल्यूसी	106	यौन उत्पीड़न/अप्राकृतिक अपराध	100000	27–01–2021
239	उत्तर प्रदेश	32610/24/43/2016	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	21–09–2020
240	उत्तर प्रदेश	4075/24/48/2016	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	500000	30–09–2020
241	उत्तर प्रदेश	8513/24/48/2018	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	08–02–2021
242	उत्तर प्रदेश	40366/24/48/2016	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	500000	15–08–2020

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
243	उत्तर प्रदेश	1056/24/43/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	24–02–2021
244	उत्तर प्रदेश	12449/24/55/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	09–02–2021
245	उत्तर प्रदेश	13363/24/52/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	07–10–2020
246	उत्तर प्रदेश	13853/24/27/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	15–02–2021
247	उत्तर प्रदेश	14751/24/18/2019–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	15–03–2021
248	उत्तर प्रदेश	15819/24/33/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	19–03–2021
249	उत्तर प्रदेश	22740/24/36/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	350000	28–12–2020
250	उत्तर प्रदेश	24369/24/1/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	26–02–2021
251	उत्तर प्रदेश	35188/24/63/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	375000	30–03–2021
252	उत्तर प्रदेश	4013/24/71/2019–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	16–03–2021
253	उत्तर प्रदेश	41818/24/31/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	12–06–2020
254	उत्तर प्रदेश	4785/24/40/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	26–06–2020
255	उत्तर प्रदेश	6851/24/22/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11–08–2020
256	उत्तर प्रदेश	9146/24/12/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	01–02–2021
257	उत्तर प्रदेश	27443/24/39/2015–एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	300000	12–06–2020
258	उत्तर प्रदेश	29912/24/48/2017–एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	300000	19–10–2020
259	उत्तर प्रदेश	12853/24/5/2017	502	स्थानीय बदमाशों द्वारा उपद्रव	100000	18–02–2021

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
260	उत्तर प्रदेश	16693/24/64/2014–डब्ल्यूसी	803	पुलिस थाने से बाहर बलात्कार	270000	15–05–2020
261	उत्तर प्रदेश	19520/24/22/2019–डब्ल्यूसी	803	पुलिस थाने से बाहर बलात्कार	200000	01–01–2021
262	उत्तर प्रदेश	21849/24/37/2019–डब्ल्यूसी	803	पुलिस थाने से बाहर बलात्कार	300000	09–02–2021
263	उत्तर प्रदेश	10862/24/14/2019	804	अधिकार का दुरुपयोग	200000	12–03–2021
264	उत्तर प्रदेश	19778/24/20/2020	804	अधिकार का दुरुपयोग	50000	03–03–2021
265	उत्तर प्रदेश	36265/24/18/2016	804	अधिकार का दुरुपयोग	100000	19–02–2021
266	उत्तर प्रदेश	39842/24/25/2015	805	हत्या का प्रयास	100000	08–05–2020
267	उत्तर प्रदेश	16072/24/76/2019	809	हिरासतीय उत्पीड़न	300000	22–02–2021
268	उत्तर प्रदेश	27789/24/8/2016	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	19–02–2021
269	उत्तर प्रदेश	21509/24/45/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	50000	09–09–2020
270	उत्तर प्रदेश	25543/24/34/2015	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	100000	15–09–2020
271	उत्तर प्रदेश	25870/24/14/2019	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	300000	15–02–2021
272	उत्तर प्रदेश	38429/24/31/2016	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	200000	30–06–2020
273	उत्तर प्रदेश	40306/24/35/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	300000	04–02–2021
274	उत्तर प्रदेश	40753/24/20/2015	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	50000	08–06–2020
275	उत्तर प्रदेश	49596/24/34/2015	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	100000	28–08–2020
276	उत्तर प्रदेश	8807/24/19/2012	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	300000	25–06–2020
277	उत्तर प्रदेश	34115/24/6/2017	815	झूठे मामले में फंसाना	300000	08–03–2021
278	उत्तर प्रदेश	13/24/1/2015	816	अवैध गिरफ्तारी	100000	04–09–2020
279	उत्तर प्रदेश	37864/24/43/2014	816	अवैध गिरफ्तारी	25000	08–10–2020
280	उत्तर प्रदेश	12391/24/56/2017	817	अवैध नजरबंदी	300000	10–07–2020

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
281	उत्तर प्रदेश	16413/24/48/2019	817	अवैध नजरबंदी	50000	25–03–2021
282	उत्तर प्रदेश	26805/24/72/2016	817	अवैध नजरबंदी	300000	27–08–2020
283	उत्तर प्रदेश	38138/24/50/2015	817	अवैध नजरबंदी	400000	01–10–2020
284	उत्तर प्रदेश	7949/24/41/2016	817	अवैध नजरबंदी	300000	23–10–2020
285	उत्तर प्रदेश	31103/24/75/2015	819	पुलिस द्वारा प्रेरित घटनाएं	300000	20–08–2020
286	उत्तर प्रदेश	1480/24/51/2013–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	300000	31–07–2020
287	उत्तर प्रदेश	18325/24/31/2012–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	400000	09–02–2021
288	उत्तर प्रदेश	22715/24/52/2019–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	300000	07–09–2020
289	उत्तर प्रदेश	37452/24/52/2015–एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	300000	25–06–2020
290	उत्तर प्रदेश	14703/24/19/2017–डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	300000	26–05–2020
291	उत्तर प्रदेश	17332/24/56/2014–डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	25000	01–09–2020
292	उत्तर प्रदेश	36756/24/46/2016–डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	450000	22–05–2020
293	उत्तर प्रदेश	8013/24/61/2015–डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	200000	20–08–2020
294	उत्तर प्रदेश	30564/24/50/2018–डब्ल्यूसी	1304	दहेज हत्या या उसका प्रयास	100000	06–01–2021
295	उत्तर प्रदेश	38718/24/36/2017–डब्ल्यूसी	1304	दहेज हत्या या उसका प्रयास	100000	11–03–2021
296	उत्तर प्रदेश	6580/24/42/2018–डब्ल्यूसी	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	07–09–2020
297	उत्तर प्रदेश	6668/24/31/2014–डब्ल्यूसी	1307	सामूहिक बलात्कार	500000	19–08–2020
298	उत्तर प्रदेश	18807/24/55/2015–डब्ल्यूसी	1309	महिलाओं का तिरस्कार	150000	07–12–2020
299	उत्तर प्रदेश	32139/24/23/2017 डब्ल्यूसी	1309	महिलाओं का तिरस्कार	300000	13–10–2020

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
300	उत्तर प्रदेश	34513/24/69/2017—डब्ल्यूसी	1309	महिलाओं का तिरस्कार	150000	30—03—2021
301	उत्तर प्रदेश	23157/24/45/2017—डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	200000	04—01—2021
302	उत्तर प्रदेश	12617/24/25/2019	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	18—01—2021
303	उत्तर प्रदेश	13052/24/27/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	01—02—2021
304	उत्तर प्रदेश	20396/24/28/2019	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	12—03—2021
305	उत्तर प्रदेश	20449/24/6/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	21—09—2020
306	उत्तर प्रदेश	30105/24/75/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	22—02—2021
307	उत्तर प्रदेश	37130/24/33/2017	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	800000	16—03—2021
308	उत्तर प्रदेश	44865/24/48/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	350000	06—08—2020
309	उत्तर प्रदेश	27074/24/49/2019	1508	केन्द्र एवं राज्य सरकार के कस्टम/एक्साइज/प्रवर्तन/वन/आयकर विभाग इत्यादि द्वारा नृशंसता	500000	06—07—2020
310	उत्तर प्रदेश	28274/24/54/2017	1900	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	200000	30—03—2021
311	उत्तर प्रदेश	48868/24/6/2015	1901	अनुसूचित जाति पर अत्याचार	200000	26—05—2020

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
312	उत्तर प्रदेश	2506/24/3/2018–डब्ल्यूसी	1903	अनुसूचित जाति का बलात्कार	200000	20–08–2020
313	उत्तराखंड	734/35/7/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	26–08–2020
314	उत्तराखंड	542/35/3/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	11–02–2021
315	उत्तराखंड	473/35/11/2019	1901	अनुसूचित जाति पर अत्याचार	200000	19–05–2020
316	पश्चिम बंगाल	1009/25/17/2019–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	15–03–2021
317	पश्चिम बंगाल	1156/25/8/2017–	301	हिरासत में मौत (न्यायिक) जेसीडी	300000	08–03–2021
318	पश्चिम बंगाल	680/25/19/2019–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	11–03–2021
319	पश्चिम बंगाल	843/25/19/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	250000	26–02–2021
320	पश्चिम बंगाल	1131/25/25/2019	604	जोखिमपूर्ण रोजगार	11800000	15–02–2021
321	पश्चिम बंगाल	1114/25/23/2015–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	22–09–2020
322	पश्चिम बंगाल	365/25/13/2019–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	17–07–2020
323	पश्चिम बंगाल	67/25/19/2014–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	22–05–2020
324	पश्चिम बंगाल	1555/25/6/2014–ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03–02–2021
325	पश्चिम बंगाल	1217/25/15/2014–डब्ल्यूसी	1309	महिलाओं का तिरस्कार	200000	28–08–2020
326	पश्चिम बंगाल	1344/25/14/2015–एडी	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	14–01–2021

अनुलग्नक – 6

वर्ष 2020–2021 के दौरान एनएचआरसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की सिफारिश के मामलों की कुल संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुशासनात्मक कार्रवाई	अभियोजन
अखिल भारत	0	0
अंडमान और निकोबारी	0	0
आवास क्षेत्र	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	0	0
बिहार	0	0
चेन्नई	0	0
छत्तीसगढ	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0
दमन और दीव	0	0
दिल्ली	0	0
विदेश	0	0
गोवा	0	0
गुजरात	0	0
हरियाणा	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0
झारखंड	0	0
कर्नाटक	0	0
केरल	0	0
लद्दाख	0	0
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	0	0
महाराष्ट्र	0	0
मणिपुर	0	0
मेघालय	0	0
मिजोरम	0	0
नगालैंड	0	0
उड़ीसा	0	0
पुदुचेरी	0	0
पंजाब	1	0
राजस्थान	0	0
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	0
तेलंगाना	0	0
त्रिपुरा	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0
उत्तराखंड	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0
कुल	**1**	**0**

अनुलग्नक – 7

वर्ष 2019–2020 के दौरान एनएचआरसी द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

(दिनांक 12/04/2021 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	असम	132/3/0/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	26–11–2019
2	असम	166/3/9/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	18–02–2020
3	असम	237/3/11/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	20–01–2020
4	बिहार	1219/4/12/2018	800	पुलिस	200000	18–04–2019
5	बिहार	1618/4/5/2017	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	11–11–2019
6	बिहार	2354/4/37/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	28–10–2019
7	बिहार	3269/4/4/2017	804	अधिकार का दुरुपयोग	100000	21–01–2020
8	बिहार	4122/4/23/2016	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	50000	13–03–2020
9	छत्तीसगढ	172/33/5/2018	805	हत्या का प्रयास	1200000	17–09–2019
10	दिल्ली	1359/30/1/2017–डब्ल्यूसी	1313	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (सरकारी कार्यालय)	25000	03–09–2019
11	दिल्ली	523/30/2/2019	804	अधिकार का दुरुपयोग	300000	10–10–2019
12	दिल्ली	777/30/0/2019–डब्ल्यूसी	1315	हत्या	300000	16–08–2019
13	गुजरात	100/6/18/2017–पीएफ	1704	अधिकार का दुरुपयोग	100000	20–01–2020
14	झारखंड	1066/34/7/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	19–03–2020
15	झारखंड	1559/34/5/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	14–11–2019
16	झारखंड	208/34/8/2019	207	चिकित्सा लापरवाही	100000	16–10–2019
17	झारखंड	623/34/4/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	04–02–2020
18	झारखंड	627/34/6/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	25–02–2020
19	मध्य प्रदेश	261/12/35/2019	106	यौन उत्पीड़न/अप्राकृतिक अपराध	300000	23–12–2019

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरुप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
20	मध्य प्रदेश	342/12/8/2019–डब्ल्यूसी	803	पुलिस थाने से बाहर बलात्कार	50000	16–03–2020
21	महाराष्ट्र	1159/13/21/2016	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	25–11–2019
22	महाराष्ट्र	1680/13/15/2015	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	200000	19–02–2020
23	उड़ीसा	4595/18/32/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	16–12–2019
24	उड़ीसा	1272/18/16/2019	825	वृद्धों पर पुलिस द्वारा अत्याचार	300000	14–01–2020
25	उड़ीसा	2388/18/16/2016	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300000	08–04–2019
26	उड़ीसा	4170/18/9/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	09–03–2020
27	उड़ीसा	4257/18/1/2016	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	400000	17–02–2020
28	उड़ीसा	5065/18/12/2017	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	01–07–2019
29	पुदुचेरी	110/32/0/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	06–01–2020
30	पंजाब	384/19/1/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	23–10–2019
31	राजस्थान	910/20/9/2018	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	50000	28–02–2020
32	राजस्थान	1963/20/1/2018	104	बच्चों का उत्पीड़न	300000	14–01–2020
33	तमिलनाडु	1621/22/31/2017	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	200000	29–07–2019
34	तमिलनाडु	2116/22/14/2016	104	बच्चों का उत्पीड़न	500000	12–09–2019
35	तमिलनाडु	845/22/13/2018	806	एससी/एसटी पर अत्याचार (पुलिस द्वारा)	300000	11–03–2020

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
36	तमिलनाडु	969/22/13/2017	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	300000	12–02–2020
37	तेलंगाना	945/36/0/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	19–06–2019
38	उत्तर प्रदेश	7270/24/18/2018–डब्ल्यूसी	1309	महिलाओं का तिरस्कार	50000	23–12–2019
39	उत्तर प्रदेश	11771/24/34/2016–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	600000	17–02–2020
40	उत्तर प्रदेश	16151/24/3/2017–डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	100000	20–01–2020
41	उत्तर प्रदेश	1705/24/54/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	20–01–2020
42	उत्तर प्रदेश	17823/24/55/2017	806	एससी/एसटी पर अत्याचार (पुलिस द्वारा)	150000	25–11–2019
43	उत्तर प्रदेश	18807/24/43/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	10–06–2019
44	उत्तर प्रदेश	20303/24/76/2016–डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	100000	27–01–2020
45	उत्तर प्रदेश	21892/24/51/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	08–07–2019
46	उत्तर प्रदेश	29311/24/31/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	01–05–2019
47	उत्तर प्रदेश	32212/24/35/2018–डब्ल्यूसी	1304	दहेज हत्याश या उसका प्रयास	100000	25–02–2020
48	उत्तर प्रदेश	34432/24/48/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	18–06–2019
49	उत्तर प्रदेश	34457/24/78/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	24–02–2020
50	उत्तर प्रदेश	39090/24/56/2017–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	20–01–2020
51	उत्तर प्रदेश	8290/24/6/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	03–02–2020
52	उत्तर प्रदेश	1292/35/6/2018–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11–02–2020
53	पश्चिम बंगाल	1089/25/13/2016–पीएफ	1704	अधिकार का दुरुपयोग	300000	27–02–2020

अनुलग्नक – 8

वर्ष 2013–2014 से 2018–2019 के दौरान एनएचआरसी द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

(दिनांक 12/04/2021 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	असम	239/3/9/2013–पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	20–12–2017
2	दिल्ली	252/30/8/2014	2006	प्रताड़ित करना (विदेशी/ एन आरआई)	300000	29–09–2014
3	झारखंड	898/34/16/2013–जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	17–07–2017
4	मध्य प्रदेश	1738/12/38/2014	1904	प्रताड़ित करना	200000	27–01–2019
5	महाराष्ट्र	771/13/16/2017	604	जोखिमपूर्ण रोजगार	975000	12–02–2019
6	उत्तर प्रदेश	10587/24/57/2017–डब्ल्यूसी	1309	महिलाओं का तिरस्कार	1750000	08–08–2018
7	उत्तर प्रदेश	18225/24/1/2016–डब्ल्यूसी	1309	महिलाओं का तिरस्कार	50000	26–09–2018
8	उत्तर प्रदेश	35109/24/52/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	29–10–2018
9	उत्तर प्रदेश	4658/24/64/2018	804	अधिकार का दुरुपयोग	50000	27–11–2018
10	उत्तर प्रदेश	7941/24/52/2017	1807	अनियमितताएं	100000	12–11–2018
11	उत्तर प्रदेश	8666/24/7/2017	1901	अनुसूचित जाति पर अत्याचार	50000	29–10–2018
12	पश्चिम बंगाल	1006/25/6/2016	1901	अनुसूचित जाति पर अत्याचार	50000	25–09–2018
13	पश्चिम बंगाल	1417/25/15/2016–पीएफ	1704	अधिकार का दुरुपयोग	25000	14–02–2019
14	पश्चिम बंगाल	669/25/22/2017–डीएच	310	आश्रय गृहों में मौत	200000	18–02–2019

अनुलग्नक – 9

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक अन्वेषण प्रभाग द्वारा की गई घटनास्थल जांच का विवरण

क्र.सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
1	20305/24/9/2018	श्रीमती रेखा देवी w/o श्री बैथा बहराइच, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता के पति की हत्या का मामला स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता
2	2553/18/4/2019	श्री राधाकांत त्रिपाठी, दिल्ली	गुरुकुल आश्रम ढेंकनाल जिले में एक नाबालिग लड़का मृत पाया गया। स्कूल अवैध रूप से चल रहा है।
3	11912/24/20/2020	श्री हनीफ उर रहमान निजामुद्दीन, दिल्ली	उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पत्थर खदानों के मालिकों और पर्यवेक्षक द्वारा कथित अवैध बाल श्रम, तस्करी तथा नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण
4	1239/7/5/2020	श्री रवि कुमार, गुरुग्राम, हरियाणा	स्थानीय प्रशासन ने श्यामझा बस्ती सिकंदरपुर गोशी, गुरुग्राम, हरियाणा में 600 मलिन बस्तियों को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया
5	47213/24/72/2015	श्री अनिल कुमार मोर्य, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	जल निगम (जल कल विभाग) वाराणसी के ठेका मजदूरों का बिना सुरक्षा उपकरण एवं उचित उपकरणों के सीवर की सफाई के संबंध में शोषण।
6	2636/30/0/2020	श्री शमशाद पुत्र यासीन निवासी गोंडा, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भीड़ ने उसे गोली मारी और पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच को लेकर आशंका जताई।
7	3172/30/5/2020	श्री नसीम खान, न्यू उस्मानपुर, दिल्ली	शिकायतकर्ता को झूठे मामले में फंसाना। पुलिस अधिकारियों ने उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया।
8	1205/20/34/2020	श्री देवी लाल, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान	शिकायतकर्ता की बेटी के अपहरण व हत्या पर पुलिस की निष्क्रियता
9	1357/7/12/2020–डब्ल्यूसी	श्री वेद पाल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी लापता हो गई और उसका शव मिला। स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
10	14541/24/16/2020	श्री सागर गुप्ता, जिला भदोई, उत्तर प्रदेश	विरोधियों और पुलिस ने शिकायतकर्ता के बड़े भाई का अपहरण कर लिया और रिहाई के लिए 5,00,000/–रुपये की मांग की और पुलिस कर्मियों ने उसके भाई को 8 पुलिस कर्मियों की मौत के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।

क्र.सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
11	3715/30/0/2020	श्रीमती रूबी w/o राजवीर निवासी जैन कॉलोनी, बारावाला, नई दिल्ली	आरोपी अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता को ब्लैक मेल किया। आरोपी ने पुलिस से मिलीभगत कर उसे चोरी के मामले में फंसाया। अपराध स्वीकार करने के लिए पुलिस कर्मियों ने उसे और उसके पति को पीटा।
12	3461/30/0/2020	तस्न्नुम नाज निवासी भोपाल, मध्य प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नशे में धुत पुलिस अधिकारी ने उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर मारपीट की। जब उन्होंने मोबाइल से घटना की रिकॉर्डिंग की तो पुलिस अधिकारी ने उन पर गोलियां चला दीं।
13	1373/12/8/2020	श्री धर्मेंद्र सिंह निवासी भोपाल, मध्य प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा सेक्स रैकेट है। उसकी पत्नी और उसकी बहन ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बंधक बना रखा था। उन्होंने अपनी जान को खतरा होने का भी आरोप लगाया।
14	1188/13/10/2020	डॉ विनय पी सहस्रबुद्धे और अन्य संसद सदस्य (राज्य सभा) दिल्ली	सांसद (राज्यसभा) ने छात्र संगठन अखिल भारतीय अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं की पुलिस द्वारा राज्य मंत्री की मौजूदगी में पिटाई करने का आरोप लगाया।
15	4156/30/0/2020	श्री कृष्ण, दिल्ली	शिकायतकर्ता के बेटे को उसके दोस्त ने पीटा और एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। बाद में जब उन्होंने मामले की जांच के लिए पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस कर्मियों ने उनके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित किया और रिश्वत के रूप में 20,000/– रुपये की राशि ली गई।
16	1625/7/20/2020–डब्ल्यूसी	सुश्री पिंकी देवी वेद प्रकाश, यमुना नगर, हरियाणा	पीड़िता का अपहरण कर आरोपी व्यक्ति ने बलात्कार किया और पुलिस अधीक्षक (एसपी), यमुना नगर, हरियाणा से शिकायत की। इसके बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी (आईओ) और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) ने पीड़िता को बयान बदलने के लिए प्रताड़ित किया।
17	1017/34/12/2020	डॉ. बीरेंद्र कुमार, कोडरमा, झारखंड	शिकायतकर्ता ने एसएचओ और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए पुलिस अत्याचारों का आरोप लगाया। कार की गलत पार्किंग के विरोध में उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और लात मारी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने उसे अवैध कारावास में रखा, फिर से हिरासत में हमला किया और झूठे मामले में फंसाया।

क्र.सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
18	1604/7/19/2020–एआर	श्रीमती कविता w/o राज कुमार, सोनीपत, हरियाणा	हरियाणा के सोनीपत के बड़ौदा थाना के 10–12 पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी से लॉकअप में दुष्कर्म किया। मामले की सूचना एसएचओ, एसपी और कोर्ट को दी गई, लेकिन उच्च अधिकारियों के प्रभाव के कारण कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।
19	4486/30/3/2020	श्री रविकांत, मेरठ, उत्तर प्रदेश	एक व्यक्ति ने सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया और भर्ती प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी डॉक्टर ने इलाज देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित था।
20	21078/24/23/2020	श्री फतेह सिंह, जिला जेल इटावा, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के इटावा जेल में कैदी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फिरोजाबाद और इटावा के जेल अधिकारियों ने उसे प्रताड़ित करने की साजिश रची। उस पर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। निचली जाति का सदस्य होने के कारण अधिकारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। शिकायतकर्ता को अपनी जान का डर सता रहा था।
21	4851/30/9/2020	रोशनी गिरी, नगली विहार एक्सटेंशन, दिल्ली	शिकायतकर्ता (सामूहिक बलात्कार और एसिड अटैक पीड़िता) ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके घर आया, उसे और उसके परिवार को मामला वापस लेने की धमकी दी और अपहरण का प्रयास किया। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के आश्वासन के बावजूद, पुलिस अधिकारियों ने आरोपी व्यक्तियों के साथ उसके घर में प्रवेश किया, उसके कपड़े उतारे और मौद्रिक राहत के रूप में प्राप्त 2,00,000/– रुपये की राशि ले ली। उन्होंने पीड़िता और उसके पिता के साथ मारपीट भी की और बेरहमी से पीटा और शिकायतकर्ता के पिता का अपहरण कर लिया।
22	1787/7/20/2020	श्रीमती पूनम देवी, जिला यमुना नगर, हरियाणा	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति की मौत के बाद विरोधी उसे परेशान कर रहे थे और उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का भी प्रयास कर रहे थे। यह आगे उल्लेख किया गया था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो उसे धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ता और

क्र.सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
			उसके परिवार के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
23	23067/24/38/2020	श्री नीरज शर्मा, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के जिला जेल जालौन में जेल अधीक्षक, जेल कर्मचारियों और कैदियों द्वारा अनियमितताएं की गयी हैं।
24	40558/24/1/2015	श्री जय राज सिंह, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों और विरोधियों के बीच हाथापाई हुई, जो उनके घर में बंदूकें, लाठी और कुल्हाड़ी लेकर आए और उन्हें गालियां दीं, उन्हें मारने के लिए गोलियां चलाईं। विरोधियों ने उसके भाई का अपहरण कर लिया और उसका भाई तब से लापता है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने उसके भाई का पता लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
25	742/19/10/2020	श्री रवि जिंदल, एडवोकेट, लुधियाना, पंजाब	ऑनलाइन शिकायत में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लुधियाना के हैबोवाल थाना के एसएचओ और पुलिस अधिकारी द्वारा दो अधिवक्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और एक झूठे मामले में फंसाया गया।
26	44649/24/52/2016–एएफई	श्री प्रेम सिंह, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने 08.12.2016 को आगरा पुलिस द्वारा अपने बेटे रामू (22 वर्ष) की मुठभेड़ में मौत का आरोप लगाया।
27	1258/34/1/2020–डब्ल्यूसी	श्री अनूप कुमार, बोकारो, झारखण्ड	सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारी आरोपी ने पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर बुलाया। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और अपराध दर्ज कर लिया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैक मेल किया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पिछले 6 महीने से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि आरोपी एक वरिष्ठ अधिकारी है।
28	24184/24/43/2020	श्री सोघर सिंह, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश	एससी समुदाय से संबंधित शिकायतकर्ता (एक वरिष्ठ पत्रकार) ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों ने देश के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी लिखी थी जिसके लिए उन्होंने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया

क्र.सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
			था। पुलिस हिरासत में आरोपी को मिलीभगत, बेरहमी से पीटा गया और प्रताड़ित किया गया और उससे हजारों रुपये लूट लिए गए।
29	2357/1/22/2020	सुश्री चुक्का मरियम्मा विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे चक्का का प्रभावशाली व्यक्ति ने अपहरण कर लिया और उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी कर ली। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली और उसे व उसके परिवार को पीटा। पुलिस ने उसके बेटे को विरोधियों के हवाले कर दिया और तभी से उसका बेटा लापता है।
30	5529/30/6/2020	सुश्री साधना निवासी महेंद्र मिश्रा निवासी किराडी सुलेमान नगर, दिल्ली	शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2018 में आरोपी उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्राथमिकी के चलते आरोपी ने शिकायतकर्ता के माता–पिता की पिटाई कर दी थी। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को लगातार परेशान किया जा रहा था और उसका पीछा किया जा रहा था। कई बार पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
31	2255/7/11/2020	श्री गौतम उप्पल, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	शिकायतकर्ता ने एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र द्वारा कोविड–19 प्रभावित रोगियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता की मां को एलएनजेपी अस्पताल की सिफारिश पर निजी अस्पताल राधे कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29.12.2020 को एलएनजेपी अधिकारी एलएनजेपी अस्पताल में कोविड–19 रोगियों को फिर से भर्ती करने आए, जिन्हें उन्होंने पहले मना कर दिया था।
32	2023/7/3/2019	श्री देवेंद्र पुत्र श्री. हद्दत, फरीदाबाद, हरियाणा	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पिता को एक व्यक्ति ने बेरहमी से पीटाय और स्थानीय पुलिस ने कुछ निहित स्वार्थों के कारण कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस ने उसे झूठे मामलों में फंसाया। एनएचआरसी ने मामले की मौके पर जांच की और मामला बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने फिर से एनएचआरसीसे संपर्क किया, और याचिका पर विचार करने पर, आयोग ने मामले को फिर से खोलने और शिकायतकर्ता

क्र.सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
			के मुद्दों की फिर से जांच करने का फैसला किया और एक अलग जांच दल के माध्यम से फिर से जांच की।
33	640/24/78/2020	उत्तर प्रदेश के कासगंज जेल में बंद श्री राजीव यादव, दशरथ	शिकायतकर्ता ने जेल (कासगंज) में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जेल अधिकारी के खिलाफ उनके कुकर्मों के लिए सख्त कार्रवाई की प्रार्थना की।
34	28/7/3/2021	श्री जगबीर सिंह, निवासी फरीदाबाद, हरियाणा	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 10–15 की संख्या में प्रतिद्वंद्वी ने उसके 70 वर्षीय पिता और उसके 17 वर्षीय बेटे पर लाठी, लोहे की छड़, कुल्हाड़ी, ईंटों और पत्थर से हमला किया, जिससे उसके छोटे बेटे के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसके बूढ़े के सिर में चोट सहित कई फ्रेक्चर हो गए। पिता। विरोधियों ने उनके परिवार की महिलाओं पर भी हमला किया और उनके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और बाद में शिकायतकर्ता को मारने की कोशिश की। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन उनके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई।
35	2649/30/5/2020	श्री राज हंस बंसल, दिल्ली	शिकायतकर्ता का आरोप है कि पीड़िता की मौत संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण नाले/गटर में गिरने से हुई है।
36	1285/34/4/2019–डब्ल्यूसी	श्री रणजीत सिंह परमार, धनबाद, झारखंड	एक एनजीओ के सदस्य, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पीड़ित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके शरीर के अंगों को जलाने सहित प्रताड़ित किया गया। महिला थाना, धनबाद, झारखण्ड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
37	41060/24/30/2016	श्री अखिलेश ठाकुर, नोएडा, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने खुद को, अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों को झूठे फंसाने और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
38	4377/24/22/2019–बीएल	श्री रामजी लाल, जिला एटा, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह और अन्य मजदूर, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं और एक ईंट भट्टे में कार्यरत हैं, उनके साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया जा रहा हैय उन्हें कोई मजदूरी और अन्य बुनियादी सुविधा नहीं दी गई है। मालिकों द्वारा उन्हें पीटा गया, शोषण किया गया और ईंट भट्ठे में बंधक बनाकर रखा गया।

संकेताक्षरों की सूची

एएवाई	:	अंत्योदय अन्न योजना
एसीजेएम	:	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
एएचटीयू	:	मानव तस्करी रोधी इकाई
एआईसीटीई	:	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एडीएम और एचओ	:	अपर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
एएमसी		चिकित्सा सलाहकारों का संघ
एएनबी	:	आत्म निर्भर भारत
ए एन एम	:	सहायक नर्स और दाई
एपीएफ	:	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच
एआरटी	:	अनुच्छेद
एआरटीएस	:	अनुच्छेदों
एएसआई	:	सहायक उप निरीक्षक
एटीआई	:	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
एटीआर	:	कार्रवाई की गई रिपोर्ट
बीएलएसएए	:	बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम
बीपीएल	:	गरीबी रेखा के नीचे
बीपीआर और डी	:	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
सीएए	:	नागरिकता संशोधन अधिनियम
सीएपीएफ	:	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
सीबी–सीआईडी/सीआईडी–सीबी	:	अपराध शाखा अपराध अन्वे षण विभाग
सीबीआई	:	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सीसीआई	:	बाल देखभाल संस्थान
सीसीटीवी	:	क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे

संकेताक्षरों की सूची

सीईडीएडब्ल्यू	:	महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन
सीएफएनएचआरआई	:	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान का राष्ट्रमंडल मंच
सी आई एस एफ	:	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीएमओ	:	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सीपीसीबी	:	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीआई	:	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीओ	:	अनुमंडल पदाधिकारी
सीआरपीसी	:	आपराधिक प्रक्रिया संहिता
सीआरसी	:	बाल अधिकारों पर कन्वेंशन
सीआरसीसी	:	पुनर्वास परामर्शदाता प्रमाणन पर आयोग
सीआरपीएफ	:	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
सीएसएएम	:	बाल यौन शोषण सामग्री
सीएसआर	:	कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी
सीएसएस	:	केंद्र प्रायोजित योजना
सीयूटीएन	:	तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय
डीबीटी	:	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डीसी	:	जिला कलेक्टर
डीसीपी	:	पुलिस उपायुक्त
डीसीआरजी	:	मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान
डीडी	:	दैनिक डायरी
डीडीआरसी	:	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र
डेलनेट	:	पुस्तकालय नेटवर्किंग का विकास
डीईओ	:	जिला शिक्षा अधिकारी

संकेताक्षरों की सूची

डीजीपी	:	पुलिस महानिदेशक
डीएम	:	जिला अधिकारी
डीपीओ	:	विकलांग जन जन संगठन
डीएसएलएसए	:	दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
डीएसपी	:	पुलिस उपाधीक्षक
ईडी	:	प्रवर्तन निदेशालय
ईडीएमसी	:	पूर्वी दिल्ली नगर निगम
एफएसी	:	पहली संशोधित शिकायत
एफआईआर	:	प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफएसएल	:	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
एफवाई	:	वित्तीय वर्ष
गनहरी	:	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन
जीडी	:	सामान्य डायरी
जीईएम	:	गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस
जीओआई	:	भारत सरकार
जीपीएफ	:	ग्रेच्युटी भविष्य निधि
जीआरपी	:	सरकारी रेलवे सुरक्षा
एचसी	:	हेड कांस्टेबल
एचआईवी	:	मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु
एचक्यूएस / एचक्यूआरएस	:	मुख्यालय
एचआर	:	मानव अधिकार
एचआरडी	:	मानव अधिकार संरक्षक
आई एवं पीआरओ	:	सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

संकेताक्षरों की सूची

आईसीसी	:	मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति
आईसीडीएस	:	समेकित बाल विकास योजना
आईसीएमआर	:	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीपीएस	:	समेकित बाल संरक्षण योजना
आईजी	:	महानिरीक्षक
आईटीडीए	:	एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी
आईएम–पीडीएस	:	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन
आईएमए	:	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
आईओ	:	जांच अधिकारी
आईपीसी	:	भारतीय दंड संहिता
आईपीओपी	:	वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
आईपीएसआरसी	:	वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
आईआरडीएआई	:	भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
आईवीएफ	:	इन विट्रो निषेचन
जेसीएल	:	जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्टि विद लॉ
जेआईएमएस	:	जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल
जेजे एक्ट / जेजेए	:	किशोर न्याय अधिनियम
एलएफएस	:	लिंक की गई फाइलें
एलजीबीटीक्यूआई	:	लेस्बियन, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स
एम / ओ	:	मंत्रालय
मार्ग	:	मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप
एमडीजी	:	सहस्राब्दि विकास लक्ष्य
एमडीएमएस	:	मध्याह्न भोजन योजना

संकेताक्षरों की सूची

एमईआर	:	मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट
एमजीएनआरईजीए	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
एमजीएनआरईजीएस	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएचए	:	गृह मंत्रालय
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलसी	:	मेडिको लीगल केस
एमएसएमई	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमडब्ल्यूसीडी	:	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनएएसी	:	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
एनसीबी	:	स्वाबपक नियंत्रण ब्यूरो
एनसीसी	:	राष्ट्रीय कैडेट कोर
एनसीईआरटी	:	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीआर	:	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरबी	:	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एनसीटी	:	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनईपी	:	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनएफएचएस	:	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएफएसए	:	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनजीओ	:	गैर सरकारी संगठन
एनएचआरसी	:	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
एनएचआरआई	:	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान
एनआरआईडीए	:	राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी
एनआईए	:	राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी

संकेताक्षरों की सूची

एनआईओएच	:	राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान
एनआईपीसीसीडी	:	राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
एनएलयू	:	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
एनएमएचएस	:	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनओके	:	निकटतम संबंधी
एनएसएपी	:	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एनएसकेएफडीसी	:	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम।
एनएसएसओ	:	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
एनवाईकेएस	:	नेहरू युवा केंद्र संगठन
ओबीसी	:	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओएचसीएचआर	:	मानव अधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय
ओपीएसी	:	ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग
ओएससी	:	वन स्टॉप सेंटर
पी.एस./पीएस	:	पुलिस स्टेशन
पीसी और पीएनडीटी	:	अधिनियम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994
पीसीआर	:	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम
पीडी	:	शारीरिक ड्रिल
पीडीएएस	:	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईएमएसआरए	:	मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
पीईएसए	:	पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
पीएचआरए/पीएचआर अधिनियम	:	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
पीएम–केयर्स निधि	:	प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत कोष

संकेताक्षरों की सूची

पीएमजीकेएवाई	:	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएमजीएसवाई	:	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमजयएवाई	:	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पॉक्सो एक्ट	:	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम
पीपीपी	:	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीपीएच	:	प्रसवोत्तर रक्तस्राव
पीटीआई	:	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान
पीटीआर	:	छात्र शिक्षक अनुपात
पीडब्ल्यडी	:	दिव्यांगिजन
आरध्ओ	:	निवासी
आरध्डब्ल्यू	:	सह पठित
आरएसी	:	रैपिड एक्शन सेल
आरओएफआर	:	वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) अधिनियम, 2006
आरपीएफ	:	रेलवे सुरक्षा बल
आरपीडब्ल्यूडी	:	दिव्यांलगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016
आरटीई	:	शिक्षा का अधिकार
एस/ओ	:	पुत्र
एसएएम	:	गंभीर तीव्र कुपोषण
एससी	:	अनुसूचित जाति
एसडीजी	:	सतत विकास लक्ष्य
एसडीएम	:	उपखण्डक अधिकारी
एसईडब्ल्यूए	:	स्वरोजगार महिला संघ
एसएचजी	:	स्वयं सहायता समूह

संकेताक्षरों की सूची

एसएचओ	:	स्टेशन हाउस अधिकारी
एसएचआरसी	:	राज्य मानव अधिकार आयोग
एसआईटी	:	विशेष जांच दल
एसएमएस	:	लघु संदेश सेवा
एसएनपी	:	पोषण कार्यक्रम
एसओपी	:	मानक संचालन प्रक्रिया
एसपी	:	पुलिस अधीक्षक
एसएस	:	शिक्षा सहायक
एसएसपी	:	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
एसटी	:	अनुसूचित जनजाति
एसटीएफ	:	स्पेशल टास्क फोर्स
टीबी	:	क्षय रोग
टीपीडीएस	:	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक
यू/एस	:	अंडर सेक्शन
यूएपी	:	बिना लाइसेंस वाले सहायक कार्मिक
यूडीआईडी	:	अद्वितीय दिव्यां गता आईडी
यूडीआईएसई	:	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूजीसी	:	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएनसीआरसी	:	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
यूएनसीआरपीडी	:	दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
यूएनजीपी–बीएचआर	:	व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत
यूएनएचआरसी	:	संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद
यूएनडब्ल्यूजी–बीएचआर	:	व्यापार और मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह

संकेताक्षरों की सूची

यूपीआर	:	सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा
यूटी	:	संघ राज्य क्षेत्र
यूटीपी	:	विचाराधीन कैदी
वीसी	:	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
वीसीएस	:	पीड़ित मुआवजा योजना
डब्ल्यू एम ईएससीओ	:	ओडिशा की पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी
डब्ल्यू/ओ	:	पत्नी
डब्ल्यूएफपी	:	विश्व खाद्य कार्यक्रम
डब्ल्यू एच ओ	:	विश्व स्वास्थ्य संगठन
जिपनेट	:	जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क

Note:

Note: